राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 19

मंगलवार;

25 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। डा. रामप्रताप।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : प्रश्न संख्या 442.

श्री अध्यक्ष : आप रामप्रताप हैं क्या?

श्री मदन दिलावर : दूसरा नम्बर मेरा है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम बोलता हूं मैं। श्री मदन दिलावर।

छबड़ा (बारां) पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण संख्या-25/2002 व 32/2002 की जांच

442. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) व **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छबड़ा (बारां) पुलिस थाने पर दर्ज मुकदमा संख्या 25/2002 व 32/2002 कब दर्ज हुए तथा उक्त मुकदमों की जांच अब तक किस-किस अधिकारी के द्वारा की गई?

(2) उक्त मुकदमों में कौन-कौन आरोपी हैं तथा उक्त सम्बन्ध में किन-किन लोगों के बयान हो चुके हैं तथा बयानों का निष्कर्ष क्या था?

(3) क्या उक्त मुकदमों में पुलिस द्वारा अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो अन्वेषण के बाद क्या कार्यवाही अपेक्षित थी तथा अपेक्षित कार्यवाही अभी तक पूर्ण क्यों नहीं की गई?

(4) उक्त पत्रावली कब से कब तक किस-किस अधिकारी के पास लम्बित रही और लम्बित रहने के क्या कारण हैं? अब पत्रावली किस अधिकारी के पास है और उक्त मुकदमों में आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? अब अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) थाना छबड़ा जिला बारां में दिनांक 18.1.2002 को मुकदमा नं. 25/02 धारा 457, 380 भा.द.स. एवं 8/15 एन.डी.पी. एक्ट पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अभियोग का अनुसंधान (1) श्री शिवराज सिंह गुर्जर, थानाधिकारी, बापचा (2) श्री

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अब्दुल हक, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, अटरू (3) श्री सरजीत सिंह मीणा, थानाधिकारी छबड़ा व श्री विनोद बांगड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा किया गया।

थाना छबड़ा जिला बारां में दिनांक 28.1.2002 को अभियोग संख्या 32/2002 धारा 457, 380 भा.द.स. पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अभियोग का अनुसंधान (1) श्री तेजसिंह हाडा, उप निरीक्षक थाना छबड़ा (2) श्री सरजीत सिंह मीणा, थानाधिकारी छबड़ा व श्री विनोद बांगड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा किया गया।

(2) अभियोग संख्या 25/02 में (1) पुष्पेन्द्र (2) भैरूलाल (3) गोपीलाल (4) दिनेश (5) तुलसीराम (6) सिकन्दर (7) जस्सू उर्फ जसवन्त सिंह (8) विष्णु प्रसाद (9) दीपु उर्फ दीपक (10) सोनू उर्फ अनुराग (11) पानमल (12) चम्पा लाल (13) हजारी लाल (14) भूरिया उर्फ इस्हाक (15) चतुर्भुज (16) जगदीश (17) पालाराम (18) बलवीर सिंह अभियुक्त हैं। उक्त अभियोग में सर्वश्री तेजसिंह इशत्याक अहमद, सुभाष भारत सिंह, हेमराज, इन्साक अली, जगदीश, महेन्द्र सिंह, बिहारी लाल, सहाब लाल, हरीचरण, मनोज लाल, रामप्रसाद, चन्द्रसेन सिंह, ललित मोहन, अमर लाल, राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, भगवान लाल, गजेन्द्र, अब्दुल अजीज, अमीनशाह, घनश्याम, अमानूला खां, तुलसीराम, विनोद कुमार, धीरज सिंह, बाबूलाल, अ. बहीद, श्री प्रकाश, मनीष कुमार, कृष्णा दास, विष्णु प्रसाद, श्रीमती गीता, खलील अहमद, अ.हफीज, श्रीमती एस.एल. नायक, प्रभुदयाल, रमेश, श्रीमती हीराबाई, श्रीमती अशोका कुमारी, मोहन सिंह, श्रीमती मंजू जैन, कस्तूचन्द, महेश गुप्ता व शकील अहमद, गवाहान के 161 जाप्ता फौजदारी में बयान हो चुके हैं। गवाहान के बयानों से उपरोक्त 18 अभियुक्तों के खिलाफ अपराध साबित पाया गया है। अभियोग संख्या 32/02 धारा 457, 380 भा.द.सं. में अभियुक्तों की मालूमात की जा रही है। उक्त अभियोग में गवाहान सर्वश्री (1) चन्द्रसेन (2) अब्दुल वहीद (3) बाबूलाल (4) रघुराज सिंह (5) अमीनशाह के बयान (6) जाप्ता फौजदारी के लिये जा चुके हैं। गवाहान के बयानों से (1) अब्दुल सत्तार (2) शाहिद उर्फ खालीद (3) अजीज (4) सलाम पर अपराध करने का संदेह है।

(3) जी नहीं। उक्त अभियोगों का अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। अभियोग संख्या 25/02 धारा 457, 380 भा.द.सं. व 8/15 एन.डी.पी. एक्ट में अभियुक्त पुष्पेन्द्र, भैरूलाल, गोपीराम, दिनेश व तुलसीराम को गिरफ्तार कर चालान पेश अदालत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य संकलन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

के लिए अनुसंधान 173(8) द.प्र.सं. के तहत जारी है व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियोग संख्या 32/02 धारा 457, 380, भा.द.सं. में संदिग्ध व्यक्तियों की सत्यता का पता लगाने के लिए गवाहान के पुनः अन्वेषण किया जा रहा है।

(4) अनुसंधान करने वाले अधिकारीगण की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। साक्ष्य संकलन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए व संदिग्ध की सत्यता का पता लगाने के प्रयास में अब तक अनुसंधान लम्बित रहा। अब इस समय दोनों अभियोगों की पत्रावलियां अनुसंधान के लिए श्री विनोद बांगड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां के पास है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही गिरफ्तारी करने की कोशिश जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय गृह मंत्रीजी, आपने अपने प्रश्न के जवाब में दूसरे खण्ड में बताया है कि 18 लोगों के खिलाफ अपराध साबित हो चुका है। फिर आप खण्ड 3 में यह बताते हैं, पुनः अन्वेषण किया जा रहा है। जब अपराध साबित हो चुका है तो किस बात के लिए आप अन्वेषण कर रहे हैं?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि क्या आपने माननीय न्यायालय से कुछ अपराधियों को अरैस्ट करने के लिए स्टैंडिंग वारंट जारी कराये हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने भाग एक में आपसे निवेदन किया था और भाग दो में कहा था कि इन गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित है। उसमें से कुछ लोगों ने इस बात की आशंका जतायी कि हम इसमें मुलजिम नहीं हैं, हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो उसको पुनः अनुसंधान करने की बात की जा रही है। अदालत से वारंट लिये हुए हैं, मैं बता चुका हूं।

श्री मदन दिलावर : मैंने यह निवेदन किया कि आपने स्टेंडिंग वारंट किन-किन के खिलाफ लिया है, कब लिया है, क्यों लिया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर : जवाब आने दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वारंट की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताएं, आपके इंवेस्टिगेशन में कोई यह कहे कि मुझे तो जबरदस्ती फंसाया गया है तो रिइंवेस्टिगेशन का प्रोविजन है? क्या यह प्रैक्टिस है कि उसका रिइंवेस्टिगेशन आप कराएंगे? मेरी जानकारी से आपका सुपीरियर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आफिसर बुलाकर फाइल देख सकता है कि इंवेस्टिगेशन प्रापर हुआ या नहीं हुआ। यह तो ठीक है, लेकिन आप टोटल इंवेस्टिगेशन दुबारा कराएं, यह कौनसा प्रावधान है? अब कोई एक्यूज कहेगा कि मैंने अपराध किया है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डी.आई.जी., कोटा रेंज के पास कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, उस पर उन्होंने सत्यापन करने के आदेश दिये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने यह कहा है कि दुबारा अन्वेषण होगा। आपने कहा है, डी.आई.जी. अगर प्राइमाफेसी इस बात से संतुष्ट है कि इंवेस्टिगेशन प्रापर नहीं हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से रिइंवेस्टिगेशन होना चाहिए। आपने जवाब में खुद ही कहा है कि यह तो अपने आप सिद्ध है, प्रमाणित है। उसके बाद डी.आई.जी. की क्या ओपिनियन फाइल पर आयी है कि यह प्रमाणित नहीं है, यह इंवेस्टिगेशन प्रापर नहीं हुआ है। यह बताइये, रिइंवेस्टिगेशन कैसे कर लिया आपने?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई भी व्यक्ति कहे कि रिइंवेस्टिगेशन कराने का...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बात और है, माननीय गृह मंत्रीजी, बताइये जब आपने न्यायालय में चालान पेश कर दिया...

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, माननीय सदस्य का जवाब आ जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा इनसे छोटा-सा सवाल है इसलिए कहा था मैंने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने प्रारम्भ में आपसे निवेदन किया था कि गवाहों के आधार पर उनके खिलाफ जुल्म प्रमाणित हुआ है। इस बात को मैं इंकार नहीं करता हूं लेकिन जिनके खिलाफ जुल्म प्रमाणित होता है, न्याय हित में उनको अधिकार है कि वे इस बात को चैलेंज करें कि हमें गलत फंसाया जा रहा है। डी.आई.जी. ने उसका सत्यापन करने के लिए कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि डी.आई.जी. की ओपिनियन बताए फाइल पर? डी.आई.जी. यह कभी नहीं कह सकता कि इंवेस्टिगेशन करवाइये। डी.आई.जी. ने यह कहा था कि इंवेस्टिगेशन प्रापर नहीं हुआ, यह मैलाफाइड है? अगर आप रिइंवेस्टिगेशन कराते हैं तो इंवेस्टिगेशन आफिसर था उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की आपने?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ओरिजनल फाइल अभी हाई कोर्ट में गई हुई है, मुलजिमान की जमानत की दरखास्त के लिए हाई कोर्ट ने तलब कर रखी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : How can you impeach credibility of an investigating officer? पूरा इंवेस्टिगेशन उसने किया है। अध्यक्ष महोदय, अब आप डी.आई.जी. की ओपिनियन बताइये। मैं, निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि डी.आई.जी. इस प्रकार की राय नहीं दे सकता कि रिइंवेस्टिगेशन होना चाहिए। It is a political order कि रिइंवेस्टिगेशन कराया जाए। यह हो ही नहीं सकता, या तो आप कारण बताइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, माननीय मंत्रीजी, यह बता दीजिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इनका जवाब दे दूं पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा भी इससे सम्बन्धित सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक साथ ही दे देना, जुड़ा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये, एक बार जब आपने चालान पेश न्यायालय में कर दिया तो न्यायालय में जो मामला पैंडिंग है उसका पुलिस रिइंवेस्टिगेशन कर सकती है? दूसरा यह है कि गवाहों के बयान आपने किस धारा में लिये? 168 में दिये, यह धारा क्या है, यह बता दीजिए?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 161.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 168 कहा था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 161.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने 168 कहा था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने 168 कहा है और अगर 161 कहा है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : जो इंफोर्मेशन मांगी है वह तो मंत्रीजी ने दे दी है सब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैं दूसरा पूछता हूं, साहब, एक बार आपने...

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिइंवेस्टिगेशन का आर्डर किसने किया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बार जब चालान पेश कर दिया आपने...

श्री मदन दिलावर : मतलब डी.आई.जी. की देखरेख में जांच हो रही है?

श्री भंवरलाल शर्मा : और जब चालान ही पेश हो चुका न्यायालय में तो न्यायालय में केस पैंडिंग है, वह तय करेगा, कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। आप वापस कैसे कर सकते हैं उसको? वह प्रोविजन बता दीजिए कौनसा प्रोविजन है? There is no provision like that.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे निवेदन किया कि 174(8) के तहत...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप, शर्माजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 174(8) के तहत डी.आई.जी. ने उसमें कोई आदेश दिये हैं। इसमें कोई पोलिटिकल रीजन नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था और यह बात कही गई थी कि इतने पुराने केसं जो आलरेडी हो चुके हैं उनको पुनः खोला जा रहा है। मैंने एडिशनल डी.जी., सी.आई.डी. को कहा था कि इसकी जांच की जाए, क्या इसमें सत्यता है या नहीं है। एडिशनल डी.जी. ने फाइल देखी, डी.आई.जी. कोटा को निर्देश दिया कि वे सारे मामले को अपने स्तर पर निपटाएं, इसलिए इसमें कोई भी पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हुआ। अगर पोलिटिकल इंटरफियरेंस होता तो क्राइम ब्रांच में फाइल पड़ी रहती। केवल कुछ दिनों के लिए फाइल मंगवाई, स्क्रूटिनी की और फाइल वापस भेज दी गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, डी.आई.जी. का आर्डर क्या है? आप डी.आई.जी. का आर्डर बताइये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास फाइल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डी.आई.जी. को आपने रिइंवेस्टिगेशन के लिए कहा था, रिइंवेस्टिगेशन आर्डर किसने दिया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि फाइल हाई कोर्ट में गई हुई है, मेरे पास फाइल नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, साहब, जवाब दिलवाओ हमारा।

श्री अध्यक्ष : नीचे बैठो, मैंने आपको काल नहीं किया है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** जवाब दिलवाओ, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि दोनों मामले 18.1.2001 और 28.1.2002 के हैं यानी लगभग सवा साल पुराने और अफीम की तस्करी से सम्बन्धित हैं।

श्री मदन दिलावर : सरकारी गोदाम को लूटा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बार नहीं, 6 बार जांच तो आपके एस.पी. स्तर पर बदल गई है और सातवीं बार जांच आपने अपने स्तर पर करने के लिए एडिशनल आई.जी. विजिलेंस के यहां मंगवा दी। यह जो पत्रावली एक-एक अधिकारी के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पास लगभग 6-6 महीने रही और अब यह फाइल लगभग 6 महीने से एडिशनल एस.पी. विनोद बांगड़ के पास पैंडिंग है, क्या आप इस इंवेस्टिगेशन के तरीके को सही पाते हैं, नम्बर एक? नम्बर दो, आपने अपने उत्तर में कहा है कि यह पत्रावली 8.1.2001 से 23.1.2002 तक थानाधिकारी के पास रही, फिर 23.1.2002 से अब्दुल हक पुलिस इंस्पेक्टर के पास रही, 6 महीने तक यह पत्रावली कहां रही? फिर आपने 1.10.2002 से छबड़ा के थाना अधिकारी सरजीत सिंह मीणा के पास इस पत्रावली को बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीने तक यह पत्रावली कहां रही? क्या यह सही है कि जानबूझकर 6 बार नीचे के स्तर पर और सातवीं बार अपने स्तर पर तस्करी के मामले में लिप्त अभियुक्तों को बचाने की आपने कोशिश की है?

श्री मदन दिलावर : क्या यह सही है, मंत्री महोदय?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसी को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच में उतारिये न।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच में यह फाइल दो महीने पड़ी रही, वह प्रतिवेदन के आधार पर पड़ी रही। प्रतिवेदन का परीक्षण करके हमारी सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच ने कोटा रेंज के डी.आई.जी. को आदेश दिया कि इस फाइल का वे अपने स्तर पर निस्तारण कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवा साल तक यह पत्रावली इंवेस्टिगेशन में रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल 16.4.2002 से 20.7.2002 तक यह रही है सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने, गृह मंत्रीजी, इसको इतना समरसाल्ट कराया है सवा साल तक कि गिरफ्तारी से बचाने के लिए बार-बार तफतीश चेंज हुई है। सवा साल तक आप तस्करी के मामले में लिफ्त अभियुक्तों को...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य स्तर पर कोई तफतीश नहीं बदली गई सी.आई.डी. के अलावा।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं, क्या ये अभियुक्त दीपक और अनुराग जो मुख्य हैं, इनके पिता अफीम की तस्करी में अभी अम्बाला की जेल में हैं? क्या यह कांग्रेस के जिला परिषद् के सदस्य नहीं हैं? उसके बाद अम्बाला में तो पकड़ लिये गये, लेकिन सरकारी गोदाम से अफीम का चूरा लूटा, उसके बेटे नहीं पकड़े जा रहे हैं। अम्बाला पुलिस में तो वह अभी भी अरैस्ट

(श्री मदन दिलावर)

हैं अफीम की तस्करी में अफीम की तस्करी में बाप तो अम्बाला की जेल के अन्दर हैं, लेकिन उसके बेटे जिन्होंने सरकारी गोदाम लूटा, उनको राजस्थान की पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही है कि कांग्रेस के जिला परिषद् के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, अफीम की तस्करी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न के स्कोप से बाहर जा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न यह है, श्रीमान्।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, अफीम की तस्करी का मामला है, इतना गम्भीर मामला है और मंत्री महोदय जवाब हंस कर दे रहे हैं, जैसे टाल रहे हैं कुछ।

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न यह है कि इस मुकदमे के बाद कितने मुकदमे उस थाने में दर्ज हुए और कितनों का चालान पेश कर दिया गया, एक? दूसरा, आपने जो गिरफ्तार किया है, आपकी जानकारी में नहीं है, आपने स्टैंडिंग वारंट अदालत से लिये हुए हैं उसके बावजूद भी इन मुलजिमान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? इनके जो सहयोगी थे ठेले चलाने वाले वगैरह, वगैरह उनको तो आपने अरैस्ट कर लिया लेकिन मुख्य मुलजिम थे उनको अरैस्ट नहीं करने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि इंवेस्टिगेशन फाइनलिटी अटेन करता है तब चालान पेश होता है? क्या यह सही है कि चालान पेश होने के बाद आप फर्दर इंवेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आप सदन को बताने की कृपा करें कि इंवेस्टिगेशन कर सकते हैं? इंवेस्टिगेशन फाइनलिटी कब अटेन करता है? इसका तो कोई अन्त ही नहीं है, मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं, जिनके बारे में वारंट लिये हैं उनके बारे में आपने जानकारी चाही है। अभियुक्त सिकन्दर जस्सू, जसवंत सिंह, विष्णु प्रसाद को तो गिरफ्तार किया गया है लेकिन दीपक, सोनू, पानमल, चम्पा लाल, हजारी लाल, भूरियां, चतुभुर्ज, जगदीश, पानाराम व ब्रलवंत सिंह के गिरफ्तारी वारंट जारी करवाये जा चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : लेकिन वे वहीं घूम रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा भी नहीं दिया आपने जवाब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इंवेस्टिगेशन फाइनलिटी कब अटेन करता है, मंत्रीजी, हमारा ज्ञानवर्द्धन कीजिए?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा जवाब भी नहीं दिया आपने। (व्यवधान) आपने चालान पेश कर दिया, कोर्ट ने काग्नीजेंस ले लिया। अब आप इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यह वास्तव में अपराधी है या नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फर्दर इंवेस्टिगेशन कैसे हो सकता है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यदि यह निर्णय कर दे पुलिस अधिकारी कि अपराधी नहीं है तो कोर्ट को डाइरेक्शन दें कि आप इनको छोड़ो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई कोर्ट को डाइरेक्शन का सवाल नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन-सा प्रोविजन है ऐसा, यह बताइये आप?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इनको हमने मुलजिम माना है। जो गिरफ्तारी हो चुकी है उनको गिरफ्तार कर लिया और जो गिरफ्तार नहीं हुए उनके खिलाफ वारंट ले लिये हैं।

श्री मदन दिलावर : कब तक गिरफ्तार करेंगे आप उनको?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा कि मुझे सूचना दी गई है, इसका अनुसंधान एडिशनल एस.पी., बारां विनोद बांगड़ कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : एडिशनल एस.पी., बारां है ही नहीं वहां।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डी.आई.जी. रेंज कोटा के निर्देशन पर, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे शिकायत की थी कि एडिशनल एस.पी. बांगड़ का व्यवहार ठीक नहीं है जनता के प्रति, आक्रोश है, मैंने उनकी शिकायत को क्योंकि विधायक हैं, सही मानकर वहां से हटाकर डी.आई.जी. के दफ्तर में बैठा रखा है। मैं शीघ्र ही नये एडिशनल एस.पी. की पोस्टिंग करने जा रहा हूं और इसकी तफतीश शीघ्रातिशीघ्र अगर कोई बाकी है तो, या गिरफ्तारी बाकी है तो गिरफ्तारी करके चालान पेश करने जिसमें जो मुलजिमान हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बताइये कि चालान पेश करने के बाद कौनसा अधिकार आपके पास रखा है जिससे आप इसका इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं? इंवेस्टिगेशन कर लेने के बाद आप कोर्ट को डायरेक्शन देंगे कि इनको छोड़ो या क्या करना है, करो? यह कौनसी व्यवस्था कर रहे हैं आप?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब कोई कोर्ट को डाइरेक्शन देने का विचार नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर काहे के लिए कर रहे थे? You have got noting to do.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Can you do it? Can you do it? Once the court has taken cognisance, can you do it? You can go for further investigation? नहीं कर सकते आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो, नो, इंवेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 178(3)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पढ़ लीजिये यह, वह अलग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह पैंडिंग है। यह गलत कह रहे हो। वह पैंडिंग रखते हुए अलग बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह उन लोगों के लिए है जो पकड़ में नहीं आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इंवेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में 174(3) आता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो वह है जिसको आप पकड़ नहीं पाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद कब तक गिरफ्तार करेंगे, यह बताइये?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। नैक्स्ट, श्री रामनारायणजी विश्नोई। बैठिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : शीघ्र ही इंवेस्टिगेशन...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...अध्यक्ष महोदय, कब तक गिरफ्तार करेंगे?

एक माननीय सदस्य : कब तक तो आपकी जांच हो जाएगी और कब तक गिरफ्तार कर लेंगे? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बांगड़ के स्थान पर एडिशनल एस.पी....

एक माननीय सदस्य : कानून के दायरे में रखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आप पकड़ना चाहते नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसीजर तो एडाप्ट करो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरफ्तार कब तक करोगे, यह बताओ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...गोदाम लूटा गया है, सरकारी गोदाम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अफीम का गोदाम...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकारी गोदाम को लूट लिया और मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर। माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर :...बहुत गम्भीर आरोप है। 25-25 ग्राम अफीम लोगों के मिली, उसमें तो तुरंत करते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। जवाब दे दिया गया है। श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री मदन दिलावर :...और इतना बड़ा अपराध होने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, यह बता दो कि गिरफ्तार कब तक कर लोगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार कब तक करेंगे?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो भी पकड़े गये हैं वे उनके नौकर हैं, ओरिजनल मुलजिम पकड़े ही नहीं गये हैं। जो भी पकड़े गये हैं वो सारे नौकर हैं, सही मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत :...पेश कर दिया गया है इनका कोई...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरफ्तार कब तक करेंगे? बात यह है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिन मुलजिमों का चालान पेश कर दिया गया है उनका रीइंवेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो अभी यही कह रहे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। आप सुनने दो एक मिनट।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : और उन मालिकों को बचाना चाहते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारा किसी व्यक्ति को बचाने का कोई इरादा नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। किन्हीं कारणों से विलम्ब हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कारण बताओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दिलावर साहब, आप भी जानते हैं कि सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच में कई केसेज दो-दो साल से विचाराधीन हैं। आज स्वयं को पता है कि कैसे कैसे कैसेज विचाराधीन हैं।

श्री मदन दिलावर : सी.आई.डी. में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आई.डी. में 2-2 साल तक फाइल रहना, यह ठीक प्रैक्टिस है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.आई.डी. में 2-2 साल तक फाइल रहना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरफ्तार कब तक करेंगे, यह बताइये, मंत्री महोदय?

श्री मदन दिलावर :...कांग्रेस (आई) के जिला परिषद् के सदस्य हैं। उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे आप लोग।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जनता जानना चाहती है कि गिरफ्तार कब तक करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी ने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है। रिप्लाई कंट्राडिक्टरी है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। बैठिये। शर्माजी, बैठिये। (व्यवधान) भंवरलालजी शर्मा, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर आरोप है उन पर...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरफ्तार कब तक करेंगे, यह बताइये?

श्री मदन दिलावर : तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डी.आई.जी. रेंज कोटा को निर्देश दे रहा हूं कि इसकी कार्यवाही एक महीने के अन्दर अन्दर पूरी करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गिरफ्तार कब करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो और उनको छोड़ने का प्लान नहीं बना रहे हो क्या?

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई ऐसा इरादा सरकार का नहीं है। दोषियों को बचाने के पक्ष में सरकार नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह वो ही हो रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दोषियों को दण्डित किया जाना सरकार का मन्तव्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको गिरफ्तार कर रहे हो?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर हमारी यह मंशा होती तो फाइल... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य है वह अंबाला जेल में है और उसका लड़का तस्करी कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। श्री आहूजा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, कौन गिरफ्तार है, कौन नहीं है, यह राजस्थान के बाहर का मामला है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

तहसील फलौदी (जोधपुर) में कार्यरत अस्थाई होमगार्ड

443. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील फलौदी जिला जोधपुर में अस्थाई तौर पर होम गार्ड्स की ड्यूटी देने वाले जवानों की संख्या कितनी है?

(2) क्या सरकार लम्बे समय से चले आ रहे ऐसे अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री परसराम मोरदिया) : (1) तहसील फलौदी जिला जोधपुर में शहरी गृह रक्षा स्वयंसेवकों की एक कम्पनी (110 स्वयंसेवक) स्वीकृत हैं, वर्तमान में 57 होम गार्ड्स स्वयंसेवक उपलब्ध हैं।

(2) होम गार्ड्स स्वयंसेवक अस्थाई कर्मचारी नहीं होते हैं, जिन्हें स्थाई किया जा सके। राजस्थान होम गार्ड्स एक्ट, 1963 के तहत कोई भी योग्य नागरिक गृह रक्षा का सदस्य बन सकता है। वे सदस्य स्वयंसेवक कहलाते हैं न कि कर्मचारी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर होम गार्ड्स की कम्पनियां तैनात हैं और माननीय मंत्री महोदय के जवाब के मुताबिक होम गार्ड्स में फलौदी के अन्दर एक कम्पनी है जिसमें 110 स्वयंसेवक स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 57 होम गार्ड्स स्वयंसेवक उपलब्ध हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि होम गार्ड्स के सदस्य बनाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने क्या रखी है? होम गार्ड्स की कम्पनियां स्थापित करने के लिए आपके क्या मानदण्ड हैं? फलौदी नगरपालिका क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है जिस तहसील के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय का गांव भी आता है, लम्बे अर्से से वहां पर कई बार साम्प्रदायिक दंगे भी होते रहे हैं। दूर का एरिया और बार्डर के नजदीक होने की वजह से लूट-खसोट होती है। अभी एक महीने पहले ही एक वृद्ध दम्पति की हत्या करके करोड़ों रुपयों का माल लूट लिया गया था। वहां जिस प्रकार की संख्या पुलिस थानों में खाली पड़ी है उन स्थितियों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप फलौदी के अन्दर उप केन्द्र होम गार्ड्स को स्थापित करने की मंशा रखते हैं या नहीं? जो 110 पद आपने स्वीकृत कर रखे हैं उन 110 के अन्दर आपने अभी बताया कि केवल 57 ही उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध से आपका क्या मतलब है? आप या तो लेना नहीं चाहते हैं या वहां पर कोई रहना नहीं चाहता है, जबकि राज्य सरकार के पास बराबर वहां के योग्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं कि हमको होम गार्ड्स की ड्यूटी का काम दिया जाए।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य विश्नोईजी ने फलौदी का जो जिक्र किया है कि स्वयंसेवक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा तो वह पांचवीं क्लास पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 110 की स्वीकृति है, वहां लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि स्थायी कर्मचारी

(श्री परसराम मोरदिया)

तो हैं नहीं, वो तो स्वयंसेवक हैं। जो आते हैं उनको ले लिया जाता है। जब भी चाहें चले जाते हैं। कोई माइंस में काम करता है, कोई कहां काम करता है। वहां कोई स्थायी नहीं है। वहां पहले से ही उप केन्द्र है जिसमें 110 की स्वीकृति है।

दूसरा, आपने कहा कि आप कब विचार रखते हैं। वहां पर कर्मचारी ही नहीं हैं हमारे विभाग के तो स्थायी करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जहां पर आपने कहा कि बार्डर का मामला है तो उप केन्द्र तो पहले से ही है, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि वहां पर कोई आदमी लगने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कई बार प्रार्थना पत्र बहुत–से अभ्यर्थियों की तरफ से दिये गये हैं कि हम यह काम करने के लिए तैयार हैं। मंत्री महोदय यह बिलकुल गलत कह रहे हैं कि इसके अन्दर किसी में भी कोई लगने के लिए तैयार नहीं है और जब चाहे जब जा सकते हैं। होम गार्ड एक्ट, 1963 के सैक्शन 8 और 9 के मुताबिक अगर कोई आदमी, स्वयंसेवक संघ बना हुआ है, इसका मैम्बर बनता है जिसको यहां पर भर्ती कर लिया तो वह अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां नहीं जा सकता। उसको कमांडेंट जब चाहे तब बुला सकता है किसी भी ड्यूटी के लिए। आपातकालीन स्थिति हो तब उनको बुलाते हैं, चुनाव के टाइम पर उनको बुलाते हैं, सड़कों पर जब कोई जाम लग जाता है तब बुलाते हैं। जब कभी भी पुलिस को आवश्यकता होती है और राज्य सरकार को ड्यूटी देने के लिए आवश्यकता होती है तो होम गार्ड्स के कर्मचारी पुलिस के सिपाहियों के मुताबिक ही काम करते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि जब चाहे जब जा सकते हैं, जब चाहे तब नहीं जा सकते, यह राजस्थान होम गार्ड एक्ट, 1963 की धारा 8 और 9 के विपरीत है। उसके अन्दर पनिशमेंट दिया हुआ है। अगर होम गार्ड के स्वयंसेवक बुलाने पर कमांडेंट के पास हाजिर नहीं होते हैं, तो उनको सजा दी जा सकती है। इसलिए आपका यह कहना कि ये चाहे जहां जा सकते हैं और कोई हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बिलकुल गलत है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आश्वासन दें तो एक हफ्ते के अन्दर कम से कम 100 आदमी होम गार्ड लगने के लिए तैयार हैं। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आप इन होम गार्ड्स से, स्वयंसेवकों से क्या ड्यूटी लेते हैं और इनको क्या मानदेय दे रहे हैं आज की तारीख के अन्दर?

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, माननीय

(श्री परसराम मोरदिया)

विश्नोई साहब कह रहे हैं कि हम 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो 110 की वहां पर स्वीकृति है, 5 साल के लिए इनको रखते हैं, 5 साल के लिए वे मैम्बर बनते हैं। 5 साल में उसकी कोई तनखाह नहीं है, खाली जब भी जिले के एस.पी. जहां भी उनकी ड्यूटी लगाते हैं तो उनको 75 रुपये भत्ता देते हैं। 5 साल के बाद जब भी कोई स्थायी नियुक्ति का मामला आता है तो निश्चित तौर पर इनको प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक आपने कहा है कि 10 दिन के लिए एप्लीकेशन देने पर उपलब्ध करवा देंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आपके पास उपलब्ध हों तो 10 दिन के अन्दर, 110 के अन्दर जो बाकी हैं 57, वे ले लिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह बात स्पष्ट कराना चाहता हूं, जब ड्यूटी पर लेते हैं, इनका मानदेय आपने बताया है 75 रुपये रोजाना, स्थिति यह बनी हुई है कि आपने किसी व्यक्ति को होम गार्ड का स्वयंसेवक बना कर रख तो लिया और महीने के अन्दर आप दो दिन या तीन दिन बुलाएंगे और उसके बाद में नहीं बुलाएंगे तो वह दूसरा काम करेगा? कमांडेंट एक्ट के अन्दर स्वयंसेवक भर्ती करने के बाद में उसकी मर्जी नहीं है कि चाहे जहां पर जा सके, उसको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। जब कभी भी पुलिस के अधिकारी उसको बुलाते हैं, किसी भी इमरजेंट काम के लिए, तो इसकी ड्यूटी है। वह ड्यूटी समझ कर दूसरा कोई काम नहीं करके उन कामों में लगा हुआ है। मैं आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहूंगा कि दूसरे राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में क्या इस प्रकार के होम गार्ड के स्वयंसेवक हैं और क्या उनको स्थाई राज्य कर्मचारी मानकर उनसे कार्य लिया जा रहा है? राज्य सरकार की यह मंशा है कि नहीं कि स्थाई कर्मचारी मान कर इनसे काम लिया जाए?

दूसरा मेरा प्रश्न है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो बताई है प्राइमरी क्लास की, इसके अन्दर ऐसे लड़के भी हैं जो मैट्रिक और इंटर और बी.ए. किये हुए हैं, अपने आपको दर्ज करा रखा है और दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। जब भी पुलिस की भर्ती होगी तो प्राथमिकता के आधार पर कोई रिजर्व कोटा भी ऐसी सर्विस करने वालों को करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? मंत्री महोदय, आपको और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि ये होम गार्ड के कर्मचारी जब हमारे चुनाव होते हैं तो पोलिंग बूथों के ऊपर मिलते हैं, पुलिस के कर्मचारी आपके पास उपलब्ध ही नहीं होते हैं। ये डण्डे लिये

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हुए रात–दिन चौबीसों घंटे ड्यूटी पर घूमते हैं, इनको आप सिर्फ 75 रुपये रोजाना का मानदेय देते हैं और महीने के अन्दर 10 दिन या 15 दिन रखते हैं तो इनकी क्या स्थिति होगी? इस प्रकार से शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है?

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोईजी ने कहा है, जब भी पुलिस की भर्ती होगी तो क्या होम गार्ड का काम कर रहे हैं स्वयंसेवक, उनको कोई प्राथमिकता है? माननीय विश्नोईजी, आप तो खुद मंत्री रहे हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। उसको एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल टैस्ट है, उसके बाद में इन्टरव्यू है। वह अपना सारा क्वालिफाई करता है, उसके बाद में उसका चयन होता है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि होम गार्ड को लिया ही जाएं। भर्ती के अन्दर परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद उसका फिजिकल टैस्ट होता है और फिजिकल टैस्ट होने के बाद में भी उसका इंटरव्यू होता है। अध्यक्ष महोदय, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सिपाही की भर्ती में होम गार्ड को लिया जाए।

श्री रामनारायण विश्नोई : आपका इरादा है कि नहीं है कि इसके लिए कोई न कोई हम प्रावधान करें?

श्री परसराम मोरदिया : उसको फिजिकल टैस्ट पास करना पड़ेगा, रिटिन टैस्ट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : ये कर्मचारी तो मान ही नहीं रहे हैं। वे कर्मचारी नहीं मान रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, हम उनको दो या तीन दिन ही कॉल करते हैं कि एक महीने की अवधि में, तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि कम से कम उसको इतना स्टाइपेंड तो दें जो 400–500 रुपये की परिधि में आ सके? हम उनको 75 रुपये रोज देते हैं तो कम से कम 6–7 दिन पर काल करने पर जो मानदेय बनता है, वह मिनिमम मानदेय देने क्या राज्य सरकार विचार करेगी?

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि होम गार्ड कोई स्थाई नौकरी नहीं है, वह एक स्वयंसेवक है। जैसे त्यौहार पर हमने बुलाया, दीवाली के ऊपर फलौदी में 20 स्वयंसेवक लगाये, होली पर लगाया, मोहर्रम पर लगाया, अलग अलग जब भी इसकी आवश्यकता हो, जैसे परीक्षा का समय है या और कोई टेंशन हो गई या कोई आन्दोलन हो रहा है, वहां इनको बुलाया जाता है। इसके अलावा और कोई काम करते हैं। ये तो खाली स्वयंसेवक हैं और कोई दूसरा रोजगार करते हैं। अध्यक्ष

(श्री परसराम मोरदिया)

महोदय, जब भी दो दिन, चार दिन, पांच दिन, एस.पी. साहब को चाहिए कि उस व्यवस्था पर इनको भेजना है, वह इनका काम है, कोई स्थाई वाला नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से स्पष्ट करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय बिलकुल प्रोविजन के खिलाफ बोल रहे हैं। सैक्शन (4) राजस्थान होम गार्ड एक्ट में यह कह रहे हैं कि–"The Commandant may, at any time, call out a member of the Home Guards for training or to discharge any of the functions for duties assigned to him." फंक्शन और ड्यूटी जो उनको दी जाती है वह यह दी जाती है–विधि और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना, असामान्य संकटों में मदद करने के लिए नागरिक संकटकालीन संगठनों का मुख्य आधार होना, सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में मदद करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार या कमांडेंट जनरल द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं। कमांडेंट जनरल ही इनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद इनकी मर्जी नहीं है कि आवें तो आवें, नहीं तो नहीं आवें। ये बंधे हुए हैं। एग्रीमेंट में बंधे होने की वजह से सैक्शन (8) यह कह रहा है– "Punishment of members for absence from duty." इनकी ड्यूटी है यह। ड्यूटी पर बुलाने पर नहीं आएंगे then they liable to punishment. ये के ये प्रोविजन सैक्शन (9) के अन्दर हैं। ऐसी स्थिति में हमने तो उनको, राज्य सरकार ने तो उनको बांधकर रख दिया और आप कहते हैं कि हम चाहेंगे तब बुलाएंगे, ये फ्री हैं, इनकी कोई सर्विस नहीं है। इस प्रकार के प्रोविजन नहीं हैं। आपने अगर इनको ड्यूटी दी है और वे ड्यूटी के पाबंद हैं तो राज्य सरकार भी पाबंद है, राज्य सरकार को भी यह मानकर चलना चाहिए कि...(व्यवधान) मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहूंगा, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से ड्यूटी दी है, उसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन भी करे। एक तो इनका मानदेय है, जैसाकि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कम से कम 400-500 रुपये हर महीने की गारंटी होनी चाहिए। ये भी शिक्षित बेरोजगार की तरह से काम करते हैं। आपने जो अभी-अभी भत्ता दिया है शिक्षित परिवारों को, मेरा यह स्पष्ट सवाल है कि क्या राज्य सरकार फिक्स मानदेय भत्ता, बेरोजगार भत्ता इन स्वयंसेवकों को जो चुने हुए हैं, जिनको लिस्ट के अन्दर ले लिया गया है, देने की मंशा रखती है कि नहीं रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, आपने कहा है पांच साल के बाद में उनको स्थाई करने की प्रक्रिया या नवीनीकरण है, एक तो आपकी बाड़मेर और सांचौर में भी होम गार्ड कम्पनी है उसमें पांच साल में आपने कितने स्थाई किये और कितने नवीनीकरण किये, वह आप बता दें?

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है, आप बाद में पूछ लेना।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं, फलौदी का मामला है, लेकिन स्थाई जो कितने किये हैं, वह भी तो बताएं।

श्री अध्यक्ष : यह फलौदी तहसील का है, मैं उस तहसील का निवासी हूं। एक दफा मैं होम गार्ड जलसे में बतौर चीफ गैस्ट गया था इसलिए यह फलौदी के मामले को आप कहां सांचौर ला रहे हैं? श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं, आपने कहा कि होम गार्ड के अन्दर जब आवश्यकता पड़ती है तो बुला लेते हैं और पांच साल के बाद में फिर उनको नियमित करने का सोचते हैं, तो आपने होम गार्ड में डी.जी. का पद सृजित कर रखा है, उसका आधार क्या है?

श्री परसराम मोरदिया : यह अलग से प्रश्न है। इसके अन्दर सिर्फ फलौदी के बारे में जानकारी चाही है।

श्री दिग्विजय सिंह : होम गार्ड के लोग अस्थाई हैं, जब चाहते हैं आप बुला लेते हैं और पांच साल के बाद सोचेंगे, तो अध्यक्ष महोदय, डी.जी. का पद सृजित है, डी.जी. होमगार्ड कहलाता है, डी.जी. का पद सृजित करने का आधार क्या है? (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सिर्फ फलौदी तहसील का पूछा गया है, बिलकुल पाइंटेड प्रश्न हैं दोनों, कि कितनी स्ट्रेंथ है वहां और पांच साल बाद उनको स्थाई करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये पाइंटेड प्रश्न हैं दोनों। माननीय दिग्विजय सिंहजी पूछ रहे हैं कि आपकी डी.जी. पोस्ट का आधार क्या है, वह अलग से प्रश्न है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसके लिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री सुरेन्द्र व्यास।

राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा कार्य पर रोक

444. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के निजी चिकित्सालयों में रोगी का परीक्षण करने व शल्य चिकित्सा करने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक शल्य चिकित्सक जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और खुले आम निजी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा करते हैं व रोगी का परीक्षण व अन्य चिकित्सा सम्बन्धी कार्य करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि तत्सम्बन्धी नियमों व कानून के अभाव में सरकार निजी चिकित्सालयों को नियंत्रित अथवा आकस्मिक निरीक्षण नहीं करा सकती है व इसी कारण ऐसे चिकित्सक जो प्राइवेट अस्पताल में शल्य चिकित्सा करते हैं, सांफ तौर पर बच जाते हैं एवं सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती?

(4) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई प्रभावी कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (डा. बी.डी. कल्ला): (1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार के ध्यान में यदि ऐसा कोई मामला आता है तो उस चिकित्सक के विरुद्ध तत्परता से आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) निजी चिकित्सालयों को नियंत्रित अथवा आकस्मिक निरीक्षण करने के अधिकार वर्तमान में राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई नियम-कानून नहीं है।

(4) निजी चिकित्सालयों को नियंत्रित अथवा आकस्मिक निरीक्षण करने के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए विधेयक राजस्थान क्लिनिकल स्थापन (विनियमन) विधेयक, 2001 राजस्थान विधान सभा में पेश किया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आपने खण्ड (1) के जवाब में राजस्थान सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रुल्स, 1971 का हवाला दिया है, उसकी प्रतिलिपि संलग्न की है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय के ऊपर प्रशासनिक आदेश जारी किये जाते हैं और वह प्रशासनिक आदेश ही इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस को कंट्रोल करता है। कभी आप उनकी चिट से एडमिशन को अलाउ करते हो, कभी घर में प्रैक्टिस अलाउ करते हो। कभी बीच में फिफ्टी परसेंट लेने का, पे क्लिनिक का, जो भी प्रावधान

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होते हैं वे सब प्रशासनिक आदेश से होते हैं। एक तो उसकी प्रतिलिपि आपने संलग्न नहीं की। ये तो जनरल रूल्स हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेड या बिजनस के अन्दर एंगेज नहीं हो सकेगा। लेकिन जहां तक स्पेसिफिकली डाक्टर्स का सवाल है, उनके लिए जो रैगुलेट करता है आपका प्रशासनिक आदेश, लेटेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कौन-सा आर्डर इफैक्ट में है, उसकी प्रतिलिपि दिलाने का कष्ट करें, एक बात।

दूसरी बात, मंत्रीजी, आपने दूसरा यह जो जवाब दिया है, यह सत्य से बहुत परे है और आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती। आप कहते हैं कि राज्य सरकार के ध्यान में यदि कोई ऐसा मामला आता है तो उस चिकित्सक के विरुद्ध तत्परता से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आपके ध्यान में नहीं है? The entire world knows it. पूरा जयपुर शहर, राजस्थान, दुनिया जानती है, आप जानते हैं, आपका सैक्रेटरी जानता है, आपका डाइरेक्टर जानता है, सब जानते हैं कि सब डाक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, सब प्राइवेट अस्पताल में जाकर आपरेशन करते हैं। आगे बाध्यता प्रकट कर दी है आपने। आपने अगर कार्यवाही की है तो आज तक क्या कार्यवाही की, यह बता दीजिये? आज तक भी कोई कार्यवाही की हो तो बता दीजिये।

तीसरा, आपने यह जो कहा है, यह हां भरी है कि निजी चिकित्सालयों को नियंत्रित अथवा आकस्मिक निरीक्षण करने के अधिकार वर्तमान में राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई नियम, कानून नहीं है। माधव सिंहजी दीवान जब मंत्री थे, तो उनकी अखबारबाजी पढ़ कर मैं इस बात से प्रेरित हुआ, मैंने कहा कि सम्भवत: यह आदमी कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। मैंने इनको एक पत्र लिखा कि इस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान दो क्योंकि यह बहुत बड़ी बीमारी है इस प्रदेश के अन्दर, तो उन्होंने मुझको वापस यह जवाब दिया कि कार्यवाही तो करूं, कैसे? आप कहते हो, उस पर तत्काल कार्यवाही क्या करेंगे? मैं आपको कहता हूं कि पांड्या हास्पीटल के अन्दर आपरेशन होते हैं, चलिये। आप चलिये, आज चलिये। आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप उसको जाकर चैक कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप शार्ट में क्वेश्चन पूछें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, सर। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं हैं, यह आप खुद स्वीकार करते हैं। जब अधिकार नहीं हैं आपके पास तो आप कार्यवाही कैसे करेंगे? आप निरीक्षण नहीं कर सकते तो आपको जानकारी कैसे प्राप्त होगी? मैं इससे भी अलग हटकर, मंत्रीजी,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा, क्या यह सही नहीं है, यह तो एक बात हुई, ये अपने इंडिपेंडेंट क्लिनिक बाजार में खोल कर अपार्टमेंट्स के अन्दर, जैसे आपके कमर्शियल क्लिनिक होते हैं, कोई हास्पिटल होता है वैसे करते हैं, which is prohibited. जहां तक मेरी जानकारी है, क्या यह सही है कि आपके प्रशासनिक आदेश द्वारा उन्हें अपने रेजीडेंस के ऊपर क्लिनिक परमिटेड है, बाहर नहीं है?

लास्टली, आपने कहा कि यह बिल 2001 से पैंडिंग है तो आप इसको पारित क्यों नहीं कराते? आपकी मंशा है या नहीं है?

और अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं, कल्लाजी, यह डाक्टरों का बहुत बड़ा लफड़ा है। डाक्टर कितना पैसा कमाते हैं, और कई मंत्रीगण पर भी आक्षेप है, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, मैं यह जानना चाहता हूं, vouch safe for your integrity कि आप इस मामले में कहीं नहीं हैं लिप्त। जब आप लिप्त नहीं हैं तो क्या आप मुख्य मंत्रीजी से बात करके कोई ऐसे कदम उठाएंगे कि जिससे यह प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर कोई अकुंश लगे? प्राइवेट प्रैक्टिस तो परमिटेड है, उसको छोड़िये, लेकिन यह तो सर्वधा इल्लीगल है कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाकर, क्लिनिक लगाकर वहां देखते हैं, वहां आपरेशंस करते हैं और हास्पिटल आपके नैग्लेक्टेड हैं। इस विषय में कुछ करेंगे आप? वर्षों से लोग जयपुर में बैठे हुए हैं, अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं लेकिन अशोक गहलोत की इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ है, बात कीजिये मुख्य मंत्रीजी से, नियम बनाइये, पांच साल से अधिक के जितने लोग हैं सब को रवाना कीजिये। आज जयपुर की कास्ट पर, क्या यह सही नहीं है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर जितने कालेजेज हैं ये सब सब-स्टैण्डर्ड हास्पिटल हैं, सब सब-स्टैण्डर्ड मेडिकल कालेजेज हैं? मंत्रीजी, आपके प्रदेश में सब कालेजेज को समकक्ष लाने का आप कोई प्रयास करेंगे आपके रहते हुए? आप मुझे मार्गदर्शन करें कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका क्या प्रसताव है?

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये, इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, पिछले दिनों में वीरेन्द्र अग्रवाल, सहायक आचार्य, नेत्र, डाक्टर विनोद जैन, सह आचार्य, नेत्र, इन दोनों के बारे में शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी, उसकी जांच...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कम्पाउण्डर का नाम मत बता देना, बताना है तो प्रोफेसर का नाम बताओ। कल्लाजी, प्रोफेसर का नाम बताओ, आपकी गवर्नमेंट में दम नहीं है...

डा. बी. डी. कल्ला : सहायक आचार्य। सहायक आचार्य और सह आचार्य। सह आचार्य एसोसिएट...

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या होता है सहायक आचार्य? असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, लैक्चरर। प्रोफेसर का मैं बताऊं नाम आपको। मैं नाम प्रोफेसर्स के बताऊं आपको?

डा. बी. डी. कल्ला : इन दोनों की शिकायतें, एक मिनट, आप सुन तो लें, साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोफेसर का नाम बताओ न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई हो तो बताएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कैसे नहीं हैं, मैं बताऊं?

डा. बी. डी. कल्ला : इनकी शिकायतें प्राप्त हुईं, इसकी जांच प्रिंसिपल मेडिकल कालेज, जयपुर ने की। उन्होंने कहा, इनके रिश्तेदारों की निश्चित रूप से क्लिनिक चल रही है। लेकिन यह नहीं पाया गया कि वे वहां पर आपरेशन करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बावजूद विभाग ने इन दोनों का ट्रांसफर, एक का कोटा और दूसरे का उदयपुर कर दिया। उसके बाद एक डाक्टर डी.पी. गुप्ता, सहायक आचार्य, ई.एन.टी. जो बीकानेर में कार्यरत था, वह यहां पर लिबर्टी हास्पिटल, जयपुर में आपरेशन करता हुआ पाया गया। उसके खिलाफ आरोप पत्र कार्मिक क–3 विभाग को भेजा गया और उसके अनुसार दिनांक 26.11.2001 के द्वारा वह आरोप पत्र जारी किया गया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुछ तो शिकायतें वगैरह प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन जब शिकायत प्राप्त होती है तो उसके ऊपर एक्शन, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से किया जाता है। जहां तक किसी भी क्लिनिकल हास्पिटल जो प्राइवेट है, वहां पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करने का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से अभी तक प्रावधान नहीं है। लेकिन जो हमने विधान सभा में...(व्यवधान) एक मिनट, मैं पूरा कर लूं। Let me complete first. क्लिनिकल स्थापन निरीक्षण, धारा 8 में प्रोवीजन हमने किया है कि समुचित प्राधिकारी या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो उप मुख्य चिकित्सा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लागू नहीं है, काहे को पढ़ रहे हो? यह आप बिना मतलब सदन का समय खराब कर रहे हैं, यह लागू ही नहीं है। इसको काहे को पढ़ कर कोट कर रहे हैं, यह लागू ही नहीं है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पास क्यों नहीं कराते इसको? पास कराओ इसको।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं कह रहा हूं कि हम प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका अर्थ क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बिल को पढ़ रहे हैं, बिल के प्रावधान को पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है इसका?

डा. बी. डी. कल्ला : यह बिल जो पेश किया गया है, मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप बिना मतलब सदन का समय खराब कर रहे हैं। जो एक्ट इन–फोर्स ही नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : इसको इफैक्टिव बनाकर मैं विधान सभा में लाऊंगा। भारत सरकार भी इस प्रकार का विधेयक ला रही है, ऐसा निर्णय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार कर चुका है। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो हमने विधेयक विधान सभा में पेश किया हुआ है उसको पुनः संशोधित रूप में मैं जल्दी से जल्दी इस विधान सभा में लाने का प्रयास करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब? कब पारित कराएंगे? एक मिनट, कब पारित कराना चाहते हैं, इस विधेयक को? और आप एक प्रोफेसर का नाम बताएं। माननीय कल्लाजी, आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक, चीफ सैक्रेटरी और डी. जी. के बंगले के पास में जो काम्प्लैक्स है, वहां प्राइवेट क्लिनिक खुली हुई हैं, आप चलिये। पाण्ड्या हास्पिटल में चलिये आप शाम को। पर आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। आप एक प्रोफेसर का नाम बताएं जिसके खिलाफ आपने शिकायत पर कार्यवाही की हो। ऐसा है, आप लीपापोती मत कीजिये।

डा. बी. डी. कल्ला : लीपापोती नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिपार्टमेंट का जो जवाब है वह पढ़ रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी है, आप यह बिल कब तक...

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पांड्या हास्पिटल का इन्होंने कहा, मैं पांड्या हास्पिटल का चौबीस घंटे में निरीक्षण करवाऊंगा और कराकर जो भी वहां पर अधिकारी या...

श्री सुरेन्द्र व्यास : करा नहीं सकते न आप निरीक्षण, पावर नहीं है आपके पास। सवाल यह है कि कराएंगे कैसे, किस कानून के अन्तर्गत?

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है हम प्राइवेटली उसकी जांच कराएंगे। प्राइवेटली किसी व्यक्ति को भेजकर जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज यह अखबार में छप जाएगा...

श्री सांवर लाल : अधिकार आपके पास है नहीं, क्या जांच करवा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अच्छा, कल्लाजी, आप तो यह बता दीजिये, यह विधेयक कब तक पारित करा लेंगे आप?

श्री सांवर लाल : अधिकारी आपके पास है नहीं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सर्वशक्तिमान हैं आप, आर्डिनेंस ले आते अब तक। अगर आपकी मंशा ही होती इन पर अंकुश लगाने की तो इसमें आर्डिनेंस ले आते। रोजाना खेत सिंहजी से वेटिंग करवाके आर्डिनेंस लाते हो मर्जी आती है ज़ो, इसका आर्डिनेंस क्यों नहीं लाते हैं आप?

डा. बी. डी. कल्ला : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपके माध्यम से सदन को बताया है, भारत सरकार स्वयं इस संदर्भ में एक कानून ला रही है। उसमें यदि डिले होगी तो जल्दी से जल्दी मैं इसको एक इफैक्टिव कानून के रूप में लाने की विधान सभा में कोशिश करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, भारत सरकार के ऊपर नहीं टालें आप। It is a state subject. आप क्या करना चाहते हैं, बताएं?

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने कहा न, मैं जल्दी से जल्दी इसको पुनः लाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, क्या लाएंगे, कानून कब तक लाएंगे आप, बिल कब तक पारित कराएंगे?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत व्यावहारिक बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अभी यह कह रहे थे...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत व्यावहारिक बात मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं। न्यूरोलोजी और न्यूरो सर्जरी से सम्बन्धित पेशेंट वह अगर एक निजी चिकित्सालय में भी भर्ती हो गया और वह आई.सी.यू. में है और कोमा में चला गया, ऐसे वक्त में उस इन्सानी जिन्दगी को बचाने के लिए क्योंकि सोसाइटी का बैस्ट स्टफ सरकार के पास उपलब्ध है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को आप इस बात के लिए अधिकृत करें...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : कि कभी ऐसी परिस्थिति आवे तो वह चिकित्सक निजी चिकित्सालय में भी जा सके। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह बिलकुल ठीक है। रैगुलेट परमिशन हो। अच्छा सुझाव है, रैगुलेट परमिशन होनी चाहिए, उसमें कहां दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : ठीक बात कही है।

डा. बी. डी. कल्ला : परमिशन लेकर जा सकते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : डा. के.सी. चौधरी।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आज नहीं कल अगर राजस्थान की कोई हैल्थ पालिसी बनानी है, तो क्या आपके पास वे आंकड़े उपलब्ध हैं कि कितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितनी प्रयोगशालाओं हैं उनमें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? मेरा मतलब है कि उनका रजिस्ट्रेशन सरकार में किसी जगह होना चाहिए ताकि सरकार को यह जानकारी रहे कि प्राइवेट में ये-ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज तक ऐसी जानकारी है क्या आपके पास?

डा. बी. डी. कल्ला : हमारे जिला स्तर पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जितने भी निजी क्लिनिक्स वगैरह हैं उसकी जानकारी है कि किसके यहां क्या फैसिलिटीज हैं, कहां पर एक्स-रे है, कहां सीटी स्क्रैन है, कहां पर एम.आर.आई. है।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं है। मंत्रीजी, कहीं भी नहीं है। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी भी सरकारी अधिकारी के पास आंकड़े नहीं हैं, जानकारी नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास में जिले की जानकारी रहती है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पूर्व मंत्री माधव सिंहजी दीवान के द्वारा अनेक बातें प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने के बारे में कही गयीं, उन बयानों के बाद उनके कार्यकाल के दो-तीन महीने की अवधि में क्या कोई डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए या दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में आपरेशन करते हुए पकड़ा गया या पाया गया? क्या उस दो-तीन महीने की अवधि के कोई मैटर्स अभी तक पैंडिंग हैं, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : सुरानाजी, शार्ट में क्वेश्चन पूछिये, शार्ट में क्वेश्चन।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में मेरे पास में कोई अभी शिकायत पैंडिंग नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने शिकायत का नहीं पूछा। मैंने कहा कि कोई मैटर्स पैंडिंग हैं क्या?

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं, मेरे पास कोई पैंडिंग नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी जानकारी नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : पूरी जानकारी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जानकारी करने का प्रयत्न नहीं किया।

डा. बी. डी. कल्ला : पूरा प्रयत्न किया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ लूं, साहब, एक सवाल है, आज्ञा आपकी?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने फर्माया अभी कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स के बारे में क्या वहां फैसिलिटीज हैं, इस मामले में पूरी जानकारी सी.एम.एच.ओ. को रहती है, जिले का जो अधिकारी है उसको रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी क्वेश्चन आवर खतम हो जाएगा 1 मिनट बाद,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बारां जिले के चिकित्सा अधिकारी से पूछ लें, अगर वो सही फीगर बता दें कि बारां जिले में कितनी प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं और वहां पर क्या-क्या फैसिलिटीज हैं। तो या तो आप इस्तीफा दे देना या मैं इस्तीफा दे दूंगा।

डा. बी. डी. कल्ला : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां क्या बात है? क्या बात है, बताइये न। आप कह रहे हैं कि सही जानकारी रहती है तो बताइये उस बात को।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। श्री सिंघवी, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जिला चिकित्सा अधिकारी के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती है। यह आप जो बयान दे रहे हैं, यहां विधान सभा में बता रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सिंघवी, कृपया बैठिये।

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चार दिन पहले भरतपुर राज बहादुर मेमोरियल हास्पिटल के पी.एम.ओ. डा. भार्गव की रात को साढ़े नौ बजे पिटाई हो गयी थी जो एक बहुत गम्भीर मामला है। एक डाक्टर की पिटाई। आप भी डाक्टर हैं, आप भी डाक्टर हैं, डा. जितेन्द्र सिंहजी भी हैं, डा. रामप्रताप भी हैं...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, अरुण सिंहजी, बैठिये।

श्री अरुण सिंह : यह बहुत सीरियस मामला है और आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): एक मेरा प्रश्न है। मेरे यहां एक शर्मा क्लिनिक है नीमकाथाना में, उसके अन्दर उसकी वाइफ सरकारी सेवा में है वह प्रैक्टिस करती है, वहां उसकी क्लिनिक में काम करती है और गौहाला में उसकी पोस्टिंग है।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, क्या कर रहे हैं आप?

श्री मोहन लाल मोदी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया है, बैठिये आप।

उनियारा व देवली (टौंक) में माडा योजना के अन्तर्गत आश्रम छात्रावास

445. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माडा क्षेत्र में आश्रम स्कूल/छात्रावास बनाने के क्या नियम हैं?

(2) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा व देवली (टौंक) में माडा योजना के तीन लघु खण्ड स्थित हैं परन्तु इस क्षेत्र में माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भी छात्रावास नहीं खोला है? यदि हां, तो क्यों? क्या माड़ा क्षेत्र की अन्य तहसीलों/पंचायत समितियों में कई स्थान पर तो एक से अधिक आश्रम स्कूल खुले हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त तहसीलों में जनजाति छात्रों के लिए आश्रम छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री दयाराम परमार) : (1) यद्यपि माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोलने के कोई निश्चित मापदण्ड नहीं हैं परन्तु जनजाति बहुल पिछड़े क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता की मांग व आवश्यकतानुरूप तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर आश्रम छात्रावास खोले जाने का निर्णय लिया जाता है।

(श्री दयाराम परमार)

(2) टौंक जिले में चार माडा लघु खण्ड हैं। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए निवाई में 400 छात्रों की क्षमता का एक आवासीय विद्यालय निर्मित कराया जा रहा है। निर्माण का प्रथम चरण हो गया है तथा कक्षा 6 एवं 7 में 1998 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। विभाग द्वारा किसी भी तहसील/पंचायत समिति में आश्रम स्कूल नहीं खोले गये हैं।

(3) उक्त तहसीलों में फिलहाल आश्रम छात्रावास खोले जाने का कोई विचार नहीं है। आवासीय विद्यालय निवाई पूर्ण क्षमता से संचालित होने के पश्चात् आवश्यकतानुरूप इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोलने का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। आपकी जब डिमाण्ड भी उस वक्त आपने बताया था कि मापदण्ड के आधार पर ही ये छात्रावास खोले जाते हैं, जबकि इस उत्तर में आपने कहा, कोई मापदण्ड नहीं है। दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आपने जनजाति क्षेत्र के बाहुल्य वाला और पिछड़ा वर्ग वाला बताया है तो देवली और उनियारा के मुकाबले क्या निवाई के अन्दर अनुसूचित जनजाति का ज्यादा प्रतिशत है? या उनियारा और देवली में ज्यादा है? अध्यक्ष महोदय, आपने यह बात कही है कि संसाधन उपलब्ध होने के ऊपर आप कराएंगे, क्या आपके पास संसाधन उपलब्ध होते हुए भी दोनों माडा क्षेत्र जो हमारे टौंक जिले में हैं, इन दोनों माडा क्षेत्रों की तहसीलें है उनके अन्दर छात्रावास का निर्माण नहीं कराने के क्या कारण रहे? क्या निवाई के अन्दर इसकी मांग आयी थी जिसके अन्दर यह छात्रावास निर्मित किया गया?

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा कि आपके कोई मापदण्ड नहीं हैं और विभाग की मांग के जवाब के वक्त में कहा था कि मापदण्ड के अनुसार खोले जाते हैं। वैसे कोई निश्चित मापदण्ड नहीं हैं, इसके बाद भी कुछ बातों का उसमें ख्याल रखा जाता है। पहली है क्षेत्र में जनजाति की जनसंख्या का बाहुल्य हो, अधिकांश जनसंख्या गरीब व पिछड़ी हुई हो, आसपास विभाग का आश्रम छात्रावास नहीं हो। आसपास राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले जनजाति के छात्र–छात्रा उपलब्ध हों। इसके साथ में कम से कम सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल हो। ये हमारी मोटे रूप से कुछ बातें ध्यान रखने की हैं।

दूसरे प्रश्न में आपने उनियारा और निवाई की जनसंख्या का प्रश्न पूछा। निवाई

(श्री दयाराम परमार)

की जनसंख्या टोटल है 32163, उसमें से 17155 जनजाति की जनसंख्या है 53.33 और उनियारा की जनसंख्या है 31136, उसमें से 17722 एस.टी. की पापूलेशन है 56.91.

श्री दिग्विजय सिंह : अधिक किसकी हुई?

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न के जवाब में निवेदन किया कि वहां से जब तक मांग नहीं आएगी, विभाग ढूंढ़–ढूंढ़ कर छात्रावास खोलने का काम नहीं करता है। उनियारा से अगर आपने पिछले चार साल में मेरे को एक एप्लीकेशन भेजी हो और मैं आपके अगर नहीं खोल पाया तो यह बात मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि नहीं खोला।

माननीय सदस्य को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चार सौ लड़कियों का आवासीय विद्यालय निवाई में चल रहा है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्याप्त है। इसके साथ में समाज कल्याण विभाग का भी एक टौंक में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय चल रहा है। उस विद्यालय में भी 20% ट्राइब्स लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। अगर माननीय सदस्य चार उप खण्ड आपके जो हैं देवली–टोडारायसिंह, निवाई, उनियारा, टौंक, इन चारों में से कहीं पर भी अगर आवासीय विद्यालय छात्रों के लिए आश्रम छात्रावास खुलवाना चाहते हैं तो आप विभाग को जानकारी दें, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जब भी विभाग खोलेगा उस वक्त प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व में डी.आर.डी.ए. से और आपके उदयपुर से जो ट्राइबल डवलपमेंट कमिश्नर हैं वहां से उनियारा और देवली उप खण्डों के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं वहां पर छात्रावास खोलने के लिए। अन्य काम के लिए भी आये हैं, क्या आप उनके ऊपर विचार करके इस वर्ष ये छात्रावास वहां पर खोलने के लिए आश्वासन देंगे?

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया, कहीं से भी आपके पास में छात्रावास खोलने के लिए आता है तभी वो छात्रावास खोलते हैं। मैं, मंत्री महोदय, आपसे यह कहना चाहूंगी कि सपोटरा जो कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां के लिये मैंने लिखकर दिया, लेकिन मंत्रीजी निवाई के थे इसलिए मंत्रीजी उसको निवाई में ले गये। असली क्राइटेरिया तो यह है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जिस बात का जिक्र कर रही हैं वह आवासीय विद्यालय

(श्री दयाराम परमार)

है, माडल स्कूल है। यह आश्रम छात्रावास की बात का प्रश्न है। वह तो जो माडल स्कूल हमारा खुल गया, वहां खुल गया। माननीय सदस्या को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग में जब कभी भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। बैठिए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा इकरारनामों के आधार पर जारी पट्टों की अधिसूचना में वृद्धि

707. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की अधिसूचना द्वारा इकरारनामों के आधार पर पट्टों को हस्तान्तरण कब से जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम, जयपुर द्वारा किया जा रहा है?

(2) क्या इकरारनामों में लिखे निर्माण सम्बन्धी विवरण से अलग से जनता से मुद्रांक शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त में अधिसूचना की अवहेलना हो रही है?

(3) उक्त में उप पंजीयकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार का इकरारनामों की अवधि मार्च, 2002 से आगे बढ़ाने का विचार है? यदि हां, तो अधिसूचना कब तक जारी कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के तहत पट्टों, इकरारनामों, मुखत्यारनामों एवं अन्य दस्तावेजों के जरिये विक्रय की गई कृषि भूमि के हस्तान्तरणों का नियमन किया जाता है। ऐसे पट्टों इकरारनामों व मुखत्यारनामों के साथ कब्जा हस्तान्तरित होने के कारण इन पर आर्टिकल 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार कंवैंस की भांति मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी देय है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर-अनु./98 दिनांक 25.1.2002 के द्वारा दिनांक 25.1.2002 से पूर्व के इकरानामों, मुखत्यारनामों व अन्य दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर परिहार किया गया था तथा इनके आधार पर जारी नियमन के पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य के स्थान पर नियमन शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी व दो वर्ष के औसत किराये पर 11 प्रतिशत की दर से लेने की रियायत दी गई थी। उक्त रियायतें प्रथम बार दिनांक

(वित्त मंत्री)

31.3.2002 तक दी गई थीं तथा वर्तमान में अधिसूचना दिनांक 23.1.2003 के तहत दिनांक 31.12.2003 तक प्रभावी है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25.1.2002 एवं बाद में जारी अधिसूचनाओं के तहत केवल भूमि के विक्रय इकरारनामों, मुखत्यारनामों एवं अन्य दस्तावेजों जिनके आधार पर नियमन करके पट्टा जारी किया जाता है, पर ही स्टेम्प शुल्क की छूट दी है, निर्मित मकान के इकरारनामों आदि उक्त छूट में शामिल नहीं होने के कारण मुद्रांक कर वसूल करने की कार्यवाही विधि सम्मत है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर-अनु./98/154 दिनांक 23.1.2003 द्वारा दिनांक 31.3.2002 से पूर्व निष्पादित विक्रय इकरारनामों, मुखत्यारनामों व अन्य दस्तावेजों जिनके आधार पर नियमन किया जाता है, पर देय स्टेम्प शुल्क की रियायत दिनांक 31.12.2003 तक प्रभावी है। उक्त दिनांक 31.3.2002 की तिथि के पश्चात् के विक्रय इकरारनामों, मुखत्यारनामों व अन्य दस्तावेजों के आधार पर नियमन के मामलों में स्टैम्प शुल्क की रियायत का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(अधिसूचना की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न संख्या-708

(स्थगित)

राज्य कर्मचारी/अधिकारियों की सेवाओं का अधिग्रहण/स्थानान्तरण

709. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या किसी राज्य कर्मचारी/अधिकारी की सेवाएं बिना उससे विकल्प प्राप्त किये अधीनस्थ अथवा अन्य किसी संवर्ग में अधिगृहीत/स्थानान्तरित की जा सकती है? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त सम्बन्धी नियम/उपनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें

(2) उपरोक्तानुसार कितने अधिकारी/कर्मचारियों को अधिगृहीत/स्थानान्तरित किया गया है? सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) शून्य।

विभिन्न पदों हेतु जारी वरिष्ठता सूची में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण

710. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री आदराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में विभिन्न पदों यथा आबकारी निरीक्षक/आबकारी निरीक्षक, प्रथम, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी की वरिष्ठता सूची जारी की गई है? यदि हां, तो कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आदेश दिनांक 1.1.2003 द्वारा आबकारी निरीक्षक प्रथम की वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां चाही गई थीं? यदि हां, तो किन-किन आबकारी निरीक्षकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुये और उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अभ्यावेदनों को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा गया? यदि हां, तो कब और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अभ्यावेदनों के आधार पर रिव्यू डी.पी.सी. कर उक्त आपत्तियों का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जारी की गई वरिष्ठता सूची का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

वरिष्ठता सूचियां सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न है।

(2) जी हां। इस वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में निम्न से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है:-

1. श्री कमलकृष्ण शर्मा
2. श्री भंवरलाल मालाकार
3. श्री देवीशंकर शर्मा
4. श्री नाथूलाल वर्मा
5. श्री प्रभुसिंह मीणा
6. श्री जगदीश प्रसाद रंगा
7. श्री सुरेश चन्द्र लाल

प्राप्त अभ्यावेदनों जिनमें वरिष्ठता का प्रकरण निहित है, आयुक्त, आबकारी विभाग के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

(3) प्राप्त अभ्यावेदन अन्तिम निर्णय हेतु आयुक्त, आबकारी विभाग के समक्ष विचाराधीन है।

(4) जी हां। प्राप्त प्रकरणों पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

711. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) क्या जिला चित्तौड़गढ़ की नगरपालिका प्रतापगढ़ में सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं चयन किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि औद्योगिक विकास पर व्यय की गई है?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये कितनी भूमि आरक्षित की जा चुकी है और आरक्षित भूमि का कितना भू-भाग किस-किस उद्योग के लिये कब-कब, किन शर्तों पर आबंटित किया गया था?

(3) औद्योगिक उत्पाद के लिये आबंटित भू-भाग में कितने उद्यमी अपना उद्योग नहीं लगा पाये हैं और उक्त उद्यमियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) औद्योगिक क्षेत्र प्रतापगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा नगरपालिका प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का चयन एवं विकास किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर रीको द्वारा आज दिनांक तक कुल रुपये 3.63 लाख का व्यय किया गया है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम बगवास, तहसील प्रतापगढ़ की कुल 46.16 एकड़ राजकीय भूमि आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि में से कुल 12.05 एकड भूमि नियोजित की गई एवं नियोजित भूमि में से आबंटन हेतु क्षेत्रफल 9.63 एकड भूमि उपलब्ध हुई, तथा इसमें से 8.60 एकड़ भूमि 31 उद्यमियों को आबंटित की गई है। उक्त 31 उद्यमियों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर दर्शाई गई है। आबंटन की तिथि एवं जिन शर्तों पर आबंटन किया गया था, का विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(3) अभी 31 आबंटियों द्वारा उन्हें आबंटित भूखण्डों पर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था। अत: रीको के नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध करना अपेक्षित नहीं है।

(4) प्रतापगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भू-आबंटन हेतु कोई भी आवेदन पत्र रीको के पास विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम में अभियन्ताओं की सीधी भर्ती में बैकलॉग की पूर्ति

712. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा वर्ष 1995 से फरवरी, 2003 तक सहायक/कनिष्ठ (सिविल) अभियंताओं की सीधी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समय-समय पर नियुक्ति सिविल अभियन्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूरा नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त नियुक्तियों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995 से वर्ष 2003 तक निगम में सहायक स्थल अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता-सिविल) के संवर्ग में 81 नियुक्तियां दी गई है तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (सहायक अभियन्ता-सिविल) संवर्ग में 13 नियुक्तियां दी गई है। वर्षवार विवरण संलग्नक ''अ'' है।

(2) निगम में सीधी भर्ती की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति सम्बन्धी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है परन्तु तकनीकी पद होने के कारण नियुक्ति के लिये आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पाने के की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के पदों पर निर्धारित आरक्षण पूरा किये बिना भर्ती की गई तथा इस प्रकार आरक्षित शेष रहे पदों को आगामी वर्षों में नियमानुसार भरे जाने हेतु रखा गया।

(3) किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण निगम के किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के स्वीकृत अपूर्ण हैण्ड पम्प/पेयजल योजनाएं

713. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक/सांसद/आम जनता एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कौन-कौन से हैण्ड पम्प/पेयजल स्कीमों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए? प्राप्त प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप हैण्ड पम्प/पेयजल स्कीमें स्वीकृत कर चालू कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कौन-कौन सी कब-कब चालू की गई? शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी?

(श्री कन्हैया लाल)

(3) उक्त क्षेत्र में अब तक ऐसे कौन-कौन से हैण्डप म्प/पेयजल स्कीमें हैं जो स्वीकृति के बावजूद चालू होना शेष हैं?

(4) अब सरकार कब तक उन्हें लगाकर चालू कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक व संसद कोटे से वर्ष 1999 से 2002 तक निम्नानुसार पेयजल/हैण्ड पम्प योजनाओं की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर के माध्यम से प्राप्त हुई:

क्र. सं.	पंचायत समिति	कोटा	योजनाओं की संख्या पेयजल	हैण्ड पम्प
1.	बस्सी	विधायक	7	117
		सांसद	1	19
		कुल (1)	8	136
2.	चाकसू	विधायक	0	29
		सांसद	0	1
		कुल (2)	0	30
		कुल (1+2)	8	166

वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से पंचायत समिति बस्सी की 7 पेयजल योजनाएं एवं 135 हैण्ड पम्प तथा पंचायत समिति चाकसू के 30 हैण्ड पम्प योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। इन योजनाओं को चालू किये जाने का विवरण परिशिष्ट-'अ' में समाहित है। बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार विधायक/सांसद कोटे से प्राप्त समस्त प्रस्तावों की स्वीकृति जिला ग्रामीण अभिकरण से प्राप्त हो चुकी है एवं कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी के ग्राम गोठड़ा की पेयजल का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं इसी पंचायत समिति के ग्राम डयोडा चोड में हैण्ड पम्प का स्थान निर्धारित नहीं हो सकने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(4) बिन्दु संख्या-3 के उत्तर के अनुसार।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल सुविधा हेतु राशि में वृद्धि

714. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में जलप्रदाय योजनाओं में प्रति व्यक्ति 70 लीटर जल की प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है?

(2) क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले में पेयजल श्रोत की कमी की दृष्टि में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर से बढ़ाकर 110 लीटर जल आपूर्ति करने तथा रखरखाव हेतु वर्तमान व्यय से दुगुनी राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रान्त के मरु स्थलीय जिलों में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मानदण्डों के अनुसार योजनाएं 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांग पर आधारित होती है। इसमें मानव उपयोग के लिए 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन व शेष पशुओं के लिए है।

(2) जी नहीं। प्रति व्यक्ति मांग निम्न कारणों से बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है:

(अ) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मानदण्ड।

(ब) मानदण्डों का आवश्यकता के अनुरूप होना।

रखरखाव हेतु आवश्यकता के अनुसार धन संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुरूप बजट स्वीकृत किया जाता है।

ग्राम जामडोली (जयपुर) का स्वीकृत बोरिंग

715. श्री ज्ञानचन्द पारख (रामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम जामडोली (जयपुर) में कितने बोरिंग चालू/बन्द हैं? उक्त बोरिंग की प्रतिदिन पानी निकालने की कितनी क्षमता है तथा कितना पानी निकाल रहे हैं? अब पूर्ण क्षमता से पानी निकालने के लिए इनको कब तक ठीक कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खराब बोरिंग को ठीक करने बाबत शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में एक और नया बोरिंग भी स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त बोरिंग की खुदाई करा दी गई है? यदि हां, तो कब तथा किस स्थान पर एवं नहीं, तो क्यों और अब कब तक खुदाई करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम जामडोली जयपुर में 3 बोरिंग (नलकूप) स्थापित है। इनमें से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्तमान में 2 चालू है एवं 1 नलकूप की जल आवक क्षमता अत्यन्त कम होने से वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। चालू 2 नलकूपों की प्रतिदिन पानी निकालने की क्षमता निम्न प्रकार है:-

1. वाटर वर्क्स बाउण्डरी के पास-5000 लीटर प्रति घंटा।
2. नाथूसिंह के मकान के पास-6700 लीटर प्रति घंटा।

उपरोक्त दोनों चालू नलकूप अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार ही पानी दे रहे हैं।

(2) जी नहीं। उक्त खराब नलकूप को ठीक कराने बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अपितु, स्थानीय नागरिकों द्वारा इसके स्थान पर नये नलकूप के निर्माण हेतु विभाग को आवेदन प्राप्त हुआ है।

(3) ग्राम जामडोली में ग्रीष्म आकस्मिक योजना वर्ष 2001-2002 के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत एक नये नलकूप के निर्माण का कार्यादेश माह सितम्बर, 2002 में जारी किया गया था। आदेश में यह उल्लिखित है कि खोदे जाने वाले नलकूप पर विभाग के मानदण्ड के अनुसार कम से कम 9000 लीटर प्रति घंटे की आवक से यदि पानी उपलब्ध नहीं होता है तो उक्त नलकूप के निर्माण कार्य का किसी भी प्रकार का भुगतान कार्यकारी फर्म को नहीं किया जायेगा।

आदेशित फर्म द्वारा विभाग को अवगत कराया गया कि ग्राम में भू-जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश में वर्णित डिस्चार्ज का पानी उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं होने के कारण यह कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः नलकूप के सफल नहीं होने की सम्भावना के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक योजना, 2003 में इस क्षेत्र में गर्मियों में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम में वर्तमान में 6 हैण्ड पम्प भी चालू हैं तथा 2 नये हैण्ड पम्पों का वैधन कार्य प्रगति पर है।

दोषी अधीक्षण अभियन्ता सीकर की फील्ड पोस्टिंग

716. श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्तमान में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, सीकर के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त को चार्जशीट दी गई और नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की गई थी?

(श्री श्रवण कुमार)

(3) क्या सरकारी नियमों के अनुसार आरोपित अधिकारी/कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता सीकर की गम्भीर आरोपों के बावजूद भी फील्ड पोस्टिंग की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर अन्यत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय जलदाय श्रमिक संघ जिला चूरू द्वारा खण्ड चूरू के लेखों में गम्भीर अनियमितता की शिकायत उनके पत्र दिनांक 6 जून, 1998 के द्वारा सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के मार्फत की गयी थी।

(2) उक्त शिकायत के आधार पर वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर के लेखाधिकारी से आडिट करवाई गई एवं प्राथमिक जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र बीकानेर को मुख्य अभियन्ता (मु.) के आदेश दिनांक 18.9.2000 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच की कार्यवाही शीघ्र निपटाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। एक अन्य प्रकरण में ग्राम मोमासर में दिनांक 6.6.2002 को उच्च जलाशय के ध्वस्त होने के मामले में सी.सी.ए. नियम 16 के तहत पर्यवेक्षीय लापरवाही के लिए दिनांक 28.1.2003 को कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किये जा चुके है।

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13.7.2001 के पैरा 2 के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनको अपराधिक प्रवृति के आरोप/राजकीय राशि का गबन/राजकीय राशि का दुरुपयोग राज्य सरकार को वित्तीय हानि एवं गम्भीर अनियमितता के आरोपों के कारण सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र दे दिये गये है, ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं किये जाने का प्रावधान है।

(4) वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता, वृत सीकर को गोगासर की ध्वस्त हुई टंकी के निर्माण में पर्यवेक्षीय लापरवाही के कारण सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये है जो बिन्दु संख्या 3 में वर्णित कार्मिक विभाग के परिपत्र की परिधि में नहीं आते है।

(5) इस प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 3 व 4 के उत्तर में समाहित है।

ग्राम कुंडाल (रामगंजमण्डी) में पेयजल सुविधा

717. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम जैन)

(1) राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा से रामगंज मण्डी को पेयजल कब से उपलब्ध कराया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेयजल योजना की मांग रावतभाटा तहसील के क्षेत्र कुंडाल से होकर है? यदि हां, तो क्या कुंडाल क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना का प्रावधान भी विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कुंडाल क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को मद्देनजर रखते हुए कोई नई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो कितनी राशि की और कब तक क्रियान्वित हो जावेगी?

उत्तर

(1) रामगंजमण्डी को राणा प्रताप सागर बांध से वर्ष 2001-2002 से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां। पुनर्गठित जलप्रदाय योजना रामगंजमण्डी तथा 14 अन्य ग्राम की पाइप लाईन रावतभाटा तहसील से होकर जा रही है। रावतभाटा तहसील के इकलिंगपुरा, खातीखेड़ा, मीनियाखेड़ी, (तीन ग्राम) को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा हैं। रावतभाटा तहसील के अन्य ग्रामों को इस पेयजल योजना से पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, क्योंकि रावतभाटा तहसील के 3 एनरूट विलेज के अतिरिक्त अन्य ग्रामों की मांग योजना में सम्मिलित नहीं है।

(3) कुंडाल क्षेत्र में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के रूप में 33 गांवों हेतु जल योजना बनाने के लिए राणाप्रताप सागर बांध में जल मात्रा आरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षण के पश्चात् योजना बनाकर प्राथमिकता एवं धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव होगा।

जवाई बांध से फालना रानी एवं बाली नगरपालिकाओं को पाइप लाइन से जल आपूर्ति

718. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला-पाली के नगरपालिका क्षेत्र बाली, फालना एवं रानी के प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सरकार आवश्यकता की तुलना में कितने लीटर पानी की आपूर्ति किस-किस स्रोत से कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर से रेल द्वारा पानी खीमेल पहुंचा कर, फिल्टर करके उपरोक्त नगरपालिकाओं को आपूर्ति की जाती है? यदि हां, तो इसमें राज्य व केन्द्र सरकार की कितनी-कितनी राशि व्यय हो रही है?

(3) जब जंवाई बांध में पानी होता

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

है, तब उक्त नगरपालिकाओं के लिए कैनाल के जरिये कितने क्यूसेक्स पानी छोड़ा जाता है और उक्त पानी में कितनी प्रतिशत छीजत होती है?

(4) क्या जंवाई बांध से फालना तक वाया बिरोलिया और बीडल पाइप लाइन के जरिये उक्त नगरपालिकाओं को पानी पहुंचाया जाये, तो अनुमानत: खर्चा कम हो जायेगा?

उत्तर

(1) जिला पाली की बाली, रानी नगरपालिका क्षेत्र की जलयोजना का मुख्य जल स्रोत जंवाई बांध हैं इन शहरों की पानी की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :

(2) जी नहीं। जोधपुर से रेल द्वारा पानी खिमेल नहीं पहुंचाया जा रहा है बल्कि जंवाई बांध से रेल द्वारा पानी खिमेल पहुंचाकर फिल्टर (फालना में) करके उपरोक्त नगरपालिकाओं को आपूर्ति की जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा योजना चालू करने से लेकर माह फरवरी, 2003 तक 46.44 लाख रुपये एवं टैंकरों को भरने एवं संधारण संचालन में रु. 3.68 लाख का अनुमानित व्यय हो चुका है अर्थात कुल व्यय फरवरी, 2003 तक रुपये 50.12 लाख हो चुका है। केन्द्र सरकार के रेल विभाग द्वारा रेल संचालन किया जा रहा है जिसका खर्च उपरोक्त में शामिल नहीं है। विभाग द्वारा रेल संचालन पर अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

क्र. सं.	नगरपालिका का नाम	पानी की आवश्यकता प्रतिदिन, लाख में (माप दण्डों अनुसार)	मार्च, 2003 में की जा रही पानी की आपूर्ति प्रतिदिन (लाख मीटर में)					कुल की आपूर्ति (लाख लीटर में)	कार्यरत हैण्ड पम्पों की संख्या
			रेल द्वारा जल परिवहन	स्थानीय जल स्रोत द्वारा					
				विभागीय जलस्त्रोंत		किराये पर लिए गये निजी कुएं			
				प्रकार/ संख्या	जल उत्पादन	प्रकार/ संख्या	जल उत्पादन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	फालना	25.00	3.45	नलकूप-4	1.70	खुला कुआं-7	1.35	6.50	68

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बाली	20.00	3.55	नलकूप-3	0.80	खुला कुआं-4 नलकूप-1	1.15	5.50	89
3.	रानी	15.00	2.50	—	—	खुला कुआं-3 नलकूप-1	0.75	3.25	86

(3) जब जवाई बांध में पानी होता है तब इसमें रानी, बाली, फालना सहित अन्य शहरों, गांवों तथा सिंचाई हेतु भी पानी उपयोग में आता है तथा नहर में क्षमता के सन्दर्भ में वास्तविक बहाव के अनुसार ही छीजत होती है। यह भिन्न भिन्न क्यूसेक के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(4) सुझाव के अनुसार सर्वेक्षण, फिजीबिलिटी स्टडी व योजना बनाने के बाद तथा संधारण खर्च का आंकलन करने के बाद ही टिप्पणी दे पाना सम्भव है।

सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में पेयजल सुविधा

719. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में पीने के पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, जलदाय विभाग को विधायक बामनवास द्वारा दिनांक 11 मई, 2002 को तीन हैण्ड पम्प लगाए जाने हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की ओर से पीने के पानी की कोई व्यवस्था सीमेंट फैक्ट्री में नहीं कर रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार मांग को दृष्टिगत रखते हुए पत्र में वर्णित तीनों हैण्ड पम्पों को लगवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में पीने के पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, जलदाय विभाग को विधायक, बामनवास द्वारा दिनांक 11.5.2002 को नहीं बल्कि 6.2.2002 को 3 हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु लिखा गया था (प्रति संलग्न है)।

(2) जी नहीं। जलदाय विभाग द्वारा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सीमेंट फैक्ट्री कालोनी में 23 हैण्डपम्पों के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पत्र में वर्णित स्थान पर हैण्ड पम्प लगाने के बारे में स्थिति निम्नानुसार है:-

1. 368 पहला ब्लाक सीमेंट फैक्ट्री कालोनी में कैलाशजी कम्पाउण्डर वाला ब्लाक

वर्तमान में एक हैण्ड्-पम्प मन्दिर के पास स्थापित है जो चालू है जिससे यहां के निवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

शेष 2 स्थानों पर हैण्ड पम्प शीघ्र स्थापित किये जावेंगे।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

मौहल्ला प्रहलादपुरा ग्राम पचार (सीकर) में जल आपूर्ति

720. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पचार, जिला सीकर में वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उक्त गांव के लिए वर्तमान पेयजल योजना अपर्याप्त है और नई पेयजल योजना बनाना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या उक्त के लिए कोई सर्वे कराया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में ऐसे कौन-कौनसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या ग्राम पचार से कम होते हुए भी उनमें पचार से अधिक क्षमता की पेयजल योजनाएं संचालित हैं?

(4) क्या उक्त ग्राम पचार के उत्तर दिशा में अन्तिम छोर पर ऊंचाई पर स्थित मोहल्ला प्रहलादपुरा में पूर्ण दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो अब उक्त को भविष्य में पूर्ण दबाव के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(5) क्या मौहल्ला प्रहलादपुरा के पास ही स्थित कुछ अनुसूचित जाति के परिवारों को पेयजल योजना से जोड़ने के लिए अभी तक पाइप लाइन नहीं डाली गई है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त को पाइप लाइन से जोड़ कर पूर्ण दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) पाइप्ड जलयोजना पचार ग्राम पंचायत द्वारा संधारित है। इस गांव में पेयजल की वर्तमान व्यवस्था निम्नप्रकार है :

जनसंख्या (1991)	6201
वर्तमान संख्या	8000 लगभग
जल स्रोत	दो नलकूप व डी.सी.बी.

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विद्युत उपलब्धता	6 घंटे
औसत उत्पादन	168 किलोमीटर प्रतिदिन
घरेलु जल सम्बन्ध	400 लगभग
कार्यरत उच्च जलाशय	2
वर्तमान सेवा स्तर	21 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
चालू हैण्ड पम्प	30

(2) वर्तमान पेयजल व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता के सन्दर्भ में पर्याप्त है परन्तु मानदण्डों के सन्दर्भ में अपर्याप्त है। स्वजलधारा योजना के अर्न्तगत 49.65 लाख रुपये अनुमानित लागत पर योजना ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को स्वीकृति हेतु नवम्बर, 2002 में भेजी गई थी, जो मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम मूल लागत की 10 प्रतिशत जन सहभागिता राशि प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत नहीं हुई।

(3) यह जिला सैक्टर रिफार्म प्रोजक्ट के अन्तर्गत चयनित जिला है। सेक्टर रिफार्म प्रोजक्ट का मूल सिद्धान्त जन सहभागिता के आधार पर मांग आधारित नीति पर योजना बनाना है। अत: उक्त तुलना न तो सम्भव है न ही औचित्य रखती है।

(4) ग्राम पचार में स्थित मौहल्ला प्रहलादपुरा में वितरण पाइप लाइन द्वारा नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है क्यों कि यह ग्राम के अन्तिम छोर एवं ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में एक हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध है। भविष्य में स्वजल धारा के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्विति के पश्चात् पर्याप्त मात्रा तथा उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। अभी तक इस बस्ती में पाइप लाइन नहीं डाली गई है। मौहल्ला प्रहलादपुरा में अनुसूचित जाति के परिवारों को पाइप लाइन से जोड़ कर पूर्ण दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्विति पर ही सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में यह बस्ती प्रहलादपुरा में स्थित हैण्ड पम्प से लाभान्वित है।

अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर पदोन्नति

721. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण रिक्त हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों और क्या उक्त पद कार्यकारी व्यवस्था से भरे जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.1.2002 से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित किये जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण विभिन्न संवर्गों में पद रिक्त है।

इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता सिविल के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु वर्ष 2001–2002 के पदों हेतु दिनांक 24.11.2001 को एवं सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु वर्ष 2000–2001 एवं वर्ष 2001–2002 के लिये दिनांक 24.11.2001 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एकलपीठ रिट याचिका संख्या 4025/2001 प्रदीप भारद्वाज व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 28.11.2001 को अभियन्ताओं की पदोन्नति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में उक्त विभागीय पदोन्नति समिति के परिणाम घोषित नहीं हो सके है। माननीय न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के कारण आगे के लम्बित वर्षों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन भी नहीं हो सका है।

वर्तमान में सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के संवर्गों की निम्न पदोन्नति समितियों की बैठकें लम्बित है:-

पद	वर्ष जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक लम्बित है
सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)	2002–2003
अधिशासी अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)	2002–2003
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)	2002–2003
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)	2000–2001 एवं 2001–2002
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)	2001–2002 एवं 2002–2003
मुख्य अभियन्ता	2001–2002 एवं 2002–2003

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.12.2002 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों की अनुपालना में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित करने पर प्रतिबन्ध हटाते हुए पदोन्नतियां करने के निर्देश दिये है जिसके फलस्वरूप पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

722. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये गये?

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में कुल कितने बोरिंग, नलकूप स्वीकृत किये गये व कहां-कहां खोदे गये? उक्त क्षेत्र में अब गर्मी के मौसम को देखते हुए बोरिंग खोदने की कहां-कहां योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कितनी योजनाएं कहां-कहां स्वीकृत की गई? उक्त स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में क्या प्रगति है? सहभागिता योजना सहित सम्पूर्ण योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं से कौन-कौन से क्षेत्र व कालोनियों को लाभ होगा? उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में पाइप लाइनों व अन्य कार्यों पर कुल कितनी राशि कहां कहां व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक कुल 308 हैण्ड पम्प लगाये गये।

(2) वर्णित अवधि में उक्त क्षेत्र में स्वीकृत एवं चालू किये गये नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत नलकूप	खोदे गये	चालू नलकूप	शेष खोदे जाने है
1.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग	140	135	135	5
2.	आर. यू. आई.डी.पी.	37	0	0	37

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शेष रहे 5 नलकूपों का निर्माण कार्य इसी ग्रीष्मकाल में पूर्ण करना लक्षित है। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 37 नलकूपों के निर्माण के कार्यादेश दिये जा चुके है। जिनको पूर्ण करने की अवधि 6 माह है। स्थानवार खोदे गये एवं खोदे जाने वाले नलकूपों का वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'अ' व 'अ-1' पर उपलब्ध है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(4) उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र/कालोनियों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है। उक्त

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अवधि में पाइप लाइनों व अन्य कार्यों पर अनुमानित राशि रुपये 1571.07 लाख का व्यय हुआ। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि (रु. लाख में)
1.	हैण्ड पम्प निर्माण	167.80
2.	पाइप लाइन व अन्य कार्य	1403.27
	योग	1571.07

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विश्वेसरिया नगर (जयपुर) की कालोनी को पाइप लाइन से जलापूर्ति

723. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बसाई गई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विश्वेसरिया नगर गोपालपुरा बाईपास में वर्तमान में सरकार द्वारा पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) वर्तमान में कालोनी के निवासियों हेतु पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्या उक्त व्यवस्था पर्याप्त है?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त कालोनी में पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि पर विभिन्न गृह निर्माण समितियों द्वारा बसाई गई कालोनियों में विभाग द्वारा सहभागिता योजना के तहत पाइप लाइन डालने का प्रावधान है। वर्णित कालोनी में कालोनिवासियों द्वारा सहभागिता योजना के तहत आवेदन नहीं किये जाने के कारण पाइप लाइन नहीं डाली गई।

(2) वर्तमान में कालोनी में किसी भी प्रकार की विभागीय पेयजल व्यवस्था नहीं है। कालोनीवासी वर्तमान में निजी व्यवस्था से पेयजल ले रहे है।

(3) उक्त कालोनी में पेयजल व्यवस्था करने का कार्य राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजक्ट (आर.यू.आई.डी.पी.) जयपुर के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं इस हेतु कार्यादेश जारी हो चुके हैं। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा पूर्ण करना प्रस्तावित है।

घाटगेट, जयपुर में निर्मित टंकी से जल आपूर्ति

724. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घाटगेट के समीप कली का कोठा, जयपुर में पानी की समस्या के निदान हेतु एक टंकी का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो उक्त टंकी का निर्माण कब किया गया तथा निर्माण पर कितना व्यय हुआ और यह बनकर कब पूर्ण हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त टंकी के निर्माण में जो राशि व्यय हुई उसका लाभ सम्बन्धितों को प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त टंकी के पूर्ण होने के पश्चात् पानी उपलब्धता की दृष्टि से पाइप लाइन आदि की फिटिंग पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो फिर उक्त टंकी से पानी की सप्लाई जारी क्यों नहीं की जा रही है? क्या सरकार व्यय हुये खर्च को दृष्टिगत रखते हुये एवं आम नागरिकों को पानी की परेशानी से मुक्ति दिलाने हेतु शीघ्र ही इस टंकी से पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुन्दीगर भैरूजी के रास्ते मठका कुआं जयपुर स्थित सामरियों के चौक में पानी की सप्लाई हेतु एक ट्यूबवैल का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवैल का निर्माण कब किया गया और उक्त पर कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ट्यूबवैल निरन्तर खराब रहता है जिससे मठका कुएं के निवासियों को इस भयंकर गर्मी के अन्दर पानी की समस्या से जूझना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवैल का सही रखरखाव हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। घाटगेट के समीप कली का कोटा में पेयजल समस्या के निदान हेतु एक टंकी का निर्माण वर्ष 1990-2000 एवं 2000-2001 में करवाया गया। टंकी के निर्माण पर रुपये 5.98 लाख का व्यय हुआ है। यह टंकी वर्ष 2001 में बन कर पूर्ण हुई।

(2) उक्त टंकी के निर्माण में व्यय की गई राशि का लाभ टंकी से सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस क्षेत्र हेतु स्वीकृत योजना में प्रस्तावित 4 नलकूपों से पानी लेना प्रस्तावित था परन्तु उक्त क्षेत्र के इन नलकूपों के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से कुछ अधिक होने के कारण इनको सीधे वितरण लाइन से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जोड़ कर सायंकालीन नियमित जल वितरण के साथ पेयजल सप्लाई की जा रही है। योजना में स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

इस क्षेत्र के निवासियों को टंकी से स्वच्छ एवं गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अन्य विकल्प के रूप में एक योजना की स्वीकृति ग्रीष्म कंटींजेंसी, वर्ष 2003 में जारी की गई है जिसके अन्तर्गत ट्रक स्टेण्ड स्थित स्वच्छ जलाशय से पेयजल लेना प्रस्तावित है। घाटगेट से कली के कोठे स्थित उक्त टंकी तक राइजिंग पाइप लाइन डालने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसी ग्रीष्म काल में यह कार्य पूर्ण कर टंकी से नियमित पेयजल वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। कुन्दीगर भैंरोजी के रास्ते में मठ का कुआं जयपुर स्थित सामरियों के चौक में पानी की सप्लाई हेतु एक ट्यूबवैल का निर्माण 3 वर्ष पूर्व किया गया था जिस पर लगभग रुपये 3.00 लाख की लागत आई।

(4) जी नहीं। यह ट्यूबवैल संतोषजनक रूप से चल रहा है। पिछले एक साल में ट्यूबवैल के ब्रेकडाउन का विवरण निम्न प्रकार है :

(अ) दिनांक 26.3.2001 को बन्द हुआ जिसे 26.3.2001 को ही दूसरा पम्प सैट डाल कर चालू किया गया।

(ब) दिनांक 28.4.2001 को विद्युत कैबल में फ़ाल्ट होने के कारण बन्द हुआ जो उसी दिन दुरुस्त कर चालू कर दिया गया।

(स) दिनांक 27.11.2001 को बन्द हुआ जिसे दिनांक 28.11.2001 को चालू किया गया।

(द) दिनांक 28.6.2002 को पम्प सैट खराब होने के कारण बन्द हुआ जिसे उसी दिन चालू कर दिया गया।

(य) दिनांक 30.7.2002 को भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण नलकूप से पानी की आवक कम होने से नलकूप में उसी दिन दो पाइप बढ़ा कर एवं उच्च हैड का पम्प डाल कर चालू किया गया तब से उक्त नलकूप निरन्तर चालू है।

उपरोक्तानुसार नलकूप असामान्य रूप से बन्द नहीं रहा है।

ग्राम दयालपुरा एवं मंदनपुरा तहसील बस्सी की पेयजल योजना

725. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डेगाना) एवं **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कितने गांव फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(2) क्या उक्त जिले का गांव दयालपुरा एवं मदनपुरा, तहसील बस्सी भी उक्त समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो उक्त गांवों में समस्या के समाधान की क्या योजना बनायी थी और योजना के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है और उक्त राशि से क्या-क्या काम अब तक किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत योजना का कार्य बिना सोर्स उपलब्ध हुए ही कार्य शुरू किया है? यदि हां, तो वर्तमान में स्थिति क्या हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना असफल होने पर अन्य योजना स्वीकृत कर काम शुरू कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के बदलने का क्या कारण है? उक्त में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रचलित मानदण्डों के अनुसार पेयजल में फ्लोराइड की परमीसीबल सीमा 1.5 पी.पी.एम. है परन्तु राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर यह सीमा शिथिल करते हुए, जहां अन्य स्रोत नहीं हो, 3 पी.पी.एम. कर दी गई है। जिला जयपुर में वर्ष 2001-2002 में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार 424 ऐसे गांव हैं जहां उपलब्ध स्थानीय जल में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक है। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम दयालपुरा में स्थानीय जल में फ्लोराइड की मात्रा 3.7 पी.पी.एम. व मदनपुरा में 1.7 पी.पी.एम. है। मदनपुरा में कुल घुलनशील लवण की मात्रा 6300 पी.पी.एम. है। योजना की अनुमानित लागत 10.63 लाख रुपये हेतु सितम्बर, 1999 में स्वीकृत हुई। तकनीकी स्वीकृति 10.74 लाख रुपये हेतु जारी हुई। इस योजना में भूजल वैज्ञानिक की राय से स्रोत जटवाड़ा नदी के पास लिया गया है। स्वीकृत योजना में प्रस्तावित तथा सम्पन्न कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार तत्समय भू-जल वैज्ञानिक की राय के अनुसार एक नलकूप का निर्माण किया गया। नलकूप के निर्माण उपरान्त एवं स्रोत में उपलब्ध पेयजल की आवक सुनिश्चित करने के उपरान्त योजना के अन्य स्वीकृत कार्य प्रारम्भ हुए। यह योजना वर्ष 2001 में चालू की जाकर संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम पंचायत को सौंपी गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उक्त योजना असफल नहीं हुई अपितु विगत वर्षों में कम वर्षा होने से भू-जल स्तर में गिरावट आने से नलकूप में उपलब्ध जल में वर्तमान में टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से अधिक होने के कारण इस नलकूप के पानी को ग्रामवासियों द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस योजना को अन्य क्षेत्रीय जलयोजना जटवाडा-हंसमहल के स्रोत से जोड़ा जाकर आंशिक पेयजलापूर्ति की गई। परन्तु विद्युत की अनियमित एवं कम आपूर्ति के कारण इस योजना से भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

अत: उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं इसके स्थाई समाधान हेतु सैक्टर रिफार्म योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय एवं वाटर सेनीटेशन कमेटी के अनुरोध पर एक नये पेयजल स्रोत (खुला कुआं) की योजना अनुमानित लागत 4.72 लाख की स्वीकृत की गई। इस स्रोत को दयालपुरा-मदनपुरा की पाइप लाइन से जोड़ा जाकर वर्तमान में पेयजलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान जलसेवा स्तर 30 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त ग्राम दयालपुरा एवं मदनपुरा प्रत्येक में 3 हैण्ड पम्प चालू हैं।

(5) उपरोक्तानुसार योजना की क्रियान्विति में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अत: कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के गिरते भू-जल स्तर की सर्वे रिपोर्ट पर कार्यवाही

726. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भू-जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं और अब क्या क्या कदम उठाये जायेंगे?

(2) क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया है? यदि हां, तो गत दस वर्षों में किस-किस जिले में कितना कितना जल स्तर गिरा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को उक्त सम्बन्ध में कोई सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में भू-जल का स्तर दिनों-दिन गिरता जा

(भू–जल मंत्री)

रहा है। इस सम्बन्ध में जल प्रबन्धन क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों एवं कार्य-योजनाओं को लागू करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त "राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन" का गठन किया गया है तथा सिंचाई विभाग इसका नोडल विभाग है। सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के सतही जल के भरपुर उपयोग करने, जल संग्रहण एवं भूंजल पुनर्भरण हेतु जिलेवार जल संग्रहण एवं जल संवर्द्धन कार्य योजना (Master Plan) तैयार की गई है। कार्य योजना के सारांश का विवरण परिशिष्ट 1 तथा 2 पर संलग्न है।

(2) भू-जल स्तर की मानिटरिंग एक नियमित प्रक्रिया है। यह प्रतिवर्ष वर्षा पूर्व व वर्षा उपरान्त किया जाता है। राज्य में भू-जल स्तर की मानिटरिंग हेतु वर्ष 1984 को आधार वर्ष माना गया है। वर्षा पूर्व 1984 से वर्षा पूर्व 2002 के मध्य राज्य में 28 जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट पाई गई है। सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राज्य के भू-जल स्तर के उतार-चढ़ाव से सम्बन्धित रिपोर्ट Trend of Water Levels and rainfall pattern in Rajasthan (1984-2002) भूजल विभाग द्वारा नवम्बर, 2002 में बनाई गई है जिसके आधार पर उक्त वर्षा पूर्व 1984 से वर्षा पूर्व 2002 के मध्य, राज्य के 28 जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट पाई गई है उक्त रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

धार्मिक संगठन के नाम पर जारी हथियारों के लाइसेंस

727. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने धार्मिक संगठन कार्यरत हैं? क्या उक्त संगठन धर्म के प्रचार के नाम से धर्म परिवर्तन के प्रयोजन से कार्यरत हैं? उक्त में से कितने धार्मिक संगठन धर्म के नाम से व सुरक्षा के नाम पर हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्हें प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करने वाला मानती है? यदि हां, तो इन्हें रोकने के क्या प्रयास किये गये हैं अथवा करना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में मुख्य कार्यरत धार्मिक संगठन निम्न है:

1. विश्व हिन्दू परिषद्, 2. बजरंग दल, 3. आर.एस.एस., 4. शिव सेना, 5 तबलिग जामअत, 6. जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द, 7. स्टूडेंट इस्लामिक आर्गेनाइजेशन, 8. जमाअत-उल-उलेमा-ए-हिन्द, 9. आल इण्डिया मिल्ली काउंसिल, 10. अहले हदीस।

(गृह मंत्री)

इनके अतिरिक्त ईसाई मिशनरीज भी राज्य में बतौर धार्मिक संगठन के कार्यरत है। ईसाई मिशनरीज राज्य में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्रिय रहते हैं।

उक्त धार्मिक संगठनों में से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर.एस.एस. द्वारा आयोजित शाखाओं में लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व हिन्दू परिषद्/बजरंग दल द्वारा त्रिशूल धारण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान त्रिशूल धारकों को गौवंश, धर्म तथा देश की रक्षा की शपथ भी दिलवाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संगठन द्वारा हथियारों के प्रशिक्षण की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

(2) उक्त साम्प्रदायिक संगठनों के कुछ वक्ताओं के भाषण व क्रियाकलापों से राज्य का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने व शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। समय–समय पर ऐसे धार्मिक नेताओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है तथा समझाइश भी की जाती है। वर्ष 2002 में पांच (5) आपराधिक मुकदमें दर्ज किये गये, तथा साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के मामले में दोषी एक थानाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। चालू वर्ष में इस सम्बन्ध में चार (4) मुकदमें दर्ज किये जाकर कानूनी कार्यवाही की गई। समस्त प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने हेतु सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

नारायण निवास (जयपुर) परिसर से अवैध बसों का संचालन

728. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रबन्ध निदेशक, राज्य पथ परिवहन निगम व परिवहन आयुक्त तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने नारायण निवास परिसर में हो रहे निजी बसों के अवैध संचालन को रोकने हेतु तथा पुलिस चौकी कायम करने हेतु पुलिस अधीक्षक जयपुर (दक्षिण) को पत्र क्र.सी.12(3)परि/पी. डी./49, दिनांक 20.2.2001 तथा एफ. 12–3 परि./पी.डी./99 दिनांक 3.1.2001 एवं एफ. 31–91 ज.वि.प्रा./वि.वि.शे.–सम/2001/100 दिनांक 5.2.2001, पी.एस.एम.डी./2001–4052 दिनांक 12.2.2001 एवं पी.एस.एम.डी./2002–5775 दिनांक 14.5.2002 तथा पुलिस अधीक्षक (यातायात) को लिखे थे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय क्रमांक–एफ. 31(9)ज.वि.प्रा./वि.शे./सम/2001/100 दिनांक 5.2.2001 तथा प्रबन्ध निदेशक,

(गृह मंत्री)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय क्रमांक:पी.एस./एम.डी./2002/5775 दिनांक 14.5.2002 के पत्र पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर को बसों के अवैध संचालन रोकने हेतु प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रश्न में वर्णित अन्य कोई पत्र यातायात शाखा में प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक शहर (दक्षिण) कार्यालय में प्रश्न में वर्णित कार्यालयों द्वारा पुलिस चौकी कायम करने सम्बन्धी अन्य कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नारायण निवास से बसों के अवैध संचालन को रोकने हेतु वर्ष 2001 में 24 बसें जप्त की व 361 का चालान किया। वर्ष 2002 में 9 बसों की जप्ती की व 360 का चालान किया। नारायण निवास के पास नारायण सिंह तिराहे पर यातायात पुलिस का पोर्ट है। जहां पर यातायात पुलिस का एक हैड कांस्टेबल व दो कांस्टेबल ड्यूटी पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा वर्ष. 1999 से अब तक 23 बसों की जप्ती व 9 का चालान किया है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के पुलिस थानों में पदस्थापित कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

729. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली एवं बूंदी के पुलिस थाना बसौली, दबलाना, हिण्डौली तथा तालेड़ा में कौन–कौन पुलिसकर्मी कब से तैनात हैं? पदवार अधिकारियों सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत पांच वर्षों में उक्त थाना कर्मियों के विरुद्ध सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस थानों में अधिकांश पुलिसकर्मी/अधिकारी पांच वर्ष से भी ज्यादा समय से तैनात हैं? यदि हां, तो कौन–कौन कितने वर्षों से?

(4) क्या सरकार प्राप्त शिकायतों एवं लम्बे ठहराव के पुलिसकर्मियों/अधिकारियों को तत्काल उक्त थाना क्षेत्रों से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पुलिस थाना बसोली, दबलाना, हिण्डौली एवं तालेड़ा पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त थानों पर तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक जिला बूंदी को कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करवाने पर उक्त सभी शिकायतें अप्रमाणित पाई गई।

(गृह मंत्री)

(3) उपरोक्त थानों में वर्तमान में पदस्थापित कोई भी पुलिसकर्मी/अधिकारी पांच वर्ष से ज्यादा समय से तैनात नहीं है।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हो उनकी तत्काल जांच करवाकर प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है व थानों से हटाया जाता है। निति अनुसार जिन कर्मचारियों/अधिकारियों का पदस्थापन दो वर्ष से अधिक हो उनको तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जेल प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के निर्माण में अनियमितताएं

730. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जेल प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के भवन निर्माण में कारागार विभाग द्वारा जांच में घटिया स्तर की सामग्री पाई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 21.11.2001 को प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को विस्तृत जांच एवं कार्यवाही हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रकरण में प्राथमिक जांच चल रही है।

(3) जांच पूर्ण होने पर ही कार्यवाही सम्भव होगी।

ग्राम रेनवाल माजी तहसील फागी (जयपुर) में कच्चे बन्धे की सड़क पर अवैध निर्माण

731. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रेनवाल माजी तहसील फागी (जयपुर) में कच्चे बन्धे के पास सड़क के किनारे राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा एक तथांकथित मजार का निर्माण कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है? क्या पूर्व में उक्त स्थान पर कोई निर्माण नहीं था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर षड्यन्त्र के तहत ईंटे-रोड़ी आदि निर्माण सामग्री एकत्रित की जा रही है तथा एक धार्मिक स्थल के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है? क्या उक्त के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय की कोई आबादी नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवैध निर्माण से क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव

(श्री मदन दिलावर)

उत्पन्न हो रहा है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार को उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में उक्त स्थान पर मजार नहीं थी।

(2) उक्त स्थान पर सड़क से गुजरने वाले ईंटों के ट्रक व ट्रोली वाले 8-7 ईंटें डाल जाते हैं जिनके लिये समय समय पर हल्का पटवारी द्वारा तहसील में रिपोर्ट करने पर हटवा दी जाती है। उक्त स्थान के पास अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी नहीं हैं।

(3) उक्त निर्माण से क्षेत्र में अब तक साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने व लोगों में आक्रोश व्याप्त होना जानकारी में नहीं आया है। उक्त निर्माण को हटाने बाबत न्यायालय नायब तहसीलदार फागी में दिनांक 23.9.2002 को निर्णय बेदखली सुनाया गया है।

(4) जी नहीं।

पुलिस थाना सिरोही की सीमा में वृद्धि

732. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सिरोही की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोही रेवदर व सिंदरथ गांव तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सिरोही ने कोई रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट किस स्तर पर विचाराधीन है?

उत्तर

(1) प्रस्तावों का परीक्षण जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलक्टर एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा कर लिया गया है। पुलिस थाना सिरोही की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोही रेवदर पर सिंदरथ गांव तक बढ़ाये जाने को उचित नहीं पाया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

थाना नारायणपुर में दर्ज प्रकरण संख्या-55/2002

733. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के थाना नारायणपुर में दिनांक 29.7.2002 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 55/02 दर्ज की गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में अनुसंधान

(डा. किरोड़ी लाल)

पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो किन-किन अभियुक्तों को नामजद करके उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अभियुक्त छोटे उर्फ छोटेलाल पुत्र गिर्राज जाति रेबारी निवास रैबारपुरा थाना बैर जिला भरतपुर के खिलाफ धारा-302, 201, 394, व 397 भा.द.सं. में आरोप पत्र संख्या-69/02 दिनांक 27.10.2002 को धारा-299 दं.प्र. संहिता में न्यायालय सी.जे. (जे.डी.) जे.एम. थानागाजी में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त श्री छोटे उर्फ छोटे लाल के खिलाफ धारा-82-83 दं.प्र. संहिता की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय को निवेदन किया जा चुका है।

(3) उक्त अभियोग में मुलजिम छोटे उर्फ छोटे लाल के नामजद होने पर मुलजिम की सरगर्मी से तलाश की गई। बावजूद प्रयासों के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह घटना के दिन से ही अपने गांव रैबारपुरा से गायब है। मुलजिम की गिरफ्तारी को अंजाम देने हेतु उसकी रिश्तेदारियों एवं सम्भावित स्थानों पर तलाशी व पतारसी की गई, जो अभी भी जारी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जयपुर में बालकों के साथ ठगी व जालसाजी रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन

734. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में बालकों के साथ वर्ष 2001 से फरवरी, 2003 तक कितने प्रकरण ठगी और जालसाजी के किन-किन थानों में कब-कब दर्ज हुए? उक्त में से किन-किन प्रकरणों में अभियुक्त पकड़े गये और किन-किन प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकार के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों को पकड़ने हेतु कोई टास्क फोर्स बनाई गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर में बालकों के साथ वर्ष 2001 से फरवरी, 2003 तक कुल पांच प्रकरण ठगी और जालसाजी के पंजीबद्ध हुए हैं।

1. थाना रामगंज परमु.नं. 186/2001 धारा 420 भादस में दि. 16.4.2001 को पंजीबद्ध किया गया है।
2. थाना बनीपार्क पर मु.नं. 134/2001

(गृह मंत्री)

धारा 420 भादस में दिनांक 8.9.2001 को पंजीबद्ध किया गया।

3. थाना बनीपार्क पर ही मु.नं. 144/01 धारा 420 भादस में दिनांक 14.9.2001 को पंजीबद्ध किया गया।

4. थाना सोडाला पर मु. नं. 248/01 धारा 420 भादस में दि. 15.9.2001 को पंजीबद्ध किया गया।

5. थाना मोती डूंगरी पर मु.नं. 114/02 धारा 420 भादस में दि. 5.6.2002 को पंजीबद्ध किया गया।

उपरोक्त पांच में से किसी भी प्रकरण में अभियुक्त पकड़े नहीं जा सके हैं। उपरोक्त सभी प्रकरणों में माल मुलजिमान की पतारसी के भरसक प्रयास किए गए लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद माल मुलजिमान का पता नहीं चलने पर उक्त सभी प्रकरणों में नतीजा अन्तिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है।

(2) जी नहीं। मुलजिमान की तलाश हेतु सादा वस्त्रधारी पुलिस, माकूल, गश्त, नाकाबन्दी आदि के द्वारा अपराधों पर रोकथाम और पतारसी हेतु प्रयास किए ज़ा रहे हैं।

जिला अलवर के उपकेन्द्रों में ए.एन.एम. के रिक्त पद

735. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ कोटपूतली/बानसूर/मुण्डावर में कौन–कौन से उपकेन्द्रों पर ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार कब तक उक्त पदों पर कर्मचारियों को पदस्थापित करेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़, बानसूर एवं मुण्डावर में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के पद रिक्त नहीं है। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बसई भालोजी एवं ठीकरिया में ए.एन.एम. के एक–एक पद रिक्त हैं।

(2) ए.एन.एम. के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

गम्भीर रूप से जले मरीजों हेतु बर्न चिकित्सालय की स्थापना

736. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बर्न वार्ड में क्षमता से अधिक रोगी एवं प्रतिदिन संक्रमण से औसतन दो मरीजों की मौत होती है? यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2002 तक बर्न यूनिट में कुल कितने मरीज भर्ती हुए एवं कितने संक्रमित होकर मरे? वर्षवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(2) क्या यह भी सही है उक्त चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के प्रतिदिन औसत संख्या को देखते हुए शैय्याएं, नर्सिंगकर्मी, आपरेशन थियेटर, गम्भीर मरीजों के उपचार की पृथक व्यवस्था हेतु आईसीयू व वातानुकूलित वार्ड, प्लास्टिक सर्जरी सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कौनसी सुविधा उचित अनुपात में कब से नहीं है?

(3) क्या सरकार मौजूदा बर्न यूनिट में उक्त सभी सुविधाएं जुटाकर संक्रमण से हो रही मौतों को रोककर रोगियों के सुचारू उपचार का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार बर्न केसेज की अधिकता को देखते हुए सभी सुविधाओं से सुसज्जित अन्य नवीन बर्न अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय की बर्न वार्ड में वर्ष 1999 से 2002 तक भर्ती मरीजों की संख्या व मृत्यु की सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	भर्ती मरीजों की संख्या	मृत्यु प्राप्त रोगियों की संख्या
1999	858	251
2000	842	335
2001	889	292
2002	882	277

उपरोक्त मृत्यु प्राप्त कुल रोगियों में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रोगी संक्रमण के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।

(2) जी हां। बर्न वार्ड में शैय्याएं, नर्सिंग कर्मी, आपरेशन थियेटर व वातानुकूलित वार्ड, आदि भर्ती होने वाले मरीजों के संख्या के अनुपात में उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं की कमी बर्न वार्ड में वर्ष 1988 से ही है।

(3) जी हां। वर्तमान में बर्न वार्ड को वातानुकूलित करने हेतु राजस्थान मेडिकल ऐल्यूमनी एसोसिएशन आई.एम.सी. (राजमाई) न्यूयार्क द्वारा राजस्थान वैलफेयर एवं विकास ट्रस्ट को सहायता राशि प्रदान की गई है। इस ट्रस्ट द्वारा वातानुकूलन का कार्य करवाया जा रहा है। अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी दूर करने हेतु भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पृथक से बर्न वार्ड के निर्माण हेतु स्थान चिन्हित कर लिया गया है तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं जन सहयोग प्राप्त होने पर पृथक से बर्न वार्ड का निर्माण प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

नगर परिषद्/निगम जोधपुर के सफाई कर्मियों को नियुक्ति

737. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल रिट पीटिशन संख्या 532 सन् 1997 निर्णय दिनांक 16.11.2002 में मदन लाल पुत्र श्री बंशीलाल हरिजन सफाई आशार्थी निवासी काणूजा, तहसील रायपुर, जिला पाली तथा महिला सफाई आशार्थी उमराव देवी पत्नी चन्दाराम हरिजन निवासी रायपुर को नियुक्ति दिये जाने के आदेश पारित हुए हैं? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं? इन्हें अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्य सरकार के सेवा नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति में कहीं रुकावट नहीं रखती है?

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल रिट पीटिशन संख्या–532/97 निर्णय दिनांक 16.11.2000 में स्क्रनिंग कमेटी गठित कर उपयुक्त पात्रता होने पर नियुक्ति देने के निर्देश प्रदान किये किन्तु दोनों आवेदकों को निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता 5वीं पास नहीं होने के कारण नियमित नियुक्ति देय नहीं है।

(2) नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण निहित है।

बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

738. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या उक्त सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक भवन बन जायेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में कुल 59 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में 14 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित है। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तहसील	भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
बेगूं	1. राजगढ़
	2. इटावा
	3. चावण्डिया
	4. केरपुरा
	5. उमरधुना
	6. सुवानिया
	7. जयनगर (सोनगर)
	8. ठुकराई (निर्माणाधीन)
रावतभाटा	1. बडोदिया
	2. झरझनी
	3. रेनखड़ा
	4. कुआंखण्डा (जवाहरनगर)
	5. रोडीमय नणरा
	6. लुहारिया (निर्माणाधीन)

(3) जी हां। भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही राज्य के अन्य भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ उक्त भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में श्रीमती पुष्पा के निधन की जांच रिपोर्ट

739. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री नरसिंह निवासी गोपी बिल्डिंग दिनांक 28.1.1997 को बेहोशी की हालत में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर में इलाज हेतु भर्ती करायी गयी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि बेहोशी की हालत में ही श्रीमती पुष्पा का इलाज के दौरान निधन हो गया?

(3) क्या यह सही है कि निधन के उपरान्त श्रीमती पुष्पा का पोस्टमार्टम कराया गया था? यदि हां, तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर उक्त की मृत्यु किसी जहरीली चीज खाने से हुई? पोस्टमार्टम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रीमती पुष्पा पत्नी नरसिंह का विसरा परीक्षण हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो परीक्षण में मौत के क्या कारण आये? विसरा रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री नरसिंह का निधन इलाज के दौरान दिनांक 29.1.1997 को हो गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मौत किसी जहर के सेवन से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। विसरा रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फौजदारी प्रकरणों में चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट प्राप्ति में देरी से अनुसंधान में बाधा

740. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पुलिस तहरीर पर चोट प्रतिवेदन व एक्सरे प्रतिवेदन देने का निर्धारित समय क्या है?

(2) क्या चिकित्सालयों द्वारा चोट प्रतिवेदन नियत समयावधि में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

(3) क्या उक्त देरी के कारण से पुलिस अनुसंधान कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार समय पर रिपोर्ट देने के लिए सम्बन्धितों को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस तहरीर पर चोट प्रतिवेदन व एक्सरे प्रतिवेदन देने का कोई निर्धारित समय नहीं है, परन्तु इन्हें तुरन्त पुलिस को उपलब्ध करवाये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर निर्देश जारी किये हुए हैं।

(2) समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को चोट प्रतिवेदन नियत समयावधि में दिये जाने के निर्देश जारी किये हुए हैं।

(3) जी हां, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को रिपोर्ट तुरन्त पुलिस को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये हुए हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा (दौसा) का भवन निर्माण प्रकरण

741. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा के भवन के निर्माण के लिये स्थल चयन हेतु दिनांक 28.5.2002 को जिला कलक्टर दौसा द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी? यदि हां, तो उक्त बैठक में कौन–कौन लोग उपस्थित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सा केन्द्र स्थल के चयन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत महुवा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगला स्थित भूमि में स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांक 2647-54 दिनांक 14.9.1998 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुवा के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले को अधिगृहित करने के निर्देश जारी किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित स्थान डाक बंगला महुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ना बनाकर पुराने सीमित एवं संकुचित स्थान पर ही भवन निर्माण चालू कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को रोक कर सार्वजनिक हित के स्थान पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर दौसा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का नाम सहित विवरण निम्न प्रकार है:

1. श्री हरिसिंह महुवा, माननीय मुख्य सचेतक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमती शारदा शर्मा, प्रधान, पंचायत समिति, महुवा।
3. श्री कृपा शंकर बोहरा, सदस्य, पंचायत समिति, महुवा।
4. श्री रामावतार मीना, उप खण्ड अधिकारी, महुवा।
5. डा. एल. एल. दातोनिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
6. डा. बी. डी. शर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुवा।
7. श्री जे. पी. यादव, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महुवा।
8. श्री एस. डी. शर्मा, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महुवा।
9. श्री भरत लाल मीना, तहसीलदार, महुवा।
10. श्री अशोक कुमार जैन, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, महुवा।

(2) यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत महवा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगला स्थित भूमि में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया था।

(3) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महवा के भवन निर्माण के स्थल चयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 28.5.2002 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन स्थान पर ही नये भवन का निर्माण पुराने आवासीय भवनों को हटाते हुए कर लिया जावे।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम देवा तथा सांकड़ा (जैसलमेर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अपूर्ण भवन

742. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के गांव देवा तथा सांकड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अधूरे निर्मित है जिन पर क्रमशः पच्चीस तथा पांच लाख की राशि [illegible] की हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि देवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन आवास विकास संस्थान ने अधूरा छोड़ा है?

(3) क्या यह सही है कि सांकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रुपये 25 लाख वर्ष 1994-95 में स्वीकृत थे पांच लाख की राशि व्यय करने बाद शेष राशि गाजीपुर (अलवर) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दी गई?

(4) क्या सरकार ग्राम देवा तथा सांकड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवा एवं सांकड़ा के भवन निर्माण पर क्रमशः लगभग 7.45 लाख एवं 3.60 लाख रुपये की राशि आवास विकास संस्थान द्वारा व्यय की गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्ष 1995-96 में 20 लाख रुपये की लागत से आवास विकास संस्थान के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकड़ा का भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकड़ा के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाजीपुर (अलवर) के भवन निर्माण हेतु संशोधित स्वीकृति जारी की गई। संशोधित स्वीकृति तक आवास विकास संस्थान द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकड़ा के निर्माण पर लगभग 3.60 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी।

(4) जी हां।

रोडावाल (अलवर) के किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान

743. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माजरी नीमराणा रोड से रोडवाल सड़क निर्माण के क्रम में वर्ष 2002 में श्रीराम, शिंभू

(डा. करण सिंह यादव)

पुत्र श्री दुर्गा निवासी ग्राम रोडवाल तहसील बहरोड़ की भूमि इस कार्य हेतु अवाप्त की गई है?

(2) क्या उक्त विस्थापित किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) अब पीड़ित किसान को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक मिल जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मुआवजा राशि का भुगतान बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है।

(3) भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

किशनगढ़ क्षेत्र (अजमेर) की आर.यू.पी. की सड़कों पर बी.टी. कार्य

744. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खण्ड अजमेर के अधीन जनवरी, 2002 के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए अलग-अलग कितने रुपयों के पैकेज निविदाएं व कार्य आदेश कब व किस दर पर दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील किशनगढ़ (अजमेर) में सड़कों पर 1998 से 2002 तक अलग अलग कितना खर्च किया गया? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पेच वर्क के लिए प्रति किलोमीटर सड़क पर निर्धारित मानदण्ड कितना प्रतिशत है? क्या उक्त तहसील में निर्धारित मानदण्ड से ज्यादा पेच वर्क किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस सड़क पर?

(4) किशनगढ़ क्षेत्र की आर.यू.पी. की कौन-कौनसी सड़कों पर बी.टी. कार्य पेवर कब-कब हो चुका है और किस किस सड़क पर कार्य चालू है व कब तक पूरा हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) तहसील किशनगढ़ (अजमेर) में सड़कों पर 1998 से 2002 तक वर्षवार किये गये खर्चे का तुलनात्मक विवरण प्रपत्र ''ब'' में संलग्न है।

(3) जी नहीं। पेच कार्य के लिये प्रति किलोमीटर पेचों के प्रतिशत का कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है।

(4) किशनगढ़ क्षेत्र की आर.यू.पी. की सड़कों पर बी.टी. कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आदि का विवरण परिशिष्ट ''स'' में सलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

सड़क संधारण परियोजना के प्रथम चरण में तैयार पैकेज से बचत

745. श्री ललित भांटी (अजमेर–पूर्व): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:–

(1) क्या यह सही है कि सड़क संधारण परियोजना के प्रथम चरण वर्ष 2001–2002 एवं 2002–2003 के अन्तर्गत हर जिले का एक पैकेज (योजना) विभाग द्वारा तैयार किया गया? यदि हां, तो कुल कितने पैकेज तैयार किए गए एवं कितनी किलोमीटर सड़क व उन पर कितनी राशि का प्रावधान किया गया? विभागाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के लिए कितनी राशि के प्रस्ताव भिजवाए गए तथा निविदाएं कितनी प्रतिशत कम आयी? उक्त से कितनी राशि की कुल बचत विभाग को हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत प्रस्तावों के विरुद्ध भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों को यह अवगत कराया कि स्वीकृति राशि में बचत हो रही है? यदि हां, तो कहां–कहां से ऐसी जानकारी एवं कुल कितनी राशि की बचत हुई तथा स्वीकृति के विरुद्ध कितनी किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां। सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना के प्रथम चरण वर्ष 2001–2002 में 32 जिलों की योजना 10371.60 किलोमीटर लम्बाई एवं राशि 29928.00 लाख रुपये की, एवं वर्ष 2002–2003 में 32 जिलों की योजना 10296.15 किलोमीटर लम्बाई राशि 28895.44 लाख रुपये की बनाई गई। जिलेवार प्राप्त निविदाओं की प्रतिशत व बचत का विवरण प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(2) सम्भावित बचत का विवरण प्रपत्र ''अ'' में सम्मलित है। उक्त योजना में स्वीकृत राशि के विरुद्ध माह फरवरी तक कुल 15951.00 किमी. सड़क बनकर तैयार हुई है तथा वास्तविक बचत राशि का आकलन परियोजना पूर्ण होने पर ही किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर से सरथुना क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण

746. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री शंकर लाल अहारी)

(1) क्या जिला डूंगरपुर में डूंगरपुर से सरथुना वाया पीठ सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या पूर्व में उक्त सड़क को बी.ओ.टी. योजना के तहत लेने का विचार था?

(3) क्या सरकार प्रस्तुत तखमीने के अनुसार कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

ग्राम लामिया (सीकर) से पचार व रामपुरा तक सड़क निर्माण

747. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम लामिया (सीकर) से पचार तथा पचार से रामपुरा तक सड़क निर्माण का कार्य कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों सड़क निर्माण कार्यों पर अब तक क्या-क्या कितनी-कितनी राशि का कार्य किस-किस फर्म से कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्धारित समय व तय गुणवत्ता के अनुरूप हुआ है? यदि हां, तो उक्त की जांच किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गई?

(4) क्या उक्त निर्माण कार्य तय मानदण्डों व तय समय में नहीं हुआ यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

(5) उक्त दोनों सड़कों का डामरीकरण कब तक किया जाना था और अब तक डामरीकरण न किये जाने के क्या कारण रहे व अब कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा? उक्त कार्य में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(6) उक्त दोनों कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पचार के लिये और कौन से सड़क मार्ग बनाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम लामिया (सीकर) से पचार तथा पचार से रामपुरा तक सड़क निर्माण की ग्रेवल स्तर तक स्वीकृती क्रमशः दिनांक 4.5.1994 एवं 29.4.1995 को दी गई। स्वीकृति की प्रति प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) वांछित विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां। ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हुआ है। यह कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत किया गया है जिसमें श्रम मद का कार्य उपलब्ध मस्टरोलों पर मजदूरी लगाकर हुआ है। श्रम मद से जैसे–जैसे सामग्री उपलब्ध कराई गई उसी अनुसार ग्रेवल परिवहन कर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया। गुणवत्ता व मापदण्डों की जांच विभाग के अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर की गई है।

(4) जी नहीं। उक्त निर्माण कार्य मापदण्डों के अनुसार किया गया है। मस्टरोलों पर लगाये गये श्रमिकों द्वारा जैसे जैसे सामग्री उपलब्ध कराई गई उसी के अनुसार संवेदक द्वारा ग्रेवल का परिवहन कर कार्य सम्पादित किया गया।

(5) उक्त दोनों सड़कों पर डामरीकरण की कोई स्वीकृति नहीं हुई।

(6) ग्राम पचार की कोई अतिरिक्त सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यालयों में वितरित की जाने वाली निःशुल्क पुस्तकों की जांच में देरी

748. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विद्यालयों में निःशुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तकों को दीमक खा जाने की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जांच में जानबूझकर विलम्ब के लिए जांच अधिकारी दोषी है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? अब उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जांच कार्यवाही पूर्ण करली गई है।

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई दोषी नहीं है।

राज्य में क्रमोन्नत किये गये गैर सरकारी स्कूल

749. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001–2002 व 2002–2003 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक श्रेणी में कौन–कौन से गैर राजकीय स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया?

(2) उक्त क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में कक्षावार छात्रों की संख्या कितनी थी?

(श्री रामप्रताप)

(3) क्या किसी विद्यालय में मानदण्ड में छूट दी गई थी? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों में एवं क्या छूट दी गई?

उत्तर

(1) राज्य में निम्नानुसार गैर सरकारी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया:-

सन	उप्रावि. से मावि में	मावि से उमावि में	योग
2001-02	585	173	758
2002-03	919	280	1199
	1504	453	1957

कुल 1957 विद्यालय होने से विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करना श्रम, समय एवं व्यय साध्य होने से प्रश्न का यह भाग राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 37 के तहत ग्राह्य नहीं किये जाने योग्य है।

(2) कुल 1957 विद्यालय होने से प्रत्येक विद्यालय की कक्षावार छात्र संख्या संकलन एवं प्रस्तुत करना श्रम, समय एवं व्यय साध्य होने से प्रश्न का यह भाग राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 37 के तहत ग्राह्य नहीं किये जाने योग्य है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों की क्रमोन्नति के लिए विहित मानदण्ड में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

अमित बोलिया स्कूल गंगापुर (भीलवाड़ा) को अनियमित भू-आबंटन

750. डा. रतन लाल (सहाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अमित बोलिया स्कूल गंगापुर भीलवाड़ा को कितनी भूमि किस किस्म की कब-कब आबंटित की गई? क्या मानदण्डों के अनुसार उक्त स्कूल को आवश्यकता से अधिक भूमि का आबंटन किया गया है यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त स्कूल के भवन निर्माण पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्कूल में छात्र/छात्राओं से कितनी-कितनी फीस कब कब ली जाती है? विद्यालय के प्रोस्पैक्टस की प्रति मय फीस विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्कूल द्वारा छात्र/छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

(5) क्या उक्त स्कूल में विभागीय मानदण्ड के हिसाब से प्रशिक्षित अध्यापकों को रखा गया है? उक्त को कितना-कितना वेतन दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अमित बोलिया स्कूल, गंगापुर (भीलवाडा) को कोई भूमि आबंटित नहीं

(शिक्षा मंत्री)

की गई अपितु अमित बोलिया चेरीटेबल ट्रस्ट गंगापुर भीलवाड़ा को 36 बीघा 02 बिस्वा आराजी भूमि दिनांक 12.4.1990 को आबंटित की गई। भूमि का आबंटन, ट्रस्ट को स्कूल भवन, छात्रावास, स्टाफ क्वाटर्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन एवं चिकित्सा सुविधा के लिए आबंटित की गई जो आवश्यकता के अनुरूप है।

(2) उक्त स्कूल के निर्माण में सांसद कोटे से वर्ष 1998-99 में 10 लाख रुपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त अकाल राहत के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान पंचायती/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है।

(3) विद्यालय में विद्यार्थियों से ली जा रही फीस का विवरण इस प्रकार से है:

कक्षा	प्रति माह फीस
01 से 03	निःशुल्क
04 से 05	5/-प्रति माह
06 से 08	10/-प्रति माह

छात्राओं से फीस नहीं ली जाती है एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों से आधी फीस ली जाती है संस्था द्वारा कोई प्रोस्पेक्टस छपा हुआ नहीं है।

(4) उक्त स्कूल द्वारा विद्यार्थियों का वाहन सुविधा, लेबोरेट्री, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, खेलकूद आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

(5) जी हां। अध्यापकों को दिये जा रहे वेतन का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय

751. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की कितनी पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवन विहीन विद्यालयों के लिये भवन निर्माण क्यों नहीं कराये गये?

(3) क्या सरकार अब भवन विहीन विद्यालयों के लिये भवन इसी वर्ष में बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति कपासन के 2 प्राथमिक विद्यालय (शहरी क्षेत्र) भवन विहीन हैं। विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं :

1. रा. प्रा. वि. पूर्वियों का मौहल्ला (कपासन)

(श्री नन्दलाल मीणा)

2. रा. प्रा. वि. कर्णजी का खेड़ा (कपासन)

(2) उक्त विद्यालयों के लिये भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं करवाये जा सके।

(3) नगरपालिका द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधान होने की स्थिति में भवन निर्माण करवाया जाएगा।

पंचायत समिति डेगाना (नागौर) के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पद

752. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में विभिन्न स्तर की शालाओं में अध्यापकों के कितने-कितने पद सृजित हैं? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डेगाना (नागौर) की विभिन्न पाठशालाओं में अनेकों अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या इससे बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो रहा है? उक्त पंचायत समिति में किस किस शाला में कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति में विभिन्न स्तर की कुल कितनी शालायें सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में विभिन्न स्तर की शालाओं में अध्यापकों के सृजित पदों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विद्यालयों में शिक्षण हेतु गैस्ट फैकल्टी एवं समानीकरण से व्यवस्था की गई है। विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति डेगाना में विभिन्न स्तर की संचालित शालाओं की सूची परिशिष्ट "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। नव पद स्वीकृत होने, नियुक्तियों की स्वीकृति मिलने एवं लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी मिलने व डी.पी.सी. से पदोन्नति होने पर रिक्त पद भर दिए जाएंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लाडनूं शहर में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन भुगतान में विलम्ब

753. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लाडनूं शहर में सरकार से अनुदान लेकर कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाएं किस-किस के द्वारा चलाई जा रही हैं?

(2) क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है? यदि हां, तो जनवरी, 2002 से फरवरी, 2003 तक के कौन-कौनसे माह का वेतन कब कब दिया गया? प्रत्येक शिक्षण संस्था के प्रत्येक अध्यापक व कर्मचारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारी/अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो समय पर वेतन दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?

(4) क्या सरकार उक्त को सरकारी कर्मचारी मानकर चुनाव आदि कार्यों में नियुक्त करती है? यदि हां, तो समय पर वेतन देने के मामलों में सरकारी कर्मचारियों की भांति समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?

(5) उक्त को समय पर भविष्य में वेतन मिले इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है तथा क्या व्यवस्था की जानी है जो कब तक की जा सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त संस्थाओं को मान्यता/अनुदान देने में ऐसी कोई शर्त है कि यह संस्था ऐसे समय पर वेतन चुकाएं? यदि हां, तो उक्त की पालना क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसी शर्तें नहीं हैं? यदि हां, तो अब ऐसी शर्त होनी चाहिए कि संस्था समय पर वेतन दे।

उत्तर

(1) लाडनूं शहर में सरकार से अनुदान लेकर श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट द्वारा महावीर उ.मा.वि. एवं श्री जयचन्द लाल भूतोड़िया बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा जे.बी.उ.मा. विद्यालय चलाई जा रही है।

(2) महावीर उ.मा.वि. में कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है जबकि जे.बी.उ.मा. विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नहीं। जनवरी, 2002 से फरवरी, 2003 तक दोनों संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जे.बी.उ.मा. विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि संस्था द्वारा वेतन बिल जिला शिक्षा अधिकारी

(शिक्षा मंत्री)

(माध्यमिक प्रथम) को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। संस्था द्वारा वेतन बिल प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार भुगतान दिलवाये जाने की व्यवस्था किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों को भी चुनाव आदि कार्यों में लगाया जाता है। चुनाव कार्य का समय पर वेतन भुगतान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का प्रथम दृष्टया दायित्व संस्था का ही है? अतः जे.बी.उ.मा. विद्यालय द्वारा वेतन बिल प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार भुगतान दिलवाये जाने की व्यवस्था किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(6) जी हां। परन्तु संस्था द्वारा वेतन बिल प्रस्तुत नहीं करने से स्वयं संस्था द्वारा ही नियम की।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी, जयपुर में अभिभावक समिति के चुनाव

754. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी, जयपुर में विद्यालय अभिभावक समिति बनी हुई है? उक्त का चुनाव कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालय अभिभावक समिति के चुनाव प्रक्रियाधीन हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेश्वरपुरी जयपुर की अभिभावक समिति के चुनाव दिनांक 11.7.1998 को हुए।

(2) जी नहीं।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों की जांच

755. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के विरुद्ध कितने प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में नियम 16 सी.सी.ए. एवं नियम 17 सी.सी.ए. में आरोप पत्र जारी कर जांच करने की सिफारिश की गई है?

(3) क्या उक्त आरोप पत्र एवं जांच प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) अब उक्त जांच कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के विरुद्ध जयपुर शहर में उर्दू अध्यापकों के स्थानान्तरण में अनियमितताऐं तथा श्रीमती सीमा वर्मा, व्याख्याता, डाइट, गोनेर (जयपुर) को कार्यमुक्ति में अनियमितता के दो प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई है।

(2) अभी दोनों जांचों पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

जिला नागौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से छात्र संख्या में कमी

756. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित कितनी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक पाठशालाएं कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित संस्थाओं की कुल छात्र संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों के दौरान निजी संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकारी शालाओं में लम्बे समय से रिक्त बड़ी संख्या में अध्यापकों/वरिष्ठ अध्यापकों के पदों के कारण सरकारी शालाओं में छात्र/छात्राओं की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है? यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित 91 माध्यमिक विद्यालय एवं 17 उच्च माध्यमिक पाठशालाएं संचालित है। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) उक्त संचालित संस्थाओं में कुछ छात्र संख्या 32454 है। विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दिया गया है।

(3) तीन छात्रों के दौरान प्राईवेट संस्थाओं में छात्र-छात्राओं की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि प्राइवेट संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-2 की परीक्षा का परिणाम

757. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2002 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल ने आशुलिपिक ग्रेड-2 की परीक्षा भाषा विभाग के माध्यम से आयोजित कराई थी? यदि हां, तो किस तिथि को?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा में मण्डल में कार्यरत कर्मचारी सम्मिलित हुए थे? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची मय नाम पद के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो परिणाम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदोन्नति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो कब एवं किन-किन को और नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त को कब तक नियुक्ति/पदोन्नति प्रदान कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भाषा विभाग द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर आयोजित आशुलेखन/टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मण्डल के एक कर्मचारी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा आवेदन करने पर मण्डल द्वारा अनुमति दी गई थी।

(3) जी हां। परीक्षा परिणाम की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) जी नहीं। परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी द्वारा अन्य अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सका।

(5) पदोन्नति हेतु मण्डल के सेवा नियमों में विद्यमान अर्हताएं पूर्ण करने एवं पद रिक्त होने पर पदोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

ग्राम पंचायत ईन्टाली (उदयपुर) व विधान सभा क्षेत्र कठूमर के विद्यालयों में रिक्त पद

758. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत ईन्टाली (उदयपुर) में एवं विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्तमान में किस स्तर के कितने विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालय में कितने पद सृजित हैं जिन पर कौन-कौन अध्यापक, कब-कब से कार्यरत है एवं कितने पद कब से क्यों रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों के

(श्री रमेश खींची)

विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ग्रामों के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिकाओं के पद भी रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत ईन्टाली एवं विधान सभा क्षेत्र कठुमर में संचालित विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है:

ग्रा.पं.	उमावि	माध्य.वि.	उप्रावि.	प्रा.वि.
ईन्टाली	2	—	2	1
कठुमर	7	18	57	161

उक्त विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। ये पद स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति आदि कारणों से रिक्त है।

(2) जी हां। पद स्वीकृत होने, नव नियुक्तियों की स्वीकृति मिलने, लोक सेवा आयोग से चयनित व्याख्याता/द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक मिलने एवं डी.पी.सी. से पदोन्नति होने पर रिक्त पद भरे जाएेंगे।

(3) जी हां। पदोन्नति पर अध्यापक उपलब्ध होने पर पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

759. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नही हैं एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 03 पद रिक्त हैं।

(2) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु अर्थनाऐं आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। डी.पी.सी. से भरे जाने वाले पदों हेतु डी.पी.सी. आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी अनूपगढ़ (श्री गंगानगर) द्वारा की गई अनियमितता

760. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हेमन्त कुमार)

(1) क्या यह सही है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ब्लाक अनूपगढ़ (श्री गंगानगर) के ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के आदेश निदेशक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने दिये थे? यदि हां, तो कब किस सम्बन्ध में? जांच आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच कब किसके द्वारा कितने समय में की गई जांच में क्या परिणाम रहा? उक्त जांच जिला कलक्टर से निदेशक को कब मिली एवं सरकार को कब भेजी गई एवं उक्त पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को जांच किये जाने हेतु पत्र दिनांक 26.8.2002 को लिखा गया था। जांच आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 से 4 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त जांच लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास अभिकरण श्रीगंगानगर द्वारा 55 दिवस में पूर्ण की गई। जांच में ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) को दोषी पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट निदेशक, डी.पी.ई.पी. को दिनांक 15.3.2003 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "5" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी (जयपुर) द्वारा विकास फण्ड का दुरुपयोग

761. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी झालाना फेज-III जयपुर में गत पांच वर्षों में विकास फण्ड के नाम पर छात्र/छात्राओं से राशि ली गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) उक्त अवधि में उक्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय विकास फण्ड किन-किन कार्यों में व्यय किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय विकास फण्ड किस-किस मद में खर्च किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक विकास फण्ड में ली

(शिक्षा मंत्री)

गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1998–99 से 2002–2003 तक की अवधि में विकास फण्ड में से व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) विद्यालय विकास फण्ड का व्यय विद्यालय विकास समिति के निर्णयानुसार किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय खटुकड़ा (पाली) में रिक्त पद

762. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौन–कौनसे पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय खटुकड़ा (पाली) में भी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक रिक्त पदों को भरने का विचार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, शारीरिक शिक्षक II ग्रेड एवं शारीरिक शिक्षक III ग्रेड, वरिष्ठ लिपिक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं लेब बॉय के पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को विभिन्न विषयों की 1281 पदों हेतु अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की वर्तमान वेतन श्रृंखला 5500–9000 तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.7.1998 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की परिधि में आने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय पदोन्नति समिति पर लगाई गई रोक 28.12.2002 को हटाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। शेष भाग बिन्दु संख्या 02 के अनुसार ही।

जिला श्रीगंगानगर में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के तहत पैराटीचर्स की नियुक्ति

763. श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा

(श्री सोहन नायक)

परियोजना में जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2002–2003 में कोई पैराटीचर की नियुक्तियां की है? यदि हां, तो कितने पैराटीचर लगाये और नियुक्तियों का क्या मानदण्ड रखा? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त द्वारा जिला श्रीगंगानगर में पैराटीचरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गों की नियमानुसार नियुक्तियां की गई है?

(3) क्या उक्त के चयन से पूर्व पदों की संख्या एवं स्थान की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने दिन पहले और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2002–2003 में डी.पी.ई.पी. की चयन प्रक्रियानुसार कुल 330 पैराटीचर का चयन किया गया। पैराटीचर की नियुक्तियों के मानदण्ड की प्रतियां परिशिष्ट "क" एवं चयनित पैराटीचर्स की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। चयनित आशार्थियों का वर्गवार विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित किया गया है।

(3) जी हां। चयन प्रक्रिया के 16 दिवस पूर्व स्थानीय अखबारों में प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी की गई थी एवं समाचार पत्रों में 4 दिन पूर्व प्रकाशित हो गई थी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग में मृतक आश्रित कोटे में अनियमित नियुक्ति प्रकरण

764. श्री नानकराम जगतराय (अजमेर-पश्चिम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ने दिनांक 22.1.1998 को मृत राज्य कर्मचारी आश्रित कोटे में दोहरी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में किस अधिकारी/कर्मचारी को क्या आदेश/निर्देश जारी किये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कार्मिक (क–2) विभाग की आई.डी. संख्या 7/डी.ओ.पी./ए./1998, दिनांक 16.1.1998 को कोई आदेश/पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त आदेश पत्र किस संदर्भ में है?

(3) क्या उक्त आदेश/पत्र पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन–कौन है तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। जारी पत्र (आदेश/निर्देश) की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त राय मृत राज्य कर्मचारी स्व. श्री रामनिवास दूबे के दो आश्रितों को अनियमित नियुक्ति दिये जाने पर, एक आश्रित श्री चन्द्र प्रकाश दुबे को सेवा से बरखास्त करने के सन्दर्भ में है।

(3) जी हां। पत्र दिनांक 22.1.1998 की पालना में श्री चन्द्र प्रकाश दुबे वरिष्ठ लिपिक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.4.1998 जारी किया गया। इस नोटिस के विरुद्ध श्री चन्द्र प्रकाश दुबे ने सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अजमेर नगर, उत्तर अजमेर के समक्ष एक सिविल वाद संख्या 101/98 दायर किया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.4.1998 में निर्णय देते हुए अप्रार्थीगण को आदेश दिये कि प्रार्थी की सेवाएं कारण बताओ नोटिस के आधार पर समाप्त नहीं करें। विभाग द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद माननीय न्यायालय द्वारा 30.8.2002 को खारिज कर दिया, तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय ने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रभावहीन मानते हुए खारिज कर दिया। विभाग द्वारा सी.सी.ए., नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए श्री चन्द्र प्रकाश दुबे को सीसीए. नियम-1958 के नियम-16 के तहत ज्ञापन मय आरोप-पत्र, आरोप विवरण पत्र 8.3.1999 से जारी किया। वर्तमान में सी.सी.ए.-16 के तहत जांच विचाराधीन है।

(4) दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है। श्री चन्द्र प्रकाश दुबे दिनांक 30.6.1978 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त हुए थे, उस समय तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर के पद पर डा. सी.एल. जोशी कार्यरत थे, जिनका अतिरिक्त निदेशक, बीकानेर के पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के काश्तकारों को नियम विरुद्ध जारी मांग-पत्र

765. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने उपभोक्ताओं ने कहां-कहां अपने कुओं को पुन: विद्युतीकरण हेतु आवेदन किया है?

(2) उक्त में प्रत्येक कुएं हेतु कितनी राशि का "डिमांड-ड्राफ्ट" प्रेषित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि पुन: उसी कुएं पर कनेक्शन जारी किए जाने हेतु,

(ऊर्जा मंत्री)

दोबारा पोल तथा तारों का खर्चा लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली से सम्बन्धित उपखण्ड कोटपूतली में 23 एवं उपखण्ड पावटा में 30 उपभोक्ताओं ने पुनः विद्युतीकरण हेतु आवेदन किया है। ग्रामवार व संख्यावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जारी किये गये मांग पत्रों की राशि उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दी गई है।

(3) निगम के नियम आई.ए.–207 दिनांक 20.6.2000 के तहत जो कृषक अपने कुएं के कनेक्शन को 6 माह की समय सीमा में पुनः जुड़वाते हैं, उनसे कोई लाइन इत्यादि का खर्चा नहीं लिया जाता है। 6 माह से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम समय में जो कृषक अपना कनेक्शन पुनः जुड़वाना चाहते हैं उनसे पूर्व स्थापित लाइन में जो सामान अब चाहिए उसकी वास्तविक लागत लेकर पुनः स्थापित करने का प्रावधान है। जो उपभोक्ता 5 वर्ष से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वाना चाहते हैं, उनसे तखमीना नये कनेक्शन के अनुसार एल.टी. लैस प्रणाली के अनुसार बनाकर डिमाण्ड नोटिस दिया जाता है। इस प्रावधान में अकाल की स्थिति को देखते हुए 31.12.2002 तक छूट देकर 5 वर्ष से कम समयावधि वाले उपभोक्ताओं के प्रावधानों के अनुसार ही वास्तविक खर्चा लेने का निर्णय किया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जालौर में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों के विद्युतीकरण में व्यय राशि

766. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार ने जिला जालौर में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु कितनी राशि आबंटित की है?

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र (जालौर) में कितनी राशि व्यय की गई और किन–किन गांवों/शहरों में किन किन बस्तियों में विद्युत पोल कितनी मात्रा में दिए गए तथा कितनी लाइन खींची गई?

(3) उक्त राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई और कितनी शेष रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति की तीन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुसूचित जाति की दो बस्तियों में एल.टी. लाइन खींचने

(ऊर्जा मंत्री)

हेतु अनुमानित 150735/- रु. तथा अनुसूचित जनजाति की एक बस्ती के विद्युतीकरण हेतु 166000/-रु. का प्रावधान किया गया था।

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र जालौर में अनुसूचित जाति की दो बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 107588/-रुपये व्यय किये जाने थे जिनमें से 62184/-रुपये व्यय करके एक बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा दूसरी बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिस पर 45404/-रुपये व्यय होगा। एक अनुसूचित जनजाति की बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिस पर 166000/-रुपये व्यय हुए हैं। उपरोक्त कार्यों में लगाये गये पोल व खींची गई लाइन का विवरण निम्न प्रकार है:

बस्ती का नाम	पोलों की संख्या जिस पर लाइन खींची गई	अनुमानित लागत
सायला (नाथों एवं गडरिया लुहारों की बस्ती) (अनुसूचित जाति)	12	62,184/-रु.
सायला (मेघवालों का धोरा बस्ती)	9	45,404/-रु.
कुल योग	21	1,07,588/-रु.
रेवतड़ा (अनुसूचित जनजाति)	22	1,66,000/-रु.

(3) विधान सभा क्षेत्र जालौर में अनुसूचित जाति की एक बस्ती के विद्युतीकरण पर 62184/-रुपये व्यय किए गये हैं तथा दूसरी बस्ती के विद्युतीकरण पर 45404/- रुपये व्यय करना शेष है। अनुसूचित जनजाति (माडा योजना) के लिए प्राप्त राशि 166000/-रुपये से बस्ती का विद्युतीकरण कर पूरी राशि व्यय कर दी गई है।

पंचायत समिति शिव (बाड़मेर) के गांवों का कमीशन

767. **श्री अमीन खान** (शिव): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के कितने ग्राम चालू वर्ष में कमीशन किए जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति के ग्राम डलानाडा मखनकापार-अमीकापार-रोहीडाला-बनीयाली को कब तक कमीशन कराया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के निम्न 4 ग्रामों का वर्ष 2002-2003 में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है:

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	वस्तुस्थिति
1.	मॉझोली	17.1.67	कार्य प्रगति पर है।

(ऊर्जा मंत्री)

2.	मण्डालिया	17.1.73	अप्रैल, 02 में विद्युतीकृत किया गया।
3.	मोगेराई	17.1.35	फरवरी, 03 में विद्युतीकृत किया गया
4.	ओलेचा	17.1.138	कार्य प्रगति पर है

(2) उक्त पंचायत समिति के प्रश्न में वर्णित ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, विद्युत तंत्र स्थापना हेतु ज्यादा लागत के सापेक्ष कनेक्शनों की न्यूनतम मांग होने व साध्यता में कमी आदि कारणों से इन ग्रामों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आगामी वर्षों में किया जावेगा। समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत खानपुर (दौसा) में अनियमित विद्युत आपूर्ति

768. **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को ग्राम पंचायत खानपुर तहसील दौसा में श्री केदार नाथ शर्मा पुत्र श्री जौहरी लाल शर्मा ग्राम खानपुरा पो. लवाण तहसील दौसा में प्रशासन गांवों के संग अभियान में विद्युत विभाग में वोल्टेज नहीं बनने सम्बन्धी समस्या का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रार्थी के उक्त आवेदन पत्र के निस्तारण के रूप में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (लवाण) दौसा ने मौके पर वोल्टेज नहीं बनाना स्वीकार किया था और 15 दिवस में समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की समस्या का निस्तारण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री केदार नाथ पुत्र श्री जौहरी लाल शर्मा ग्राम खानपुरा तहसील दौसा द्वारा वोल्टेज नहीं मिलने सम्बन्धी शिकायत प्रशासन गांवों के संग अभियान में दर्ज कराई गई थी। उनकी शिकायत की जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाली 33 के.वी. लाइन में वोल्टेज कम प्राप्त हो रहे हैं। 33 के.वी. के वोल्टेज बढ़ाने हेतु 220 के.वी. जी.एस.एस., दौसा में स्थापित ट्रांसफार्मर को टेप चेंजर बढ़ाकर वोल्टेज को बढ़ा दिया गया था जिससे उस फीडर के समस्त उपभोक्ताओं की कम वोल्टेज आने की समस्या दूर हो गई थी।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। कनिष्ठ अभियन्ता (लवाण) मौके पर वोल्टेज चैक करने गये थे तथा उपभोक्ता को वोल्टेज बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। इसके अनुसार 220 के.वी. जी.एस.एस. से ट्रांसफार्मर की टेप चेंजर बढ़ाकर वोल्टेज को बढ़ा दिया गया था।

(3) उक्त उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

वार्ड पंच ग्राम आभावास (सीकर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

769. **श्री कनकमल कटारा** (सागवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या वार्ड पंच, वार्ड संख्या 5 ग्राम-आभावास (सीकर) के दो से अधिक संतान हैं? यदि हां, तो सरकार ने उक्त तथ्य छुपाने पर उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.2.2003 के अनुसार वार्ड पंच संख्या 5 ग्राम पंचायत आभावास के 2 से अधिक संतान हैं। इस संदर्भ में जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.2.2003 को सम्भागीय आयुक्त को प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त के यहां विचाराधीन है।

पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद में ग्यारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत राशि का आवंटन

770. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद (बारां) में ग्यारहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि, किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई? उक्त राशि का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण किस-किस दिनांक को किया गया है?

(2) उक्त राशि में से किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गई? आय-व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबडा व छीपाबड़ौद (बारां) में ग्यारहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त राशि मय दिनांक तथा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने की दिनांक का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय राशि मय स्वीकृति दिनांक के परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

गांव साम्भरवाड़ा (पाली) का सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

771. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति बाली की ग्राम पंचायत कूरण में वर्ष 1995 के बाद पंचायत द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कहां-कहां पर करवाये गये उनकी लागत क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में से कितने कार्य अपूर्ण रहे व उसका क्या कारण रहा है?

(3) क्या पंचायत कूरण के गांव सांभरवाड़ा में कोई सामुदायिक भवन बनाया गया है? यदि हां, तो उसकी निर्माण सम्बन्धी स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्यों की स्थिति एवं लागत का विवरण संलग्न है। अनुसूची 'अ'

(2) 1995 का कोई कार्य अपूर्ण नहीं रहा है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत कूरण में ग्राम सामरवाड़ा नहीं है। ग्राम सामरवाड़ा ग्राम पंचायत काकराड़ी में स्थित है। (ग्राम का मूल नारा साकड़ा है) इस ग्राम में दो सामुदायिक भवन निर्मित है। जो निम्नानुसार है :-

1. सामुदायिक भवन
   (एम.पी.एल.ए.डी. योजना)
   स्वीकृत राशि रु. 0.70 लाख
2. सामुदायिक भवन सांकड़ा
   (एम.एल.ए.डी.)
   स्वीकृत राशि रु. 1.00 लाख

   दोनों कार्य पूर्ण है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

ग्राम पंचायत जीवद (सवाई माधोपुर) के सरपंच के विरुद्ध विकास कार्य की बकाया राशि

772. श्री रेवंतराम पंवार (नोखा) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 फरवरी, 2000 को नियुक्त ग्राम पंचायत जीवद, तहसील बामनवास के सरपंच के विरुद्ध दिनांक 4 फरवरी, 2000 के पश्चात करवाये गये विकास कार्यों की कुल कितनी बकाया राशि निकाली गई तथा कितनी बकाया राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध बकाया राशि के लिए उस समय कार्यरत

(श्री रेवंतराम पंवार)

ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत जीवद भी जिम्मेदार था? यदि हां, तो उक्त सचिव के विरुद्ध कब–कब तथा क्या–क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2000 के पृष्ठ संख्या 10 बिन्दु संख्या 90 में पंचायत के कार्यों एवं लेन–देन के लिये सरपंच एवं सचिव को जिम्मेदार ठहराया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2000 के पश्चात् पूर्व सरपंच के विरुद्ध निकाली गई बकाया राशि की वसूली नहीं होने के लिये कौन–कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरपंच पर बकाया राशि निकलने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो बकाया राशि की वसूली के लिये उसकी चल व अचल सम्पत्ति नीलाम करके बकाया राशि प्राप्त की जाती है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत जीवद के पूर्व एवं मृत सरपंच की बकाया राशि कब तक किस प्रकार वसूल की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 4 फरवरी, 2000 के पश्चात् कराये गये विकास कार्यों की कुल 3,98,620/–रुपये की राशि सरपंच के विरुद्ध बकाया निकाली गयी है। उक्त राशि में से सरपंच की मृत्यु होने के कारण अब तक कोई वसूली नहीं हुई है। नियमानुसार वसूली की कार्यवाही वारिसान से जारी है।

(2) जी हां। इस हेतु जिम्मेदार ग्राम सेवक एवं पदने सचिव, ग्राम पंचायत जीवद के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 15.3.2002 को जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(3) जी हां। पंचायत के कार्य एवं लेन–देन के लिए सरपंच एवं सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। वर्ष 2000 के पश्चात् पूर्व सरपंच के विरुद्ध निकाली गयी बकाया राशि की वसूली उक्त सरपंच की अचानक मृत्यु होने के कारण नहीं की जा सकी थी। अब उक्त राशि वसूली की कार्यवाही उनके वारिसान से करने की कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त वसूली कार्य में हुए विलम्ब के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं ग्रुप सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत जीवद के पूर्व एवं मृत सरपंच की बकाया राशि उनके वारिसान से नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु पी.डी.आर.एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति/जनजाति के निलम्बित जनप्रतिनिधि

773. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में प्रधानों, जिला प्रमुखों व सरपंचों को निलम्बित एवं बरखास्त किया गया है? यदि हां, तो निलम्बित प्रधानों एवं जिला प्रमुखों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निलम्बित एवं बरखास्त प्रधानों, जिला प्रमुखों एवं सरपंचों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्ति शामिल है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में गत चार वर्षों में जिला प्रमुखों एवं प्रधानों तथा सरपंचों को राजनैतिक आधार पर निलम्बित एवं बरखास्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निलम्बित प्रधानों, जिला प्रमुखों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त में अनुसूचित जाति/जनजाति के निलम्बित एवं बरखास्त प्रधानों, जिला प्रमुखों एवं सरपंचों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जांच कराये जाने पर आरोप प्रमाणित होने एवं आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए ही निलम्बन एवं बरखास्त करने की कार्यवाही की गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

पंचायत समिति सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) के अधीन हैण्ड पम्प मिस्त्रियों का बकाया वेतन

774. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) के अधीन 49 हैण्ड पम्प मिस्त्री कार्यरत थे? क्या समानीकरण के तहत 11 मिस्त्री पंचायत समिति बिंछीवाड़ा (डूंगरपुर) में भेजे गये और बिछीवाड़ा से उक्त मिस्त्रियों को अन्य जिलों में समायोजन हेतु भेजा गया, और बिछीवाड़ा के मिस्त्री न्यायालय से स्टे मिलने पर वापस यथा स्थान पर बिछीवाड़ा आये तथा उन्हें नियमित रूप से वेतन भी दिया जा रहा है? क्या 11 व्यक्तियों ने राज्य सरकार के आदेश के तहत बिछीवाड़ा में ड्यूटी देने पर उन्हें करीब 8-10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है एवं 4 मिस्त्रियों को सीमलवाड़ा से रिलीव नहीं किया गया है? क्या 15 व्यक्तियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त 15 हैण्ड पम्प मिस्त्रियों का भुगतान करने का विचार

(श्री शंकर लाल अहारी)

रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुन: समानीकरण के तहत भेजे गये 15 हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को नियमित रूप से यथावत पंचायत समिति सीमलवाड़ा में लगाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होने से 15 हैण्ड पम्प मिस्त्रियों का वेतन भुगतान लम्बित चल रहा है।

(2) जी हां। न्यायालय से स्थगन निरस्त होने पर वेतन भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(3) मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पुन: समानीकरण पर विचार करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत उदगांव (सवाईमाधोपुर) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

775. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत उदगांव जिला सवाईमाधोपुर द्वारा मार्च, 2000 से फरवरी, 2003 तक कितने-कितने निर्माण कार्य करवाये हैं?

(2) उक्त अवधि में उक्त ग्राम पंचायत का आय व्यय कितना रहा है? खर्च वाउचर वर्ष 2000 से फरवरी, 2003 तक के आंकड़े निर्माण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2001 से फरवरी, 2003 तक उक्त ग्राम पंचायत में कितने राशन कार्ड बनाये गये और कितनी राशि जनता से वसूल की गई और प्राप्त राशि किस कार्य पर व्यय की गई? राशन कार्ड रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत उदगांव में वर्ष 2000 से फरवरी, 2003 तक 20 निर्माण कार्य करवाये गये। कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत उदगांव के आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। खर्च वाउचर वर्ष 2000 से फरवरी, 2003 तक के निर्माण आंकड़े आदि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'स')

(3) ग्राम पंचायत उदगांव द्वारा वर्ष 2001 से फरवरी, 2003 तक कुल 1108 राशन कार्ड बनाये गये। उक्त राशन कार्डों से 12290/- रुपये राशि प्राप्त हुई। उक्त राशि में से 10230/-रुपये दिनांक 26.4.2002 को पंचायत समिति में जमा कराये। शेष राशि रुपये 2060/-सरपंच, पंच व चपरासी के मानदेय पर व्यय की गई। राशन कार्ड रजिस्टर की प्रति सदन

(पंचायती राज मंत्री)

की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'द')

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच ग्राम अरनियामाल (टौंक) द्वारा निर्मित ग्रेवल सड़क का भुगतान

776. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) एवं **श्री सांवर लाल** (भिनाय): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, टौंक के पत्र क्रमांक 7574/सहायता/2002, दिनांक 25.5.2002 द्वारा वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 17 के द्वारा क्रम संख्या 1 पर ग्रेवल सड़क अल्लापुरा से चन्दलाई का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति टौंक द्वारा उनके पत्रांक एसपीएल-1-18 दिनांक 29.5.2002 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अरनियामाल को उक्त कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला टौंक के प्रभारी मंत्री, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, टौंक द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2002 को जून, 2002 में स्वीकृत पूर्ण ग्रेवल सड़क कार्य का निरीक्षण करने के पश्चात् भी सरपंच द्वारा कराये गये ग्रेवल सड़क सामग्री कार्य का भुगतान राजनैतिक द्वेषता के कारण नहीं किया गया? यदि हां, तो कब तक मेजरमेंट व बकाया भुगतान कर दिया जायेगा? भुगतान में एवं मेजरमेंट के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत अरनियामाल के द्वारा जिला कलक्टर टौंक को पत्र प्राप्ति संख्या 3146/25.1.2002 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति टौंक द्वारा मेजरमेंट नहीं करने व बकाया भुगतान नहीं करने के लिए लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) उक्त कार्य सम्वत् 2058 में स्वीकृत कराया गया था तथा अपूर्ण रहने के कारण 2059 में पुनः स्वीकृत किया गया। प्रभारी मंत्री, उपखण्ड अधिकारी,

(सहायता मंत्री)

विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 23.9.2002 को अकाल राहत सम्वत् 2059 में दिनांक 17.8.2002 से चल रहे मिट्टी कार्य का निरीक्षण किया गया था तथा उस दिन तक ग्रेवल नहीं डाली गई थी। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार 2058 की अवधि में उक्त सड़क पर ग्रेवल कार्य पंचायत द्वारा नहीं किया गया। अतः राहत मद से सामग्री कार्य का सम्वत् 2058 में भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी हां। सरपंच अरनियामाल द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र की प्रति संख्या 3146 दिनांक 25.9.2002 है। इस मामले में कलक्टर के आदेश दिनांक 8.10.2002 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी टौंक, श्री अरुण महेश्वरी, सहायक अभियन्ता, संयुक्त निदेशक, कृषि प्रशिक्षण संस्थान, टौंक की कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिये थे। इसी दौरान श्री महेश्वरी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर.डी.मीणा, सहायक अभियन्ता, रा.रा. मार्ग–12 को उपखण्ड अधिकारी टौंक के साथ जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 1.2.2003 को आदेश दिये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में चल रही योजनाओं का मूल्यांकन

777. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में महिला एवं बाल विकास अभिकरण की कौन–कौनसी योजनाएं चालू हैं? उक्त योजनाओं के लिए वर्ष 2001–2002 में कितनी–कितनी राशि किस–किस योजना तथा किन–किन प्रवृत्तियों पर व्यय की गई?

(2) क्या उक्त योजनाओं का कभी बाहरी मूल्यांकन भी करवाया गया है? यदि हां, तो उसका क्या मूल्यांकन है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में महिला एवं बाल विकास अन्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना
2. महिला विकास कार्यक्रम

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष आयु के बच्चे गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निम्न सेवाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही है।

(i) पूरक पोषाहार (ii) टीकाकरण (iii) स्वास्थ्य जांच (iv) पोषाहार एवं स्वास्थ्य

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

शिक्षा (v) शाला पूर्व शिक्षा (vi) संदर्भ (रेफरल) सेवाएं,

महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न सेवाएं संचालित की जा रही है।

(i) बालिका समृद्धि योजना (ii) सामूहिक विवाह अनुदान (iii) स्वयं सहायता समूह वर्ष 2001-2002 में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बालिका समृद्धि योजना, सामूहिक विवाह अनुदान, स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत परियोजना स्तर पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

रामगढ़ (अलवर) के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

778. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) में वर्तमान में कौन व्यक्ति सी.डी.पी.ओ. के पद पर कब से कार्यरत है?

(2) उक्त अधिकारी ने अपने कार्यकाल में किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों का किन-किन तारीखों में निरीक्षण किया तथा उनमें क्या कमी पाई गई और सुधार हेतु क्या दिशा निर्देश दिये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

(3) उक्त क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं तथा विभागीय निर्देशों के अनुसार कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का इस अवधि में उन्हें निरीक्षण करना आवश्यक था?

उत्तर

(1) वर्तमान में पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) में श्री गंगाशरण गुप्ता-18 अक्टूबर, 2001 से सी.डी.पी.ओ. के पद पर कार्यरत है।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का दिनांकवार विवरण एवं निरीक्षण के समय पाई गई कमियों एवं सुधार हेतु दिये गये निर्देश तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) परियोजना क्षेत्र रामगढ़ में 162 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है एवं वर्तमान में 159 केन्द्र संचालित है विभागीय निर्देशों के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी को एक माह में 88 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिनमें 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने के आदेश है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 मार्च, 2003)

ग्राम पंचायत कानाना (बाड़मेर) के सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर सहायता

212. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिस पंचायत का चुनाव निर्विरोध होता है उस पंचायत को दो लाख रुपये विकास हेतु देने का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य में ऐसी कौन-कौनसी पंचायतें हैं जिनका निर्विरोध चुनाव हुआ और उनको दो-दो लाख रुपये दिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही कि जिला बाड़मेर की ग्राम पंचायत कानाना के सरपंच का चुनाव निर्विरोध हुआ था क्या उक्त पंचायत को दो लाख रुपये विकास हेतु इनाम दिये गये? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये 2.00 लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त राहत कार्य करवाये जावे, जिससे की उन ग्राम पंचायतों में स्थाई परिसम्पत्तियों को निर्माण हो सके। राज्य में ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है एवं उन्हें 2.00 लाख रुपये तक की लागत के अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी गई हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जिन जिलों को स्वीकृतियां नहीं दी उन्हें लिखा जा रहा है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत कानाना के सरपंच का चुनाव निर्विरोध हुआ हैं लेकिन कानाना ग्राम पंचायत सम्वत् 2057 में अभावग्रस्त नहीं थी इस कारण उक्त ग्राम पंचायत में 2.00 लाख रुपये के अतिरिक्त कार्य अकाल राहत के तहत नहीं कराये जा सके। विकास हेतु धनराशि राहत मद से प्रदान करने को कहा जा रहा हैं यदि यह गांव अभावग्रस्त है तो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 मार्च, 2003)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांव में राहत कार्य

220. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांव में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? सूची ग्रामवार मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में राहत कार्य के अन्तर्गत अभाव वर्ष सम्वत् 2056, 2057 व 2059 में निष्पादित कार्यों की सूचियां मय लागत विवरण के सदन के पटल पर रख दी गई है। सम्वत् 2055 (वर्ष 1998–99) की सूचियां कम्प्यूटर में उपलब्ध नहीं होने के कारण संकलित करने में काफी समय एवं श्रम की आवश्यकता होगी अतः उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। (परिशिष्ट–1, 2, 3)

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 2003)

उप निदेशक (शिक्षा) जयपुर में वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची

317. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर में वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची कब तक की प्रकाशित की गई है? वर्ष 1974–75 से कनिष्ठ लिपिक एवं वर्ष 1981 से 1986 तक की वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद कितने कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु आपत्तियां प्रस्तुत की थीं?

(3) उक्त वरिष्ठता सूची में से कब–कब कितने लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायकों के पदों पर पदोन्नत किया गया?

उत्तर

(1) शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर में वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची 31.3.1996 तक की प्रकाशित की गई है। 1974–75 से कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूचियां 81 से 86 तक की पुस्तक की शक्ल में बाइंडसुदा हैं। अतः इनकी प्रतियां करवाने का कार्य श्रम, व्यय एवं समय साध्य है। इस प्रकार सूचियां सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं होगा।

(2) 293 कनिष्ठ लिपिकों एवं 125 वरिष्ठ लिपिकों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई।

(3) उक्त वरिष्ठता सूचियों में से जिन-जिन वर्ष में जितने-जितने कनिष्ठ लिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों को उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां की गई का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–26 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा के परीक्षा केन्द्रों का अन्तिम क्षणों में परिवर्तन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डोला का बास के खेल के मैदान में किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से शिक्षा सेवा के प्राध्यापक को वेतन भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेंटर आखिरी क्षणों में चैंज किये जा रहे हैं, नकल करवाई जा रही है, हेराफेरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। श्री सांवर लाल, आसन पैरों पर, आप बैठिए।

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों की अविश्वसनीयता पैदा हो रही है, इससे ज्यादा और क्या लोक महत्व का होगा?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, बैठिए आप। अतः अनुमति देने के असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

व्यवस्था

अभिव्यक्ति का अपलोपन

दिनांक 24 मार्च, 2003 को प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 418 के प्रश्नोत्तर के समय अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वक्फ राज्य मंत्री श्री हबीबुर्रहमान द्वारा निम्न शब्दों/अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया "भारतीय जनता पार्टी को भी चन्दा दिया इसी पैसे से उगाह कर" तथा "जो कमेटियां बनाई उनसे लाख-लाख रुपये भी लिये।"

उपरोक्त अभिव्यक्तियां तथा उसके पश्चात् दोनों ही पक्षों की ओर से जो असंसदीय शब्द एवं अभिव्यक्तियां प्रयोग में ली गई हैं, को मैं 24 मार्च, 2003 की कार्यवाही से विलोपित करने की व्यवस्था देता हूं।

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि आज बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड का सैक्रेटरी सस्पैंड हो गया है। जोधपुर में यू.आई.टी. के चेयरमैन की जो बच्चियां हैं उनका भी सेंटर चैंज किया गया। लड़कियों के स्कूल की जगह पर लड़कों को स्कूल में जहां पर उनका कोई सब्जैक्ट नहीं है, वहां पर बैठाकर उनको परीक्षा दिलवाई जा रही है। पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को इस व्यवस्था पर असंतोष हो रहा है, उनको विश्वास नहीं है कि वास्तव में फेयर एग्जामिनेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। इस पर व्यवस्था हो गई, आप बिराजिए। व्यवस्था हो गई इस पर। अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी माननीय अध्यक्ष ने, आप बिराजिए। आपका जवाब आया नहीं है। जवाब आ जाता है, कल आपको बोलने की इजाजत देंगे।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन जवाब...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आया नहीं है। कल जवाब आ जाएगा, आपको बोलने की अनुमति देंगे कल।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आज आ जाए, कल आ जाएगा।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जवाब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब कब आएगा, यह तो निश्चित करें ना।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी व्यवस्था दे दी गई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोले जाओ, क्या फायदा होगा?

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। बिराजिए।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन आपसे यह है कि बोर्ड परीक्षा में जिस ढंग से अंतिम क्षणों में सेंटर चैंज कर नकल करवाई जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, व्यवस्था दे दी, अब क्या करोगे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड आप सुन लें। उसके कारण से सारे बच्चों में क्योंकि ये जितने भी सेंटर बदल रहे हैं सब नकल के लिये बदले जा रहे हैं और बिलकुल नियम विरुद्ध बदले जा रहे हैं। आप मंत्री महोदय से पहले इस बारे में एक स्टेटमेंट दिलवा दो। सेंटर चैंज किये हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को परीक्षा है। 19 तारीख को सेंटर फैक्स के आधार पर चैंज होकर कापियां जा रही है। जहां वह विषय नहीं है, जहां उन बच्चियों का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार से हो रहा है। प्रभावशाली यू.आई.टी. के चेयरमैन की दोनों लड़कियों को उन्हीं के स्कूल में एडमिशन दिलाकर नकल करवाई जा रही है। बोर्ड का जो सैक्रेटरी है वह भी अपने लड़कों को इसी प्रकार से सेंटर चैंज करा कर नकल कराता हुआ पकड़ा गया और सस्पैंड हुआ है। ऐसे एक-दो नहीं, कई सेंटर बदले गये हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, अपनी ओर से आप एक स्टेटमेंट दें।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नौजवानों के भविष्य का सवाल है। अजमेर में भी यही हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बोर्ड के अंतिम क्षणों में सेंटर बदले हैं, इन 15-20 दिनों में सेंटर चैंज किये हैं लोगों के उनमें नकल से मेहनत करते हैं उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कापियां अलग जा रही हैं, कापियों को भले ही बाद में नई तैयार करके कोई पैक कर दे डाक से कापियां आ रही हैं जबकि बण्डल सेंटर पर इकट्ठे होते हैं। पहली बार ऐसी अनियमितता हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वयं मंत्री अपनी तरफ से स्टेटमेंट देवें और इस पर चर्चा कराएं ताकि 7 लाख बच्चों को इस बात का एहसास हो सके कि हमारे साथ भी न्याय होगा। बड़े लोगों के बच्चों को नकल कराने के लिये जो सेंटर बदले जा रहे हैं, यह जोधपुर की घटना आपके सामने आ गई है, और कई जगह की आ रही है। कृपया आप स्टेटमेंट दें और उस पर चर्चा कराएं।

श्री अरुण सिंह : मंत्री महोदय, आप जवाब दें इसका। आपने जो सैक्रेटरी सस्पैंड किया उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिए, बिराजिए। इसका तो जवाब दे दें पहले।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मंत्रीजी, वास्तव में यह मामला बहुत गम्भीर है और अनेक दफा इस पर अखबारों के जरिये, दूसरे जरिये से आपको सूचना प्राप्त हो रही है। एक सैक्रेटरी अपने लड़के को उसकी वाइफ के माध्यम से परीक्षा दिलवाए, मैं समझता हूं इससे ज्यादा गम्भीर बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर सारी जानकारी प्राप्त कर के सदन में आज दें, कल दें, जैसी आपको सुविधा हो इस पर स्टेटमेंट दें।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सैक्रेटरी को सस्पैंड कर चुके हैं और मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : कल जीरो आवर के बाद मैं स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी. डी. कल्ला साहब जब भी शिक्षा मंत्री रहे, यही घोटाले हुए, इसीलिए इनको हटाया गया था।

डा. बी. डी. कल्ला : यह क्या घोटाला है? बोर्ड आटोनामस बाडी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जानकारी की कुछ सीमा आप निर्धारित करें क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूलिंग पार्टी के एम.एल.एज. वहां पहुंच गये इस समाचार के आधार पर। जो मेरा मोशन है अभी उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की कह रहे हो न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी आते ही आपको बोलने की इजाजत दे देंगे। आपको और सुराना साहब दोनों को बोलने की इजाजत दे देंगे। जैसे ही सरकार से जानकारी आएगी, आपको बोलने देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन कुछ सीमा तो निर्धारित करें। जानकारी आने की सीमा तो होनी चाहिये न। तीन–तीन, चार–चार दिन हो गये, सरकार जानकारी ही नहीं देगी।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी मंगवाते हैं। व्यवस्था कराते हैं इसकी, जल्दी मंगवाते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल का निर्धारित करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : We'll try.

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील बिलाड़ा के ग्राम भावी के एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने के प्रकरण की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम तबीजी की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वसूली की जा रही है। इस खरीफ के मौसम में जिसमें पूरे राजस्थान में 41 हजार गांवों में अकाल है और मेरे यहां सिंचित क्षेत्र में अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, खरीफ की फसल की वसूली मय पिछली चार फसलों के जो कि हुई नहीं, उनके बारे में मैंने 127 का नोटिस प्रक्रिया के नियमों में दे रखा है, कई दिन हो गए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसको कल लिस्ट कराने की कृपा करें ताकि मैं विधिवत उस पर कुछ कह सकूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे निवेदन किया, इसका आपने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : स्थगन नहीं है मेरा, 127 है।

श्री उपाध्यक्ष : दिया है ना? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा तो 127 है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। अध्यक्ष महोदय ने उस पर कहा कि जानकारी आते ही आपको बोलने की इजाजत दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा तो 127 का प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): आप 127 का यहां कैसे डिस्कस करेंगे? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : चार्ट ड्यूरेशन के लिए...(व्यवधान) मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं, लिस्ट आफ बिजनस में लिस्ट किया जाए। आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सदन में कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या मुझे यहां निवेदन करने का अधिकार नहीं है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं है, तो आप अभी अध्यक्ष नहीं हैं, अभी आप मंत्रीजी की कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने अधिकारों की सीमा में रहें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों को पढ़ो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अपने अधिकारों की सीमा में रहें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप नियमों को पढ़ो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो 127 का दिया है उसकी सरकार से जानकारी आ रही है जानकारी आने के बाद उसको लगाने की व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान) जानकारी तो आ जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा नम्र निवेदन है, आप इसको लगाने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव माननीय मानिक चन्द सुराना और मैंने दिया है, उस पर व्यवस्था आना शेष है, इसको दिए हुए काफी दिन हो गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

(3) श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (49), सदस्य की ओर से राज्य के विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब राजस्थान में 6 मार्च को सारी रेट्स अखबारों में जारी कर दी गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (4) श्री हेमन्त कुमार (196), सदस्य की ओर से भू-जल विभाग द्वारा किसानों को भू-जल होने की जानकारी देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन में ...(व्यवधान) बिना बताएं सारी रेट्स एक अप्रैल से लागू होनी हैं, वह जब जारी कर दी हैं, वित्त मंत्री महोदय ने, अखबारों में प्रकाशित हो गईं, सदन को जानकारी नहीं है, इससे बड़ा विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव और क्या होगा? (व्यवधान) इस सदन को जानकारी नहीं है, अखबारों में प्रकाशित कर दी। (व्यवधान) नफा नुकसान में प्रकाशित कर दी, सैंट्रल इण्डियन मानिटरिंग में प्रकाशित कर दी (व्यवधान) हमें कल यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठाने की भी अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (5) श्री अशोक (7) सदस्य की ओर से सूचना एवं जन

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्पर्क विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग पदों को भरने में आरक्षण नियमों की कथित अवहेलना के सम्बन्ध में।

(6) श्री मंगलाराम गोदारा (108), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन लम्बित होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मांगीलाल गरासिया (115), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(8) श्री संजीव बेनीवाल (173), सदस्य की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय नोहर को पूरी प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमराराम धोद (3), सदस्य की ओर से नगरपालिका साम्भरलेक में देवयानी सरोवर के जीर्णोद्धार कार्य में हुए कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(10) श्री घनश्याम जैन (36), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के रावतभाटा बेगूं व लाडपुर के चिकित्सालयों में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री केसाराम चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बिलाड़ा तहसील से जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र की जांच

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि देवाराम पुत्र श्री उदाराम जाति भाट निवासी भावी एस.बी. में खसरा नम्बर 938 रकबा 8 बीघा, बिस्वा बारानी दोयम स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में जाति भाट है, जबकि उक्त देवाराम द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से क्रम संख्या : 99/63 दिनांक 6.7.1999 को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपनी वास्तविक जाति को छिपा कर प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार का कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार की गलत कार्यवाही के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर/तहसीलदार बिलाड़ा को क्षेत्र की जनता द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 को लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधिकारियों द्वारा अपने द्वारा किये गए गलत कार्य को छुपाने की दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की गई इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि सर्वप्रथम इस प्रकरण में यह जांच करवाई जाए कि श्री देवाराम भाट की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में है

(श्री केसाराम चौधरी)

तो अधिकारियों द्वारा किस आधार पर उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि राजस्व रिकार्ड में स्पष्ट उसकी जाति भाट दर्शायी गई है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं समुचित जांच करवाई जाए और इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। श्री भाट को अनुसूचित जाति के गलत तरीके से दिये गए प्रमाण पत्र को अविलम्ब निरस्त किया जाए और उसके द्वारा इस प्रमाण पत्र का जहां–जहां दुरुपयोग किया गया है उसकी विस्तृत जांच करवाकर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में स्थित ग्राम तबीजी की पेयजल समस्या

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम तबीजी की आबादी करीबन 4 हजार है। यह ग्राम नगर परिषद् अजमेर की पैराफेरी सीमा के अन्दर आता है। इस ग्राम में जलदाय विभाग की पेयजल योजना चल रही है, परन्तु इस भीषण अकाल में सभी ट्यूबवैल तथा अन्य जल स्रोत सूख गये हैं। विभाग ने एक ट्यूबवैल को गहरा करवाया था जिसमें भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। जो पानी थोड़ा बहुत मिला है वह भी फ्लोराइडयुक्त होने के कारण ग्रामवासियों के पीने के काबिल नहीं है जिससे गांव में पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है।

जिला प्रशासन टैंकरों द्वारा पानी की पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है परन्तु इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामवासियों ने मांग की थी कि ट्रांसपोर्ट नगर-अजमेर जहां पर पानी की ओवरहैड टंकी बनी हुई है, वहां तक बीसलपुर का पानी जा रहा है, टंकी से ग्राम तबीजी तक पाइप लाइन पड़ी हुई है, ग्रामवासियों का कहना है कि यदि ट्रांसपोर्ट नगर अजमेर से बीसलपुर का पानी अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए यदि दे दिया जाए तो गांव की पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है। यहां से गांव को पानी देने के लिए एक इंच की पाइप लाइन डालने की जरूरत नहीं है, परन्तु जलदाय विभाग अजमेर को बार बार कहने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

गांव के निवासियों का यह भी कहना है कि ग्राम तबीजी से केवल एक किलोमीटर दूर ग्राम दौराई में बीसलपुर का पानी आ रहा है, तो उनके गांव को क्यों नहीं? ग्राम तबीजी की यू.आई.टी. अजमेर ने 1400 बीघा चरागाह जमीन बेच दी, ग्राम पंचायत को एक पैसा भी नहीं दिया। ग्राम तबीजी की जमीन में बाटलिंग गैस प्लांट लगा हुआ है, उस जमीन का

(श्री रमजान खान)

किराया भी यू.आई.टी. अजमेर वसूल कर रही है, गांव को एक पैसा भी नहीं दिया जाता। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या गांव को पीने का पानी नहीं दिया जा सकता?

इन सभी बातों से मजबूर होकर ग्रामवासी कई दिनों से जिला कलक्टर अजमेर के कार्यालय के बाहर रात-दिन के धरने पर बैठे हैं। यह प्रण कर रखा है कि जब तक ट्रांसपोर्ट नगर से गांव को पानी नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्रामवासियों की मांग वाजिब है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर अजमेर से गांव को 3 महीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना जरूरी है, अन्यथा कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में 400 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति कराने की घोषणा की थी। लम्बा समय व्यतीत होने के पश्चात् भी सरकार ने घोषित उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की। 3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात आज भी 189 पद उर्दू अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं। लम्बे समय तक स्वीकृत पद रिक्त रहने से विद्यार्थियों के अध्ययन में भारी रुकावट आ रही है।

मेरे धौलपुर व बाड़ी क्षेत्र में सरकार ने तृतीय श्रेणी के उर्दू अध्यापकों के मात्र 8 पद वर्ष 2000 में स्वीकृत किए थे। खेद की बात है कि इन स्वीकृत 8 पदों में से मात्र एक अध्यापक को नियुक्ति दी गई है। 7 पद अब भी रिक्त हैं।

यह सरकार घोषणा करने की आदी है। घोषणा करके यह सरकार उसको क्रियान्वित करना भूल जाती है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर उर्दू अध्यापकों के रिक्त पड़े 189 पद व वरीयता श्रेणी में रिक्त 8 पदों पर शीघ्र ही योग्य आशार्थियों को भर्ती करने हेतु आग्रह करता हूं।

सरकार ने अतिशीघ्र ही रिक्त पद नहीं भरे तो योग्यताधारी शिक्षक आन्दोलन करने को मजबूर होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार। (अनुपस्थित)

श्री अशोक। (अनुपस्थित)

श्री मंगलाराम गोदरा। (अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल गरासिया। (अनुपस्थित)

श्री संजीव बेनीवाल।

नोहर में खोले गये अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रशासनिक शक्तियां

श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि हनुमानगढ़ जिले में कुछ वर्ष पहले नोहर उप खण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोला गया था। उस समय से लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा प्रति माह लाखों रुपये इस कार्यालय पर खर्च किये जा रहे हैं, जबकि इस कार्यालय को अभी तक प्रशासनिक शक्तियां पूरी तरह से स्थानान्तरित नहीं हुई हैं। फलस्वरूप भादरा, नोहर क्षेत्र के ग्रामीणों, लोगों को अब भी 135 किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ आवागमन करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप नागरिकों को अनावश्यक यात्रा व्यय भुगताना पड़ रहा है। नोहर में पहले से उप खण्ड अधिकारी कार्यालय था, भादरा में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय अब खोला गया है।

अतः निवेदन है कि इन सभी परिस्थितियों के चलते अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, नोहर को जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जिला कलक्टर के समान प्रशासनिक शक्तियां स्थानान्तरित की जाएं। इससे जिला कलक्टर कार्यालय का कार्य भार कम होगा और नागरिकों को शीघ्र एवं सुविधापूर्ण स्थिति में न्याय और समाधान मिल सकेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम धोद। (अनुपस्थित) श्री घनश्याम जैन।

बेगूं में स्वास्थ्य सुविधाओं का खस्ता हाल

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र बेगूं सबसे पिछड़ा हुआ है। देश की आजादी के 55 वर्ष बाद भी निम्नांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व डिस्पेंसरीज की बड़ी खस्ता हालत है :

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा

रावतभाटा की आबादी करीब 50 हजार है। यहां राजस्थान अणु शक्ति की चार इकाइयां कार्यरत हैं व पांचवीं–छठी का कार्य चल रहा है। हैवी वाटर प्लांट भी कार्यरत है एवं कई राज्य सरकार के कार्यालय यहां कार्यरत हैं। पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ की आबादी करीब 60 हजार है। यहां करीब 45 प्रतिशत आबादी माडा की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृत हुए क़रीब 16–17 वर्ष हो चुके हैं मगर आज भी किराये के भवन में चल रहा है। छह डाक्टर्स के पद स्वीकृत होने के बावजूद केवल एक ही डाक्टर कार्यरत हैं, वे भी विकलांग। क्या केवल एक डाक्टर इतनी सारी आबादी के लोगों को चिकित्सा सुविधा दे पा रहा होगा? भवन के लिये रावतभाटा नगरपालिका ने

(श्री घनश्याम जैन)

निःशुल्क भूमि दे दी है मगर एक ही डाक्टर होने से चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं मिल पा रही है। गरीब लोगों में भंयकर आक्रोश है। 16-17 वर्ष पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होने के बाद भी भवन के लिये बजट नहीं देने से लोगों में नाराजगी है।

अतः भवन के लिये बजट देने व अन्य डाक्टर्स का पदस्थापन तत्काल कराने का कष्ट करें। महिला चिकित्सक भी बरसों से नहीं है।

2. लाडपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तहसील रावतभाटा के अन्तर्गत लाडपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति भी करीब 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज भी यहां भवन सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र है, इससे बिना भवन के कोई भी डाक्टर यहां नहीं टिकता है। अतः भवन हेतु आवश्यक बजट दिलवाने का कष्ट करें।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं

उप खण्ड कार्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना अलग ही महत्व है। प्रति दिन करीब 400-500 रोगियों की आउटडोर होती है। मगर भवन के लिये राज्य सरकार ने बजट के रूप में बहुत कम पैसा दिया है। कई डाक्टर्स के पद आज तक रिक्त हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं, मगर न तो भवन के बारे में कोई बजट दिया है एवं न ही रिक्त पदों को भरा गया है। इससे आम नागरिकों में भयंकर नाराजगी है।

उपरोक्त तीनों स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन के लिये आवश्यक बजट व रिक्त पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति कराने का कष्ट करें। ताकि यहां के गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

टौंक शहर के एक इलाके में धुलण्डी के दिन जल वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, होली के मौके पर टौंक शहर में धुलण्डी के रोज तख्ता जो लोकलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट लोकलिटी है और प्योरली हिन्द लोकलिटी है। वहां पर 12 से 3 तक जल वितरण का समय निश्चित किया गया था। 12 बजे जब रंग से सराबोर लोगों ने नल खोले तो टप-टप करके 5-7 बूंदों से ज्यादा पानी नहीं आया बिलकुल। स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्तेजना फैली। वहां पर उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते थे आत्मारामजी गोयल, पास में, खैर, उन्होंने तो जहमत नहीं की। लेकिन दिनेश

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चौरसिया कांग्रेस के पार्षद हैं उनको बुलाया लोगों ने, वे आये भी वहां पर। उन्होंने उस सब के लिये टेलीफोन भी किया। एक्स. ईएन. जो हैं वे तो मौके पर आये ही नहीं। घंटे भर बाद तो एस.डी.ओ. आये, ए.ईएन. आये। उन्होंने कहा, अभी व्यवस्था हो जाती है। उनके जाने के तत्काल बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करके दिनेश चौरसिया जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी वाइफ के साथ भी उन्होंने मारपीट की। यह देखिये, छोटे बच्चे के भी, टौंक के एजीटेशन में इतने छोटे 8 साल के बच्चे के भी लाठी की चोट लगी है। तो बड़े अमानवीय तरीके से मारपीट की है। उप मुख्य मंत्री महोदय वहां टौंक में बिराजमान थे उस रोज, उनसे मिलने की वहां के प्रतिनिधियों ने कोशिश की तो इन्होंने कोई रेस्पांस नहीं दिया।

यह अव्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, क्यों हुई? टौंक में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नईम उल हक लगे हुए थे, पूरी व्यवस्था मेहनत से करते थे। मुझे पता नहीं, जोशीजी ने किसके सुझाव पर उसका ट्रांसफर कर दिया। अब उसके अन्दर भी पोलिटिक्स है कि वह जकियाजी का आदमी है। मुसलमान होने से तो कोई जकियाजी का आदमी होता नहीं है। वह तो बड़ा ईमानदार और अच्छा वर्कर था। अब जो प्रजेंटली एक्स.ईएन. है वह बिलकुल अटैण्ड नहीं करता। शहर के अन्दर होली की अव्यवस्था पर उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बाकी पूरे शहर में व्यवस्था थी। तख्ते पर दीनो दानिश्ता पानी बंद कर दिया। फिर जुलूस निकलकर वह शांत नहीं हुआ। उसके बाद में नैक्स्ट डे, 19 तारीख को तख्ते के लोग जुलूस निकालकर कलक्ट्रेट पर आये, रास्ता अवरुद्ध किया। कलक्टर से मिलने की कोशिश की, कलक्टर ने मिलने से मना कर दिया कि प्रतिनिधि मण्डल अन्दर आ जाए। फिर 20 तारीख को निकला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वहां रहते हुए नहीं मिला।

आज तक पानी की व्यवस्थां नहीं होना, पानी की अनियमित सप्लाई होना, पानी की उपलब्धता होने के बावजूद एक क्षेत्र-विशेष को पानी नहीं देना और पुलिस के द्वारा यह व्यवहार करना, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां चर्चा कर चुका हूं पहले भी, आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। आपने उस रोज पता नहीं क्यों कह दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब देख लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने से क्या होता है? कार्मिक मंत्रीजी तो उनको कहें। आज उस कलक्टर के खिलाफ कोई 11 आर.ए.एस. आफिसर्स ने लिख कर दिया है, कोआर्डिनेशन का अभाव है। हमको कलक्टर और एस.डी.ओ. से कोई मतलब नहीं है। हम किसी कलक्टर और एस.डी.ओ. को नहीं लगवाना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन सुचारू रूप से चले। प्रशासन सुचारू रूप से चले, यह जिम्मेदारी सरकार की है। मैं तो निवेदन मुख्यतया माननीय गृह मंत्री महोदय से, वे उप मुख्य मंत्री तो नहीं हैं लेकिन वरिष्ठतम मंत्री हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गृह मंत्रीजी इस बात पर ध्यान दें और आप इस बात की जांच करवाएं कि यह लाठीचार्ज किस बात पर हुआ। किस बात का लाठी चार्ज? रवाना होने के तत्काल बाद लाठी चार्ज करके, होम मिनिस्टर साहब, 8 साल के बच्चे से मारपीट की है। आपके कांग्रेस के पार्षद की वाइफ को मारा है, दिनेश चौरसिया की वाइफ को। जोशीजी, आप इसमें ध्यान दें कि एक्स.ईएन. के तबादले, यह जो मिनिस्टर की डिजायर है, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, इसमें मत उलझा करो और प्रायः उलझते भी नहीं हो आप। पता नहीं क्यों, उस नईम उल हक साहब की नाराजगी हो गयी, वह तो जकियाजी से नाराजगी थी, उनको हटा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह जकियाजी का आदमी नहीं है, अच्छा आदमी था और अब जो है वह बिलकुल नहीं करता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अन्त में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक किस्सा नहीं है, यह रोजाना का किस्सा है। 3 दिन तो हो गये आन्दोलन चलते हुए वहां पर। अभी तक पानी की सप्लाई, जोशीजी, आप ध्यान दें, अभी तक जो हो चुका, हो चुका, पानी की सप्लाई आज तक नियमित नहीं हो पायी। और, गृह मंत्रीजी, आप लाठी चार्ज पर निश्चित रूप से कोई व्यवस्था करें, इसकी जांच कराएं और जिला प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिये कलक्टर साहब वाला झगड़ा भी आप कुछ निपटाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। (अनुपस्थित) डा. किरोड़ी लाल।

विदेशी दम्पति को नियम विरुद्ध जमीन का आबंटन

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक विदेशी दम्पति वीजा पर भारत यात्रा पर आये और वीजा पर रहते हुए उन्होंने सरकार में एक फर्जी एन.जी.ओ. बनाकर जमीन अलाट करा ली जे.डी.ए. से–इस गम्भीर प्रकरण की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लंदन निवासी रश्मि डिकिन्सन और उनके पति डाक्टर एडवर्ड जस्टिन डिकिन्सन ने दिनांक 20.11.1998 को आमेर ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाया सब रजिस्ट्रार, जयपुर के यहां। सब रजिस्ट्रार, जयपुर ने जब यह ट्रस्ट रजिस्टर कर दिया तो इसकी जानकारी ली

(डा. किरोड़ी लाल)

गयी। जानकारी ली गई तो देवस्थान विभाग ने लिखा, यह उल्लेखनीय है कि किसी भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक नहीं कर सकता। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग से ही होता है। जब देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त से इस सम्बन्ध में 29.10.2001 को सूचना चाही गई तो उन्होंने यह बताया कि आमेर ट्रस्ट नाम से किसी ट्रस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन काआपरेटिव एक्ट में भी नहीं हुआ। सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 24.5.2002 को डिप्टी सैक्रेटरी जे.डी.ए. को एक पत्र लिखा और स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके आमेर ट्रस्ट नाम से किसी भी संस्था का पंजीयन नहीं हुआ है। इस पत्र में यह भी बताया कि जब तक कोई न्यास विधिवत रूप से सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर नहीं होता, उसको विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर भी इसका डिप्टी रजिस्ट्रार ने, सब रजिस्ट्रार ने पंजीयन कर दिया। यह जो तथाकथित आमेर ट्रस्ट नाम से फर्जी रजिस्टर हुआ, उसके आधार पर एक ट्रस्ट डीड लिखी गई 20.11.1998 को, जिसमें बताया गया कि ये दोनों इंगलैण्ड के नागरिक हैं, ट्यूरिस्ट की हैसियत से इस देश में आये हैं किन्तु ऐसी स्थिति में यहां आकर अपना ट्रस्ट बनाकर इन्होंने अनुचित लाभ उठाया है। कोई भी व्यक्ति बिना इस देश की नागरिकता प्राप्त किये ट्रस्ट रजिस्टर नहीं करा सकता और चल या अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता। जो विदेशी महिला है, इन्होंने एक पत्र जे.डी.ए. को लिखा, 21.10.2000 को सैक्रेटरी जे.डी.ए. को एक पत्र लिखा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभाव अभियोग मंत्री और संसदीय सचिवजी को देखो, उनको थोड़ा-सा कहो तो सही आप।

श्री उपाध्यक्ष : वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग सब कहते हो बोलते नहीं हैं इसलिए बोल रहे हैं वह।

श्री धर्मपाल चौधरी : खड़े होकर बुलाओ। खड़े होकर बोलो तो अच्छा लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खड़े होकर बुलवाइये, साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : कल आपसे कहा था, आपने बुलाया ही नहीं इनको।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21.10.2000 को जे.डी.ए. को यह जो विदेशी महिला है इसने एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा है कि लंदन में एक ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने चला रखा है जिसका लंदन का नम्बर है 1084574 और ज्योति ट्रस्ट पैतृक ट्रस्ट

(डा. किरोड़ी लाल)

है। उस पैतृक ट्रस्ट के बाद यहां अपने देश में आकर आमेर ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट बना लिया। आमेर ट्रस्ट के कोई विधिवत बाई–लाज पेश नहीं किये गये। फिर उन्होंने जे.डी.ए. में जमीन के लिए एप्लाई किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 268वीं एल.पी.सी. की बैठक हुई और उस बैठक में आमेर की खसरा नम्बर 824 रकबा दो बीघा, खसरा नम्बर 825/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 826/2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, इस प्रकार 10 बीघा 2 बिस्वा जमीन आबंटन की सूचना 21.10.2000 को जे.डी.ए. आयुक्त, जोन–2 ने अध्यक्ष आमेर ट्रस्ट को देते हुए यह लिखा कि आप आबंटित भूमि 10 बीघा 2 बिस्वा जमीन के पेटे दिनांक 31.10.2000 तक 50 लाख रुपये जमा कराकर भूमि का कब्जा ले लें।

इसी सन्दर्भ में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, आपके राज्य के वित्त विभाग का एक सर्कुलर निकला है और वित्त विभाग के सर्कुलर में लिखा है कि विधिनुसार कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में अचल सम्पत्ति नहीं ले सकता। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.7.2000 में यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार एतद्द्वारा विदेशी नागरिक द्वारा राजस्थान राज्य में अचल सम्पति क्रय करने के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय इकरारनामा, विक्रय–पत्र, पावर आफ अटार्नी एवं कब्जा पत्र आदि दस्तावेजों को, रजिस्ट्रीकरण को लोक नीति के विरुद्ध घोषित करती है। यह आपकी सरकार के समय का सर्कुलर है। फिर भी 21.10.2000 को पचास लाख रुपये की लैण्ड अलाटमैंट का इन्होंने पत्र निकाल दिया। बाद में यह शांति धारीवालजी से मिलती है, जे.डी.ए. सैक्रेटरी से मिलती है। यह कहती है कि पचास लाख रुपये ज्यादा हैं, मैं इतना पैसा नहीं दे सकती। मेरे को तीन महीनें का समय दो और इसकी कीमत कम करो। कीमत कम करने के चक्कर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28.10.2000 को श्री जी.एस. संधु जो तत्कालीन जे.डी.ए. सैक्रेटरी थे, वे विभाग द्वारा एक नोट नगरीय विकास मंत्री को इस आशय का भिजवाते हैं कि ट्रस्ट जनहित में उल्लेखनीय कार्य करेगा–अब तक कोई कार्य नहीं किये–उल्लेखनीय कार्य करेगा, अतः इस ट्रस्ट को 25 प्रतिशत मूल्य पर इस जमीन को दे दिया जाए। साढ़े बारह लाख में जमीन की डिमांड दुबारा भेज दी। 37.50 लाख का चूना सरकार के लगा दिया। यह पत्र जे.डी.ए. को गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. द्वारा उक्त पत्र की अनुपालना में आबंटन का कोई भी संशोधित आदेश जारी नहीं किया गया बल्कि दिनांक 1.3.2001 को जे.डी.ए. ने नगरीय विकास

(डा. किरोड़ी लाल)

विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि एल.पी.सी. की 270वीं बैठक दिनांक 8.1.2001 में आमेर ट्रस्ट को 18.10.2000 को किया गया आबंटन निर्धारित राशि जमा नहीं होने के कारण निरस्त हो गया। आबंटन निरस्त हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबंटन जब निरस्त हो गया तो अपने मंत्री धारीवालजी, इन्होंने एक डी.ओ. लैटर लिखा। यह लिखा है, तारीख है 3.3.2001 में।

Hon'ble C.M. is requested kindly to persue a copy of letter received by me from Dr. R. Dickenson of Amer Trust who is an N.R.I.-जो एन. आर.आई है नहीं- based in U.K. In continuance by the invitation of Hon'ble C.M. to N.R.Is, the Trust came forward and approached Government for allotment of land for carrying out the activities for the upliftment of the Amer area. After having meeting with me and the Secretary, U.D.H., all the assistance was provided to Dr. Dickenson for the allotment of land by the J.D.A. Unfortunately, it seems that J.D.A. has not extended the desired cooperation to them and low land so allotted has been cancelled as would be evident from the letter of Dr. Dickenson. The letter has painted us a sad picture on the working of J.D.A. Even charges for asking bride from them have also been levelled against J.D.A. Officers. As this case pertains to N.R.I., it is submitted for kind perusal for the order of the Hon'ble C.M. मुख्य मंत्रीजी के पास यह इनका कागज पहुंच गया। मुख्य मंत्रीजी के वहां से जो सचिव हैं, मैथ्यू साहब, उन्होंने उसी दिन 3.3.2001 को पत्रावली को वापस भिजवाया यह लिखते हुए, सी.के. मैथ्यू द्वारा आपकी पत्रावली इस आक्षेप पर लौटा दी गयी कि जिस ट्रस्ट को भूमि आबंटित की जा रही है उसके बारे में पूरे तथ्यपूर्ण तथ्यों की जानकारी दें। जे.डी.ए. सैक्रेटरी ने जानकारी नहीं दी। शांति धारीवालजी ने कोई जानकारी नहीं दी। विदेशी महिला वीजा लेकर इस देश में आ गई, उसको जमीन दे दी। उसकी एक्टीविटीज क्या है, डाउटफुल है, कैसी है, किस हैसियत से यहां पर रह रही है और आपने अचल सम्पत्ति लैण्ड अलाट उनको कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें होता क्या है? नगरीय विकास विभाग के निर्णय, निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन का कोई संशोधित आदेश तो निकाला नहीं और उसके बिना आदेश निकाले ही...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गम्भीर मामला है, तथ्यों के साथ आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिए, सभी मामले गम्भीर हैं। नान सीरियस कौनसा मामला है?

डा. किरोड़ी लाल : थोड़ी देर में कर रहा हूं। इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइल मुख्य मंत्रीजी को जानी चाहिए थी। मुख्य मंत्रीजी को फाइल गई नहीं और मंत्री शांति धारीवालजी ने, जे.डी.ए. सैक्रेटरी ने अपने लेवल पर इस जमीन को अलाट कर दिया। एक विदेशी महिला को अचल सम्पत्ति का अलाटमेंट, लाखों का चूना लगाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर दिया।

यही नहीं, इस महिला ने वहां एस.सी., एस.टी. की जमीन पर कब्जा कर लिया। खसरा नम्बर 824, 825, 826 जिसकी किस्म सिवाय चक है, इस जमीन पर पिछले तीस वर्ष से श्योकरण, गोविन्द सहाय, रामनारायण, रामचन्द आदि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका कब्जा है, उस पर उसने कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत जिला कलक्टर को की। जिला कलक्टर ने 18.10.2000 को इसकी जांच कराई और जांच में यह सही पाया गया कि इन्होंने एस.सी., एस.टी. की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की मंगला बाई की खसरा नम्बर 819, 820, 821, 822 वाली जमीन की प्रदीप विश्वास पुत्र नरेन्द्र विश्वास, जाति नवसूर्या, निवासी–आसाम के नाम रजिस्ट्री करवा दी। वहां पर पता किया गया, गृह मंत्रीजी, तो इस विश्वास नाम का आदमी वहां पर है ही नहीं। उसके नाम से इस जमीन को अपने नाम से इकरारनामा करवाकर यह जो दम्पति है, वहां पर कब्जा करके बैठे हैं।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है। यह जो मास्टर प्लान तैयार हुआ है, इस मास्टर प्लान में इस 10 बीघा 2 बिस्वा जमीन को इकोलोजिकल गार्डन के लिए स्पष्ट रूप से इंगित कर रखा है। अब इनकी तो आदत पड़ गई, प्रताप नर्सरी दे दी, ऐसे ही इकोलोजिकल गार्डन है। वह मास्टर प्लान में जो इंगित जमीन है उसको आपने दे दिया और वह भी विदेशियों को दे दिया।

मैं आपको कहना चाहता हूं, हम चार–पांच एम.एल.ए. गये थे, मुख्य मंत्रीजी से मिलकर आये थे कि 27.11.2002 को हमने इसका ज्ञापन दिया था। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। वह एन.आर.आई. नहीं है, विदेश में रहती है, यहां पर आ गयी। आकर मंत्रीजी को प्रभावित किया, जे.डी.ए. सैक्रेटरी को प्रभावित किया, जमीन अलाट कराकर ले गयी और साढ़े सैंतीस–लाख

(डा. किरोड़ी लाल)

का चूना सरकार को लगा दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर में एक विदेशी महिला जो आई, जिनकी आज संदिग्ध गतिविधि है, इन संदिग्ध गतिविधियों की जांच किये बिना यह जमीन अलाट कर दी। इसमें नगरीय विकास मंत्री का सीधा हाथ है और मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें घोटाला किया है, गबन किया है। आप ऐसे कानून को दरकिनार करके लैण्ड अलाट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते कहते सरकार पर आरोप जड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और छोटे-से आरोप पर फुदक कर खड़े होने वाले.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जमीन का अलाटमेंट सरकार के...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अभी आपने हाउस चलाया, कल भी कहा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी सीट से, अपनी सीट से। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, अपनी सीट से। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप तो चाहते हो, रोज हल्ला हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सीट से। अपनी सीट से... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, जवाब दो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पर्ची में तरीका क्या है? मन में आये जो लगाओ न आरोप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, अपनी सीट से, अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कल तो अकड़ते हो, हल्ला करके बैठ गये। यहां पर्ची पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर्ची तो नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नियमों का ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सीट से। अपनी सीट पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी सीट पर जाकर जवाब दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन ही कर रहा था। बड़े नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा था, जवाब तो आए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जहां राष्ट्र विरोधी गतिविधि होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित न हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर। कल ही एक बात की चर्चा हुई है, आपने कल चेयर से रूलिंग दी थी। यह सदन नियमों से चलता है, नियमों में यह व्यवस्था है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसके सम्बन्ध में हम बातें नहीं कहें। पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, उठाना चाहिये, यह उनका अधिकार है, पर किसी पर आरोप लगाने से पहले जो हमारी प्रक्रिया है, उसको फालो किया जाना चाहिये। मंत्री पर आरोप लगाये, अधिकार है। आपको उसको नोटिस देकर आरोप लगाना चाहिये। जो सदस्य यहां पर नहीं हैं, उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने रूलिंग दी है, कल विपक्ष के नेता महोदय ने यह बात कही है और आज हम उसी बात पर वापस आ जाएं? जब अपनी बात आए तब तो हम गुस्सा करके हाउस को नहीं चलने दें और जब दूसरा आरोप लगा हुआ है तब हम कहें कुछ नहीं करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस पर रूलिंग देनी चाहिये कि क्या सदन इस तरह से व्यक्तिगत रूप से शटल करने का माध्यम बन सकता है? क्या जो सदन के मैम्बर नहीं हैं उन पर आरोप लगाया जा सकता है? यदि माननीय मंत्री पर आरोप लगाने हैं तो प्रक्रिया है, उसमें आरोप लगावें। जब तक यह प्रक्रिया नहीं अपनावें तब तक आपसे निवेदन है कि आप कृपया पर्ची के माध्यम से इस सदन को इस प्लेटफार्म का दुरुपयोग करने का अवसर नहीं दें और इसको एक्सपंज किया जाये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपकी व्यवस्था को मानते हुए पर्ची पर कोई आरोप लगा दिया तो उसको नजरअन्दाज कर रहे हैं, लेकिन चूरू से आने वाले माननीय सदस्य प्रोवोक कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने आरोप पता नहीं कितना सत्य लगाया है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। कितनी बार, उपाध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की मीटिंग में यह बात आ गयी, कितनी बार आपने यहां व्यवस्था दे दी कि पर्ची के माध्यम से आप कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं करेंगे। नियम, कायदे-कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक उठायें। जब हम लोग शांत बैठे हैं तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ऐसे प्रोवोक हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा यह घोटाला हो गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. सी. पी. जोशी : आज यह प्रश्न भी बिना परमिशन के नहीं उठा रहे। जवाब दीजिये। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम आप पर आरोप लगाते हैं तो आप यह जो प्रश्न उठा रहे हैं उसमें आपका है। इसको तो कहिये। यह कोई तरीका है क्या? आप तो चाहे जैसे आरोप लगा रहे हैं और खुद आरोप लगाएं... (व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आपका हम संरक्षण चाहते हैं, आपकी व्यवस्था चाहते हैं। इस तरह से पर्ची के माध्यम से कोई भी माननीय सदस्य आरोप लगाएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. चन्द्रभान : यह कोई प्रक्रिया नहीं कि आप पर्ची के माध्यम से खड़े होकर किसी मंत्री के खिलाफ इस तरह से आरोप लगाएं। कोई प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ज्ञानदेव आहूजाजी, बिराजें (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय सदस्य, आप इस बात को भली-भांति जानते हैं कि नियम हैं। पर्ची के अलावा यदि आप किसी माननीय सदस्य पर या मंत्री पर या सरकार के किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना है तो आप को पहले नोटिस देना चाहिये। (व्यवधान) आप बिराजिये, इन्होंने शब्द यूज किया है आरोप...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तथ्य।

श्री उपाध्यक्ष : Please, no tathye.

डा. सी. पी. जोशी : तथ्य तो प्रोसीजर है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। इसलिए आप कोई भी आरोप लगाना चाहें, नोटिस दीजिये। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप खड़े होकर पर्ची के माध्यम से कोई भी बात कह दो which the Government does not know न इनको मालूम है क्या पर्ची पर बोला जाएगा, क्या आरोप लगेगा, कुछ नहीं है। आप आफ हैण्ड एण्ड आरोप लगाकर इसको यूं साबित करना चाहे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, यह पर्ची अलाउ नहीं करती है इसलिए जितने भी आरोप लगाये हैं, उसको तो समाप्त कीजिये और बाकी जो जांच कराना चाहते हैं, यह कह दीजिये कि इसकी जांच कराइये। यह कह सकते हैं कि आप कि इसकी जांच करवाइये। जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर मौजूद नहीं है, मिनिस्टर को पता नहीं है, सैक्रेटरी ने क्या किया, उसका पता नहीं है। आप कोई नोटिस दो नहीं। यूं ही पर्ची पर इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते आप। पर्ची का रेस्ट्रिक्टेड टाइम है, उसमें उपयोग कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराजें, स्पष्ट कर देता हूं। रेस्ट्रिक्टेड टाइम में मैंने मेरी बात रख दी। मैं प्रमाणों से...

श्री उपाध्यक्ष : रेस्ट्रिक्टेड से बहुत ज्यादा आपको बोलने दिया, यह भी आप ध्यान रखो। क्योंकि इसको समझा कोई मामला ऐसा है जिसको सदन के सामने लाया जाना चाहिये तो मैंने अलाउ किया। इसका मतलब यह नहीं कि आप यूं ही किसी पर आरोप लगाकर बैठ जाओ। गलत बात है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आरोप नहीं, मैंने प्रमाण रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : This is not allowed. हो गयी, आपकी बात समाप्त हो गयी। मैंने रामप्रतापजी को बुला लिया। आप बिराजिये प्लीज। डा. रामप्रतापजी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तथ्य रखे हैं–उप शासन सचिव का यह पत्र, यह मंत्रीजी का पत्र...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : यह सी.के. मैथ्यू का लैटर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. मैंने रामप्रतापजी को काल अपोन किया है, यह तो बीच में आ गया इसलिए आप बिराजें।

डा. किरोड़ी लाल : यह फाइल वापस जाने का। यह वित्त मंत्रालय का... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : सारे पत्र मेरे पास हैं। इसके बाद भी विदेशी दम्पति को बीजा पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नोटिस देकर आइये, I will allow. ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। डा. रामप्रताप।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। डा. रामप्रतापजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं।

माननीय सदस्य, यहां पर मैं फिर बारबार कहना चाहूंगा, आपने आरोप लगाये, फिर कह दिया नहीं, यह तो तथ्यों

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

से है। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूं, आपने बारबार यह कहा है कि यह विदेशी महिला है। तो आप यह बताइये कि यह जो महिला है इसका नाम क्या है? यह कहां जन्मी है? क्या यह डाक्टर है? और डाक्टर है तो इसने एम.बी.बी.एस. कहां से पास किया?

डा. किरोड़ी लाल : यह तो आप जांच कराओ। हम तो यही मांग कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : बताइये न आप?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम मांग यह कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मांग हम यही कर रहे हैं, जो चन्द्रभानजी कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अभी आपने बारबार एक बात कही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जैसे सोनिया गांधीजी का आपको पता है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, बारबार सदन का समय जाया किया है। इन्होंने एक आरोप और लगाया है कि इनको एन.आर.आई. मान कर यह सुविधा दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण जो है, अभी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी कह रहे थे, यह बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है। माननीय सदस्य, आप भी जो इसको उठा रहे हैं इसको भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। यह आपकी बात सही है, जांच होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यह जो लेडी है उसने एक विदेशी से शादी की है। यह बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों लम्बा कर रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो जांच होनी चाहिए, तो करा लो जांच।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह लेडी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, एम.बी.बी.एस. डाक्टर है और लखनऊ से यह पासआउट है इसलिए एन.आर.आई. है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपने स्वयं ने कह दिया जांच होनी चाहिए तो सरकार जांच कर दे इसकी, बात खतम हो गयी।

डा. किरोड़ी लाल : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। खुद ने ही कह दिया, मैं क्या करूं?

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं लेकिन जब कहीं कोई ज्यादती होती है उसको सहन भी नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। प्लीज। अब तो शांत रहो, अब क्या है?

अजमेर जिले के पालड़ा गांव में नियम विरुद्ध भू-आबंटन

श्री चन्द्रभान : एन.आर.आई. नहीं है क्या वह?

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में नेशनल हाई-वे नम्बर-8 के बाई पास पर पालड़ा नाम का एक गांव है। उपाध्यक्ष महोदय, लगातार चार-पांच साल के भयंकर अकाल की स्थिति में लोगों के पास में अपना समय गुजरने के लिए पशुधन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था और न ही है। आज की स्थिति भी यही है। वहां पर 800 बीघा भूमि तो वन विभाग ने ले ली। उसके बाद में थोड़ी-बहुत जमीन बची थी उसमें सैकड़ों की तादाद में पशुधन था, वे उसको चरागाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है इसलिए आगे दूसरे मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं थी। वहीं पर 8-10 परिवार सरकारी भूमि में रह रहे थे। वहां के लोगों ने छात्रावास के लिए जमीन मांगी तो जिला कलक्टर ने पैराफेरी का नाम लेते हुए उसको निरस्त कर दिया। यह कोई चार-पांच साल पहले की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ा कहां से शुरू होता है कि जिस गांव के वे रहने वाले थे, जिस गांव की भूमि थी उन लोगों को नहीं देकर 147 बीघा भूमि अजमेर की अंजुमन कमेटी को दे दी गयी। इसको आप अन्यथा नहीं लें। कल पुलिस विभाग पर जब चर्चा हो रही थी उस वक्त मुद्दा आना चाहिए था। गृह मंत्रीजी, हर बात जो प्रतिपक्ष कहता है तो उसको हम इस रूप में लेते हैं कि ये तो सारे ही गलत बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता एक-एक मिनट के लिए कितना पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रही है, हम यहां पर समस्याएं लेकर आते हैं, मैं यह बात मानता हूं कि हमें भी स्तर रखना चाहिए। लेकिन जब कोई बात वाजिब हो और आपके नोटिस में आ जाए, मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि उसका अगर आप उसी समय इलाज कर दें तो वह बहुत बड़ी समस्या का रूप नहीं ले।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव के वे रहने वाले हैं उसके आसपास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। 8-10 परिवार उस जगह पर रह रहे हैं। 800 बीघा भूमि वन विभाग को दे दी और 147 बीघा ज़मीन आपने अंजुमन कमेटी को अलाट कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा दो के तहत आप किसी प्राइमरी स्कूल को सरकारी जमीन देना चाहो तो दो एकड़ दे सकते हो, मिडल स्कूल को 5 एकड़, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी प्लस बी.एस.सी. को 10 एकड़ तक दे सकते हो। इसी

(श्री रामप्रताप)

तरह से डिग्री और पी.जी. कालेजों को 30 एकड़ तक दे सकते हो, सेंट्रल स्कूल को 15 एकड़, नवोदय विद्यालय को 30 एकड़ तक दे सकते हो। उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे नियम–कायदे बने हुए हैं उसके बाद भी जिला कलक्टर ने वहां से अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार ने उनको 147 बीघा जमीन अलाट की। ग्रामवासियों को इस बात का पता चला तो वहां आपस में इस मामले में कोई राजनीति नहीं है, आज जो सरपंच है उसने और पूर्व सरपंच ने मिल कर सब ने ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया और बाकायदा जिला कलक्टर से मिले। पूरा का पूरा वह गांव रावत समाज का है, रावत जाति के लोग वहां रहते हैं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि आपने किस नियम के तहत इतनी जमीन दी है? अगर उसको दी गयी तो शिक्षण संस्था को आप जगह दे रहे हो, नेशनल हाई–वे के ऊपर शिक्षण संस्था को जगह दी जाती है? बेशकीमती जगह आपने दी है। मुझे अमाउंट का पता नहीं है लेकिन कुछ लाख रुपये में कम से कम दो करोड़ रुपये की जमीन दे दी। तो आप स्वतः इसका अन्दाजा लगाएं कि इसके पीछे क्या कारण रहे। आज अजमेर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह जिला प्रशासन या राज्य सरकार की गलती मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। इसकी वजह से यह कल को जाकर कोई भी रूप ले सकता है और फिर हम जाकर एक ही जगह पर ठहर जाते हैं साम्प्रदायिकता। इस साम्प्रदायिकता की जड़ में कौन था, उसको पकड़ो न आप कि यहां तक यह बात पहुंची किसलिए।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हो सकता है पर्ची के माध्यम से बोल रहा हूं तो आप जवाब नहीं देंगे, और कोई उल्टा–सीधा चूंटिया भर ले तो के ठा, बोलन ही लाग जाएं क्योंकि अभी बीच में माननीय डाक्टर साहब ने इंटरवीन किया था। तो आपको हम चीज बता रहे हैं अगर आप उसका इलाज करेंगे तो हम भी भविष्य में अपनी बात को वहीं तक सीमित रखेंगे। यह जोश और गुस्सा किस बात के लिए होता है? जब हकीकत यहां सदन में लायी जाए और उसका निराकरण नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? उसका अंत किस चीज में होगा?

मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में आग्रह है कि यह चीज बढ़ गयी तो कल को इसका यही नाम दिया जाएगा, साम्प्रदायिकता, इसलिए आप यहीं इसका इलाज करें, पूरे अजमेर जिले में इस बात को लेकर भारी तनाव है। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, फोर लेन रोड बन रहा है।

श्री मदन दिलावर : लाठियां मार रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पैराफेरी के नाम पर इतनी बेशकीमती जमीन...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। बिराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे अजमेर जिले की जनता आन्दोलित हो रही है, 10 हजार आदमी इकट्ठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। बैठिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो पूरे अजमेर जिले के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से वहां पर एक बड़ा जबरदस्त आन्दोलन चल रहा है, अभी तक कोई साम्प्रदायिकता रूप धारण नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ललित भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ललित भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला, बोलिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ललित भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप बोलिये, कल्लाजी। प्लीज।

(13.00 **बजे**)

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री ललित भाटी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आसन पैरों पर। माननीय सांवर लालजी, आप बिराजिए।

श्री सांवर लाल : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए न। माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ललित भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, आप बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी, बिराज़िए। आप बैठिए प्लीज।

मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पर्ची बन्द करनी पड़ेगी। आप इस तरह से हाउस चलाओगे तो चल नहीं सकता। पर्ची का सिस्टम है, तरीके से पर्ची चलाओगे तो चलेगी वरना हम बन्द कर देंगे। पर्ची पर माननीय सदस्य सिर्फ बोल सकता है। पर्ची पर न तो कोई बहस होती है... (व्यवधान) प्लीज आर्डर। अगर आप हाउस को नहीं चलाने देंगे, इस तरह से डिसआर्डर में लाओगे तो फिर हमारे पास और कोई आप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें कि पर्ची बन्द कर दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। यह कोई तरीका थोड़े ही है कि हर पर्ची पर हर माननीय सदस्य खड़ा होकर बोलने लग जाए, मर्ज़ी आए जो बोल जाए? आखिर हाउस नियम से चल रहा है, कोई तरीका है। आपको तकलीफ है तो लाइये नोटिस देकर, We will discuss in the House. लेकिन आप खड़े हों, आप खड़े हों, किसको सुनें? यह कौनसा तरीका है हाउस चलाने का? Please keep the House in order. (व्यवधान) दोनों तरफ कह रहा हूं मैं तो। इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। रामप्रतापजी बोलकर बैठ गये, He didn't demand any-thing फिर आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? Why and for what? माननीय कल्लाजी।

जैसलमेर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो की स्थापना

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन्दिरा गांधी नहर का बहुत बड़ा

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उप निवेशन क्षेत्र उसमें है जिसमें राजस्थान के कई जिलों के काश्तकार खेती कर रहे हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर जिले के काश्तकार अपने घर गये थे, वापस अपनी फसल लेने के लिए। एशिया की सबसे बड़ी कृषि मण्डी, सुधारवाला के काश्तकार थे, वे बाड़मेर से चलकर 21 तारीख की रात को जैसलमेर की तरफ रवाना हुए। जैसलमेर जिले में सांगड़ के पास एक भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें 13 व्यक्ति मर गये, 58 व्यक्ति घायल हुए। छह की हालत बड़ी गम्भीर है और वे जोधपुर हास्पिटल में हैं।

इस समस्या को मैं इस सदन में गत चार वर्षों से उठाता रहा हूं। 221 नये गांव सृजित किये, पचास हजार काश्तकारों को हमने बसाया उस क्षेत्र में जो निर्जन था। वहां आवागमन के साधन होने चाहिए थे। इस सदन में मुझे आश्वासन दिया गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो जो जैसलमेर में नहीं है वह खुल जाएगा। मेरी यह मांग थी और आवागमन के साधन की दृष्टि से जैसलमेर जिला ऐसा जिला है राजस्थान में जहां पथ परिवहन का डिपो होना आवश्यक है। सदन में मुझे तत्कालीन परिवहन मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था जो यहां बिराजे हुए हैं कि जैसलमेर जिले में पथ परिवहन का डिपो खुल जाएगा। मैं इसके लिए सतत् प्रयास कर रहा हूं। बीच में डिपो के अधिकारीगण वहां गये, परिवहन मंत्रीजी खुद गये वहां पर उन्होंने स्वयं मंजूर किया कि वहां पर डिपो आवश्यक है। मैंने एम.एल.ए. फण्ड से दस लाख रुपये देने की स्वीकृति दी, जिला प्रशासन ने 34 लाख रुपये देने की बात कही और नगरपालिका ने 30 लाख रुपये दोनों बस स्टैण्ड्स के लिए देने की बात कही। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद बार–बार मुझे उत्तर मिलता हैं कि पथ परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए डिपो नहीं खोला जा सकता।

मान्यवर, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, राजस्थान पथ परिवहन निगम 1993–94, 1994–95, 1995–96 और 1996–97 में लाभ में था। 1997–98 में जब सरकारें बदल रही हैं तब यह घाटे में चल रहा है। 1998–99 में घाटे में और उसके बाद सतत् घाटे में चल रहा है। करीब 8561 लाख रुपये के घाटे तक यह पहुंच चुका है। अब मुझे लगता है कि कुछ प्राफिट में आने वाला है, घाटा कम होने वाला है। इस बीच में मुझे यह उत्तर मिल रहा है सरकार की तरफ से कि निगम घाटे में है इसलिए आपके यहां पथ परिवहन डिपो नहीं खोला जाएगा।

सिरोही जिला छोटा–सा जिला है, वहां आलरेडी दो डिपोज थे और इसी दौरान तीसरा डिपो रेवदर में खोला गया।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इसी तरह श्रीमाधोपुर में डिपो खोला गया। वहां से आने वाले दोनों माननीय सदस्य मंत्री परिषद् के सदस्य हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसलमेर जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुए-पर्यटन वहां है, उपनिवेशन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सीमान्त क्षेत्र है, मेरे जिले में डिपो की मांग के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दें। मेरी यह मांग वाजिब है तो जैसलमेर जिले में तुरन्त डिपो खोले। वहां जो दुर्घटना हुई है, जो मृत्यु हुई है, वह दुर्घटना महज इसलिए हुई। यदि वहां डिपो होता तो वहां बसें होती और उन बसों में वे लोग जाते। उस बस में डेढ़ सौ आदमी चढ़े हुए थे और दुर्घटना हो गयी, 13 आदमी मर गये, 58 आदमी घायल हैं। छह आदमी जूझ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, परिवहन मंत्रीजी आज हाजिर नहीं हैं, कि जैसलमेर जिले में तुरन्त डिपो खोलने की व्यवस्था करें। यदि डिपो होता तो आवागमन की व्यवस्था होती और इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत प्रस्ताव। श्री कनकमल कटारा।

श्री अमराराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 40 लाख रुपये के भवन का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री पचपदरा में करके आये, आज दिन तक डिपो नहीं खोला इन्होंने। ये घोषणा करके आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मानसी वाकल परियोजना

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हेतु मानसी वाकल परियोजना को शीघ्र पूरा नहीं किये जाने से इस क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी.पी. जोशी साहब।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न यह पूछा कि जो पानी की व्यवस्था है वह टनल से करेंगे या पाइप से करेंगे। इनका मेन मुद्दा था, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। तथ्य इस प्रकार हैं :

उदयपुर शहर को पीने का पानी पहुंचाने के लिए वर्ष 1989 में मानसी वाकल परियोजना स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 1997 में राज्य सरकार व हिन्दुस्तान

(डा. सी. पी. जोशी)

जिंक लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके तहत योजना का कार्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाना है तथा लागत वहन राज्य सरकार तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य 70-30 के अनुपात में किया जाना तय हुआ। परियोजना पर कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में बांध का निर्माण किया जा रहा है। बांध से पानी लिफ्ट कर उदयपुर पहुंचाया जाए या भिन्न भिन्न लेवल पर विविध लम्बाई की टनल निर्माण कर लिफ्ट में कमी करने के प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन थे। अलग अलग लेवल पर तथा विविध लम्बाई की टनल निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् विभाग द्वारा 710 मीटर लेवल पर 4.6 किलोमीटर की टनल निर्माण करके पानी उदयपुर शहर लाना तय किया गया है। इस टनल के निर्माण से पानी की लिफ्ट पूर्व में प्रस्तावित 272 मीटर के स्थान पर 147 मीटर ही रह गयी है जिससे विद्युत खर्च लगभग आधा ही रह जाएगा। मूल प्रस्तावानुसार जिसमें 272 मीटर लिफ्ट करना था, वर्ष भर में अनुमानित बिजली का व्यय रुपये 7.5 करोड़ था जो अब 147 मीटर लिफ्ट में 4.05 करोड़ होने का अनुमान है। प्रस्तावित 4.6 किलोमीटर टनल की अनुमानित लागत लगभग 11.5 करोड़ रुपये है।

टनल का निर्माण राजस्थान शहरी ढांचा विकास परियोजना, उदयपुर के तहत किया जाना है। टनल निर्माण हेतु अवधि दो वर्ष की है। 4.6 किलोमीटर से अधिक लम्बी टनल का निर्माण परियोजना अवधि में किया जाना सम्भव नहीं है। अतः बिजली के बजट के अधिकतम विकल्प के साथ उक्त टनल निर्माण हेतु विभाग की सहमति हो गयी है।

श्री कनकमल कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : पूछना चाहता हूं।

श्री कनकमल कटारा : उदयपुर शहर एक बहुत बड़ा शहर है राजस्थान का इसे पहले और अभी भी झीलों की नगरी कहा जाता है। देश-विदेश से पर्यटक इसकी सुन्दरता को देखते हुए वहां पर आते रहते हैं। 1969-70 में उदयपुर शहर में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने एवं यहां की झीलों में भरपूर जल स्तर बनाए रखने के लिए अरावली के पश्चिमी ढलाव यानि साबरमती जलांचल के अतिरिक्त पानी को उपयुक्त लेवल पर सरंगें बनाकर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह से अरावली के पूर्वी ढलानों की ओर अपवर्तित करने की योजना तैयार हुई थी जिसका नाम देवास प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ था। उद्देश्य यह था, उपाध्यक्षजी, कि उदयपुर शहर में सौन्दर्यकरण बना रहे और पर्यटन व्यवसाय में सौन्दर्यकरण बना रहे। पर्यटन व्यवसाय तो विकसित होगा ही, साथ ही औद्योगिक विकास भी

(श्री कनकमल कटारा)

बाधित न हो। इस योजना में से देवास प्रथम योजना सन् 1973 में क्रियान्वित हुई जिससे 121 एम.सी.एफ. की क्षमता का बांध और 1.6 किलोमीटर की लम्बी सुरंग बनाई गयी। बीच में कई बाधाएं भी आईं। अज्ञात कारणों से आगे की क्रियान्विति कुछ हुई नहीं। वर्ष 1980-81 में सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग और कुछ स्थानीय लोगों के आपसी विवाद के कारण यह आगे काम...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो इतिहास पढ़ रहे हो आप। पूछना क्या चाहते हो वह पूछो।

श्री कनकमल कटारा : मैं आगे बताता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : कटारिया साहब, आप पूछ लो।

श्री कनकमल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पूरी कर लेता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 में सिंचाई विभाग और उनके बीच में विवाद होते हुए सन् 2000 में उदयपुर एवं आसपास क्षेत्र में पानी पीने के अतिरिक्त आवश्यकता 1600 एम.सी.एफ.टी. और देवास दो-तीन-चार से केवल 922 एम.सी.एफ.टी. की ही आपूर्ति का तर्क देते हुए शेष देवास योजना के स्थान पर मानसी वाकल प्रथम बोराणा के पास एवं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री कनकमल कटारा : इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय ने प्रयत्न किया। अभी जैसी आपने तथ्यात्मक रिपोर्ट बताई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मानसी वाकल योजना को कब तक पूरा कर पाएंगे, और इसमें कितना समय लगेगा? उसको अविलम्ब कब तक पूरा कर पाएंगे ताकि उदयपुर शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर की इस आवश्यकता के लिए पिछले कई वर्षों से हम प्रयत्नशील हैं कि उदयपुर को पानी की पूर्ति हो सके। एक तो यह बताएं कि हम अभी मानसी वाकल स्टेज फर्स्ट जो बना रहे हैं इससे हम कितना पानी लिफ्ट करेंगे और उदयपुर को पीने के पानी की कितने साल की इसमें हम पूर्ति कर पाएंगे? क्या इस लिफ्ट से हम उदयपुर की झीलें जिनकी 800 एम.सी.एफ. पानी की क्षमता है, भरी रख सकेंगे? इसको लिफ्ट करेंगे, यह जो चार किलोमीटर की टनल आप बना रहे हो उसके बाद भी 147 मीटर का लिफ्ट है और इसका आपने हर साल चार करोड़ रुपये बिजली का खर्चा अनुमानित किया, आगे चल कर हमारे अनुमान गलत निकलते हैं, और वे और आगे बढ़ जाते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके पहले जो देवास की योजना थी, आखोदड़ा के पास में हम 11.18 किलोमीटर की अगर टनल बनाएं तो पानी ग्रेविटी से ही सीधा आ रहा है। यहां हम चार किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, चार पाइंट समथिंग, और वहां हमको 11.18 की टनल बनानी पड़ेगी। केवल एक छोटा एनीकट या पिकअप बियर लगाना पड़ेगा और पानी ग्रेविटी के साथ मुड़ सकता है। यह सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग के बीच में काफी वर्षों से चल रहा है। मैं सोचता हूं कि हमारे को 11 किलोमीटर की टनल में समय लग सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आजकल जिस प्रकार की मशीनें आई हैं, आपने स्वयं भी देखा है कि जो पहले टनल नहीं थी और 272 मीटर लिफ्ट कर रहे थे उसके कारण से आपका बिजली का खर्चा बहुत आ रहा था। बीच में किसी ने ध्यान आकर्षित किया, चार किलोमीटर की टनल बनाने से हमारा लिफ्ट लगभग आधा हो गया और 142 मीटर का ही लिफ्ट रहा। अब मैं कह रहा हूं, आखोदड़ा के पास में अगर हम एक पिकअप बियर बनाकर 11.18 की टनल डालते हैं तो हमारा लिफ्ट केवल 59 मीटर लगभग रह जाता है। इस लिफ्ट से हमको जो बिजली की बचत होगी वह हम तीन–चार साल में इसके पूरे के पूरे खर्चे को पूरा कर लेंगे। मैं सोचता हूं केवल पिकअप बियर है, एकस्ट्रा पानी जो आएगा बारिश में वह नीचे अपने आप गोराणा के जो हमारी मानसी वाकल स्टेज फर्स्ट है उसमें वैसे ही जाने वाला है। कहीं बेस्ट होना नहीं, पानी को डाइवर्शन और मिल जाएगा। इस छोटे से डाइवर्शन से हमारे पैसे, और फिर हम यह जो कल्पना कर रहे हैं न कि उदयपुर की झीलें भरी रहेंगी, यह इस प्रोजक्ट से नहीं भरी रह सकती हैं। मानसी वाकल के स्टेज सैकण्ड थर्ड तक जाएंगे तब जाकर कहीं और इतना लम्बा लिफ्ट कराकर इन झीलों को भरेंगे। यह सम्भव नहीं होगा। ग्रेविटी से पानी लेने का अगर हम सोचते हैं तब तो झीलें भरी रहेंगी बाकी इससे केवल पीने के पानी की व्यवस्था हो पाएगी।

मुझे तो बहुत अफसोस इस बात का है कि हम जयसमंद से जो ला रहे हैं वह हम सात लाख गैलन पानी ही प्रतिदिन ला पा रहे हैं, जिसका खर्चा लगभग चौबीस करोड़ हमने किया। ये सारे प्रोजक्ट जो हमने बनाये इनसे मात्र छप्पन लाख गैलन पानी हम प्रतिदिन ले सकेंगे, वह भी तब जब लगभग बीस घंटे हमारा पम्प काम करेगा क्योंकि हमारा 30–70 का डिवीजन है, तीस तो हमको हिन्दुस्तान जिंक को देना है, सत्तर हमको मिलेगा। अगर हमारे सारे पम्प काम भी करें तो हम जितना पानी लिफ्ट करेंगे वह जयसमंद से आने वाले पानी से भी कम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, इसलिए मेरा यह कहना है कि यह डाइवर्शन डाले। इस डाइवर्शन के आधार पर इधर आपका डैम का काम चल रहा है, चलने दीजिए उस डाइवर्शन को भी साथ साथ। चार किलोमीटर की जो टनल यहां खोद रहे हैं, यहां नहीं खोद कर ग्यारह किलोमीटर की टनल वहां खोदें। तो इसको दिखाएं आप। उसके बाद अगर टैक्निकली और सब लोगों की राय से यह बैठता है तो मैं सोचता हूं कि कम खर्चे में हम उदयपुर पानी लम्बे समय तक ले पाएंगे, क्योंकि चार महीने तक इस नदी में पानी बहता रहता है, यह डाइवर्शन लगातार चार महीने तक हमको पानी देगा। उसके बाद अगर पानी की कमी पड़े तो जो गोराणा स्टेज फर्स्ट बनाई है उससे हम पूर्ति करने का भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह संकट के काल में ही पड़ती है जब हमारे यहां पानी की शार्टेज है, बाकी तो हमारी झीलें भरी रहती हैं उससे हमारी पूर्ति होती है।

एक प्रस्ताव से ही पचास करोड़ की बचत, आपने अपनी मीटिंग में बताया कि केवल चार किलोमीटर टनल खोदने से हमको पचास करोड़ की बिजली की बचत इन वर्षों में होगी, तो क्या इस ग्यारह किलोमीटर के कारण से और बचत करने का मानस है क्या?

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जिस बात पर ध्यान आकर्षित किया है, उस पर विभाग ने चर्चाएं की हैं। दिशा संस्था के कर्त्ताधर्ता मिस्टर चतुर यह प्रस्ताव हमारे सामने लाये हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस प्रस्ताव पर भी विस्तृत रूप से चर्चा कर ली जाए। हमारे विभाग के अधिकारियों और दिशा के अध्यक्ष ने मिल-बैठ कर चर्चा की है।

जो आप बात कर रहे हैं, सही है कि मानसी वाकल थर्ड स्टेज जहां पर आखोदड़ा की जगह हम पिकअप बनाकर ग्रेविटी से पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, यह आज स्टेज नहीं है, लेकिन लम्बे समय में इस स्कीम को भी हमें लेना पड़ेगा। इसलिये विभाग ने इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को इसे एक्सप्लोर करने के निर्देश दिये हैं। अभी तक जो हमने प्रोजक्ट बनाया वह 2011 का बनाया। 2011 के बाद उदयपुर में पानी की व्यवस्था के लिये साबरमती बेसिन का जो पानी है, जो राजस्थान से बाहर जा रहा है उसको टैप करने के लिये जैसा आपने बताया, एक्सप्लोर करने के विभाग ने निर्देश दे दिये हैं। अभी तात्कालिक रूप में हाई कोर्ट के फैसले में यह था कि देवास के टनल से जो पानी है वह पिछोला में जाना चाहिये। कोर्ट ने कहा कि आपको इसको मेंटेन करना है, एक तो हमारे पास

(डा. सी. पी. जोशी) —

राइडर यह था। दूसरा यह था कि मानसी वाकल पर जो हम बांध बना रहे हैं, इन दोनों के बेसिन अलग अलग हैं इसलिये देवास का पानी जो एग्जिस्टिंग टनल है उससे पिछोला होकर जाएगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मानसी वाकल का जो हमने तालाब बनाया है, वहां से अलग अलग पाइंट लेवल पर हम बिजली को कैसे कम कर सकते हैं, उसको आधार बनाकर हमने यह योजना हाथ में ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि उदयपुर में अभी जो सरफेस सोर्स हैं उसमें पिछोला झील से 21.05 एम.एल.डी., फतेह सागर से 18.35 एम.एल.डी., जयसमंद से 19.43 एम.एल.डी., भूमिगत स्रोत झामर कोटड़ा से 4.11 एम.एल.डी. और स्थानीय कुओं से 10.25 एम.एल.डी. आज दिन हमारे पास उपलब्ध है यदि झीलें पूरी भरी रहे। आज झीलें पूरी भरी हुई नहीं हैं इसलिये हमारे पास सतही पानी कम है। उस पानी को कम्पनसैट करने के लिये झामर कोटड़ा से भी पानी लाया जा रहा है, जयसंमद से भी पानी लाया जा रहा है। मानसी वाकल योजना हमने बनायी है जिसके आधार पर हम यह नया प्रस्ताव ले आये कि इसके हैड कम करके 4.6 किलोमीटर का टनल बनाकर जब पानी पहुंचाएंगे आर.यू.आई.डी.पी. और हिन्दुस्तान जिंक के समन्वय से तो हमारे पास 34 एम.एल.डी. पानी उपलब्ध रहेगा। 34 एम.एल.डी. पानी में से लगभग 12 एम.एल.डी. तो हिन्दुस्तान जिंक के काम आएगा, 24 एम.एल.डी. पानी हमें एक्स्ट्रा मिलेगा मानसी वाकल से। हम यह एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जो सतही जल उपलब्ध है, जो झामर कोटड़ा और जयसमंद का पानी उपलब्ध है और मानसी वाकल का 4.6 किलोमीटर पानी पहुंचाने का उदयपुर से लिंक किया है, वह पानी 2011 की पापुलेशन की नीड्स को कैटर करने के लिये सफीशिएंट है। उसके सम्बन्ध में विभाग ने जैसा कि सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसको ध्यान में रख कर उसके लेवल को आइडेंटिफाई किया है। उस लेवल को नीचे लाये हैं, उसकी बिजली की कास्ट को हमने कम किया है। हम समझते हैं कि तात्कालिक रूप से हिन्दुस्तान जिंक के कोलेबोरेशन से जो 60 करोड़ की हमने स्कीम बनायी है, उसको हम साल भर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन लम्बे समय में जैसा प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, हम उसको एक्सप्लोर कराएंगे और एक्सप्लोर करने के बाद आखोदड़ा के पास जो एग्जक्ट जगह है बिलोटी, उसके पास इस पानी को डाइवर्ट करके ग्रेविटी के आधार पर पानी पहुंचाया जाए, इस योजना को भी हम अपने हाथ में

(डा. सी. पी. जोशी)

लेंगे। कोशिश करेंगे इस योजना को अभी हाथ में ले लें जिससे आने वाले समय में इसकी कास्ट नहीं बढ़े और लम्बे समय में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। साबरमती बेसिन के पानी को हम उदयपुर और राजस्थान में उपयोग ले सके। मैं समझता हूं कि आपकी भावनाओं के आधार पर इसकी लांग टर्म योजना को प्रीपोन करके हम आने वाले समय में उदयपुर में पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड। आखोदड़ा में गोराणा डैम अभी बन रहा है, इससे ऊपर की 8 किलोमीटर की बैल्ट पर है। नदी के बैल्ट से 8 किलोमीटर ऊपर है, नीचे नहीं है। मेरा यह कहना था कि वहीं से हम छोटा सा पिकअप डालकर पानी को डाइवर्शन दे सकते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 6 किलोमीटर और ज्यादा टनल खोदनी पड़ेगी, इतना ही है और वाकल का सारा पानी अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। नीचे वाला हमारा डैम बन रहा है, बनने दीजिये, उसमें जो बारिश का पानी एक्स्ट्रा आएगा उस पिकअप बियर को लांघकर सब आगे उसमें स्टोर होगा। उसके बाद कहीं जाने वाला नहीं है। 4 किलोमीटर की टनल पर जो हम यहां खर्च कर रहे हैं, 11 किलोमीटर की टनल बनाएं तो उसी पानी को हम ग्रेविटी से डाइवर्ट कर सकते हैं और हमारा बिजली का पैसा बचा सकते हैं। इसलिये 4.6 खोदने से पहले इस बात को भी देख लिया जाए कि 7 किलोमीटर और खोदने से हमारा इतना पैसा बच सकता है तो इसको भी हमें जरूर विचार में लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन करवा लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : आपने जैसा फर्माया, हमने दिशा संस्था के अध्यक्ष मिस्टर चतुर जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, उनकी इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करायी। वह स्वयं सम्मिलित हुए और वह इस बात पर कंविंस्ड थे कि आज के दिन हम जो प्रोजक्ट कर रहे हैं वह ठीक है और लांग टर्म में हमें इसे लेना चाहिये। उनकी भावना के आधार पर और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की टैक्निकल और प्राइमरी इंफ्लुएंस है उसको आधार मानते हुए जैसा आप फर्मा रहे हैं, उसको भी हम लेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि वहां से टनल को हम ग्रेविटी से डाइवर्ट कर दें पिकअप बियर बनाकर, वह आज के दिन फिजिबिलिटी नहीं है। 11 पाइंट समथिंग किलोमीटर टनल बनाने से उसकी कास्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती

(डा. सी. पी. जोशी)

है कि हम अगले चार-पांच साल में उदयपुर में पीने के पानी की समस्या को मीट आउट नहीं कर सकेंगे। हमारे पास दो प्राब्लम हैं, नम्बर एक तात्कालिक समस्या का समाधान करना और फिर आने वाली समस्या का निदान करना। टैक्निकली आपने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसको दुबारा और दिखवा लूंगा और यदि सम्भव होगा तो इस पर भी चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर...(व्यवधान) क्या हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था आसन से...(व्यवधान) मंत्रीजी, एक मिनट। आसन से यह व्यवस्था हुई थी, माननीय उप मुख्य मंत्री कमलाजी ने भी कहा था कि इराक में जो राजस्थान के नागरिक फंसे हुए हैं उनके विषय में प्रधानमंत्रीजी से मिलेंगे, स्टेटमेंट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर कल जवाब आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल जवाब आएगा। एक और निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप इकट्ठें ही कर दो न जो करना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इकट्ठें ही कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रधानमंत्रीजी के साथ राजस्थान के सांसदों की और मुख्य मंत्रीजी की बैठक हुई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर कुछ समस्या का समाधान हुआ है। प्राइमरीली अकाल की जो विभीषिका है वह राजस्थान प्रदेश झेल रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट और विधान सभा की यह प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी और ज्यादा चिन्ता का विषय है, मैं यह समझता हूं उचित होगा कि राज्य सरकार की तरफ से मुख्य मंत्रीजी या अकाल राहत मंत्रीजी कम से कम सदन को विश्वास में लें और यह बताएं कि क्या वहां पर पैकेज हुआ है, क्या सार्ट आउट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर आप कोई चर्चा करेंगे, उस पर सरकार से आपको जानकारी दिला देंगे। श्री गोविन्द सिंहजी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ.4 (4) पीआर/एल एण्ड जे/2002/290 दिनांक 14.2.2003 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) अधिसूचना संख्या एफ.186(3) अकाउंट–आडिट/97/186 दिनांक 30.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ.28() वीएलुडब्ल्यू/ सेल/ पीआरडी/ एड्म.2/2002/2326 दिनांक 31.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (संख्या 180 व 186 से 191)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2002–2003 के सात प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1990–2000 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद 4.21 व 4.22 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 180वां प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 1991–92 के 36वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 186वां प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति, 1991–92 के 38वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 187वां प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 के पैरा संख्या 3.15, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16 व 4.17 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 188वां प्रतिवेदन।

(5) जन लेखा समिति, 1991–92 के 33वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 189वां प्रतिवेदन।

(6) वर्ष 1989–99 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 190वां प्रतिवेदन।

(7) वर्ष 1999–2000 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 191वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (संख्या 7)

श्री दिग्विजय सिंह (सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2002–2003 के सप्तम् प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती जकिया।

अधीनस्थ एवं विधान सम्बन्धी समिति (संख्या 2)

श्रीमती जकिया (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2002–2003 के द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करती हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–41 सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,87,83,67,000 (चार अरब सतासी करोड़ तिरासी लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या–41 पर कटौती प्रस्ताव

श्री अमीन खान (शिव)

1. रेगिस्तानी जिलों में 2001 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

2. ग्राम पंचायत बिलासपुर पंचायत समिति उनियारा के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 332 व 353 के अन्तर्गत मुकदमा थाना नगर फोर्ट में दर्ज होकर अदालत में चालान प्रस्तुत होने के बाद भी उसे रा.प. अधिनियम 1992 के अन्तर्गत पद से हटाने हेतु विभागीय पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

3. पंचायत समितियों में विधायक विकास कोष से कार्य करने की अनुशंसा में समिति गठित कर कार्य करने के लिए निर्देशिका में उल्लेख नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

4. ग्राम पंचायत खेलनिया सरपंच, पंचायत समिति उनियारा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुएं गत वर्षों के अकाल राहत कार्यों में धन का अपव्यय करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

5. पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार अधिक शक्ति सम्पन्न बनाने पर चर्चा के लिये।

6. पंचायती राज के विभिन्न स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

7. विधान सभा क्षेत्र धोद में पंचायत समिति का भवन निर्माण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. राज्य में ग्राम पंचायतों के अधीन शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स एवं शिक्षाकर्मी कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु विभागीय पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

10. जिला परिषद् एवं ग्रामीण विकास का एकीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. सामुदायिक विकास हेतु पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

12. हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति के विशाल आकार के कारण सामुदायिक विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

13. पंचायत समिति को अजमेर जिले में समय पर सम्बन्धित कार्यों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

14. ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं में पारित प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

15. ग्राम कूचलवाड़ा कलां पंचायत अंचा पंचायत समिति जहाजपुर की आबादी भूमि संख्या 599 में लाखों रुपये की लागत की भूमि पर नाजायज तौर से अतिक्रमण को हटाकर पंचायत को

(श्री दिग्विजय सिंह)

सुपुर्द करने हेतु विभागीय पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधायक द्वारा विधायक विकास कोष से दिये जाने वाली राशि के उपयोग हेतु विधायक द्वारा कार्य कराने के लिए पंचायत स्तर पर कमेटी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

17. पंचायती राज व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

18. बीकानेर की तहसील कोलायत में गत तीन वर्ष में अकाल राहत कार्यों की शिकायतों में प्राथमिक जांच में सरपंच व कनिष्ठ अभियंता को दोषी पाये जाने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने तथा निलम्बन कार्यवाही नहीं करने के बावजूद दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

19. ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में किये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. ग्राम पंचायत में 250 कि आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को डामर सड़क से जोड़कर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. 5000 की आबादी को घटाकर 2000 की आबादी के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु विभागीय पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मील, कारखाने, उद्योग व पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु विशेष अनुदान व रियायतें देने के लिये विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

24. ग्रामीण क्षेत्र में अन्य विकास कार्यक्रमों पर अधिक राशि व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

26. भरतपुर जिले में माडा योजना बन्द कर देने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

27. मेवात क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास हेतु पर्याप्त राशि के आबंटन हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में अप्रारम्भिक ऊर्जा स्रोत विकसित कर अविद्युतीकृत ग्रामों में ऊर्जा स्रोत विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

29. राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन 1981 के अनुसार एवं पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सर्किलों का पुनर्गठन 1991 के अनुसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

30. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर के सारे सरकारी संस्थान पंचायत के अधीनस्थ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का आर्थिक विकास के मानदण्ड निर्धारित कर गरीबी का उन्मूलन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. पाली जिले में सोजत पंचायत समिति में गजनाई व रायपुर में सीरया, कालव खुर्द, खीवल, रामगढ़, सेडोतान, मेसिया, सोडपुरा में नयी ग्राम पंचायतें सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

33. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के पंचायत समिति रानी व सादड़ी नगर के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

34. बारां जिले की छबड़ा पंचायत समिति के ग्राम सागोड़ा के पास अंजेरी नदी पर एनीकट बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. पंचायत समिति हरनावदा शाहजी में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. छीपाबड़ौद (बारां) में सामुदायिक भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. छीपाबड़ौद (बारां) में सुलभ शौचालय काम्पलैक्स निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. छबड़ा तहसील के ग्राम घाटाखेड़ी के नाले पर एनीकट बनवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

39. जिला परिषदों के प्रमुखों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कार्यभार के अनुसार कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ाये जाने के कारण कार्य संचालन में आ रही बाधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के मौजूदा सरपंच और दो पूर्व सरपंचों के खिलाफ चल रही कार्यवाही में सरकार द्वारा शिथिलता बरते जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. ग्राम पंचायत लाछड़ी पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर का मुख्यालय लाछड़ी के स्थान पर ग्राम फिरवासी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में सभी प्रसार अधिकारियों के पद वर्षों से रिक्त होने के कारण कार्य में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

44. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर बनाई गई घटिया सी.सी. रोड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. निम्बली माण्डा में बावरियों के वास में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. गुडा दोलजी पंचायत समिति राणी में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. राणी पंचायत समिति व ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये पक्के निर्माण कार्यों के भुगतान में बरती जा रही शिथिलता पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में अनियमितताओं के दोषी आनन्द कुमार कनिष्ठ अभियंता को शिकायतों के बावजूद तीन बार हटाये जाने के उपरान्त भी वापस लगाये जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

49. दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कराये गये निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिला जयपुर की पंचायत समितियों को विकास कार्यों के लिए आबंटित की गई राशि पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल)

51. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में एस.जे.एस.वाई., जे.आर.वाई. योजनाओं में दी गई राशि से पुख्ता कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. ग्रामीण विकास हेतु डी.आर.डी.ए. के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में दी गई राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

53. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत बसौली, काछोला में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत हिण्डौली, मेंढी में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत सथूर, बडानया गांव, चतरगंज, सहजपुरया, खीनियां, बसौली, भवानीपुरा, सांवतगढ़ में इन्द्रा आवास व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बीपीएल/बेसहारा अग्नि पीडितों को आवास सुविधा मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

56. शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक के विरुद्ध जिला परिषद्, जयपुर की दिनांक 11.2.2003 की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न किये जाने से जनप्रतिनिधियों में उत्पन्न आक्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. पंचायतों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. सरकार द्वारा पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत राज्य की पंचायतों को अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. जिला प्रमुख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-41 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास की इस महत्वपूर्ण मांग पर सदन में विचार हो रहा है, उसमें संक्षेप में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपको विदित है कि राजस्थान में पंचायती राज की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

स्थापना पंचायती राज एक्ट, 1953 से शुरू हुई थी और उसके बाद में इसका विकेन्द्रीकरण सन् 1959 में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घाटन राजस्थान में नागौर में किया था। उस समय में

(13.30 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

पंचायत समिति का प्रधान था। आप हमेशा पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि 1959 के पंचायती राज कानून से जो पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदें कार्यरत थीं वे कानूनन आज के मुकाबले ज्यादा सशक्त थीं। उस समय के पंचायती राज कानून में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आज के मुकाबले ज्यादा अधिकार थे, काम करने की ज्यादा स्वतंत्रता थी। आज आपने 73वें संविधान संशोधन का हवाला देकर बात तो यह कही है कि पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा मजबूत किया गया है। वास्तव में पंचायती राज एक्ट में तो यह व्यवस्था कर दी और उनको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया लेकिन इनके काम करने का इनको साधन उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे उनकी स्वतंत्रता का मामला हो, जिस मंशा से इसकी स्थापना की गयी थी उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई दिनों से यह प्रचार किया जा रहा है कि जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं, प्रमुखों को अधिकार दिये गये हैं। अधिकार क्या दिये हैं? कि जिला विकास अभिकरण का अध्यक्ष बना दिया। सिवाय मीटिंग की अध्यक्षता करने के उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि अभी आपने मेरे एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दिया था कि हमने प्रमुखों को ये-ये अधिकार दिये हैं। उसमें अधिकार यही हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की मीटिंगों की अध्यक्षता करना और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यक्रमों का प्रचार करना। अब प्रचार करना ही कोई अधिकार है तो प्रचार तो कोई भी कर सकता है, प्रमुखों की क्या जरूरत है? यह मामला बार-बार सरकार के ध्यान में लाया गया, विधान सभा में भी चर्चा हुई लेकिन इस ओर आगे कोई कदम अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रगति प्रतिवेदन में आपने कहा है कि हम जिला परिषद् और ग्रामीण अभिकरणों का विलीन करके उसमें सम्मिलित करेंगे। यह बात आप दो-तीन साल से कह रहे हैं। अब आपका इसमें क्या विचार है, कब तक इसको करना चाहते हैं, यह जब आप उत्तर दें उसमें स्पष्ट होना चाहिए।

दूसरा, मैंने साल भर पहले भी यह बात कही थी कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कार्यभार के आधार पर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

या कार्यभार के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या नहीं है। कार्यभार रोज बढ़ता जा रहा है, नयी–नयी स्कीमें पंचायत समितियों के पास भेजी जा रही हैं और स्टाफ के मामले में गिनती का स्टाफ है। मैंने अभी कहा, 1959 में जो पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत समितियां और जिला परिषदें थीं उनमें अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? उस समय के मुकाबले आज कितनी संख्या है? उनके पास कार्यभार क्या है? इसलिए आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। आपने पोस्टें दे रखी हैं उसमें भी कोई अधिकारी नहीं हैं। आपने इस प्रगति प्रतिवेदन में यह बताया है कि पंचायत समितियों में 236 सहकार प्रसार अधिकारियों के पद सृजित हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी कहीं कार्यरत नहीं है। इतनी ही संख्या पंचायत प्रसार अधिकारियों की दे रखी है। वे भी कहीं कोई हों तो पता नहीं है, लेकिन पंचायत समिति लाडनूं में यह पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है। इतनी ही संख्या आपने प्रगति प्रसार अधिकारी की दे रखी है, लेकिन कोई भी प्रसार अधिकारी पंचायत समितियों में कार्यरत नहीं है। जितना वर्क लोड आज पंचायत समितियों के पास है, जिला परिषदों के पास है, उसके हिसाब से आपको अधिकारियों के पद सृजित करने चाहिए और जो पद सृजित हैं उनमें आपको नियुक्ति करनी चाहिए।

तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक ओर तो आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें जिस प्रकार से जिला प्रशासन का हस्तक्षेप है, वे उनको संवैधानिक संस्था नहीं मान रहे हैं। जिला कलक्टर विकास अधिकारी में और तहसीलदार में कोई फर्क नहीं समझता है। वह जिस प्रकार का व्यवहार तहसीलदार से करेगा, उसी प्रकार का व्यवहार विकास अधिकारी से कर रहा है। यही बात मैंने साल भर पहले कही थी और वही आज दोहरा रहा हूं। पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कलक्टर का हस्तक्षेप उतना ही होना चाहिए जितना उनको एक्ट में अधिकार दिये हुए हैं। सरकारी विभाग हैं उनमें और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के साथ व्यवहार में उसको भेद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिसके कारण भी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में बाधा उपस्थित होती है।

आपने कार्यभार बढ़ाया, उसके साथ साथ जिला लेवल पर मीटिंगों की संख्या इतनी बढ़ा दी कि विकास अधिकारी तो जिला और पंचायत समिति के बीच में ही घूमता रहे। आप भी मंत्री महोदय जिला लेवल की मीटिंगों में जाते हैं, वहां विकास अधिकारी को कोई पूछता नहीं है, वह वहां बैठकर आ जाता है। दो–तीन दिन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बाद में फिर मीटिंग हो जाती है और वह जाकर आ जाता है। अगर सूचनाएं लेने का काम विकास अधिकारी से हो तो सूचनाएं तो कोई बाबू लेकर चला जाए। आज इतने साधन हो गये हैं, फैक्स से भेज दें। लेकिन उसको मीटिंगों में इतना उलझा रखा है कि वह अपना काम कर ही नहीं सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी आफिसों में और इन पंचायती राज संस्थाओं के आफिसों में जिला प्रशासन को भेद करना चाहिए और उनको एक्ट में अधिकार दिये हुए हैं उस सीमा तक ही उसका प्रयोग करना चाहिए।

तीसरा, जो भी मामले पंचायती राज प्रतिनिधियों के खिलाफ आपके विभाग में हैं उनका निर्णय वर्षों तक नहीं होता है। रही सही कसर अब यह निकाल दी, कहा तो यह गया कि तत्परता से निर्णय हो इसलिए सम्भागीय आयुक्तों को अधिकार दे दिये लेकिन उसमें भी कोई न तो प्रगति हो रही है और न जल्दी इसका निस्तारण हो रहा है। जिन सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद दो-दो, तीन-तीन चुनाव हो गये, आप उनकी जांच करवा रहे हो, कभी उसमें निर्णय दे देते हो, कभी उस निर्णय को वापस खोल देते हो। न तो उनका पीछा छूटे और दूसरे लोग इसी बहाने कि फलां ने वह गबन किया, उसके खिलाफ क्या हुआ? तीसरी बार चुनाव हुए, कुछ नहीं हुआ। इससे दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ता है। इसलिए यह अधिकार राज्य सरकार के पास ही होना चाहिए। पूर्व में यह व्यवस्था थी, तब भी यही व्यवस्था आई कि चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकारी किसी भी प्रकार मंत्री स्तर पर ही होना चाहिए, अधिकारियों के स्तर पर नहीं होना चाहिए। पूर्व का आपकी सरकार का यह डिसीजन भी है, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए।

आपने कई बार घोषणा की कि हरेक पंचायत में एक अलग से ग्राम सेवक होगा, आज तक उस घोषणा की अनुपालना नहीं हुई। गत वर्ष कुछ ग्राम सेवक लगाये, लगाए ऐसे ग्राम सेवक जैसे चुंगी नाके पर काम करने वाले हो। जब चुंगी खतम हो गई और उनका वहां काम नहीं हुआ तो आपके भेज दिए और आपने ग्राम सेवक बना दिये। उनकी न तो सर्विस पंचायती राज संस्थाओं की हुई। इसी प्रकार कोई ट्रेनिंग करके पटवारी आ गया, उसको आपने 1200 रुपये में लगा दिया। आज जबकि पंचायती राज संस्थाओं में इतने पैसों का लेन-देन हो रहा है, फेमिन में करोड़ों रुपयों का काम हो रहा है, इसके अलावा भी ग्रामीण विकास के इतने कार्य चल रहे हैं। जिस कर्मचारी की कोई सर्विस नहीं, उनके हाथ से लाखों रुपये के काम आप करवा रहे हो, फिर आप

(श्री हरजीराम बुरड़क)

इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर रहे हो, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

मेरी पंचायत समिति में एक ग्राम सेवक लगाया है। मौसम विभाग का वह कोई कर्मचारी था, उसको 350 रुपये तनखाह मिलती थी, उसको वहां भेजकर ग्राम सेवक लगा दिया। वह जब तक वहां रहा, महीने के 350 रुपये तनखाह उठाता रहा। उसको न कोई पंचायती राज से लेना न दूसरे किसी राज से लेना-देना। उसको कुछ आता-जाता ही नहीं था इसलिए वह 350 रुपये में इतने वर्ष तक बैठा था। (व्यवधान) भविष्यवाणी अब यह हो रही है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपको ग्राम सेवक, सक्षम ग्राम सेवक लगाना चाहिए।

अभी एक अतारांकित सवाल के जवाब में आया था कि जो कोई सरप्लस कर्मचारी होंगे, वे आएंगे तो हम लगा देंगे। उन सरप्लस कर्मचारियों को पंचायती राज के बारे में न तो कोई नालेज है और पंचायती राज सर्विस के कर्मचारियों के लिए रूल्स बने हुए हैं। आपको यह जानकारी है कि सरकारी डिपार्टमेंट में तो आप भेज सकते हैं लेकिन पंचायती राज एक्ट के हिसाब से इनके सलेक्शन रूल्स बने हुए हैं, उसमें जिला लेवल पर कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के हिसाब से उनका चयन होता है। फार्म मांगे जाते हैं उनका इन्टव्यू होता है, फिर सलेक्शन होता है और सलेक्शन के बाद में अपाइंटिंग अथारिटी पंचायत समिति है। जैसे कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए हुए कर्मचारियों को सरकार नियुक्त करती है, उसी हिसाब से डी.ई.सी. द्वारा चयनित कर्मचारियों की सेवाएं पंचायती राज संस्थाओं की हैं और उनकी अपाइंटिंग अथारिटी पंचायत समिति है। जो कर्मचारी आपने ग्राम सेवक के पद पर नगरपालिका से लेकर लगाये थे, उनमें कई डाइरेक्टर, लोकल बाडी से ट्रांसफर कर दिये, कई वापस लोकल बाडी में चले गये। तो कहीं कोई आप व्यवस्था तो करो, जो एक्ट में व्यवस्था है। आप खुद भी इस एक्ट को नहीं मानो, फिर आप नीचे वालों से क्यों आशा करो कि इस एक्ट की पालना होगी? क्यों कोई कानून को मानेगा?

आज पंचायती राज कर्मचारियों की सेवा, जब चाहे ट्रांसफर कर दे। एक्ट में यह व्यवस्था थी कि इनके ट्रांसफर के लिए अलग से नियम बने हुए हैं और विशेष परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करने का रूल्स में कोई प्रोविजन किया था लेकिन आए दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। किसी मास्टर को कहीं भेज दिया, किसी ग्राम सेवक को कहीं भेज दिया। आज पंचायती राज संस्थाओं को आपने प्राइमरी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

एजुकेशन सौंप दी। प्राइमरी एजुकेशन में आपने क्या सौंपा? प्राइमरी एजुकेशन में आठवीं तक की एजुकेशन है। कभी तो आप आदेश निकाल दो कि इनकी सेवाएं पंचायती राज की हो गईं और बाद में आदेश निकाल देते हैं कि नहीं, इनकी सेवाएं पंचायतों की नहीं हुईं। कभी ट्रांसफर के लिए कोई तरह की व्यवस्था आप कर दो और दूसरे दिन उसको कैंसिल कर दो और तीसरे दिन फिर तीसरी कर दो। कहीं तो आप इसको टिकाओ। एजुकेशन का अलग आफिस आपने पंचायत समिति में खोल दिया, आज आर्डर निकालते हैं कि ये तो बी.डी.ओ. के अण्डर में रहेंगे और दूसरे दिन निकाल देंगे कि ये तो अलग से हैं। तो कोई न कोई व्यवस्था तो आप ऐसी करो जो स्थायी हो। आज पंचायती राज संस्थाओं के मास्टरों के ट्रांसफर की क्या हालत है? पांचवीं तक की तो आपने अलग कर दी, छठी से आठवीं तक की अलग कर दी। फिर पंचायती राज संस्थाओं को प्राइमरी एजुकेशन सौंप दी, यह क्या है? कभी आदेश निकाल दिया कि पंचायती राज संस्थाएं ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर कर दें तो वापस कैंसिल कर दो। आप कहीं न कहीं कोई ऐसी व्यवस्था तो करो जिससे ये चल सकें।

पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि विकास अधिकारियों की एक अलग से सेवा होनी चाहिए। आज राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में पंचायत समितियां हैं, इनके लिए अलग से सेवा का कैडर होना चाहिए। इससे कम संख्या वाले कर्मचारियों के लिए आपने अलग से सेवा कैडर बना रखा है तो कैडर इनके अलग बनाना अति आवश्यक है। दूसरा कारण इनको अलग बनाने का यह भी है कि सरकारी विभागों में तो आज आपने किसी विभाग में लगा दिये, दूसरे विभाग में लगा दिये, अलग यह बात है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकलाप ही अलग से है। आज आपने कहीं तो ए.ईएन. को लगा दिया, कहीं किसी मास्टर को लगा दिया, कहीं और किसी सर्विस का पकड़ कर लगा दिया, कहीं आपने आर.ए.एस. लगा दिया। आर.ए.एस. के जितने दिन जंचे, ठीक है, नहीं तो ट्रांसफर कराकर वह दूसरी जगह चला जाएगा। जब तक उसको इस पंचायती राज की समझ आए तब तक आप किसी ए.ईएन. को उठाकर दूसरी जगह भेज देंगे। कई बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया हुआ है कि हम पंचायती राज संस्थाओं का कैडर अलग से बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल निर्णय नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस पंचायती राज को मजबूत करना चाहते हो तो कम से कम यह तो आप काम कर सकते हो कि इसकी सेवा का कैडर अलग हो। पंचायती राज में काम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किये हुए जो आदमी हैं वे उसी व्यवस्था में काम करेंगे तो सही रूप से काम करेंगे और सही काम समझेंगे। आज भी आपको विकास अधिकारी को तनखाह तो देनी ही पड़ रही है। उसमें न तो कोई अलग से आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, यह सिर्फ आपको मानसिक रूप से निर्णय लेना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल आपको इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेकर पंचायती राज संस्थाओं की सेवा का कैडर अलग से बनाना चाहिए।

दूसरा, मैं अपनी पूर्व बात को दोहरा रहा हूं कि प्रसार अधिकारियों के शत प्रतिशत स्थान खाली पड़े हैं, उनमें कम से कम आधे तो लगाने चाहिए। मेरी पंचायत समिति में एक भी प्रसार अधिकारी नहीं है और वर्षों से नहीं है। इसलिए आपको इस सम्बन्ध में भी तत्काल कदम उठाने चाहिए और प्रत्येक पंचायत में सलेक्शनशुदा ग्राम सेवक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद उसको पारित किया जाएगा। सभापति महोदय, देश आजाद होने के बाद में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई कि गांवों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले और गांव के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लेना हो, ग्राम पंचायत के स्तर पर लिया जाए। आपकी भी जानकारी में है, सभापति महोदय, कि शुरू में जब पंचायतों का चुनाव होता था, गांवों के अन्दर पीम्पे रखे जाते थे। पहले तो हाथ खड़ा कराया जाता था, फिर जब लोगों को लगा कि हाथ खड़ा करने में व्यक्ति सही निर्णय नहीं करता है, कुछ पुराने प्रभावी लोगों के दबाव में हाथ खड़े कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यवस्था को चेंज किया और उसके बाद में गुप्त मतदान के तरीके से जन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया। पंचायती राज में वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच के चुनाव की व्यवस्था की गई। पंचायत समिति, जिला परिषद में यह व्यवस्था शुरू से चल रही है। इसके बाद में नागौर में सम्मेलन हुआ, तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी यहां पर आये। हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान का जो सम्मेलन हुआ वह नागौर राजस्थान में हुआ तो पंचायती राज के दृष्टिकोण से राजस्थान का अहम रोल उसमें रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 73वें संविधान संशोधन के बाद में जो परिवर्तन हुआ, उस समय भैरोंसिंहजी की सरकार थी। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को पंचायत चुनावों के अन्दर स्थान दिया गया, महिलाओं को स्थान दिया गया, उसके

(श्री सांवर लाल)

बाद इन लोगों की भागीदारी भी इसमें बनी। माननीय सभापति महोदय, जो समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय बुरड़क साहब ने आपको काफी कुछ बताया। पंचायतों के जो अधिकार होने चाहिए वे अधिकार आज तक नहीं दिये गये। ग्राम सभा और वार्ड सभा के नाम पर बार बार मीटिंगें की जाती हैं, उसके बावजूद इन चार साल के अन्दर किसी प्रकार के अतिरिक्त संसाधन उनको राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाये गये। कहने के नाम पर जब कांग्रेस सत्ता में आई उस समय इन्होंने लम्बी-चौड़ी पंचायती राज के सम्बन्ध में बातें बताईं। इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में दिया "निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार नौकरशाहों को सौंप दिये। कांग्रेस अपनी पुरानी मान्यताओं और आस्थाओं को दोहराते हुए घोषणा करती है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायती राज संस्थाओं को पुराने अधिकार वापस दिलाए जाएंगे, ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 और 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा। संविधान की अनुसूची 29 में सम्बन्धित योजनाओं को पंचायती राज को सौंप दिया जाएगा।" यह इनकी घोषणा है, माननीय सभापति महोदय। आज चार साल हो गये, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कौनसे वित्तीय अधिकार इन्होंने चार साल के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को दिये? जिला परिषद् में जिला प्रमुख को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, एक अध्यक्ष के नाते उनके पास कोई शक्ति नहीं है, सारी फाइनेंशियल और प्रशासनिक शक्तियां सैक्रेटरी या कलक्टर में निहित करती हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि इससे ज्यादा मजाक जनता के साथ नहीं कर सकते।

इन्होंने जो घोषणा-पत्र में दिया कि "गत वर्ष पंचायती राज के ढांचे में जो परिवर्तन किये गये, डी.आर.डी.ए. जिला परिषदों को सौंप दी जाएगी", आज चार साल में तो सौंपी नहीं।

सभापति महोदय, उसके बाद यह बजट भाषण है इसमें इन्होंने दिया है और हर साल इसको दोहराते रहते हैं। अब पता नहीं ये जाने वाले हैं, फिर भी इन्होंने लिख दिया। ये पांचवां बजट पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है-"राजस्थान की तीन चौथाई आबादी अभी भी गांवों में रहती है। अतः हमारी ग्रामीण जनता की उन्नति ही राज्य के विकास का पर्याय है। हमने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा था कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देकर मजबूत किया जाएगा।" चार साल के बजट में किया

(श्री सांवर लाल)

नहीं और पांचवें में और दे दिया, अब ये कब करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

आगे लिखा है–"स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं निश्चित की जा सकें तथा इनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सक, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। ग्रामीण विकास से सीधे जुड़े हुए विभागों, कर्मचारियों एवं योजनाओं का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जा रहा है।" कब सौंपा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चार साल में तो सौंपा नहीं, अब इनके उतरने के बाद सौंपेंगे। यह जनता के साथ मजाक है, माननीय सभापति महोदय। "चालू वर्ष में जनवरी, 2003 तक ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के अंशदान सहित कुल 494 करोड़ 91 लाख रुपये की तुलना में 519 करोड़ 8 लाख रुपयों का व्यय किया गया है जो प्राप्त राशि का 104 प्रतिशत से अधिक है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भी" आगे लिखा है..."चार वर्ष के लगातार अकाल के कारण उत्पन्न कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारा राज्य उन चंद अग्रणी राज्यों में है जहां छोटे बच्चों को विद्यालय में दोपहर के भोजन के रूप में "घूघरी" खिलाई जाती है।" माननीय सभापति महोदय, घूघरी खिलाई जाती है, पर यह तो इनको लिखना चाहिए, इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि घूघरी में केन्द्र सरकार का भी योगदान है। सारा गेहूं इनको मुफ्त में मिलता है, इनको तो केवल पकाने का खर्चा वहन करना है। इसके बावजूद भी ये सफाई से इस बात को पेश कर रहे हैं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। "इस कार्यक्रम के तहत 60 हजार विद्यालयों के 70 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।" इस भोजन में भारत सरकार के द्वारा गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, इनकी तरफ से केवल पकाई का खर्चा, जिसमें ईधन आप ले सकते हैं और वो भी मेरे खयाल से स्थानीय स्तर पर सारी व्यवस्था होती है। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी तरफ से संसाधन उपलब्ध कराने या वित्तीय अधिकारी देने की चार साल में कोई भी कार्यवाही राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई।

श्री मदन दिलावर : ये तो केवल घूघरी का घूघरा बजा रहे हैं।

श्री सांवर लाल : इन्होंने यहां एक सम्मेलन किया था...

श्री सभापति : सामुदायिक विकास का मामला है, आपकी समझ से बाहर है।

श्री मदन दिलावर : घूघरी का घूघरा बजा रहे हैं।

श्री सभापति : हां, ठीक है, आप बिराजो।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, जब हमने मांग की थी कि राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, आप अकाल की स्थिति में विशेष अधिवेशन बुलाएं और इस भीषण समस्या पर चर्चा कीजिए, उस समय इन्होंने पंचायती राज सुदृढ़ीकरण के ऊपर अधिवेशन बुलाया। लेकिन इतना समय जाने के बाद में आज तक इन्होंने इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमने यह कर दिया। आप यह देखिए, जो एम.एल.ए., एम.पी. की योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं का पंचायती राज के माध्यम से निष्पादन होता है, उसमें कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में आज के अढ़ाई साल पहले सांसद रासासिंहजी रावत के फण्ड से एक पानी की टंकी के निर्माण की स्वीकृति हुई। आज अढ़ाई साल से वह पैंडिंग पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विधायकों के फण्ड का ही इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं तो दूसरे फण्ड का क्या हो रहा होगा?

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की संस्थाओं के जन प्रतिनिधि जो भी हैं, उनके विरुद्ध गबन, घोटाले और भ्रष्टाचार के कोई आरोप हों या दो से अधिक संतानों के मामले लम्बित हों तो मैं आपको कह सकता हूं विश्वास के साथ कि इस मामले को जिस भावना के साथ एक्ट में लाया गया उस भावना के हिसाब से लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें भी राजनीतिक भेदभाव है। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि दो से अधिक संतानों के मामले में कितनी शिकायतें आपके पास लम्बित हैं? कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ? जिनका भी निस्तारण नहीं हुआ है वे सब कांग्रेस समर्थित होंगे, उनके मामले में सरकार कार्यवाही करना नहीं चाहती। माननीय सभापति महोदय, 3135 प्रकरण सम्भागीय आयुक्त के स्तर पर लम्बित हैं। ये लम्बित क्यों हैं? इतने लम्बे समय तक अगर ये लम्बित हैं, इन पर कार्यवाही नहीं होती तो इस प्रकार के प्रकरणों का महत्व क्या रह जाएगा? 332 राजस्थान सरकार के स्तर पर लम्बित हैं। मंत्री महोदय, इसमें भी राजनीतिक द्वेषता की वजह से कार्यवाही होती है, इसलिए जितने सरपंचों को आपने निलम्बित किया है, लगभग सब को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे आदेश दिये हैं। उसमें फिर आपकी सार्थकता क्या रह जाती है?

माननीय सभापति महोदय, चौपाल है, चौपाल यहां पर जयपुर में बनाया गया

(श्री सांवर लाल)

है और इसलिए बनाया है कि राजस्थान के गांवों के जनप्रतिनिधि यहां आएं तो उनके उनको ठहरने की, रहने की, खाने पीने की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। चार साल में इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि वहां पर किसी प्रकार का साधन नहीं है। पलंग है तो गद्दा नहीं है, गद्दा है तो पलंग नहीं है। कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी नौकर चाकर नहीं हैं। आप उसको कोई बजट ही नहीं दे रहे हैं। बजट नहीं देंगे तो फिर उनकी व्यवस्था कैसे होगी? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौपाल जिसमें गांवों के जनप्रतिनिधि ठहरते हैं, उस चौपाल को भी आप पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध करवाइये जिससे वहां पर आने वाले जनप्रतिनिधि का विश्वास बना रहे कि जिनको हम आगे चुन कर भेजते हैं और जो राज करते हैं, वे कम से कम जयपुर में हमारे रहने, करने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से कर रहे हैं। इस प्रकार का उनमें विश्वास पैदा हो, यह बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। अविश्वास प्रस्ताव जो पास होता है, चाहे सरपंच के खिलाफ हो, चाहे नगरपालिका के खिलाफ हो, आपकी जानकारी में है या नहीं है, यह स्वायत्त शासन से सम्बन्धित मामला है कि not less than 2/3rd majority जब पास करती है तब ही वह चाहे चेयरमैन हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो या प्रमुख हो, हटता है। सरवाड़ नगरपालिका में इससे कम पर नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन को हटा दिया गया। इससे ज्यादा कानून विरोधी काम, माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, not less than 2/3rd majority उसके बावजूद भी सरवाड़ नगरपालिका के चेयरमैन को जब सरकार नई नई बनी थी उस समय हटा दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, कहने में तो सरकार कहती है और आते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जितने भी इर्रिगेशन के जो तालाब थे उन सारे तालाबों को पंचायती राज को दे दिया। इसका बड़े जोर–शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि हम हमारे अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन, आज चार साल से जो तालाब टूटे हुए हैं, यह लिस्ट तो मेरे पास है, माननीय मंत्री महोदय, अजमेर जिले के एक भी तालाब को इन चार साल के अन्दर ठीक करवाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है। मेरे सवाल के जवाब में कहा है, क्या सरकार क्षतिग्रस्त तालाबों को

(श्री सांवर लाल)

बरसात का मौसम आने के पहले ठीक कराने का विचार रखती है? जी नहीं, इन तालाबों की मरम्मत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, अशोक उद्यान जोधपुर में बनाने के लिए तो आपने प्रावधान कर दिया, और दूसरे काम शहरों के अन्दर आप करवा रहे हो उनके लिए तो प्रावधान कर दिया, पर तालाब ठीक करवाने के लिए प्रावधान आपने नहीं रखा है। क्या आप यह सपना लेकर चलते हो कि आपका राज रहेगा तब तक किसी प्रकार की बारिश नहीं होगी? और बारिश होगी तो पानी बहकर चला जाएगा? किसानों की आपको चिन्ता नहीं, आज राजस्थान के किसान भयंकर अकाल से जूझ रहे हैं। अगर भगवान मेहरबान हो जाए और चौमासा के अन्दर बरसात आ जाए तो राजस्थान के सारे तालाब टूटे हुए हैं, मंत्रीजी, आपके भरोसे तो किसान मर जाएं पर आप लोगों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम इसमें टी.एफ.सी. या इलेवंथ एफ.सी. का पैसा जो...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आपका प्रश्न आया था, जो सिंचाई विभाग ने हमें तालाब दिये हैं उनके साथ उन्होंने कोई भी न तो स्टाफ दिया है और न धन दिया है। फिर भी मैंने सभी कलक्टर्स को ये आदेश दिये हैं कि अकाल राहत के काम जो चल रहे हैं उनमें प्राथमिकता से जितने भी तालाब टूटे हुए हैं उनका काम करवाया जाएं।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, एक योजना चल रही है भारत सरकार की जिला स्तरीय वाटर एण्ड सेनिटेशन स्कीम। भारत सरकार पैसा देती है। इसमें कितना राज्य सरकार का है, मेरी जानकारी में नहीं है, पर 10 परसेंट पैसा इसके अन्दर जन सहयोग का होता है, गांव गांव में समितियां बनती हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह बंदिश, जयपुर की मेरे पास शिकायत आई है, कि वहां पर जो पाइप डलता है उसमें केवल सीमेंट का पाइप डलेगा। अब कहीं जैसे दूदू के आसपास का एरिया जहां पर असर जमीन है, सीमेंट का पाइप डलता है तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा। वहां के लोग चाहते हैं कि हमें पी.वी.सी. के पाइप की अनुमति मिलें। परन्तु अधिकारी अपने लेवल पर टेंडर करते हैं चाहे खोदने का हो, ट्यूबवैल लगाने का हो, चाहे पाइप खरीदने का हो और एक लिस्ट उन कमेटियों को सम्भला देते हैं कि आप इन ठेकेदारों से सम्पर्क करिये, उनसे सम्पर्क करके यह माल खरीदिये। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्रीजी, कि भारत सरकार की ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जिला स्तरीय अधीक्षण अभियंता वाटर एण्ड सेनिटेशन कमेटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए और

(श्री सांवर लाल)

इन कमेटियों को स्वतंत्र कीजिए। कमेटी जब 10 परसेंट पैसा देती है, कमेटी अपने आप टेंडर करेगी। कमेटी और गांव वाले मिलकर जो वहां पर सामान चाहिए, वह सामान खरीदने की स्वतंत्रता उनको मिले। इस प्रकार की व्यवस्था आप करवाएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। बाकी जिस तरह के उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने यह योजना शुरू की है उस योजना की सफलता संदिग्ध ही लगती है, माननीय सभापति महोदय।

अब यह एक और दिया है, माननीय सभापति महोदय, इससे पता लगता है कि ये कितने गंभीर हैं पंचायती राज के प्रति। पंचायती राज संस्थाएं सहकारी निकायों को हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी विषयों पर विचार कर विषयों से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों को मय समुचित स्टाफ, प्रशासनिक शिकायतों और वित्तीय अधिकारों के हस्तान्तरित करने हेतु गृह मंत्री के संयोजन में 15.6.2002 को गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा रिपोर्ट 2.8.2002 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई जिस पर विधान सभा के 26 से 30 तक चलने वाले नवम् सत्र में 27-28 अगस्त को पुनः चर्चा की गई। विधान सभा सत्र के दौरान आये सुझावों पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा पुनः चर्चा की गई और रिपोर्ट 2000 राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। माननीय मंत्री महोदय, यह प्रतिवेदन 2002 का है, आपके पास पेश होगी सिफारिश, आपने विचार कर लिया, कमेटी ने विचार कर लिया, अब यह सरकार किसके इंतजार में है, आप इसको लागू करने की मानसिकता रखते हैं, कम से कम इन सब बातों का तो आप खुलासा करें।

आज पंचायत समितियों में स्टाफ की कितनी कमी है, सारी चर्चा आपको माननीय हरजीरामजी ने बताई। कहीं पर जे.ईएन. नहीं है, कहीं पर बाबू नहीं है, कहीं कैशियर नहीं है, कहीं अकाउंटेंट नहीं है। मास्टरों और शिक्षा की जो हालत इन्होंने की है, इन्होंने आते ही कहा हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे, आठवीं तक की शिक्षा पंचायती राज के अधीन कर देंगे। आपने आठवीं तक की शिक्षा पंचायती राज के अधीन कर दी? माननीय मंत्री महोदय, अपने पांचवीं तक की शिक्षा के लिए ब्लाक एजुकेशन आफिसर बैठा दिया, वह मनमर्जी से काम करता है। आपने स्थायी समितियां बना दी, स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश बिना प्रधान के अनुमोदित नहीं होगी, पर इन्होंने ऐसे ऐसे विकास अधिकारी लगा रखे हैं जो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहता है वह काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं को आप पंगु मत बनाओ, आप राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का हथियार मत बनाओ। उनको स्वतंत्र

(श्री सांवर लाल)

कीजिए और अगर बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के और कमेटियों के और कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं तो उन पर कार्यवाही करने का मन बनाइये। अगर आप मन नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार की जो भी आप कार्यवाही करते हैं या आपने प्रावधान किये हैं वे इसकी मूल भावना के खिलाफ होंगे। मेरा निवेदन है कि अपनी भावना को आप शुद्ध करिये और जिस उद्देश्य से हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता के लिए ग्राम स्वराज की हमने कल्पना की है कि गांव वाले अपना फैसला करें, जनप्रतिनिधियों का पंचायत समिति में, पंचायत समिति के प्रधान का और कमेटी का निर्णय मान्य हो, जिला परिषद् में जिला प्रमुख और वहां की कमेटियों का निर्णय मान्य हो, इस प्रकार की आप व्यवस्था कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, काफी विकास की योजनाएं, गांव के लोगों की भलाई की योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्पन्न होती हैं। लेकिन पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से और इन लोगों का ध्यान कम होने की वजह से लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। आज अकाल राहत के इतने काम चल रहे हैं, हर गांव के सरपंचों की और जनता की लड़ाई होती है क्योंकि पर्याप्त श्रमिक सीमा नहीं दी है। भारत सरकार द्वारा जो इनको नियमित पैसा मिलता है इसके अलावा करोड़ों रुपये और 30 लाख टन अनाज देने के बावजूद, पशुओं के लिए अनाज, चारे और पानी के लिए रेल फ्री करने के बावजूद भी जिस प्रकार की माकूल व्यवस्था जनता के लिए करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके जनप्रतिनिधि बड़े असहाय हैं। आज सरपंचों की हालत यह हो गई, अगर आप देखना चाहे तो मस्टररोल में नाम लिखने के दिन जाकर आप देख लीजिये। इसके अलावा गांवों के अन्दर वो कूपन ले-लेकर घूमते हैं, आपका कम्युनिटी डवलपमेंट होगा कैसे? लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट पढ़ना चाह रहा हूं-परिवर्तित सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, इसमें साफ दिया है आनुपातिक प्रभारों का अनियमित भुगतान। राज्य सरकार के स्पष्टीकरण के दौरान सार्वजनिक निर्माण खण्डों को आनुपातिक प्रभारों के रूप में 1.06 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है। अपूर्ण पड़े एनीकटों पर निष्फल व्यय-1.43 करोड़ की लागत पर निर्मित 33 एनीकट अपूर्ण पड़े हुए हैं जिनमें व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। सभापति महोदय, अब एनीकट है, उस एनीकट को अगर पूरा नहीं किया जाए तो जो पैसा लगा हुआ है उसका कोई

(श्री सांवर लाल)

महत्व नहीं है। जो पैसा गया वह फिजूलखर्ची में गया है। न उसमें पानी रुकेगा, न लोगों को किसी प्रकार का कोई फायदा मिलेगा। इसलिए, मंत्री महोदय, ऐसी बातें आपके ध्यान में आती हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इनके ऊपर ध्यान दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह रिपोर्ट किस साल की है?

श्री सांवर लाल : यह 2002 की है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, काम किस साल के अधूरे हैं।

श्री सांवर लाल : यह आपके जमाने का है। अगर मैं गलत बोलता हूं तो पढ़ लेना। मैं गलत बोलता नहीं हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। छोड़िये, नहीं मिल रहा है पुराना कागज।

डा. महेश जोशी : आज मजा ही नहीं आ रहा।

श्री सांवर लाल : आज ग्रामीण विकास में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मजा कैसे आएगा? मजा तो तब आता जब आप चार साल में कुछ करते। कई अनियमितता की शिकायतें हैं...

श्री सभापति : रहने दीजिये पुराना कागज, छोड़िये इसको।

डा. महेश जोशी : माननीय सांवर लालजी, आपने कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जाता है और काम करा लेता है, ठीक है। आपके टाइम में ऐसा नहीं होता था कि बी.जे.पी. का कार्यकर्ता काम करा लेता था, तभी आप उधर बैठे हो। कार्यकताओं की पूछ नहीं है आपकी पार्टी में, तभी उधर बैठे हो।

श्री सांवर लाल : हमारी पार्टी में जनता की पूछ है और जो कानून बनता है, बी.जे.पी. और कांग्रेस के...

श्री जीतमल खांट : आपके तो अकाल राहत में मजदूरों को मजदूरी पर नहीं लगाते। (व्यवधान) मजदूरी पर नहीं लगाये जा रहे हैं।

श्री सांवर लाल : कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बनता, कानून बनता है जनता के लिए और जनता के हिसाब से ही हम काम करते थे। अब आपकी हालत हमारे से भी कमजोर हो जाएगी।

डा. महेश जोशी : आपकी अभी से भी ज्यादा कमजोर होने वाली है।

श्री सांवर लाल : तो इसका मतलब आप चाहते हैं कानून ताक में रख दो? अधिकारियों को पढ़ाकर भेजते हो...

डा. महेश जोशी : हमारा कार्यकर्ता जो कहता है वह कानूनन ही कहता है और उसकी बात मानी जाती है।

श्री सांवर लाल : आपका कार्यकर्ता कानून है पंचायती राज में?

डा. महेश जोशी : हमारा कार्यकर्ता कानूनन ही कहता है।

श्री सांवर लाल : नहीं, आपका कार्यकर्ता कहे जो ही कानून है पंचायती राज में, यह कह दो न आप।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य पर निविदा प्रीमियम का अनियमित भुगतान आपके कार्यकाल में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, कुओं की खुदाई पर निष्फल व्यय। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्य की प्लानिंग, सर्वेक्षण में असफल रहने के परिणामस्वरूप अपूर्ण, परित्यक्त कुओं पर किया गया 60.62 लाख का व्यय निष्फल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण विकास, कम्युनिटी डवलपमेंट से राजस्थान की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता का सम्बन्ध है और प्रजातांत्रिक कोई भी सरकार हो उसका दायित्व बनता है कि गांवों का विकास हो, गांवों के लोग सहयोग से रहे, सामंजस्य से रहें, गांवों में शांति रहे। इसलिए इसके लिए प्रयास करने चाहिए। पर चार साल से इस सरकार ने झूठे वादे करने के अलावा कोई काम नहीं किया। किसी सरपंच के साथ कार्यवाही करनी है तो राजनीतिक भेदभाव से करनी है। किसी के अगर दो संतान हो गई, कांग्रेसी जनप्रतिनिधि की शिकायत हो गई, वह शिकायत आज तक पैंडिंग है। उसके ऊपर किसी प्रकार की जांच नहीं है, उसको दबाया जाता है। पर इस प्रकार का दबाना राष्ट्र हित और कानून की भावना के अनुसार उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज गांवों के अन्दर स्कूल में पढ़ाई-लिखाई नहीं है। मास्टरों की हालत यह है कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 100-100, 150-150 विद्यार्थी हैं और एक-दो मास्टर हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बच्चों की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो आप ही यह कल्पना कर लीजिये कि किस प्रकार से कम्युनिटी डवलपमेंट और किस प्रकार का पंचायती राज आप इस राजस्थान में चाहते हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री सांवर लाल : मेरा एक सुझाव और है, जब से यह रोटेशन वाला सिस्टम हुआ, कानून हमारे समय में लागू हुआ उसके बाद में कुछ कमी आई है क्योंकि लोग-बाग यह महसूस करते हैं कि अगली बार मेरा नम्बर आएगा या नहीं आएगा। पता नहीं यह सीट रिजर्वेशन में जाएगी या जनरल में रहेगी। जो जिस प्रकार की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को महसूस करनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। यह स्वाभाविक भी है। जिस प्रकार का परिसीमांकन का मामला विधान सभाओं और लोक सभा का चल रहा है, जनप्रतिनिधि चिंतित होते हैं कि मेरी

(श्री सांवर लाल)

विधान सभा का क्या होगा। पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था है कि अगली बार फिर रोटेशन होगा, रिजर्वेशन होगा नये तरीके से तो उसमें थोड़ा बहुत लोगों में जिस प्रकार की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के साथ कुछ कमी आई है। इसके बारे में भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगर हमारा और सरकार का मकसद एक है कि पंचायती राज संस्था मजबूत हो, गांवों का विकास हो तो मेरा निवेदन है कि ग्रामीण मंत्रालय आप अलग बनाइये। आपके विकास अधिकारियों का रिक्रूटमेंट अलग कीजिये। आप केवल विकास अधिकारियों के पद के लिए रिक्रूटमेंट कीजिये। कभी शिक्षा विभाग से आ रहा है, कभी इर्रिगेशन से आ रहा है, कभी सी.डी.पी.ओ. डिपार्टमेंट से आ रहा है तो न तो उनको ज्ञान होता है, न उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है और न लोगों से वे तालमेल बढ़ा पाते हैं। पंचायती राज ऐसी संस्था है जिसमें लोगों का तालमेल बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि, मंत्रीजी, इस विषय पर विचार कीजिये और पंचायती राज के लिए ही आप अधिकारियों के रिक्रूटमेंट करिये, कर्मचारियों के लिए करिये। आज एक अकाउंटेंट इस डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। सैक्रेटरीज नहीं हैं। अभी तो इर्रिगेशन में बेलदार थे, वे सरप्लस हो गये तो वे सैक्रेटरी बन गये। सैक्रेटरी का काम जानें नहीं वो पीछे-पीछे घूमते रहते हैं, ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं। सरपंच कहीं अनपढ़ हैं, कहीं महिलाएं घूंघट निकालने वाली हैं, न वो पंचायती राज के बारे में समझती हैं, न काम कराने के बारे में समझती हैं और न आपका ग्राम सेवक समझे तो ऐसे में बंटाधार होने की सम्भावना बनेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी सैक्रेटरीज लगाएं वो भी प्रशिक्षित होने चाहिए और दूसरे विभागों से लेने की जो आपकी नीति है इस नीति पर आप अंकुश लगाइये। एडॉप्शन पता नहीं कहां-कहां से कर लेते हैं, देश-विदेश से, सब जगह से। यही नीति इनकी चल रही है।

श्री सभापति : चलिये, चलिये आप।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, आपकी मंशा क्या है? पंचायती राज को मजबूत करने की है? 37वें संशोधन का आप बार-बार हर बजट में ढोल पीटते हैं, हर बार लिख देते हो, अगर आपकी मंशा है तो जिला प्रमुख को शक्तियां दीजिये। वो मंत्रीजी थे, उनकी बच्ची थी, उन्होंने फटाफट लाल बत्ती का पावर उनके पास था, दे दिया कि जिला प्रमुख लाल बत्ती लगाएंगे। पर केवल कुर्सी पर बैठने और लाल बत्ती से काम नहीं चलेगा, जब तक आप उनको शक्ति नहीं देंगे। आज

(श्री सांवर लाल)

प्रधान को अगर आप अधिकार दे दें कि वह बी.डी.ओ. की सी.आर. भरेगा, जिला प्रमुख को दे दो कि वह सी.ई.ओ. की सी.आर. भरेगा, सरपंच को दे दो कि वह सैक्रेटरी की सी.आर. भरेगा, तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से उन पर अंकुश हो। वो सुधार करेंगे, सामंजस्य बैठाएंगे कि जनप्रतिनिधि से मिलकर नियम के हिसाब से काम हो उस काम को हम करेंगे। अगर आपकी मंशा सही है...

श्री राजेन्द्र पारीक : ये सारे पावर जो आप बता रहे हैं, ये प्रतिपक्ष के सारे विधायकों को दिलवा दें तो कैसा रहे?

श्री सांवर लाल : सारे अधिकार आपको दे देने चाहिए।

श्री मदन दिलावर :...ताकि अगली बार आप पॉवर ले लें। यह नहीं चलेगा। ये अधिकार नहीं दिये जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, वे चाहते हैं कि अगली बार इनको ये अधिकार मिल जाएं।

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. महेश जोशी : आपका डर ठीक नहीं है क्योंकि अगली बार भी हम तो इधर ही बैठेंगे।

श्री सांवर लाल : धारीवालजी जब मंत्री थे, कहा था पंचायत अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। धारीवालजी चले गये, ये पता नहीं कब करेंगे। इसी प्रकार मुख्य मंत्रीजी कह चुके हैं। मेरा निवेदन है कि गांवों के विकास के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। भारत सरकार की जो योजनाएं लागू हो रही हैं उन योजनाओं का समुचित लाभ लोगों को समय पर मिले, उनका यह प्रयास नहीं कर पा रहे हैं और पंचायती राज को बिलकुल कमजोर बनाना और केवल अपनी कठपुतली रखना चाहते हैं। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए और जनता को एक मैसेज आज देना चाहिए। मंत्री महोदय, आप बड़े गम्भीर और संजीदा मंत्री हैं तो कम से कम यह तो कहें कि हम पंचायती राज को सशक्त बनाएंगे। आज तक इन्होंने राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों को या अन्य पंचायती राज संस्थाओं को किसी प्रकार के वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था नहीं की। मेरा निवेदन है कि राज्य के बजट से ज्यादा से ज्यादा पैसा आप पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री के.सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर सदन विचार कर रहा है। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य अभी बहुत स्पीड से धुआंधार भाषण दे रहे थे, उसमें दो-तीन बातें ये जो भूल गये वे पहले एड कर दूं। माननीय

(डा. के. सी. चौधरी)

सदस्य ने कहा था कि हमारे समय में रिज़र्वेशन हुए थे एस.सी. के, एस.टी. के, महिलाओं के, ओ.बी.सी. के, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके और हमारे करने में कितना बड़ा फर्क है कि हमने इन वर्गों के लोगों के लिए जो रिवर्जेशन किये थे, उनकी मंशा साफ थी कि अगर ये पद से हटते हैं तो वापस उसी वर्ग का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो आपकी मंशा के साथ नहीं था, आपकी सरकार के समय नहीं था।

श्री सांवर लाल : छह महीने हो गये हमारे भील का सरपंच था शेरगढ़ में, वह मर गया, आज तक किसी को सरपंच नहीं बनाया आपकी सरकार ने।

डा. के. सी. चौधरी : लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि बनेगा तो फिर उसी जाति का बनेगा, उसी वर्ग का बनेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।

श्री सांवर लाल : छह महीने तक खाली कैसे रह सकता है सभापति महोदय? मंत्रीजी बता दें, छह महीने बाद बनेगा, छह महीने तक खाली रहेगा और दूसरे सवर्ण का सरपंच नहीं करेगा क्या?

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर साहब, बिराजिये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय प्रोफेसर साहब, यह तो समझें कि आप में और हम में कितना बड़ा फर्क है, हमारी नीयत कितनी साफ है कि जिस कैटेगरी का व्यक्ति इलैक्ट हुआ, उसी कैटेगरी के व्यक्ति से वह पोजीशन भरी जाएगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनकी यही तो पीड़ा है कि रिजर्वेशन क्यों हो गये। इनकी यही पीड़ा है कि रिजर्वेशन क्यों हुए।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा फर्क है कि उसी कैटेगरी के व्यक्ति के लिए हम वह जगह खाली रखें और वापस उसी कैटेगरी से भरेंगे, जिस केटेगरी से पहले वह थी। आपके समय में ओ.बी.सी. का रिवर्जेशन था 15 प्रतिशत।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, वे यह भूल गये कि कहां बिराजे हैं।

श्री सभापति : बिराज जाइये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय को ज्यादा ध्यान है। माननीय दिलावर साहब, आपको नहीं ध्यान रहता है कि आप क्या बोल रहे हैं और कहां बिराजते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनके टाइम में ओ.बी.सी. को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जनप्रतिनिधियों के लिए रिजर्वेशन 15 प्रतिशत था, जिसको बढ़ाकर हमने 21 प्रतिशत किया। अब यह बात इनके समय में क्यों नहीं आई कि इन वर्गों को रिप्रजेंटेशन और ज्यादा बढ़ना

(डा. के. सी. चौधरी)

चाहिए था? तो जो अच्छे काम किये हैं तो...

एक माननीय सदस्य : जाट आ गये हैं ना।

डा. के. सी. चौधरी : 15 से 21 प्रतिशत कर दिया आपको अकोमोडेट करने के लिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन बढ़ाया, सरकार ने बहुत बड़ा काम तारीफ के काबिल किया है। मैं पंचायती राज मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह रिजर्वेशन बढ़ाया है।

बात आई 73वें और 74वें संविधान संशोधन की, माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीवजी गांधी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी कि निचले स्तर की सारी समस्याओं का समाधान उसी जगह हो जाए, गांव की समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर हो जाए। तो ग्राम सरकार की कल्पना की गई और उस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए कि पंचायती राज संस्थाओं को राजनैतिक और प्रशासकीय अधिकार दिये जाएं। मंशा यह रही है कि इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इनके फंक्शंस, इनके फण्ड्स और इनकी फंक्शनरीज सब चीजें ट्रांसफर कर दी जाएं। मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि फण्ड्स और फंक्शनरीज दोनों की ही कमी इन संस्थाओं में देखी गयी है। कार्य तो आपने ट्रांसफर कर दिये, लेकिन कार्य पूर्ण कराने के लिए उनके पास न तो उचित साधन है, न उचित व्यवस्था है और न ही उचित फण्ड्स हैं। जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने खुद बताया है कि पंचायती राज को तालाब तो ट्रांसफर हो गये मगर तालाब को रिपेयर कराने के लिए न तो फण्ड्स हैं और न उचित टैक्निकल स्टाफ है। तालाब की रिपेयर या ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें पंचायतों को फण्ड्स की भी आवश्यकता है और टैक्निकल स्टाफ की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा के राज में आपको पता है कि आपराधिक तत्वों को पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का काम ये नहीं कर पाये थे। कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने यह एक बहुत बड़ा काम किया है कि अपराधी तत्वों को बाहर रोकने के लिए पहले से ही उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह एक तारीफ के काबिल काम है जिसको बीजेपी वाले समझ नहीं पाएंगे, कि हम पंचायत स्तर पर अपराधीकरण रोकने की मंशा रखते हैं।

एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया कि कर्मचारियों की उपस्थिति तय करने के लिये सरपंच की अध्यक्षता में

(डा. के. सी. चौधरी)

कमेटी बनाई गई। पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ए.एन.एम. एम.पी.डब्ल्यू. इनकी अक्सर शिकायतें रहती थीं कि ये गांव में नहीं मिलते हैं, तो इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हमने एक कदम उठाया और सरपंच और अध्यक्षता में कमेटी बनाई। माननीय सदस्य को एक बहुत बड़ी तकलीफ थी कि मिड–डे–मील पंचायतों के मार्फत बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है और गहलोत सरकार की बड़ी इस सम्बन्ध में वाहवाही हो रही है। यह एक सच्चाई है।

श्री जीतमल खांट : सात साल के सड़े हुए गेहूं गरीबों के बच्चों को खिला रहे हैं, आपके और हमारे बच्चे बादाम काजू खा रहे हैं। क्यों हमारे गरीब बच्चों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है?

डा. के. सी. चौधरी : सुन लीजिये, मैं आपको बताता हूं पूरी बात, कि हम क्या खिला रहे हैं। माननीय सदस्य, क्या खिला रहे हैं बच्चों को, यह समझ लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तेल में मरे हुए चूहे और छिपकली, ये खिला रहे हो आप।

श्री जीतमल खांट : घूघरी खिलाकर गरीब आदिवासी बच्चों के साथ आप क्या करना चाह रहे हो, पता नहीं और वाहवाही लूट रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप, आपका नम्बर आएगा।

श्री रतनाराम चौधरी :...गेहूं तो भारत सरकार से आता है।

श्री जीतमल खांट : कहां से भी आ रहा हो, लेकिन कम से कम आप यह....

श्री रतनाराम चौधरी : दिल्ली से सैंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। गेहूं आपके और हमारे घर से गया है, सैंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा है और वही गेहूं आ रहा है। राजस्थान सरकार ने अलग से गेहूं खरीदा है क्या? अलग से तो गेहूं खरीदा है नहीं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप इतना तो करिये कि उबाल करके जो बच्चे खा सकते हैं। जो गेहूं पशु नहीं खा सकते, वह गेहूं बच्चों को दिया जा रहा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। यह फालतू की बात नहीं करना चाहता।

श्री मदन दिलावर : आप कम से कम साफ करके तो खिला दो, उसमें चूहे की मींगणी तक पाई जाती है।

श्री रतनाराम चौधरी : राजस्थान में सबको खिला रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

श्री जीतमल खांट : कम से कम उसका दलिया बनाकर तो दें, लेकिन आप तो खिला रहे हैं घूघरी और घूघरी के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है। गरीब आदिवासी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : आप गेहूं खाते हैं तो चूहे की मींगणी निकाल देते हैं, बच्चे जब खाएं तो चूहे की मींगणी सहित खाएं?

श्री जीतमल खांट : बहुत बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है जैसे बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया है।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : चूहे की मींगणी मिला हुआ गेहूं बच्चों को खिलाएं, मरी हुई छिपकली तक गेहूं में और तेल में पड़ जाती है और वह बच्चों को खिला देते हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये। (व्यवधान) चौधरी साहब, बिराजिये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान सरकार 70 लाख बच्चों को 100 ग्राम घूघरी रोजाना दे रही है और उस 100 ग्राम घूघरी का साइंटिफिक कंटेन्ट क्या है, वह समझ लीजिये। उसमें आठ से 12 ग्राम तो प्रोटीन है और 300 कैलोरी का इंतजाम रोजाना बच्चों को हम कर रहे हैं एक से पांच साल के बच्चों की उम्र के लिए। 70 लाख बच्चों की जनसंख्या को कंवर कर रहे हैं, पहले आप उसको तो एप्रिशिएट करिये। बार बार आप यह कहते हो कि गेहूं भारत सरकार देती है तो राजस्थान भी तो भारतवर्ष का हिस्सा है। (व्यवधान) व्यवस्थापक बनने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिये आप कि इतने सारे बच्चों को कंवर कर रहे हैं मिड-डे-मील प्रोग्राम में, उनको कुपोषण से बचा रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : चौधरी साहब, आप तो सिफारिश करें कि उसका दलिया बनाकर खिलाएं। यह कहें माननीय मंत्रीजी को आप।

श्री सभापति : माननीय खांट साहब, बार-बार नहीं।

श्री मदन दिलावर : आधी घूघरी तो आराम से खा लेते हैं...

श्री सभापति : बार बार नहीं, यह आप पर भी लागू होता है। माननीय सदस्य, यह आप पर भी लागू होता है आदेश, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये गलत बात कहेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलना पड़ेगा।

श्री जीतमल खांट : गलत बात सुनते जाएंगे क्या?

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य खांट साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कभी छिपकली निकल रही है...

श्री सभापति : आप भी बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बैठ जाऊंगी, कभी तो छिपकली निकल जाती है, कभी मरे चूहे निकलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : घूघरी क्या हम लोगों के बच्चे खाते हैं? आप कभी घूघरी खिलाते हैं, उसके स्वाद का पता है क्या? घूघरी आदिवासी बच्चों को खिलाई जाती है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कौन तय करेगा कि कौनसी बात सही है, कौनसी बात गलत है?

श्री जीतमल खांट : 70 प्रतिशत लोग आदिवासी के बच्चे हैं, वे खाते हैं घूघरी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कौनसी बात गलत है, कौनसी बात सही है? फिर तो हर माननीय सदस्य बोलेगा। सामने वाले बोलने वाले को गलत मानेंगे तो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य सचेतक महोदय भी बोलेंगे क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय डाक्टर साहब।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो एक मिनट के लिए भी इंटरप्ट कर दें तो आप तो बड़ा तेज गुस्सा हो जाते हैं और इंटरप्ट करने के लिए आप अलाउ कर देते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य सचेतकजी, यह आदिवासियों का दर्द इसलिए हो रहा है, आपके बच्चे घूघरी खाते हैं क्या? आपके बच्चे घूघरी खाते हैं क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : सबके खा रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : कितने बच्चे खा रहे हैं? कितने विधायकों के बच्चे घूघरी खा रहे हैं? कितने माननीय विधायकों के बच्चे खाते हैं, यह बताइये आज इस सदन में?

डा. के. सी. चौधरी : इसका सर्वे बाद में कर लेंगे अपन।

श्री जीतमल खांट : कोई भी यहां अपने बच्चों को घूघरी नहीं खिलाता है। आदिवासियों के बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रत्नाराम चौधरी :...आप क्या बात करते हो, हमारे बच्चे खाते हैं।

श्री जीतमल खांट : घूघरी खिलाकर घूघरी के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आदिवासी, गरीब, एस.सी., एस.टी. के अलावा कोई नहीं खाता है। हरिसिंहजी के बच्चे घूघरी नहीं खाते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जैसे बुजुर्ग आदमी भी इस तरह की बात करेंगे, कैसे काम चलेगा?

श्री मदन दिलावर : सरकार से हम पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे घूघरी खाते हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्रीजी से पूछ रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के कितने बच्चे घूघरी खाते हैं? माननीय सदस्यों से पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे घूघरी खाते हैं? माननीया कमलाजी से पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे घूघरी खाते हैं?

श्री जीतमल खांट : आप दलिया तो खिलाओ उनको कम से कम।

श्री सभापति : आप आसन से क्या चाहते हैं, माननीय दिलावर साहब। (व्यवधान) माननीय खांट साहब, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम जिसको खाने योग्य समझते हैं, जिसको हम उपयोग करते हैं वही राजस्थान के बच्चे खाने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप आसन से क्या चाहते हो? आप आसन से क्या आदेश चाहते हो? बार-बार खड़े होना ठीक नहीं है और अब आसन को अपना कर्त्तव्य निभाना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान के बच्चों का मामला है, उनके स्वास्थ्य का मामला है, इस प्रकार से अन्याय क्यों हो रहा है बच्चों के साथ? यह बरदाश्त योग्य नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजिए। मैं कहता हूं, आप बिराज जाइये। (व्यवधान) खांट साहब। खांट साहब, प्लीज...

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, जहां इस तरीके से अन्याय किया जाता हो वहां हम इस सदन में नहीं बोलें तो और कहां बोलेंगे हम?

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अंकित नहीं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीतमल खांट : XXX (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय खांट साहब, बिराजिए आप। आप बिराजें। यह कोई बीच-बीच में तमाशा थोड़े ही है।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री सभापति : आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं मैं। डाक्टर साहब, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निवेदन कर रहा हूं, बिराज जाइये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, भाजपा का राज था, ब्यावर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला सूचनाओं के अधिकार को लेकर। तत्कालीन मुख्य मंत्री सूचनाओं के अधिकार को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, श्रीमती अरुणा राय और उनकी पार्टी मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से ये भागते फिरते थे, उनको बात करने का अपाइंटमेंट भी नहीं दिया इन्होंने कभी। और हमारी सरकार ने अपनी पारदर्शिता को दर्शाते हुए सूचनाओं के अधिकार का बिल इसी विधान सभा में पारित कराया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सामुदायिक विकास पर आप कुछ कहिये।

डा. के. सी. चौधरी : मैं, माननीय सभापति महोदय, यही बताना चाह रहा हूं कि जवाजा पंचायत समिति में चूंकि अत्यधिक घोटाले इनके राज में हुए थे और सूचना के अधिकार का आंदोलन इसी बात से जन्मा था कि सरपंचों ने जो घोटाले किये उनकी सूचनाएं तक उन मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकताओं को नहीं मिली थीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप यह चाहते हो कि आपका भाषण शांतिपूर्वक नहीं हो? ये व्यवधान खड़ा करें, ऐसी बात क्यों लाते हो आप? ऐसी बात मत लाओ आप।

डा. के. सी. चौधरी : मेरा निवेदन, सभापति महोदय, यह है कि सूचनाओं के अधिकार के मार्फत आज पंचायती राज संस्थाओं में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी निर्माण सम्बन्धी सूचना मांग सकता है और उसको उचित समय में सूचना मिल जाती है। यह अपने आप में सरकार की बड़ी उपलब्धि है पारदर्शिता बताने के लिए, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान) आप सूचनाएं मांगिये, मिलेगी आपको, उसके बाद में पता लगेगा कि क्या सही था, क्या गलत था। आप दुकानों की बात कर रहे हैं, मैं बात बता दूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशानुसार, गांव में रहने वाले गरीब बेरोजगारों के लिए उनके मन में बहुत दर्द था तो मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत हर गांव में उन उचित बेरोजगार युवकों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रियायती दर पर दुकानों

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

के लिए जमीन अलाट की गई, दुकानें बनाकर दी गईं। मेरी पंचायत समिति में दुकानें जितनी बनाईं उसमें से नब्बे प्रतिशत चालू हैं अभी। चालू हैं नब्बे प्रतिशत। (व्यवधान) अब वे क्या बने हैं, वह दूसरी बात है।

श्री सभापति : माननीय पचपदरा साहब।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार द्वारा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सभाओं का नियमित आयोजन किया गया 26 जनवरी, 20 मई, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को। ग्राम सभाओं में स्थानीय आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, बजट की उपलब्धता को देखते हुए आवश्यक प्राथमिकताओं का चिन्हीकरण किया गया। मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ग्राम सभाओं में हुए फैसलों के फालो अप में किसी न किसी जगह कमी है उसको भी पूरा कराएं तो आपकी जो ग्राम सभाएं हुई हैं उनकी विश्वसनीयता ज्यादा आगे बढ़े।

राज्य सरकार का यह प्रगति प्रतिवेदन भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ा था, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, सभापति महोदय, है कि पहली बार पंचायती राज में हमने एक साइंटिफिक तरीके से विलेज प्लान तैयार करने की योजना बनाई। यह विलेज प्लान तैयार अगर होता है अच्छी तरह से तो इसमें आबादी क्षेत्र की जमीन का चिन्हीकरण हो जाएगा, सिवाय चक भूमि का हो जाएगा, चरागाह भूमि का हो जाएगा, वन भूमि का हो जाएगा और गांव में जो उपलब्ध भौतिक सुविधाएं हैं अस्पताल, स्कूल, डाक घर, बैंक, पटवार घर, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि-आदि जो भी आवश्यकताएं हैं उनका उचित चिन्हीकरण हो जाएगा। इस विलेज प्लान के कंसेप्ट को प्रारम्भिक तौर पर खाली गांधी ग्राम में लिया गया है। मैं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विलेज का आपका जो कंसेप्ट है इसको राजस्थान में हर पंचायत समिति में और हर गांव में जल्दी से जल्दी इसी वर्ष अगर आप लागू करा दें तो आपको बताऊं कि एक नई चीज गांव वालों को मिलेगी कि अब हमें योजनाबद्ध तरीके से गांव का विकास करना है। नगर में तो नगर नियोजन बहुत अच्छी तरह चलता है, गांव में नियोजन का काम ही नहीं समझते। विलेज प्लान के तरीके से अगर हम ग्रामीण एरिया का भी नियोजित विकास करना चाहे, इसमें नगर नियोजक विभाग की, जिस किसी की भी सलाह लेनी है, मेरा निवेदन होगा कि इसकी प्राथमिकताओं को पूरा करने की आप कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

चाहूंगा कि शुरूआत के तौर से जो गांधी ग्राम योजना हमने लागू की है उन गांवों को विलेज प्लान के हिसाब से बनाकर हम अभी लागू कर रहे हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे संसाधन मिलेंगे, जिस तरह से मास्टर प्लान शहरों का बनता है उस तरह से गांव का बनाने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, गांधी ग्राम घोषित कर रखे हैं उनमें किसी में कोई काम नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : कोई प्रावधान किया क्या रुपये-पैसों का?

डा. रतन लाल जाट : कोई काम नहीं हो रहा उन गांधी ग्रामों में। (व्यवधान)

श्री सभापति : खांट साहब, थोड़ा ध्यान रखो।

श्री नन्दलाल मीणा : आप उनको कहो। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं-नहीं, मंत्रीजी ने बहुत सही बात कही है। आप बिराजें।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरे यहां पर गांधी ग्राम में चार वर्ष में एक पैसा ही खर्च नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजो, बिराजें। माननीय चौधरी साहब। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : वह नहीं कर पाये उसी का तो अफसोस है कि कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जिस पर बुरड़क साहब ने भी प्रकाश डाला था अभी, यह सही है कि पंचायतों को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। पंचायतों पर यह भी सही है कि नौकरशाही ज्यादा हावी है, जिला कलक्टर का इंटरफियरेंस ज्यादा होता है। इसको कहीं न कहीं कम करने में बेशक सरकार को काम करना होगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से कि पंचायतों में जैसे आपने टाउन प्लानिंग की तरह विलेज प्लानिंग का यह काम किया, उसी तरह से हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक तो गांव के आधारभूत ढांचे की प्राथमिकता है जिसमें शिक्षा, सड़क, पानी और बिजली आए-और दूसरी कैटेगरी में सामाजिक विकास, नशाबंदी, सफाई, बाल विकास आदि बिंदु आएं। मेरा निवेदन है कि आप पहली कैटेगरी में तो शासकीय व्यवस्था के अनुसार पंचायतों से काम कराएं और दूसरी कैटेगरी के लिए स्थानीय संगठन गांव में तैयार किये जाएं। माननीय सभापति महोदय, आप पूरे के पूरे इस मामले में

(डा. के. सी. चौधरी)

तजुर्बेकार हैं कि सरपंचों की भी अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग है, तो कई काम जो होने चाहिए वे डिसलाइकिंग के मारे नहीं हो पाते। ऐसे सामाजिक विकास के काम स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों से कराये जा सकते हैं। सरपंचों को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि वहां की जो सहकारी संस्थाएं हैं, जल संग्रहण समिति है, इन लोगों में भी आपस में समन्वय स्थापित करके ग्रामीण विकास के सुदृढ़ीकरण का रास्ता अपनाएं।

एक बात बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने कही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के अभाव को देखते हुए पंचायतों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे प्राइवेट डाक्टर को बुला लें, और उस पर सीमा लगाई दो हजार रुपये की। मेरा निवेदन यह है कि यह बड़ा अच्छा फैसला है, मगर खाली चिकित्सा विभाग में ही नहीं, बाकी विभागों के लिए भी पंचायतों को ये अधिकार दिये जाने चाहिए। चूंकि अभी कांट्रेक्टुअल यह जो रखा जाएगा एम्प्लायमेंट, वह हाई कोर्ट ने बंद कर दिया, तो सरकारें तो यह कर नहीं सकतीं। मगर गैर सरकारी संगठन का पार्टिसिपेशन आप बढ़ाएंगे, उनकी भागीदारी गांव के लेवल पर बढ़ाएंगे तो कई सारी ऐसी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं जो उचित स्टाफ की कमी से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, उन सब कामों में एन.जी.ओ. को जोड़ा जा सकता है। जितना एन.जी. ओज. का पार्टिसिपेशन होगा, मैं सोचता हूं, ग्रामीण विकास की जो हमारी योजना है, जो कंसेप्ट है वह पूरा होगा।

एक आम बात आयी थी कि सम्भागीय आयुक्त जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो भी मामले लम्बित पड़े हुए हैं, उनमें फैसले में देरी करते हैं। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें, क्या यह सम्भव हो सकता है कि उन पर उन केसेज के निस्तारण की सीमा बांध दी जाए, एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाए। अपर लिमिट तो फिक्स कर ही सकते हैं कि इतने समय में तो हो ही जाना चाहिए।

एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पंचायती राज विभाग ने लिया है अपने हाथ में, पंचों का, सरपंचों का पँचायती राज इंस्टीटयूशन से जुड़ी हुई, सभी चीजों का, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने देखा है, बहुत पहले जो पढ़ाया गया था वे लोग वो का वो दे रहे हैं। अभी की आवश्यकताओं को देखते हुए जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनका अपना भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जितना व्यापक आप बनाएंगे उतना ही पंचायत राज से जुड़े सभी वर्गों का लाभ होगा।

राज्य सरकार अपने हिसाब से काफी अच्छा काम कर रही है ग्रामीण विकास

(डा. के. सी. चौधरी)

और पंचायती राज में, फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति के बारे में दो शब्द मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां एल.डी.सी. तीन साल से नहीं हैं, दो पोस्टें खाली हैं, यू.डी.सी. की तीन पोस्टें खाली हैं पंचायत प्रसार अधिकारी की पोस्ट खाली, कैशियर की पोस्ट खाली, स्टोर कीपर की खाली। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा कार्य हुआ है।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, लेकिन इनकी जगह रिप्लेशमेंट हो गया। अच्छा किया हैं इनकी जगह, लेकिन अब मैं यह चाहता हूं कि रैगुंलर स्टाफ भी उसमें लग जाए। रिप्लेशमेंट तो हो ही रखा है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिस पर आप लोगों को बहुत गौरवान्वित होने की बात हो।

मेरा एक निवेदन पंचायती राज मंत्री से और भी है, जिस एरिये से मैं आता हूं, माननीय सभापति महोद्रय, वो सारा मगरा क्षेत्र है, हिली ट्रैक है, तो उनमें पंचायतों की अपनी निजी आय नहीं है। जिन पंचायतों की अपनी निजी आय के साधन नहीं हैं, स्रोत नहीं हैं उन पंचायतों को अनुदान बढ़ाने के लिए मेरा निवेदन है माननीय पंचायत राज मंत्रीजी को...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

पंचायतों में जैसा बुरड़क साहब ने कहा, करोड़ों रुपये के विकास के काम होते है निर्माण काम हो रहे हैं, लेकिन उन सारे विकास काम और निर्माण कार्यों को देखने के लिए न तो वहां कोई काम्पीटेंट टैक्निकल आफिसर है, ए.ईएन. पंचायतों में नहीं होता, ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह होगा कि इतने व्यापक स्तर पर करोड़ों रुपयों के निर्माण काम वहां होते हैं तो हर पंचायत में या तो आप ए.ईएन. कहीं से डैपुटेशन पर भेजें या अतिरिक्त विकास अधिकारी कोई टैक्निकल साइड का लगाइये जो इन योजनाओं को अच्छी तरह से देख सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस राज्य की दो-तिहाई आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद है, उसकी एक मुख्य संस्था ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए उसके क्या अधिकार हैं, ग्राम पंचायतों को हमने प्रशासनिक अधिकार क्या दे रखे हैं, ग्राम पंचायत के वर्तमान में चुनाव करने की व्यवस्था में हमने क्या-क्या परिवर्तन किये हैं, उनकी आय बढ़ाने के क्या-क्या साधन

(श्री हीरासिंह चौहान)

हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार ग्रामीण विकास को किस प्रकार व्यवस्थित करके गांवों का विकास करना चाहती है, इस अहम विषय पर आज सदन में वाद–विवाद चल रहा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, अन्य बातों का तो बाद में उल्लेख करूंगा, सबसे पहले ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को किन–किन योजनाओं के तहत कितनी–कितनी राशि दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट की राशि मिला कर कितना–कितना विकास राज्य में करना चाहती है और उसकी क्या प्रगति इन वर्षों में हुई है उसके बारे में निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण आवास ऋण एवं अनुदान योजना, यह योजना भारत सरकार द्वारा चालू की गयी और इस योजना का लक्ष्य यह था कि ऐसा कोई गरीब व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदनी 32 हजार रुपये हो, 40 हजार रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकता है। मैंने आंकड़ों को देखा, माननीय सभापति महोदय, इसमें साढ़े सात हजार और ढाई हजार है, साढ़े सात हजार केन्द्र सरकार देती है, ढाई हजार की राशि राज्य सरकार देती है और कुल चालीस हजार रुपये सस्ते ब्याज पर लाभार्थी परिवार को दिये जाते हैं। आंकड़े देखने से मुझे मालूम हुआ, माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2001–2002 में 83.56 लाख रुपये व्यय कर 642 आवास गृहों का निर्माण किया गया। यह सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का चित्रण मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद 2002–03 में माह जनवरी, 2003 तक 46.5 लाख रुपये के बदले 392 आवास गृहों का कार्य पूरा कर लिया गया और 507 आवास गृह प्रगति पर हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की कोई योजना है उस योजना का अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक प्रकार से प्रचार–प्रसार करें तो यह जो राशि गरीबों के आवास बनाने की है इन्दिरा आवास योजना, और योजना हैं वहां तो शत–प्रतिशत दी जाती है लेकिन इस योजना के तहत जिस प्रकार का प्रचार–प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिए वह ठीक प्रकार से नहीं होने से ये आंकड़े कम से कम हमारे सामने आये हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय आपके और हमारे सामने इस प्रगति प्रतिवेदन से उपस्थित होता है। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार सूखा संम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम डी.पी.ए.पी. जिसे हम कहते हैं, सारा का सारा पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन मैंने एक चार्ट देखा उस चार्ट के अनुसार कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों का मैं नहीं कह सकता कि चयन किस आधार पर किया गया। जो जिले सूखा सम्भावित क्षेत्र में आते नहीं हैं, प्रोबेबल

(श्री हीरासिंह चौहान)

ड्राई जोन जिसको कहते हैं उसमें आते नहीं हैं, माननीय सभापतिजी, मैंने देखा कि झालावाड़ को इसमें ले रखा है, बारां को इसमें ले रखा है जबकि ये जिले ड्राई प्रोन जोन नहीं हैं। इसका अर्थ है जहां पर लगातार सूखा पड़ता हो। लगातार क्षेत्र में सूखा पड़ता रहे, वह ड्राई प्रोन जोन होता है। उसमें कोटा भी लिया हुआ है, बारां भी लिया हुआ है। इस प्रकार हमने जिले का सलेक्शन करते समय यह नहीं देखा कि ड्राई प्रोन जोन कौन-कौन सा एरिया है जो लगातार सूखा रहता है और सूखा रहने के कारण से उस एरिये की किस प्रकार स्थिति सुधारी जा सकती है वहां पर कई प्रकार के निर्माण कार्य करके। गैम्बल है, बरसात तो कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी साल की साल होती रहती है। कांग्रेस और काल का तो जोड़ा है हरिसिंहजी साहब, आप जब से शासन में आये हो तब से सूखा ही सूखा रहता है और शासन हमारा जो 91 से 98 तक रहा, कभी राजस्थान में सूखा नहीं रहा, निरन्तर बाढ़ आती रही।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आंकड़े उठा कर देखें, ऐसा एक भी साल नहीं गया जब राजस्थान में आपके शासन में भी अकाल घोषित नहीं हुआ हो।

श्री हीरासिंह चौहान : आंकड़े तो आप देखते रहिये, आंकड़े आंकड़ों की जगह हैं लेकिन इस प्रकार का सूखा नहीं रहा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके खुद के प्रकाशित आंकड़े हैं, कभी चार हजार गांव, कभी पांच हजार गांव, कभी 10 हजार गांव, कभी 15 हजार गांव, हर साल आपने अकाल घोषित किया।

श्री हीरासिंह चौहान : राजनीति के कारण से ऐसा आप लोग भी कभी-कभी करते हैं। इस साल बहुत सारी जगह सूखा थोड़े ही है? आप 32 जिलों में सूखा बता रहे हैं, मैंने भी राजस्थान के कई जिलों का दौरा किया लेकिन आपने राजनीतिक दबाव के कारण से उन क्षेत्रों में जहां सूखा नहीं है वहां भी सूखा घोषित किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई जगह अच्छी फसलें हुई हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के कई तहसील एरिया हैं, कुछ गांव हैं जिनको सूखा घोषित नहीं करना चाहिए लेकिन आपकी राजनीतिक मजबूरिया रहीं, मजबूरियों के कारण से आपने सूखा किया। और जो सूखे हैं वास्तव में, बिलकुल अभावग्रस्त हैं, जहां पर लोगों के बिलकुल किसी प्रकार का न अन्न हुआ न कोई पैदावार हुई है, वहां के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि मजदूर संख्या आप ज्यादा दे नहीं रहे हैं। इसलिए राजनीतिक निर्णय नहीं करना चाहिए, हमें किसी दबाव में भी नहीं आना चाहिए और जो वास्तव में सूखे हैं उनको सूखा बताना चाहिए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह सूखा अलग है और यह सूखा अलग है और मैं ड्राई प्रोन जोन की जो बात कर रहा हूं वो एक अलग प्रकार है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, क्षमता चाहता हूं, आपको जानकारी है, लम्बा आपका राजनीतिक अनुभव है, ऊंचे पदों पर भी रहे हैं, राजनीतिक निर्णय अकाल के कभी नहीं होते, गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किये जाते हैं। गिरदावरी की रिपोर्ट आती है, कलक्टर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं और उसके बाद सरकार अभावग्रस्त घोषित करती है। इसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर बना हुआ है। उस प्रोसिजर से गवर्नमेंट निर्णय लेती है। अब इसमें कहां राजनीतिक निर्णय आ गया?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मुख्य सचेतकजी, ये सारी जानकारियां हैं मुझे। आई नो, किस प्रकार होता है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति मैंने देखी है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मैं भी राजस्थान के कई कोनों में घुमा हूं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। इसी प्रकार सूखा सम्भावित क्षेत्र है जिसका गलत चयन हो गया। जहां 12 महीने ही बरसात होती है और सब प्रकार से हराभरा एरिया रहता है वहां पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की मैचिंग ग्रांट की राशि लगाकर हम क्या करना चाहते हैं? इसलिए इसके ऊपर भी हमको थोड़ी चिंता करनी चाहिये ताकि राजस्थान का समग्र विकास ठीक ढंग से हो सके और सभी एरिया के लोग खुशहाल होवें। कम से कम अपने जीविकोपार्जन के लिये जिस प्रकार के साधन होने चाहिये उतनी हम व्यवस्था उन लोगों को जुटा सके, इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के बारे में कह रहे हैं कि उसमें कुछ पक्षपात किया गया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि रिमोर्ट सेंसिंग सिस्टम से, सेटेलाइज से इनका सर्वे होता है और वह भारत सरकार करती है और भारत सरकार ही डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के जिले तय करती है। राजस्थान सरकार का कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं है, राज्य सरकार तो सिर्फ डाटा मांगती है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आप ठीक फर्मा रहे होंगे, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन अगर भारत सरकार कहीं गलती कर जाती है और वह गलती आपको समझ में आ जाए, आपकी निगाह में आ जाए तो उसमें सुधार करना, उसके लिये सुझाव देना और री सर्वे करना भी पड़ता है। ड्राई जोन के लिये हमारे बहुत कहते हैं कि ड्राई जोन है ड्राई जोन है, कुए सूखे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। सूखे कैसे हैं, वह स्थिति तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपको सारी मालूम है। मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर कहीं गलती हो रही है तो उस गलती में हमको सुधार करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सन् 1961 से पंचायती राज संस्थाएं चुनाव के माध्यम से काम करने लगीं। सन् 1961 से लेकर सन् 1978 तक हम पंचायतों को चार आना अनुदान देते थे जनसंख्या के आधार पर। मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1978 में ढाई रुपये किये। उसके बाद वापस आपका शासन आया 1981 में तो आपने फिर चार आने बढ़ाये। लेकिन उसके बाद उन्होंने 11 रुपये किये। आज 10 साल हो गये हैं, अनुदान की कोई राशि नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर आप पंचायतों से काम लेना चाहते हो कि ग्राम स्तर की संस्था है वह ठीक प्रकार से काम करे, ठीक प्रकार की व्यवस्था करे। दूसरी तरफ आपके कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जहां पैसों की कोई यूटिलिटी नहीं हो रही है। आज क्या कारण है कि करोड़ों रुपये आप बैठे बैठे उन कर्मचारियों को चूंगी और दूसरी जगह पर दे रहे हैं जो आप पर भार बने हुए हैं? साढ़े चार साल में उन कर्मचारियों को कहां लगाना चाहिये, कहां नियोजन देना चाहिये, आज भी आप निर्णय नहीं कर सके हैं। बैठे बैठे राज पर एक अतिरिक्त भार पड़ा हुआ है और उस अतिरिक्त भार को आप वहन कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको चिंता करनी चाहिए। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, उन्हीं कर्मचारियों में से कई ग्राम सेवक लगाये। माननीय सभापति महोदय, जिस समय ग्राम सेवक लगाये गये थे उस समय उनको आदेश दिये थे कि दो साल में आपको स्थाई कर दिया जाएगा। मैं बड़े दुःख और तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, पंचायती राज मंत्रीजी, मैं आप पर ज्यादा आरोप इसीलिए नहीं लगा रहा हूं कि आपने तो अभी 5–6 महीने से ही इस विभाग को सम्भाला है, लेकिन अब आप जिम्मेदार हैं, अभी आप संभालेंगे, आपकी जिम्मेदारी सारी बढ़ गई है तो ऐसे लोगों को भी देखें। जिन लोगों को आपने इस आश्वासन के साथ आदेश दिया कि दो साल के बाद इनको स्थाई कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4–4 साल हो गये, उनका कोई स्थाईकरण नहीं हुआ है। कोई पता नहीं है, आज तक वे 1200 रुपये की तनखाह उठा रहे हैं, तकलीफ, दुःख और पीड़ा भुगत रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिये, 26.8.2001 को यहां पर आपने विधान सभा का एक स्पेशल सैशन बुलाया और सैशन बुलाकर हम लोगों से विचार लिये कि हम पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं, सारे

(श्री हीरासिंह चौहान)

पावर्स डैलिगेट करना चाहते हैं। लेकिन बड़े दु:ख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिस भावना के साथ आपने हाउस को आहुत किया था, माननीय विधायकगण के विचार आपने सुने, उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई है? आज की तारीख तक किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं है, वही पुराना ढर्रा चल रहा है। लम्बे समय से आप भी कह रहे हो कि पंचायतों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री ने 5 अप्रैल, 2002 को इस विषय पर सम्मेलन बुलाया, उस सम्मेलन में उनकी भाषा क्या थी? उन्होंने पंचायत के काम को बहुत गिनाया, संविधान संशोधन विधेयक का भी उल्लेख किया। लेकिन उन जिम्मेदारियों को पंचायत कैसे निभाये? साधन कहां से आये? मेरे पास पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाले आंकड़े हैं, आंकड़े कहानी कहते हैं। प्रत्येक ग्रामीण पंचायती राज की वार्षिक आमदनी जो निजी स्रोतों से है वह केवल 30 हजार रुपये है। सभी संस्थाओं का औसत चित्र पेश कर रहा हूं यह औसत है। ग्राम पंचायत, मण्डल पंचायत की औसत आमदनी 60 हजार रुपये है। जिला पंचायत की औसत आमदनी केवल 12 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि तीनों प्रकार की 2.5 लाख पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक आय केवल 700 करोड़ रुपये है। इतनी कम आमदनी में पंचायत क्या करे? राज तो हमने सौंप दिया, लेकिन साधन नहीं सौंपे। सभापति महोदय, जब तक उनको आर्थिक रूप से सक्षम नहीं करोगे, कोई अधिकार नहीं दोगे, इस विषय में मैं विशेष दु:ख के साथ कहना चाहता हूं, पंचायती राज मंत्रीजी, मुझे भी एक बार रायपुर का प्रधान रहने का अवसर मिला। किस प्रकार पंचायत समिति अपनी निजी आय बढ़ाएं इसके लिये मैंने 96 में एक प्रस्ताव भेजा कि किस प्रकार भट्टों पर लेना, कौनसे रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है, कितनी खानों पर क्या लिया जाए। कुछ व्यवसाय कर भी हमने इम्पोज करके भेजा। कई बार रिमाइंडर दे दिये लेकिन आपके पंचायती राज विभाग द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया गया। हमारी कमी थी तो हमसे पूछते कि यह यह कार्यवाही और करो, लेकिन डम्प करके बैठ गये। अब कैसे अधिकार बढ़ाएंगे आप? जब तक सक्षम अधिकारी इस बात के निर्देश नहीं दे, हम लगा तो नहीं सकते। कल कोई एतराज कर देगा और फट आप रोक दोगे। पंचायती राज संस्थाएं अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आमदनी बढ़ाने के जो भी प्रस्ताव आते हैं आपका विभाग उन फाइलों को लेकर बैठ जाता है। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं, हमारे

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रस्ताव अभी भी पैंडिंग हैं और हम आमदनी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिये जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार के पंचायती राज विभाग से आदेश होने चाहिये अभी तक वे हुए नहीं हैं। इसीलिए इसको आप स्पेशल नोट करा लें कि किन–किन के प्रस्ताव आये रखे हैं, जो अपने एक्ट की मंशा के अनुसार आये हैं। एक्ट को सुपरसीड करके किसी प्रकार की हमने व्यवस्था नहीं भेजी है, कई बार मीटिंगें करके भेजी है। जहां जहां से भी प्रस्ताव आये हैं, पंचायत की आमदनी बढ़ानी जरूरी है, इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर भी आपको अतिशीघ्र निर्णय करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान स्तर पर इन्होंने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। सभापति महोदय, मंत्रिमण्डल आज्ञा 5/2000 दिनांक 2.1.2002 से 16 विषयों से जुड़ी निम्नलिखित गतिविधियां पंचायती राज संस्था को हस्तान्तरण करने का निर्णय लिया गया। 16 विषयों का यहां उल्लेख है। 16 विषय आप सब जानते हैं पंचायती राज में, मैं उन का विशेष उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन उनमें से आज दिन तक एक भी विभाग न तो पंचायत समिति की बैठक में आता, जिला परिषद् की बैठकों में जिला स्तर के अधिकारी जरूर आते हैं, लेकिन पंचायत समिति की बैठकों में लोकल स्तर का अधिकारी जिसको कम्पलसरी आना चाहिये एक्ट के अनुसार, और राज्य सरकार की मंशा में कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। अनुपालना नहीं होने के कारण से जो सरपंच आते हैं पंचायत समिति की बैठक में, जो पंचायत समिति के सदस्य आते हैं, वे अपनी बात को वहां पर कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए यह कम्पलसरी कीजिए। हमने विभाग के अधिकारियों को लिखा, उनका जो भी हैड अधिकारी है, एस.ई है, एक्स.ईएन. है, जो भी जिला स्तर का अधिकारी है, उनको लिखने के बावजूद भी वे नहीं आते। कई बार आपको भी हमने स्पेशल फैक्स के द्वारा संदेश भेजा है कि अमुक प्रकार के अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो केवल हम विधान सभा का सैशन आहुत कर दें और उसके बाद पावर भी डैलिगेट कर दें, पर उसका एक्जीक्युशन नहीं होवे तो क्या फायदा, कोई भी अधिकारी न तो आयुर्वेद विभाग मान रहा है, न शिक्षा विभाग मान रहा

(15.00 बजे)

है, न कृषि विभाग वाले मान रहे हैं, यहां तक की महिला बाल विकास विभाग भी नहीं मान रहा है। आधे मन से आते

(श्री हीरासिंह चौहान)

हैं। मैं कम से कम 3 पंचायत समितियों में बैठता हूं, आधे मन से आते हैं आधे मन से कहीं नहीं आते हैं। इच्छाशक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि पंचायत के नीचे स्थानीय स्तर के सभी प्रकार के विभाग आने चाहिए तो आपको स्ट्रोंगली इसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। केवल विधान सभा का सैशन आहुत करना, लम्बी–चौड़ी डींगें हांकना और अखबार बाजी करना, इससे मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की मंशा भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राजस्थान की विधान सभा और अन्य प्रदेशों की विधान सभाओं में पारित प्रस्ताव की थी, वह पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार की उपलब्धि होनी चाहिए, मैं मानता हूं एम.पी. इस मामले में हमसे बहुत आगे है। एम.पी. में प्रधानों, प्रमुखों की सैलेरी अच्छी है और जिला स्तर की या जो भी योजना है उन योजनाओं की अध्यक्षता वहां का एम.पी. करता है, जिला कलक्टर नहीं करता।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नाम मात्र के लिए प्रमुख को बिठा तो दिया लेकिन प्रमुख को पावर नहीं है। वह अध्यक्षता तो करता है लेकिन जिस प्रकार के पावर उसमें होने चाहिए वे पावर अभी तक डैलीगेट नहीं किये हैं। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इसको थोड़ी गम्भीरता से देखिए। जब तक व्यवस्था को देखेंगे नहीं, जो विश्वास हम जनता में देना चाहते हैं, वह कैसे होगा? राज आज आपका है, कल हमारा राज होगा, राज बदलते रहते हैं। जो मंशा हमने बनाई, उस मंशा को सरकार चाहे और पालना नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आपका अधिकारियों पर कुछ भी नियंत्रण नहीं है या आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके कारण से उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। आपने 'अ' श्रेणी के आयुर्वेद चिकित्सा तो बहुत पहले दे दी थी। आपके वन विभाग का अधिकारी नहीं आता है। जिस मंशा से यहां पर भावना व्यक्त की, राज्य सरकार ने इसमें विभागों का स्थानान्तरण किया है तो विभागों का स्थानान्तरण तो बहुत पहले माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के राज में 1994 में यह पंचायत एक्ट पास हुआ उसी के एक शिड्यूल में दे दिया था। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार का इसका एग्जीक्युशन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, पंचायतों की हमने क्या स्थिति की है, इसकी एक बानगी पेश कर रहा हूं। ग्राम पंचायत के चुनाव में वार्ड पंच और सरपंच चुनाव का होता है प्रधान का चुनाव भी पंचायत समिति के सदस्य मिलकर करते हैं, जिला परिषद् का चुनाव जिसमें हमारी भी कोई भागीदारी होगी, वहां के जिला परिषद् के सदस्य

(श्री हीरासिंह चौहान)

मिलकर करते हैं, लेकिन बड़े दुःख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, मैं राज्य सरकार का आर्डर पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आप ताज्जुब करेंगे, राज्य सरकार द्वारा सरपंच का सीधा मनोनयन मैं गोविन्द सिंहजी गुर्जर को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने वापस परिवर्तन किया है, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को अभी भी इस बात के लिए मजबूत नहीं किया। अभी भी कह रहे हैं कि प्रधान का प्रमुख का मनोनयन हम करेंगे, आप किस कानून के तहत इनका मनोनयन करते हो? क्या जिस संस्था को चुनना है, जिन मैम्बर्स को उसको चुनना है उसमें चुनाव कराने की इच्छाशक्ति नहीं है? क्या वे चुनाव नहीं कर सकते? क्या आप अधिकारी अपाइंट नहीं कर सकते?

माननीय सभापति महोदय, एक 10.3 का आदेश है पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षित श्रेणी के अध्यक्ष का पद मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त होने पर चार्ज के सम्बन्ध में क्या लिखा है? क्रमांक 307 दिनांक 18.6.2000 में आंशिक संशोधन करते हुए। यह संशोधन तो माननीय गोविन्द सिंहजी गुर्जर साहब ने किया है, पंचायती राज मंत्रीजी, को इसके लिए मैं पूरे राजस्थान के सरपंचों, वार्ड पंचों की ओर से बधाई दूंगा। लेकिन स्थिति क्यों आई मनोनयन की? आरक्षित श्रेणी के सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में समान श्रेणी के उपाध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में कार्यभार आरक्षित श्रेणी के सदस्य को बहुमत के आधार पर दिया जाता था, को पुनः लागू किया जाता है जबकि प्रमुख व प्रधान के मामले में मनोनयन राज्य सरकार से ही किया जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आप भी बहुत विद्वान हैं और पंचायती राज के बारे में खूब जानकारी रखते हैं, क्या आज दिन तक ऐसा नादिरशाही आदेश भी हुआ है? (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट, आप मेरी सुन लीजिए। मुखबंद का समय है उसके हिसाब से आप सहयोग करें तो अच्छा रहेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मुखबंद में मैं पूरा सहयोग करूंगा, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं, पंचायती राज मंत्री महोदय, यह जो प्रधानों का, प्रमुखों का है, इस बारे में भी उन्हीं पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों को अधिकार दिया जाए। कई कठिनाइयां आ सकती हैं। मनमर्जी से जिसको आप मनोनीत करना चाहते हैं, आपका बहुमत नहीं है, वह प्रमुख नहीं बन सकता, वह प्रधान नहीं बन सकता। मनमर्जी का राज चलाना

(श्री हीरासिंह चौहान)

चाहते हैं या इस राज को कानून व्यवस्था के साथ चलाना चाहते हैं? मैं सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करने का एक नाटक रच रहे हैं। एक तरफ सुदृढ़ीकरण, दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। प्रधान भी नहीं चुन सकते, प्रमुख नहीं चुन सकते। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप जिम्मेदार आदमी हैं, यहां बिराजे हुए हैं, यह काला कानून है, गलत प्रकार के परिपत्र जारी करके, पता नहीं किसका निर्णय है, मंत्रिमण्डल का निर्णय भी नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): बाकी सब गैरजिम्मेदार हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : हरचंद सिंह सिद्धू साहब आप अभी शासन में नहीं बैठे हैं। शासन में बैठने वालों को ही कहना पड़ता है। आपसे भी कहूंगा, आप भी आग्रह कीजिए। सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं इस मामले के लिए कि इस काले कानून को हमेशा-हमेशा के लिए बंद कीजिए। जिस तरह से इनका चुनाव होता रहा है उसी प्रकार चुनाव करने की व्यवस्था लागू की जानी है।

माननीय सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है? आपने शिक्षा विभाग दे दिया, लेकिन समानीकरण के नाम पर अभी भी आपके, जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को कहां लगाया जाए, कहां नहीं लगाया जाए, इसमें आपके जिला शिक्षा अधिकारी का अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। विभाग आपका, पंचायती राज आपका, ग्राम सेवक आपका, प्राइमरी स्कूल, आपकी और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्रीजी उन पावर्स को काम में ले, ऐसे कैसे चलेगा? पंचायती राज में जो व्यवस्था आ गई उस पंचायती राज की व्यवस्था में सीधा दूसरे मंत्रियों का दखल कतई बरदाश्त करने योग्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जो विभाग का काम है, जो सुदृढ़ीकरण किया है, उस पर दूसरे विभाग अपने कानून-कायदे चलाएं, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ही अप्रजातांत्रिक है। जहां-जहां भी पद खाली हैं, कई पद खाली हैं, एक तो पंचायती राज प्रसार अधिकारी तीन साल से नहीं है, निरीक्षक नहीं है, आपकी न कोई बराबर व्यवस्था है, मैं चाहूंगा इन सारी व्यवस्थाओं को देखें।

माननीय सभापति महोदय, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, बोलने को तो मेरे पास बहुत था, मुखबंद का मामला है, मैं आपको सहयोग करते हुए मेरी जगह ग्रहण करता हूं। नमस्कार।

श्री सभापति : बोलने के लिए तो अपने भण्डार पड़े हैं। माननीय सचेतक महोदय।

कार्य सलाहकार समिति का 24वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2003 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 मार्च, 2003 से 2 अप्रैल, 2003 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाए :-

गुरुवार, दिनांक 27 मार्च, 2003

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003

शनिवार, दिनांक 29 मार्च, 2003 बैठक नहीं होगी।

रविवार, दिनांक 30 मार्च, 2003

सोमवार, दिनांक 31 मार्च, 2003

1. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001
2. राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत) अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 2001 एवं
3. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003, पर विचार एवं पारण
4. अन्य विधायी कार्य जो माननीय अध्यक्ष की अनुमति से लिया जाएगा।

मंगलवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2003 राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2003 पर विचार

बुधवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2003 एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

माननीय रतनाराम चौधरी।

मांग संख्या-41 पर विचार

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज पंचायती राज पर विचार हो रहा है, उस मांग पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। पहले जब सरकार सत्ता में थी तो पंचायतों का गठन किया गया था और बाद में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी तो सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों से और सभी एम.एल.ए. की सहमति से राज्य सरकार ने मानस बनाया था कि पंचायतों का पुनर्गठन करवाएगी। उसके आदेश भी जारी हुए और अधिकारी लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, प्रधानों से, जिला परिषद् से सबकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सभी तरह से देखकर पंचायतों के पुनर्गठन का प्रपोजल भी तैयार किया था। इतनी मेहनत, इतना समय लगाकर अधिकारियों ने काम किया था, पर बाद में न मालूम किस कारण से वह सारा प्रपोजल किस बस्ते में बांधकर रख दिया गया और उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। सभी इस सदन में बैठने वाले विधायकों की भी मंशा है, विशेषकर मेरी मंशा है कि पंचायतों के जिस तरह से अधिकारियों ने आपके आदेश से पुनर्गठन की तैयारी की थी, वह वापस से जल्दी चालू करके पंचायतों का पुनर्गठन करवाना चाहिए। आम जनता पुनर्गठन से बहुत ही खुश है। लोग चाहते हैं कि मतदाताओं की इच्छा के अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन होने जा रहा था उसको वापस चालू करके जल्दी से जल्दी पंचायतों का पुनर्गठन करवाया जाए। यह मेरी मेन मांग है।

दूसरा, हमारे सामने बैठे हुए वक्ता कह रहे थे कि हमने हर जाति को पंचायत में जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया है। यह राजीव गांधीजी की देन है, वह आपकी कोई मेहरबानी से नहीं हुआ है। यह तो राजीव गांधीजी ने तैयारी की थी, कानून में संशोधन करवाया था। राज्य सभा में कानून पास हो गया था पर लोक सभा में पास नहीं हुआ था। हर जाति समाज का आरक्षण हो, महिला का आरक्षण पंचायतों में हो, ऐसा कानून बनाकर तैयारी राजीव गांधीजी ने की थी। राजीव गांधी की सरकार जाने के बाद में नरसिंह रावजी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पार्लियामेंट में इसे पास करवाकर प्रदेशों में यह कानून लागू करने के लिये सभी प्रदेशों को लिखा और यह लागू हुआ। नहीं तो गांव में और पंचायतों में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे वे ही लोग पंचायतों में सरपंच चुनकर आते थे। कभी महिला को अवसर नहीं मिलता था। कभी गरीब एस.सी. और एस.टी. के लोगों को प्रधान बनने का अवसर नहीं मिलता था। सरपंच बनने का अवसर नहीं मिलता था, प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिलता था। वह अवसर आज प्राप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में यह काम हुआ, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री रतनाराम चौधरी)

सभापति महोदय, ये लोग कह रहे हैं कि क्या अधिकार राज्य की कांग्रेस सरकार ने पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके वक्त में भी तो पंचायतें थीं, आपके वक्त में भी जिला परिषदें थीं, आपके वक्त में भी पंचायत समितियां थीं, आपने कौनसा अधिकार दिया था? हमारी सरकार ने प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया। डी.आर.डी.ए. का सारा बजट उनकी अध्यक्षता में वितरण हो रहा है। जिला परिषद् के सदस्यों को डी.आर.डी.ए. में 25 प्रतिशत राशि दी। सभी जिला परिषद् के मैम्बरों को हमारे जालौर जिले में...(व्यवधान) अनुशंसा पर काम करने का अवसर प्रदान हुआ। पंचायत समितियों के सदस्यों को भी कोटा अलाट हुआ और उनकी अनुशंसा पर हर पंचायत में आज काम हो रहे हैं। आज आप सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं पंचायतों की, प्रधानों की और जिला प्रमुखों की, थोथी बातों से सहानुभूति मिलने वाली नहीं है। लोगों की सहानुभूति तो काम करने से प्राप्त होती है, मतदाताओं की प्राप्त होती है। गांव में गरीब के बच्चे जो पढ़े-लिखे थे, उनको कोई दुकान की जमीन नहीं थी, जगह नहीं थी। उनके लिये हर पंचायत के हैडक्वार्टर पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दुकानें बनाकर गरीबों को अलाट कीं बहुत कम माहवार किराये पर। हमारी पंचायत में तो 200 रुपये किराये पर, जो शहरों में दो हजार रुपये किराये पर नहीं मिलती हैं, 5-5 हजार में नहीं मिलती हैं। हमारे गांव में भी 5 हजार रुपये एक दुकान का किराया है, ऐसी दुकानें 200 रुपये में ओ.बी.सी., सैनिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलाट हुईं और जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे थे वे धन्धे में लग गये। इसलिये मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया।

हमारे पूर्व वक्ताओं ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह से विकास अधिकारी का पद आप और विभागों से-इर्रिगेशन से, शिक्षा विभाग से भरते हो, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इनको पंचायती राज का अनुभव नहीं होता है। वे कुछ समय तक काम करके फिर अपने विभाग में चले जाते हैं। ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं और उनको अनुभव भी नहीं होता है। इसलिये पूर्व वक्ताओं ने भी ठीक कहा है कि पंचायतों में विकास अधिकारी का पद पंचायती राज में से ही भरा जाना चाहिए या आर.ए.एस. अधिकारी को इस पद पर लगाना चाहिए। जैसे ग्राम सेवक, नगरपालिका से निकाल कर ग्राम सेवक को उदयपुर लगा दिया। हमारे गांवों में जो आज महिला सरपंच हैं, कई हमारे भाई सरपंच हैं वे अनपढ़ और बहुत कम

(श्री रतनाराम चौधरी)

पढ़े-लिखे हैं। अनुभवहीन हैं। ऐसे में उनका ग्राम सेवक हावी हो जाता है। ग्राम सेवक को लगाना है तो बाकायदा ट्रेनिंग दे, जिस तरह से ग्राम सेवकों का चयन पंचायती राज विभाग के द्वारा होता था और ट्रेनिंग दी जाती थी साल-दो साल की। ट्रेनिंग द्वारा ही ग्राम-सेवक लगाये जाते थे। आज किसी डिपार्टमेंट से उठाकर एक बाबू को ग्राम सेवक लगा दिया। उनका दुरुपयोग होता है, वह गरीबों का शोषण करता है। पंचायत मंत्रीजी जवाब देंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस पर भी जरूर कुछ प्रकाश डालेंगे। कुछ अपनी बात आप कहेंगे, इसमें संशोधन करने की बात कहेंगे।

पंचायतों में जनप्रतिनिधि का एक कानून बना हुआ है कि जो दो बच्चे का बाप है वह सरपंच बन सकता है और तीसरा बच्चा होगा तो सरपंच के पद से अपने आप हट जाता है। परन्तु शिकायत होने के बावजूद भी, जांच होने के बावजूद भी वे आज दिन तक पद पर बैठे हैं। या तो कानून में आप छूट दे दो कि पांच बच्चों का बाप भी सरपंच बन सकता है। अगर आपने कानून में बाध्य कर रखा है तो ज्यों ही शिकायत आती है, उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। उसे पद से हटाकर पद को खाली कराना चाहिए और दूसरे जनप्रतिनिधि को चुनाव का, सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

एक, प्रत्येक गांव में पंचायत कोई भूमि आबादी में कन्वर्ट करने के लिए प्रस्ताव भेजती है। पंचायत समिति उसे कई दिनों तक लेकर बैठी रहती है। उसके बाद जिला कलक्टर के पास में जाता है और फिर बाद में राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश होता है तो इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। पंचायत मंत्रीजी, इसमें कुछ समय-सीमा तय की जाए कि 15 दिन से ज्यादा पंचायत समिति उस प्रस्ताव को अपने पास लेकर नहीं बैठेगी, कलक्टर दस रोज में अपनी रिपोर्ट देकर राज्य सरकार को भेजेंगे और 15 रोज में राज्य सरकार स्वीकृति दे या अस्वीकृति दे, कुछ भी दे। उसका महीने, डेढ़ महीने में निपटारा होना चाहिए। नहीं तो वहां के जनप्रतिनिधि को लोग परेशान करते हैं, सरपंच के कपड़े फाड़ते हैं। सरपंच और मतदाता एम.एल.ए. के कपड़े फाड़ते हैं कि हमारा प्रस्ताव गया उसकी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साल-साल भर से हमने यह प्रस्ताव भेज दिया जमीन आबादी में कंवर्ट करने के लिए, पर कोई निर्णय नहीं हुआ है तो इसकी सीमा निर्धारित करो। यह जो हमारे...

श्री सभापति : बोलो आप।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय का आशीर्वाद और स्नेह है कि मुझे यह अवसर दिया आपने बोलने का मुखबंद करने का आप संकेत दे रहे हो, इसलिए मैंने ये जो सुझाव दिये हैं, मैंने

(श्री रतनाराम चौधरी)

कोई भाषण नहीं दिया है, ये सुझाव दिये हैं, या तो विधान सभा में हम लोग जो बोलें इनका अमल होना चाहिए, नहीं तो हमारा बोलना और नहीं बोलना बराबर हो जाता है खाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बराबर है।

श्री रतनाराम चौधरी : न कोई का लिया और न दिया इसलिए आत्ममंथन होना चाहिए। विधायक सरकार की बाडी है, हम आपकी सरकार की बाडी हैं और हम सब आपके पीछे खड़े हैं। जब आप मंत्री हैं, हमारी सरकार बनी है तो विधायकों की बात को तरजीह देनी चाहिए। जो मैंने यह पुनर्गठन का बोला है, यह सब हमारे विधायकों की मंशा है। यह सब देखो इनकी क्या इच्छा है। सबकी मंशा है कि पंचायतों का पुनर्गठन हर हालत में चुनाव से पहले-पहले होना चाहिए। पंचायत मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी जो बहुत सीनियर हैं, विराजमान हैं, और हमारे उप मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, इन सबको हमारी इच्छा की, भावना की कद्र करते हुए जल्दी से जल्दी पंचायतों का पुनर्गठन कराने का आदेश देना चाहिए। महीने, दो महीने में इसकी सीमा तय करके आदेश जारी करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करने दीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इनकी तो आदत है। एक पड़ोसी के पास रुपये गिनता था तो दूसरा एक घड़े में कंकड़ डाल कर बजाता था। आप खुद जब सत्ता में थे उस समय तो आप कुछ नहीं कर सके और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी आपको ईर्ष्या हो रही है। गांवों में वाहवाही हो रही है, अशोकजी की इस सरकार की और कांग्रेस पार्टी की वाहवाही हो रही है इसलिए आप हर रोज काम में बाधा डालते हो। किसी की बात आम जनता तक पहुंचने देने का जो यह माध्यम है, आवाज को दबाना चाहते हो। परन्तु जनता हजार आंख से देखती है। आपके दो आंख हैं, हमारे दो आंख हैं लेकिन जनता के हजार आंख हैं वह हजारों आंखों से देखती है कि कौन हमारा जनप्रतिनिधि, कौन हमारी वफादारी और कौन हमारी भावना के अनुसार विधान सभा में बोलता है और समय की बरबादी नहीं करता है, काम करवाता है। हल्ला-गुल्ला करने से जनता आपके ऊपर कोई रीझने वाली नहीं है। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर। संयत रहकर। आपको जल्दी जाना है न?

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंचायती-राज की प्रथम कड़ी के रूप में वार्ड इकाई होती है, वार्ड पंच चुनकर आते हैं वे उप सरपंच का चुनाव करते

(श्री मदन दिलावर)

हैं और सीधा चुनाव जो होता है वह सरपंच का होता है। हम सब लोग निरन्तर रूप से कहते आये हैं कि पंचायती-राज को सुदृढ़ बनाएंगे। पंचायतों को अधिक शक्तियां देनी चाहिए और स्वतंत्रता देनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या कोई पंचायत स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार है? मुझे ऐसी कोई गांव पंचायत दिखाई नहीं दे रही राजस्थान में जो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए स्वतंत्र हो। स्थिति क्या है? राजस्थान सरकार यहां से आदेश देती है, वार्ड सभाएं करवाइये, ग्राम सभाएं करवाइये। बहुत अच्छी बात है कि कोई वार्ड सभा हो, वार्ड सभा के माध्यम से कोई विचार आए, विकास की चर्चा हो, प्रस्ताव पारित हो। यह तो ठीक है लेकिन वार्ड सभा साल में दो बार होनी चाहिए। पहली बार वार्ड सभा ने जो प्रस्ताव पारित किये उस पर दूसरी वार्ड सभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि हमने पहली वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पारित किये थे उनका क्या हुआ? यहां से आदेश चले जाते हैं कि पांच-पांच लाख के दस-दस लाख के, 20-20 लाख के आप वार्ड सभा में प्रस्ताव पारित कर लीजिए, उन प्रस्तावों के आधार पर हम विकास का काम करेंगे। कौनसे वार्ड में उनके लिये हुए प्रस्तावों के आधार पर राजस्थान में काम हुआ है? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा अभी तक नहीं है कि वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पारित हुए हों, उनके अनुसार सभी वार्ड सभा में पारित प्रस्ताव को, पहली वार्ड सभा की भी यदि हम चर्चा करें तो आज उनकी स्वीकृति मिल गई हो, काम प्रारम्भ हो गये हों, उनमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उनकी पालना हो गई हो। अभी पहली वार्ड सभा की ही चर्चा करें, उसका मूल्यांकन करें, उसकी जांच करें तो एक भी वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की पालना नहीं हुई है। तो फिर बार बार यह क्यों? यह राजस्थान की जनता का धन हम बर्बाद कर रहे हैं। हर वार्ड सभा में हम बहुत सारे कागज मंगाते हैं, बहुत सारी जानकारियां मंगवाते हैं। यहां तक मंगवाते हैं और फिर कहते हैं अब हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, वार्ड के लोग जो तय करेंगे वह काम होगा। लेकिन यह नाटक ज्यादा समय तक चलता नहीं है। पोल खुलने लग गयी है। जो भी पंचायती राज मंत्री बनता है उसको अपना फोटो छपवाने का ऐसा शौक हो गया है कि वार्ड सभा के नाम से बड़ी भारी फोटो छपवाते हैं। कहते हैं कल्याणकारी है। कहते हैं हम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देंगे, स्वतंत्रता देंगे। लेकिन स्थिति और विकट होती जा रही है। पंचायतों पर पाबन्दियों और शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे जिस सरपंच को निलम्बित कर दो। जो निलम्बित सरपंच है उसको बहाल कर दो। कोई नियम कानून नहीं। कानून बना रखा है, नियम बना रखे हैं कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे सरपंच बनने के

(श्री मदन दिलावर)

बाद या एक निश्चित तारीख दी उसके बाद, तो उसको हम पंचायती राज में किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लेकिन स्थिति क्या है? श्रीमान्, सरपंच या प्रधान या मैम्बर या पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य बनने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा हो गये तो उनको हटा दिया गया क्या? यदि नहीं हटाया तो फिर किताब में लिखा हुआ क्यों पड़ा हुआ है? उसको हटा दीजिये। और नहीं हटाते हैं तो उसकी पालना कीजिये। फिर इस प्रकार से विधान सभा में जो प्रस्ताव पारित करते हैं, हम उसकी पालना नहीं करते...(व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : हटाये हैं। दो हटाये हैं अभी। हटाये हैं, कैसे नहीं?

श्री मदन दिलावर : ठीक है, ठीक है। बिराजो। (व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल : जो कानून लागू है, नहीं, मैं कोई असत्य तो नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने हटवाये हैं।...(व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल : मैंने नहीं हटाया है, कानून ने हटाया है। वह लड़े हैं सामने। जो उनके सामने वाला सरपंच था, वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है।

श्री मदन दिलावर : बिराजो, बिराजो, प्रार्थना।

श्री आदराम मेघवाल : फिर हटा दिया तो वह कानून थोड़े ही बनाये हैं, कानून आपने ही बनाया है। पहले कौन थे? (व्यवधान) गलत बात मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप रोजाना बोलते हो सदन में...(व्यवधान) सुनो तो सही। आप सुनते हो नहीं दूसरे की, आप ही आप के सारे लगे रहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूं, पर आपका ढंग देखकर कह रहा हूं। (व्यवधान) आप भी बोल देना। यह साफ थोड़े ही है, हरेक बात ही कोई अखबार की लेते हैं, या और किसी से लेकर आप उस काम में, सब में कोई सच्चाई थोड़े ही है। (व्यवधान) अखबार वाले छापते हैं क्या?...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल : हरेक बात को असत्य लाकर यहां कहते हो। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से कहा है, गुनाह थोड़े ही कर दिया मैंने। यह कह रहे हैं न, कानून तो सब लागू है ही।

श्री सभापति : माननीय बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, यह निवेदन कर रहा था कि चाहे जिसको हटा देते हैं और जिसको चाहे उसको नहीं हटाते। यह समानता का व्यवहार क्यों नहीं? समानता के व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, कानून की पालना होनी

(श्री मदन दिलावर)

चाहिये। आज झालावाड़ जिले के इकलेरा के प्रधान श्रीमान् कैलाशजी मीणा, तीन बच्चे हैं। प्रधान बनने के बाद बच्चा पैदा हो गया, आखिर उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है?

श्री शंकर लाल अहारी : वह तो पहले का है।

श्री मदन दिलावर : किसने लिखा है? (व्यवधान) किसने कहा है?

श्री शंकर लाल अहारी : उसकी मां ने कहा।

एक माननीय सदस्य : उसकी मां का है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पहले का है, बाद का है, मुझे पता नहीं। यह तो उन दोनों पति-पत्नी को पता है। लेकिन जो रिकार्ड पर है, जांच हो गयी है और जांच में प्रूव हो गया है कि दूसरा बच्चा कैलाशजी मीणा के बाद में पैदा हुआ है। रिपोर्ट आ गयी है फिर क्या कारण है कि इनको प्रधान के पद से हटाया जा रहा है? कोटा जिले की पंचायत है मण्डावरा, वहां के तीन वार्ड पंचों की शिकायतें हैं। जांच हो गयी है, जिला परिषद् सचिव के पास पड़ी हुई, सम्भागीय आयुक्त के पास पैंडिंग है। जांच में प्रूव हो गया है कि पंच योग्य नहीं है, क्योंकि इनके तीसरी संतान पैदा हो गयी। फिर कहते हैं कि पालना कर रहे हैं। यानि जंगलराज। चाहे जो करो, चाहे जा न करो। मनमानी। राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर शिक्षा का जो बंटाधार किया है पंचायती राज ने, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती।

श्री सभापति : कई बार कह चुके हो, माननीय सदस्य। कई बार कह चुके हो।

श्री मदन दिलावर : हां। बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि इनके मानस पटल पर ठीक प्रकार से आ जाएं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : इनके पास और कोई बात है ही नहीं, इसलिए रिपीट करते रहते हैं हमेशा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं आपके मानस पटल पर ठीक प्रकार से चिन्हित करने के लिये बार-बार इस बात को कहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, श्रीमान्, कि राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी की गयी है। इनके बच्चे पढ़ेंगे पब्लिक स्कूल में, इनका बच्चा पढ़ेगा ट्रेण्ड टीचर से लेकिन मेरे गांव के व्यक्ति का बच्चा पढ़ेगा आठवीं पास मास्टर से, मेरे गांव का बच्चा पढ़ेगा दसवीं...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : वह घूमने के बजाय पढ़ेगा। उसे स्कूल में जाने लायक तो किया। स्कूल तो खुले। वह आठवीं क्लास के बच्चे से भी पढ़ेगा।

श्री सभापति : माननीय मोदीजी।

श्री मोहन लाल मोदी : इनको इतना तो होना चाहिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, पढ़ना अच्छा है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह षड्यंत्र था कि आने वाली नई ग्रामीण जनरेशन अशिक्षित रह जाये, आठवीं से आगे नहीं बढ़ जाए और शहर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों के बच्चे आगे बढ़ जाएं। जब कम्पीटीशन हो नौकरियों में तो ग्रामीण पिछड़ जाएं, शहर के आ जाएं, वे नौकरियां पा जाएं। फिर कहो कि स्वच्छ कम्पीटीशन से हमने नौकरिया दी थीं, वे नहीं आये तो हम क्या कर सकते हैं? यह षड्यंत्र है। यह किसी न किसी विदेश के इशारे पर हो रहा है कि राजस्थान के ग्रामीण बच्चों को किस प्रकार से अनपढ़ रखा जा सकता है। कौनसे देश के इशारे पर कर रहे हो उप मुख्य मंत्रीजी, यह बात? आखिर किसके इशारे पर कर रहे हो? इस राजस्थान की गरीब जनता के बच्चों को आप क्यों अशिक्षित रखना चाहते हो? (व्यवधान)

कहते हैं हमने बसें चला दीं, बसों में पढ़ेंगे। अब +++ बसों में बच्चे पढ़ते हुए देखे हैं कहीं? एक-एक बस आठ आठ लाख रुपये की। आठ लाख रुपये आप खर्च करते, गांव में बढ़िया विद्यालय बनाते और फिर वहां उसको पढ़ाते। आपको यदि चलते-फिरते विद्यालय खोलने हैं तो रैवारियों के साथ एक टीचर को लगा देते जो भेड़ चराने के लिये जाते हैं, जो ऊंट चराने के लिये जाते हैं। जो गाड़िया लुहार रहते हैं, उनके दो-दो, चार-चार परिवारों के साथ एक मास्टर लगा देते ताकि चलते फिरते बच्चों को पढ़ा सकते थे। आपने बसें लगायी हैं, राजस्थान के धन का क्यों दुरुपयोग करते हो? यह पंचायती राज का मामला है, साहब। (व्यवधान) यह पंचायती राज में आता है सब। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल अहारी : दिलावर साहब, क्रम मत तोड़ो, जारी रखो।

श्री मदन दिलावर : कर्म फूट गये आपके तो।

श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था, पंचायती-राज ने कहा कि बड़े-बड़े तालाब हमने ले लिये हैं। अब बड़े तालाबों का संधारण करेंगे, मरम्मत करेंगे। मेरे यहां कूकर तालाब है, एक हजार बीघे का उसका एरिया है, यदि उसको ठीक कर दिया जाए, थोड़ा पैसा लगा दिया जाए तो पहाड़ों के बीच में पचास गांव की जमीन उससे सिंचित हो जाएगी। जब मैंने सिंचाई विभाग से पूछा तो जवाब देते हैं ग्राम पंचायत में दे दिया है, वहां बात करो। पंचायती राज विभाग से मैंने विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पूछा तो कहा, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव नहीं लिया है इसलिए इस काम को करना सम्भव नहीं है और वहां के माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

विधायक ने धन उपलब्ध नहीं कराया है। एक हजार बीघे का तालाब, उसमें यदि ठीक प्रकार से काम कराएंगे, पचास गांव के एरिये में पानी उपलब्ध कराना है तो एक करोड़ रुपये चाहिये। एक करोड़ रुपये वहां के विधायक से लेना चाहते हैं। विधायक को देते 60 लाख रुपया हो और एक काम के लिये एक करोड़ रुपये एम.एल.ए. से लेना चाहते हो, कैसे अधिकारी बैठे हैं? इनको यह जानकारी नहीं कि क्या लिखा जाए, क्या विधान सभा में दिया जाए, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अंधे होकर, सोकर, नींद में जैसा बाबू ने लिख दिया, वैसे नीचे से ऊपर तक हस्ताक्षर होकर आ गया। मंत्रीजी भी पता नहीं क्या नींद में थे, मेरे तक वह जवाब ऐसा का ऐसा आ गया। माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक विकास कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा? इस राजस्थान का सामुदायिक विकास करने के बजाय खुद का विकास कर रहे हैं। आप तो जानते हैं, इस सदन में ही माननीय सदस्य अब मंत्री बन गये हैं और उनको मैंने 273 का नोटिस भी दिया है। मेरे पास प्राप्ति रसीद भी है, मैंने अध्यक्ष को भी सूचना दी है। मैंने राजस्व मंत्रीजी को भी सूचना दी है। पर, श्रीमान्, क्या हुआ? हुआ यह कि 400 बीघा जमीन प्रधान रहते हुए, एम.एल.ए. रहते हुए और अपने नाम, अपने परिवार के नाम, पिताजी के नाम, बेटे के नाम और उन्होंने...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज की मांग से इस बात का क्या लेना-देना है?

श्री मदन दिलावर : यह विकास का मामला है। यह सामुदायिक विकास का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, यह नहीं। इसकी इजाजत नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : कुछ नहीं है इनके पास। यह तो खाली इस हाउस का टाइम खराब करने के लिये है। कोई चीज बोलने की नहीं है। रोजाना वही रिपीट करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, नोटिस इस बात का दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज में दस लाख, पांच लाख (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 273 में नोटिस इस बात का दिया है और मैंने लिखा है कि 25 तारीख को अपनी बात को कहते समय...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज के लिए नहीं है। नोटिस दे दिया तो ठीक समय पर इस बात को उठाओ। आज इस विषय पर इसका नहीं। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रतन लालजी ताम्बी साहब ने जमीन का घोटाला किया है और आप इस प्रकार से...

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं अटरू से आने वाले माननीय सदस्य से जानकारी चाहूंगा कि आराजी खसरा नम्बर 599 में आदर्श विद्या मन्दिर का कब्जा 331 बीघा पर है देवली में, वह किस आधार पर है?

श्री मदन दिलावर : हटा दो। किसने मना किया, हटाओ न।

श्री दिग्विजय सिंह : देवली में। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अगर मान लो, आदर्श विद्या मन्दिर ने गलत कब्जा किया तो उसको भी हटा देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : हटा दो न। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : 381 का, हां। नहीं, 599 खसरा नम्बर है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : रतन लालजी ताम्बी पर, जो इन्होंने माननीय मंत्रीजी पर आरोप लगाये हैं, अगर आपको कोई उस आदर्श विद्या मन्दिर की जमीन पर कब्जा हटाना है तो हटा दो। कौन मना करता है? यह माननीय सदस्य ने नोटिस दे रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : जो आरोप लगाये हैं उनकी प्रक्रिया से चलिये।

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : लिख कर दिया है और उसके आरोप लगाने हैं, लगाएंगे। इन्होंने प्रधान रहते हुए अपने बेटे के नाम, खुद के नाम जो जमीन अलाट की उसके बारे में बताने लग रहे हैं। इसके बारे में क्या तकलीफ है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : या फिर ताम्बी साहब के खिलाफ आरोप लगाये हैं, ताम्बी साहब बैठे हैं, जवाब दे दे उनका। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किसी के भी खिलाफ कोई कहते हैं तो दो जने पीछे से खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ये आरोप गलत हैं तो ताम्बी साहब बिराजे हैं। रहा सवाल आदर्श विद्या मन्दिर का तो इस पर आप कब्जा बता रहे हो तो हटा दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ताम्बी साहब का नाम ही नहीं लिया था उसके पहले ही मैम्बर खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जमीन अगर अलाट नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मंत्री पर आरोप लगाते हैं, कह दें जमीन अलाट नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, ताम्बी साहब बिराजमान हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल अहारी : जो यह मुद्दा उठाया है इसका पंचायती राज से कोई तालमेल नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : आप विषयान्तर क्यों हो रहे हो?...(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री शंकर लाल अहारी : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : XXX

श्री सभापति : आप बिराजिये। (व्यवधान) वह बोलें जब ये तो बैठ जाएंगे सब। बिराजो आप। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल अहारी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, जो भी नियम और प्रक्रिया है इसके तहत माननीय सदस्य ने समय से पहले माननीय सदस्य को 273 के तहत नोटिस दिया है कि मैं आरोप लगाऊंगा। मैं सोचता हूं अब उनका अधिकार है, वह बात कहें। मंत्री महोदय भी उनके पास जो तथ्य हों, जिस तरह से भी वो इसको डिनाई करना चाहते हैं कि यह गलत है, यह ठीक नहीं है, तो आप अपनी बात को स्पष्टीकरण करें। मैं समझता हूं इसमें विवाद करने में, अगर यह किसी नियम के तहत नहीं आते और बिना आपको पूर्व नोटिस के यह विषय उठाते तब तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य नियमों के तहत नहीं थे। विधिवत इन सब आरोपों को लगाने के पहले उन्होंने 273 का नोटिस मंत्री महोदय को दिया है, इसलिए आप उन्हें बोलने दीजिये और आपके पास जो तथ्य, इसका जवाब हो वह आप दीजिये। क्या दिक्कत है?

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : XXX

श्री सभापति : आप बैठो न, आपके नेता बोल चुके। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : XXX

श्री सभापति : आप बिराजो। आप बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कहनी थी कह दी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी बात कह दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 273 का नोटिस यह सब प्रक्रिया के अन्दर है। आज जो सब्जैक्ट हमारे यहां डिस्कशन में है, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री सभापति : आप सुन तो लो। 273 का आपने कोई नोटिस दिया, उसका अलग सब्जैक्ट है। उस हिसाब से आप कभी भी इनको कहें, इस डिबेट में माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं असमर्थ हूं, इस डिबेट में यह आरोप लगाने के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। माननीय दिलावर साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, आज पंचायती राज से सम्बन्धित मांग है और ये अलाटमेंट की कमेटी के मैम्बर हैं। उसमें प्रधान मैम्बर है, सरपंच इसका मैम्बर है। स्वयं सरपंच और प्रधान रहते हुए जो आबंटन किया वह पंचायत के उस अधिकार के दुरुपयोग के परव्यू में आता है और उसी हिसाब से उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने उस जनतांत्रिक पद पर रहते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने और अपने परिवार के लिए भूमि आबंटन कराया, जो गलत था। उस पंचायत के अधिकारों का दुरुपयोग था, उस पद का दुरुपयोग था। उन्होंने इस मांग के तहत आने की कोशिश की।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको सब दिखला दूंगा लेकिन इस वक्त माफी दीजिये। माननीय सदस्य इस पंचायती राज पर जो कहना चाहते हैं वह कह दीजिये, ये आरोप तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : व्यवस्था सब ठीक है। आप डिबेट कराना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चलाना चाहो तो डिमांड पास करा दें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सभापति : मैं समझता हूं आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है इसलिए,

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, बिराजिये।...(व्यवधान) ...क्या चाहते हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री रामचन्द्र सराधना : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सभापति : कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कोई इजाजत नहीं मिलेगी। आप डिबेट कराना चाहते हो कि नहीं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सभापति : आरोप लगाने के लिए बहुत समय है, अपनी प्रक्रिया है। यह जो मांग हो रही है...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय ने जो व्यवस्था दे दी है...(व्यवधान)...व्यवस्था है, आप निर्णय कर लें, हाउस को चलने दें। जो इस समय डिमांड चल रही है, कृपया उस पर बोलें। उसका उत्तर दे दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी ने व्यवस्था दे दी है... (व्यवधान)...सदन को चलने दें आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप माननीय सभापतिजी को सम्बोधित करें, उत्तर माननीय पंचायती राज मंत्रीजी देंगे।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप अपनी डिबेट चालू रखिए। व्यवधान नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था आपको रखनी हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : आप बिराजो न।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि श्रीमान्

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

रतन लाल ताम्बी साहब ने, यहां विधान सभा में, जब एक स्थगन प्रस्ताव लगा था...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा संयमित रहिए न।

श्री मदन दिलावर :...उस समय यह कहा था कि यदि मेरे नाम, मेरे परिवार के नाम गलत तरीके से आबंटन हुआ हो तो राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सब्जैक्ट एक बार हाउस में डिस्कस हो चुका उस पर दुबारा डिस्कशन हो...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, वह डिस्कस नहीं हुआ। पिछली बार भी हमने इसको लाने की कोशिश की, सारे लोगों ने खड़े होकर, पूरा समय उसमें चला गया। सदन चल नहीं पाया और सदन स्थगित हो गया। उस समय भी हम नोटिस देकर विधिवत सब प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी करके आये थे, लेकिन चूंकि हाउस का अन्तिम दिन था, हो-हल्ला करके सदन को स्थगित करवा दिया और विषय आ नहीं पाया। अबकी बार बिलकुल विधिवत तरीके से, इस डिमांड पर, जिस ढंग से आना चाहिए, जिस नियम से आना चाहिए, माननीय सदस्य उसी नियम से आये हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के तहत हमें अपनी बात कहने दें। मंत्री महोदय अगर इस पर जवाब देंगे तो उनको भी जवाब देने दें, उनको भी हम सुनेंगे कि वे इस बारे में अपनी क्या बात कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप माननीय सदस्य से कहिए कि इस प्रकार से यहां उग्रता नहीं आए।

श्री मदन दिलावर : नहीं आएगी। मैं बहुत शांति से कहूंगा। श्रीमान्, निवेदन यह था, नरेन्द्र महाजन के बारे में कहा गया था कि यह मेरा बेटा नहीं है। प्रशासन ने जांच की, जांच में पाया कि नरेन्द्र महाजन श्री रतन लाल ताम्बी का बेटा है और उसके आरोप में 299 खसरा नम्बर जो भी होगा, रकबा दस बीघा जमीन आबंटन वर्ष 2001 में है। यह जांच पूरी हो गयी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, कल इन्होंने यह डिमांड की थी कि इस तरह के किसी पर आरोप नहीं लगाये जाएं जिससे कोई अव्यवस्था हो। आपने हाउस में जो वातावरण बनाया, क्या आप यह चाहते हो कि इसी तरह के वातावरण बनते रहें? तो जब कल वाली बात लागू हो सकती है तो फिर आज वह व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो सकती?

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, 14 बीघा 15 बिस्वा श्रीमान् रतन लालजी ताम्बी, उनके 1970 में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इधर से व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल 145 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कट मोशंस के ऊपर लिखा है- Cut motions:-A motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following ways:-(a) that the amount of the demand be reduced to Re.1/- representing disapproval of the policy underlying the demand. Such a motion shall be known as' Disapproval of Policy Cut'. A member giving notice...जो कि नोटिस इनका दिया हुआ नहीं है।

(15.54 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : डिमांड/कट मोशंस में नहीं दिया हुआ है। "A member giving notice of such a motion shall indicate in precise terms the particulars of the policy which he proposes to discuss. The discussion shall be confined to the specific point or points mentioned in the notice and shall be open to members to advocate an alternative policy;" उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन के ऊपर साफ लिखा हुआ है। न तो इनका कट मोशन है और न इस बात के लिए दिया है कि ये इन इन पाइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे या यह उल्लेख करेंगे। बार-बार इसी पर चर्चा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि एप्लीकेबिलिटी है या नहीं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिना कट मोशन दिए ही आपने नयी परम्परा डाल दी लोगों को बोलने देने की। अब आप का जो रूल है उस पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। एक मिनट टाइम बढ़ा देने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक और है रूल 146-"146(iv). It shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टाइम बढ़ा देने दो, फिर बोलिए।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में चार बजे मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर अनुदान की शेष मांगें पारित करने का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बन्द का प्रयोग चार बजे के बजाय छह बजे से किया जाए और छह बजे के बाद मुख बन्द का प्रयोग करके अनुदान की शेष मांगे पारित की जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मुख बन्द का समय छह बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय छह बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-41 पर विचार

माननीय सदस्य, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप निरन्तर यह कह रहे हैं कि इन्होंने जमीन ली, इन्होंने वह लिया और आप यह कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद यदि कोई फैसला हो गया हो...

श्री मदन दिलावर : हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए। मेरी बात। माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यदि आरोप मेरे पर सिद्ध हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सिद्ध हो गया और आपके पास कोई प्रमाण हो तो बता दीजिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई मतलब नहीं है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई उपाध्यक्ष महोदय, नहीं चलेगा। आप सीधी-सी बात समझिए, पाइंट यह है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज इट। माननीय सदस्य, आप सुनिए इस बात को। सीधी सी बात यह है, मंत्रीजी ने यह कहा है कि यदि आरोप सिद्ध हो जाएगा किसी भी जगह तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद यदि कोई सिद्ध हो गया हो, आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप बता दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है इस बात का।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रतन लाल ताम्बी (खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप के प्रकरण में था, इन्होंने सबको

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मिला दिया। फैसला हो चुका है जिलाधीश से, आर.ए.ए. से, वह गलत माना गया है कि मेरे लड़के के नाम अलाट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो सब पढ़ चुके, सब हो चुका। सीधी सी बात यह है कि किसी भी कोर्ट से, किसी भी जगह से कोई आदेश हो, इन पर आरोप सिद्ध हो गये हों तो आप बता दो। नाजायज तरीके से इनके परिवार ने जमीन ली और वह खारिज की गयी हो या कोर्ट में कोई फैसला हुआ हो तो बता दें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम नहीं है कि कलक्टर के यहां अभी अपील चालू है, जारी है, फैसला ही नहीं हुआ है उसका।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपका खयाल गलत है। आप इस सब्जैक्ट को खतम करके डिमांड पर बोलो। अपार्ट फ्राम दिस।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपको।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि बहुत क्लीयर है। यह मामला सब जुडिस है। यदि आपके पास कोई कोर्ट का फैसला हो तो आप बोलिए। मामला सब जुडिस है, I will not allow. सीधी-सी बात है। इस चैप्टर को बन्द करके आगे चलो।

श्री मदन दिलावर : मुझे नहीं बोलने देंगे? खैर, श्रीमान्, अब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं आगे चलता हूं। यह लगा कि सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं और सत्ता और ताकत के बल पर मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। खैर, मैं बाद में बोल लूंगा।

मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो अकाल राहत के कार्य आपने प्रारम्भ किये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक है।

श्री मदन दिलावर : अकाल राहत कार्यों की स्थिति क्या हो गयी है? उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, देखेगा कौन? कह दिया, गुरुजी, आपको नोडल कर्मचारी बनाते हैं। अब गुरुजी पढ़ाने जाएं या अकाल राहत कार्य देखने जाएं? या अकाल राहत के कार्यों पर मस्टररोल भरकर मजदूरों को लगाएं? आज स्थिति बहुत विकट हो गयी है और इस कारण से शिक्षा बिलकुल जीरो हो गयी है। मास्टरजी तो भागे फिर रहे हैं कि कर्मचारी कैसे लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे। वहां लड़ाई हो रही है, फिर इधर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

जांच करने वाले अधिकारी आ रहे हैं और मास्टरजी को ढूंढ़ रहे हैं। आखिर में शिक्षा का इस अकाल राहत कार्य से क्या लेना देना? आप अकाल राहत कार्य आपकी टीम से करवाइए और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए स्वतंत्र छोड़िए। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और जो काम कराये हैं उनमें इतना गड़बड़ हुआ है कि कई गरीब लोग काम पर नहीं लग पाये। काम पर नहीं लग पाने के कारण से कई लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं, और कई लोग

(16.00 बजे)

तड़प तड़प कर भूख के कारण से मर गए हैं। (व्यवधान) बारां जिले में मर गए पचास से ज्यादा। पंचायत क्षेत्र में गौशाला है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव है और गौशाला की जमीन 283 बीघा जो ग्राम पंचायत के अंडर में होनी चाहिए थी, नगरपालिका उसे जबरदस्ती अपने नाम कराकर एक व्यक्ति को देकर हड़प लेती है। वहां काम होता है सड़क का। नगरपालिका से भी पैसा उठ गया, ग्रामीण विकास अभिकरण से भी पैसा उठ गया, सड़क बन गयी। एक काम का दो-दो जगह से पैसा।

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय सदस्य, आपकी कांस्टीट्यूएंसी में अच्छा काम हुआ, इसकी कहो आप तो।

श्री मदन दिलावर : हां करूंगा, आपके भ्रष्टाचार की तारीफ करूंगा। यह मेरे से कहलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के विकास की बात कर रहे हैं, दो जगह से पैसा उठाकर एक काम कराया है। इसी प्रकार एनीकट का दो जगह से पैसा उठा लिया और एक काम कराया। लगातार हम प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं, यह लाखों रुपये की जो गड़बड़ी हुई है इसकी जांच क्यों नहीं करवाते?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सहरिया साहब, आप जैसे आदमी को तो विधायक बनना ही नहीं चाहिए। आप तो रबड़ स्टाम्प हो प्रमोद की और भरत की, जहां चाहते हैं वहां दस्तखत करते हो।

श्री हीरालाल सहरिया : मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य की कांस्टीट्युएंसी में निर्माण कार्य हुआ तो अच्छा ही हुआ न, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

(16.02 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या अच्छा हुआ, घोटाला हुआ है। आपके ही चेलों ने किया है घोटाला एक करोड़ रुपये का। नगरपालिका बारां से जारेडा आठ किलोमीटर दूर है, नगरपालिका ने पैसा लगाया है और शिवनारायणजी ने विरोध किया। मुख्य मंत्रीजी की देख-रेख में उनको पीटा गया। अभी आपकी अम्बिकाजी सोनी आई थीं, वह शिवनारायणजी की और अशोकजी गहलोत की मीटिंग कराकर गयी हैं। अशोकजी गहलोत ने कहा है मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री हीरालाल सहरिया : करा लो, जांच में क्या है?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो जाए और यह सरकार कुछ नहीं करे और जांच करके दोषियों को दण्ड न दे। राजस्थान की जनता की खरी कमाई का पैसा इसलिए था कि कुछ लोग भ्रष्ट आचरण करके खा जाएं, सरकार उनको संरक्षण दे? मुख्य मंत्री जाकर वहां लोकार्पण करें, लोग विरोध करें तो उनके ऊपर लाठियां बरसाएं?

माननीय विधायक जो अटरू विधान सभा क्षेत्र के पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र से आते हैं उनके साथ बदसलूकी मुख्य मंत्री की देख-रेख में हो, इससे ज्यादा ज्यादती माननीय सदस्य के साथ क्या हो सकती है? यही नहीं, डी.आर.डी.ए. की बात कीजिए, डी.आर.डी.ए. में कहा हमने चेयरमैन बना दिया हैं जिला प्रमुख को। हमने कहा, जिला प्रमुखजी, आप तो कांग्रेस के हो, ईमानदारी से बताना क्या क्या अधिकार हैं? कहा, दिलावरजी, यदि चौराहे पर सबके सामने पूछोगे तो कहूंगा हमें बहुत अधिकार हैं, यदि अकेले में आप पूछोगे तो हमारी सरकार ने जो भट्टा बैठाया है इस पंचायती राज का, इस डी.आर.डी.ए. का, वैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी मजबूरी है, चौराहे पर, मंच पर तो मुझे यही कहना पड़ेगा, जय जयकार करनी पड़ेगी। नहीं तो कल पता नहीं मेरा क्या हश्र हो जाए।

एम.एल.ए. कोटे से जो पैसा आबंटित करते हैं, हम कहते हैं वहां ट्यूबवैल खोद दो, यहां यह काम कर दो, तो डी.आर.डी.ए. से हमको एक नोटिस मिलता है। लिखा जाता है, माननीय सदस्य महोदय छह इंच का ट्यूबवैल हम नहीं खोदेंगे, हम आठ इंच का बोर करेंगे। आठ इंच के बोर में ज्यादा पैसा लगता है, ठीक कमीशन बनता है, छह इंच के बोर में कम कमीशन बनता है इसलिए वह आठ इंच का बोर करेंगे, अड़े हुए हैं। मजबूरी में मुझे लोगों की प्यास को, तड़पन को देखते हुए आठ इंच के बोर की सहमति देनी पड़ी है। मैं पहले भी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख चुका लेकिन कौन सुनता है? यहां से पत्र का जवाब नहीं मिलता। मुख्य मंत्री का एक पत्र जरूर जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, दिखा रहा हूं। क्या करेंगे दिखाकर? आपने उस पर कुछ कार्यवाही की क्या? कोई कुछ कहा क्या? कोई दिशा निर्देश दिये क्या? दो-दो साल तक काम करने के बाद, लिख कर देने के बाद, विधायकों के लिखकर देने के बाद भी काम नहीं हुआ, सभापति महोदय, इससे ज्यादा हालत क्या होगी। विधायक जो लिखकर देता है वह डी.आर.डी.ए. से जब काम जाता है पंचायत समिति तक, तो बंदर बांट कितनी होती है-दस प्रतिशत अटरू का प्रधान लेना, फिर उसमें अन्य सारे कुछ लोग लेंगे। एम.एल.ए. कोटे का मैं सोचता हूं कि एक लाख रुपया मैंने मेरे कोटे से दिया है, पूरा लगेगा पर फील्ड में पचास हजार से ज्यादा नहीं लग रहा

(श्री मदन दिलावर)

है। हम कहते हैं किसी स्वयंसेवी संस्था से काम करवा लें, बोले नो, सरकार की मनाही है, स्वयंसेवी संस्था से आप काम नहीं करा सकते। स्वयंसेवी संस्था से काम कराएंगे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : करा सकते हैं, तीस परसेंट अगर वे देंगे तो करा सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, तीस परसेंट वे लाएंगे चोरी करके। मतलब तीस परसेंट वह दें तो करा सकते हैं न? तीस परसेंट स्वयंसेवी संस्था लाएगी कहां से? तो साफ मनाही हो गयी न? सौ परसेंट पर दो। इसका मतलब काम नहीं करा सकते। और काम नहीं करा सकते तो स्थिति क्या? भ्रष्टाचार में बहुत पैसा जा रहा है। मैं लिखकर दे चुका सरकार को कि मेरे यहां जांच करवाएं। अगर आपकी जांच में यह नहीं आता है कि किसको पैसा दिया और किसको नहीं दिया तो यह जांच तो करा लीजिए कि यह जो काम हुआ है इसमें कितना पैसा लगा होगा, उससे ही प्रूव हो जाएगा कि इसमें एक लाख रुपया उठा है, मौके पर पचास हजार का काम है। साफ दिख रहा है। इसका मतलब पचास हजार कौन खा गया? लेकिन किसको फुर्सत है? वह कहते हैं रेवड़ियां बंट रही हैं, इलाके बांट दिये गये हैं, अमुक साहब इस क्षेत्र से इकट्ठा कर लो, अमुक साहब आप इस अमुक क्षेत्र से इकट्ठा कर लो। इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों को चन्दा उगाहने के लिए सारी की सारी जितनी भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उनमें बन्दर बांट करने की खुली छूट दे दी है।

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र जहां से माननीय प्रताप सिंहजी एम.एल.ए. चुनकर के आते हैं, एक साल हो गया है पेयजल के लिए ट्यूबवैल के लिए पैसा दिए हुए, आज तक ट्यूबवैल नहीं खुद रहे हैं। प्रताप सिंहजी के यहां तो एक साल ही हुआ है, मेरे यहां दो दो साल हो गये हैं। दो–दो साल से ट्यूबवैल नहीं खुद रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, यदि आपने बना भी दिया जिला प्रमुख को चेयरमैन डी.आर.डी.ए. का, तो हर काम की आपको निश्चित सीमा तय करनी चाहिए। निश्चित सीमा क्या? कि माननीय विधायकों द्वारा सहमति पत्र देने के इतने दिनों बाद वित्तीय स्वीकृति, इतने दिन बाद प्रशासनिक स्वीकृति, इतने दिन बाद तकनीकी स्वीकृति। काम की नेचर को ध्यान में रखते हुए उस काम की समय सीमा तय करनी चाहिए कि इतने दिन में हो जाए। इतने दिन में हो जाए तब तो काम होगा। यदि आप इस प्रकार से उनको बांधोगे नहीं, समय की पाबन्दी नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से काम में डिले होता जाएगा और ग्रामीण विकास का काम जो प्रगति करता है वह रुक जाएगा।

(श्री मदन दिलावर)

हम कई बार कहते हैं, आप एनीकट बनाने जा रहे हैं, भारत सरकार से हमने लगभग 126 एनीकट की स्वीकृति माननीय वसुन्धरा राजेजी के सहयोग से बारां जिले में प्राप्त की। आज तक कोई एनीकट प्रारम्भ नहीं हुए हैं। कुछ एनीकट प्रारम्भ हो गये तो बीच में अटक गये हैं। एनीकट का केन्द्र सरकार ने पूरा पैसा दिया तो बीच में इन्होंने अड़ा दिया कि एनीकट का काम भी अकाल राहत में शामिल कर दो। खोदते जाओ, खोदते जाओ, काम पूरा नहीं। स्थिति यह हो गयी है कि जो एनीकट का काम ठीक प्रकार से होना चाहिए था, उचित स्थान पर होना चाहिए था, जहां इंजीनियर्स ने रिपोर्ट दी है वहां होना चाहिए था, वहां न होकर अपने मनचाहे तरीके से वह काम किया जा रहा है। जंचे जहां तो सिंचाई विभाग को नहीं दिया, मनचाहे सरपंच को दे दिया, अपनी पार्टी को ठीक प्रकार का चंदा दे देगा उसको वहां दे दिया। जब लगा कि बी.जे.पी. का सरपंच है, इससे पैसा आने वाला नहीं है तो इधर दे दो, इधर ठींक प्रकार का चन्दा आ जाएगा। कोई तो समानता रखो, एकरूपता रखो। सभापति महोदय, इस सरकार को थोड़ी प्रताड़ना दीजिए कि कोई तो एकरूपता रखें। एकरूपता रखेंगे तो काम ठीक प्रकार का होगा। राजनीति करने के लिए दूसरे क्षेत्र बहुत हैं वहां कर लो, लेकिन विकास के काम में रोड़ा अटका कर इस प्रकार से यह सरकार धन बटोरने का यत्न कर रही है, यह ठीक बात नहीं है। हम कितनी मेहनत करके भारत सरकार से 126 एनीकट के लिए लगभग बाहर करोड़ रुपए लेकर आये हैं, उस पैसे को इस प्रकार से बहा कर जनता के साथ धोखाधड़ी जो सरकार कर रही है यह धोखाधड़ी निश्चित रूप से नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।

गाड़िया लुहारों की स्थिति से अवगत करवा रहा हूं। गाड़िया लुहारों को समाज कल्याण से पैसा मिलता था मकान बनाने के लिए। इस सरकार ने कहा, इनको पंचायती राज से इन्दिरा आवास दिया जाएगा, गाड़िया लुहारों की योजना वहां से समाप्त करके हम पंचायती राज में ला रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से कितने गाड़िया लुहारों को आपने मकान बनाने के लिये राशि दी? मेरी जानकारी के अनुसार कोई दो-चार गाड़िया लुहारों के पुनर्वास के लिए आपने इन्दिरा आवास में मकान बनवा दिये हों तो बनवा दिये हों, नहीं तो समाज कल्याण की योजना तो बन्द रही। बड़े नाटकीय ढंग से आपने स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बचाने के लिये उनको इन्दिरा आवास में शामिल कर लिया और एक-दो-तीन के अलावा पूरे राजस्थान में किसी भी गाड़िया लुहार को मकान

(श्री मदन दिलावर)

बनाने की स्वीकृति नहीं दी। महाराणा प्रताप के वंशज जो आप और हमारे लिये लड़े थे, जिन्होंने सौगंध खाई थी कि जहां तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो वहां तक ऐसे ही घूमते रहेंगे, मेवाड़ भी स्वतंत्र हो गया, राजस्थान भी स्वतंत्र हो गया, देश भी स्वतंत्र हो गया, पर आज गाड़िया लुहार दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके कल्याण के लिये योजना बनाती है, कांग्रेस सरकार उनके कल्याण की योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। यह उनके साथ अन्याय है, अन्याय की पराकाष्ठा है। सबसे गरीब लोग हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्या ध्यान नहीं जाता? सरकार कहती है, मुख्य मंत्रीजी तो कहते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, गाड़िया लुहारों से ज्यादा कौन गरीब हो सकता है? वे पहले ही ठीक स्थिति में थे गाड़ी घुमान के बावजूद भी। आज तो आपने मशीनरी का युग ला दिया, न तो कोई पास बिजाने के लिये आता है, न खरचू बनाने के लिये आता है, न कोई चिमटा बनाने के लिये आता है, सब फैक्टरी में बन रहे हैं। इस कारण आज भूखों मरने की स्थिति हो गयी। मेरा निवेदन है कि गाड़िया लुहारों के लिये कोटा तय किया जाए कि इन्दिरा आवास में से 25 परसेंट गाड़िया लुहारों के लिये देंगे ताकि वे भी अपना स्थायी घर बना सकें और ठीक प्रकार की स्वाभिमानी जिन्दगी बिता सकें, इस प्रकार का यत्न इस सरकार को करना चाहिये।

महिलाओं की बात भी कहते हैं कि आरक्षण कर दिया महिलाओं के आरक्षण के लिये भैरोंसिंहजी शेखावत बधाई के पात्र हैं। आज स्थिति क्या है, उनको काम करने दे रहे हो? जहां महिला सरपंच हैं वहां रोड़े अटकाने का यत्न किया जा रहा है। अधिकारी उनसे ज्यादा से ज्यादा रिश्वत खाकर उनके काम में रोड़े अटका रहे हैं और उनको सफल नहीं होने दे रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि जो महिलाएं मन से काम कर रही हैं, जहां उनके पतियों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, उनको सहयोग तो करें लेकिन हस्तक्षेप नहीं करें, वहां वे ठीक प्रकार से काम कर रही हैं, वहां ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। लेकिन उन ईमानदार महिलाओं को भी गलत रास्ते पर ले जाने के लिये प्रशासनिक अधिकारी और इस सरकार में बैठे कारिन्दे उनको विवश कर रहे हैं कि अमुक कार्य सरपंच नहीं करे। पांच पांच हजार रुपया सब सरपंचों को देना पड़ता है, कहां से लाएंगे? मुख्य मंत्रीजी आते हैं तो पांच हजार का चंदा, पंचायती राज मंत्री आते हैं तो पांच हजार का चंदा, कोई जिला प्रमुख का ट्यूर बन जाए तो पांच हजार का चंदा। चंदा देते देते कांग्रेस को इतने बाव्ले हो गये, आखिर में कभी वह कहां से लाएगी पैसा, इसलिये उसमें भी...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : पांच हजार चंदा, रसीदें प्रस्तुत करिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, चाहे जो बोलते ही जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जा रहे हैं तो पांच हजार का चंदा, प्रमुख जा रहे हैं तो पांच हजार का चंदा, हर किसी काम के लिये चंदा। चंदा, चंदा, इनकी तो भाषा ही...(व्यवधान) सभापतिजी, या तो उनसे कहिये, चंदे की रसीदे प्रस्तुत करें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे ममोड़ी के सरपंच, अटरू पंचायत ममोड़ी के सरपंच ने...(व्यवधान) बीस हजार रुपये प्रधान से लिये हैं, मैंने सरकारी फण्ड से दिये हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कोई कुछ कह दे, अब देश के प्रधानमंत्री के लिये कोई कुछ कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास में कोई लिखित में है?

श्री मदन दिलावर : लिखित में भी आ चुका है चंदा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : क्या है लिखित में? तो कैसे आप चंदा दे रहे हैं? चंदे की रसीदें लाओ, फिर आप प्रस्तुत करो सदन के अन्दर। यह वेग आरोप आप कैसे लगाते रहते हो?

श्री मदन दिलावर : हां लाऊं, फिर लाऊं...(व्यवधान) बैठो। मैं निवेदन कर रहा था...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि पिछले साल जब 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान चला उसमें हर पंचायत की तरफ से प्रशासन ने अधिकारियों के खाने-पीने, टैंट की व्यवस्था करायी, क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है? सरपंचों का पैसा लग गया है। कहीं चीफ सैक्रेटरी गया है तो पांच सौ आदमियों का खाना हुआ, वह सब पैसा पंचायतों के नाम माण्डा है, यह फिजूलखर्ची नहीं है क्या?

श्री सभापति : उससे सम्बन्धित नहीं है जो माननीय दिलावरजी बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसी से सम्बन्धित है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह तो सही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, चार्ज लगाया है कि यह अभियान चला था उस समय जहां कहीं अधिकारी गये हैं, सरपंचों ने उनका इंतजाम किया और उनसे चंदा वसूली हुई है, यह तो तथ्य है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जरूरी है क्या? टिफिन लेकर जाओ साथ में। अधिकारी टिफिन लेकर जाएं साथ में, सरपंचों के माथे पर लिखा है क्या? सरपंच की जिम्मेदारी है क्या?

श्री रामचन्द्र सराधना : जब यह खाते से करता है तो एतराज होता है, पंचायत के खाते से करेगा तो गलत बात है, अपनी मर्जी से सरपंच करेगा...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पंचायतों में नाम लिखे हैं, आप देख लीजिये। पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरपंच करेगा, गलत बात है। सौ, दो सौ का करेगा, पांच-दस आदमियों की बात हो तो ठीक है। पांच-दस आदमियों को तो कोई भी खिला सकता है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : पंचायत के रिकार्ड में नहीं होना चाहिये। सरपंच करेगा तो करेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जिन जिन गांवों में कैम्प लगा, रिकार्ड उठा कर देख लीजिये, पंचायतों के कितना कितना खर्चा लिखा है...

श्री मदन दिलावर : कहां से करेगा?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : बिलकुल समाप्त कर रहा हूं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुदत्त सहायता से गेहूं आये कि पचास किलो गेहूं और तीस रुपये प्रत्येक गरीब परिवार को मिलने चाहिये। अटरू तहसील में गरीब परिवारों को गेहूं बांटे, हम सब लोगों ने कहा ये गरीब हैं और जांच पड़ताल करके गेहूं बांटे। खेड़लीगंज और अटरू पंचायत में लगभग 700-800 परिवारों को गेहूं बांटे गये। एक बार दे दिया, दूसरी बार उनका नाम काटकर सात सौ की जगह एक सौ तेरह पर ला दिया। पहले तो गरीब थे, अब अमीर हो गये हैं एक महीने बाद और उनको अनाज नहीं दिया गया। जो गरीब भूख थे, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे ठीक प्रकार भोजन कर सकें। आपने घोषणा की थी उनको दो, वहां दे दिये जाते हैं। फिर कांग्रेस आई के एक सरपंच शिकायत करते हैं यह तो अधिकारियों ने ऐसे ही दे दिया है। गरीबों को... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : मेरा गम्भीर, बहुत शार्ट कर रहा हूं, संक्षेप में...

श्री सभापति : आप बिराजें। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : मेरा गम्भीर मामला है, भूख से तड़पते हुए लोगों को अनाज देने के बाद उनकी सूची में संशोधन कर दिया गया।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : लोगों को भूख से मरने के लिये चौराहे पर तड़पने के लिये छोड़ दिया गया।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : जो लोग भूख से तड़प रहे हैं उनको पचास किलो अनाज और तीस रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? आप तो कह रहे थे "सूचना तुम्हारी, जिम्मेदारी हमारी" क्या होगा? हम सूचना दे रहे थे, क्यों नहीं निभा रहे हो? लोग तड़प रहे हैं, मेरे यहां भूख से तड़प रहे हैं।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं करें आप। माननीय सदस्य का अंकित नहीं करें। आप बिराजें। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज सदन में सामुदायिक विकास की मांग संख्या 41 पर चर्चा हो रही है। इस मांग से राजस्थान के 76 फीसदी उन लोगों का सम्बन्ध है जो 42,000 गांवों में बसते हैं। हम लम्बे समय से सुनते आ रहे हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, कि गांव में आर्थिक-सामाजिक स्तर ऊंचा हो, गांव में आधारभूत सुविधाएं पहुंचे, रोजगार का सृजन हो, परिसम्पत्तियां बनें। इस परिकल्पना के लिये राजस्थान निर्माण के पश्चात् जो भी सरकार आयी, उसने प्रयास किया। 54 वर्ष की आजादी के बाद जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि गरीबी है तो गांवों में, कुपोषण है तो गांवों में, शिक्षा का अंधियारा है तो गांवों में और रोजगार की आवश्यकता है तो गांवों में। आज राजस्थान के अन्दर एक करोड़ तीस लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे गांवों में निवास करते हैं। इन 55 वर्षों की आजादी के बाद के इतिहास में साढ़े दस साल के कार्यकाल को छोड़ दें तो शासन और सत्ता का सुख भोगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबी हटाओ का नारा देकर, कभी 'गांव का विकास कांग्रेस का आधार' का नारा देकर चुनाव की वैतरणी तो कई बार पार कर ली।

सभापति महोदय, विशेष तौर पर साढ़े चार साल पुरानी सरकार जिसको केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य लोक देवता अशोक गहलोत की सरकार कहते हैं, चुनाव के अन्दर जब कांग्रेस पार्टी आ रही थी तो इन्होंने अपने तथाकथित बाइबल में पृष्ठ संख्या चार पर राजस्थान की जनता से जो वादा किया वह मैं उद्धृत करना चाहता हूं, "कांग्रेस वचन देती है कि पंचायतों को भारतीय संविधान के इरादे के अनुरूप ही सम्पूर्ण प्रशासनिक, विधायी व वित्तीय शक्तियां सौंपने का काम करेगी। ग्रामीण विकास की योजनाएं पंचायतों तथा जिला परिषदों को तथा शहरी गरीबी उत्थान कार्यक्रम नगरपालिकाओं व नगर निगम को सम्भला दिये जाएंगे। पंचायत

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समिति, राहत संस्थाएं तथा नगरपालिकाओं को निर्धारित कार्यक्रम के लिए केन्द्र से सीधा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस वचन देती है।" सभापति महोदय यही नहीं, इसी बाइबिल के पृष्ठ संख्या 18 पर इन्होंने वादा किया राजस्थान की अवाम के साथ इस चुनाव घोषणा–पत्र के माध्यम से कि ये कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू करेंगे। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान को मुआवजा देंगे। ये अपनी एक नई कृषि नीति बनाएंगे और किसान को उत्तरोत्तर बाजार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने यह भी वादा किया कि अकाल, बाढ़, अनावृष्टि से निपटने के लिए एक राहत कोष की स्थापना करेंगे। अब, मंत्री महोदय आपकी सरकार का यह अन्तिम बजट है और इस बजट के अन्दर अन्तिम जिस मांग पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका आप उत्तर देंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार आपने पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की बात दर्जनों बार कही है। आपको याद होगा, आज से दो वर्ष पूर्व आपने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता सोनिया गांधी को जिनको राजस्थान और हिन्दुस्तान के गांवों की संस्कृति मालूम नहीं है, गांव के रीति–रिवाज मालूम नहीं हैं, उनको आपने सुबोध कालेज के अन्दर बुलाया। कांग्रेस के पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को बुलाया था। मैं, मंत्री महोदय, उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता कि वहां किस तरह का बरताव आपके ही कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के साथ किया। परन्तु जिस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप पंचायतों के सशक्तीकरण की बात कहते हैं और आप कहते हैं कि हम क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं उसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, 11 जुलाई, 2001 को केन्द्र सरकार ने देश के पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उनको सख्त हिदायत दी थी कि या तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुरूप संविधान की अनुसूची 11 में वर्णित 29 शक्तियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दें, और उसके लिए कट आफ डेट दी थी 31 मार्च, 2002, वर्ना आपकी ग्रांट–इन–एड काट ली जाएगी। जब केन्द्र सरकार ने यह धमकी दी, जिस सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं, जिनके मन में ग्राम स्वराज्य की कल्पना है, जब उन्होंने साफ चेतावनी दी कि आप 31 मार्च, 2002 तक अनुसूची 11 में वर्णित जो 29 विषय हैं वे पंचायती राज संस्थाओं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को सौंपे, तब इस सरकार की निद्रा टूटी। उसके बाद गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी, उस उप समिति ने 9 जुलाई, 2002 को अपनी सिफारिश की। अनुसूची 11 में 29 विषयों की बात कही गयी है पर आपने 19 विषय सौंपने की बात कही है। उसके पश्चात् चूंकि आपको अपने आका को खुश करना था, सभापति महोदय, आप साक्षी रहे हैं, विधान सभा का दो दिन का विशेष सत्र माह अगस्त के अन्दर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने पंचायती राज सशक्तीकरण के नारे के साथ यहां पर बुलाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं में अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ और पंचायती राज कानून को नये रूप में लाने का अगर किसी को श्रेय है तो 1994 में तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत को है। पहली बार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में 30 प्रतिशत चक्रानुक्रम में महिलाओं को आरक्षण मिला, ओ.बी.सी. को आरक्षण मिला। पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करे, इस तरह की व्यवस्था हुई। सरपंच और पंचों को ग्राम सभा और वार्ड सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। जिला आयोजना समिति की बात की, वित्त आयोगी की स्थापना की ताकि पंचायतों को निश्चित समय पर निश्चित राशि मिल जाए। आपने आते ही कोई बात की नहीं, बस एक आदत जरूर है इस सरकार में, जिस तरह से मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता कह रहे थे, सरकार का पैसा हो, जनता का पैसा हो और जो भी मंत्री बने वही अपनी फोटो छपाने के अन्दर मुख्य मंत्रीजी के नक्शे कदम पर चलता रहे। एक रिकार्ड कायम किया।

आपने ग्राम सभाओं के आयोजन की बात कही कि चार ग्राम सभा एक वर्ष में होगी-26 जनवरी को होगी, एक मई को होगी, 15 अगस्त को होगी, 2 अक्टूबर को होगी। ग्राम सभा का आयोजन हो परन्तु यह कभी मुड़कर नहीं देखा कि इन ग्राम सभाओं के अन्दर जो प्रस्ताव आएंगे, आपने हर ग्राम सभा के साथ यह लिखकर दे दिया कि इस बार गांव में वार्ड के अन्दर, अपने गांव के अदर अमुक-अमुक तरीके के कार्यों के प्रस्ताव लें। आपने एक्शन प्लान की बात कर दी, परन्तु यह नहीं देखा कि उनका हश्र क्या हो रहा है। सभापति महोदय, आप स्वयं गांव से पधारते हैं, वार्ड सभा और ग्राम सभाओं से लोगों का विश्वास उठ गया है। उनके प्रस्तावों का अम्बार लग गया है परन्तु क्रियान्विति शून्य रही तो उनका कोई अर्थ नहीं निकला। मंत्री महोदय, अभी आप तो नये-नये पधारे हैं, आपसे पहले यहां जो आपके पड़ोस में बिराजते थे धारीवाल साहब, इसी विधान सभा का विशेष सत्र आहुत हुआ था, उसमें वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जवाब दे रहे थे। उन्होंने जो मुख्य बातें कहीं, मैं उनका पूरा भाषण लेकर आया हूं, यहां पूरा भाषण पढ़ूंगा तो समय लगेगा इसलिए मैं संक्षिप्त शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार सम्पन्न बनाएंगे। पंचायतों को साधन सम्पन्न और कार्मिक के साथ अधिकार व शक्तियां देंगे। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को हम पंचायती राज संस्थाओं को सौंप देंगे। सम्बन्धित कर्मचारी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन होंगे और 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही ग्राम पंचायत का सरपंच कर सकेगा, पंचायत समिति का प्रधान कर सकेगा। 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वह तो सरकार ने अपने हाथ में रखी, उसका प्रावधान तो उसमें नहीं किया परन्तु 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही करेगी। पटवारी हो, ए.एन.एम. हो, पी.एच.ई.डी. का हैल्पर हो, इन सभी को अपनी-अपनी ड्यूटी ग्राम पंचायत के सरपंच के सम्मुख देनी पड़ेगी। बी.डी.ओ. की ए.सी.आर. कौन लिखेगा? बी.डी.ओ. की ए.सी.आर. प्रधान लिखेगा। सी.ई.ओ. की ए.सी.आर. जिला प्रमुख लिखेगा। लम्बी-चौड़ी बात कही, हमें भी लगा था कि विशेष सत्र बुलाया है उसमें जो फैसले करेंगे उनकी क्रियान्विति होगी। पर मुझे कहते हुए अफसोस है कि यह सरकार अपनी अन्तिम सांसें गिन रही है, इस अन्तिम सांसें गिनती हुई सरकार ने असत्य बोलने की अपनी पुरानी आदत को छोड़ा नहीं है।

सभापति महोदय, आपसे कभी बात करो तो ग्रामीण विकास की लम्बी-चौड़ी बातें, कृषि से सम्बन्धित सेवाओं के उत्थान के लिए लम्बी-चौड़ी बातें, जब से जबकि आप सरकार में आये हैं तब से कृषि व सम्बन्धित सेवाओं पर आपका योजनागत व्यय लगातार घटता चला गया है। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वे आपकी पुस्तिका से मैंने लिये हैं। सभापति महोदय, 1998-99 में कृषि व सम्बन्धित सेवाओं पर योजनागत व्यय था मात्र 7.5 प्रतिशत, 1999-2000 में घटकर 6.62 प्रतिशत हो गया। 2000-2001 में 4 प्रतिशत, 2001-2002 में 2.63 प्रतिशत घटकर हो गया, 2002-2003 में 3.9 प्रतिशत और 2003-2004 में का जो बी.ई. आप लेकर आये हैं इसमें 2.15 प्रतिशत। आप एनुअल प्लान का मात्र 2.15 प्रतिशत उस वर्ग के लिए खर्च कर रहे हैं जिसकी आबादी आज 76 प्रतिशत है। फिर आप उस किसान की बहबूदी की बात करते हैं, आप खेती की उन्नति की बात करते हैं, आप पंचायती राज संस्थाओ को बढ़ाने की बात करते हैं। उसके साथ आप थोथी बात करते हैं। जहां बजट की बात आती है, वहां उन लोगों के साथ दगा करने का काम आप कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बार के आय-व्यय अनुमान के खण्ड 4(ब) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 2002-2003 में आपका बजट अनुमान था 219.76 करोड़ रुपये, और आप ये संशोधित अनुमान लेकर आये हैं, आप देखिये, इतना अन्तर आपको और किसी जगह पर नहीं मिलेगा। मात्र 74.43, यानि 145 करोड़ रुपया तो बी.ई. और आर.ई. में फर्क आ गया। कभी आपने इतना फर्क देखा है? जो सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स थी, कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं की राशि मिली 155.70 करोड़ और जो आप संशोधित अनुमान में लेकर आये हैं वह 110 करोड़ है, यानि 45.60 करोड़ रुपया आपने इसमें बचा लिया। यह आपकी आज की आदत नहीं है। मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें तब, आप दूसरे मंत्रियों से कुछ हटकर हैं, आप में गांधीजी का रूप तो नहीं दिखता है परन्तु मैं समझता हूं कि गांधी वादी दर्शन में आपका विश्वास जरूर है, इसलिए आप सत्य बोलेंगे और साथ ही वह गोलमोल जवाब जो आपके सैक्रेटरी खन्ना ने आपको बनाकर टेबल पर रखा है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप राठौड़ हो, राठौड़ी की बात करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो आपके सैक्रेटरी खन्ना साहब ने आपको दिया है उसको अलग रखकर आत्मा से बोलेंगे। जो मैं कहा रहा हूं उसको सिद्ध करना कि मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे गलत किये हैं क्या। आपने प्रति वर्ष कृषि व सम्बन्धित सेवाओं पर व्यय की कटौती लगातार की है और कितनी की है।

सभापति महोदय, 1998-99 में 364.35 करोड़ का प्रावधान था, आपने व्यय किया 290.37 करोड़, यानी आपने 73 करोड़ बचाये। 1999-2000 में 355.92 करोड़ का प्रावधान, आपने खर्च किया 238.55 यानी 117 करोड़ रुपए बचाये। 2000-2001 में 258.88 करोड़ प्रावधान और आपने व्यय किया 150 करोड़, इस बार आपने 100 करोड़ बचाये। 2001-2002 में आपने प्रावधान ही मात्र 112 करोड़ का रखा, मंत्री महोदय, इसलिए आपने 115 करोड़ रुपए खर्च कर लिये, इसमें आपने एक-डेढ़ करोड़ रुपए जरूर ज्यादा खर्च कर दिये। 2002-2003 में जहां 224.11 करोड़ रुपए थे, मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, 76 करोड़ रुपए आपने खर्च किये, आपने लगातार प्रशासन में आने के बाद राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए, राजस्थान के किसानों के उत्थान के लिए कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं के अन्दर जो बजटीय प्रावधान किया, जिसका प्रतिशत मैं पहले बता चुका हूं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। उसमें एक-दो नहीं, सभापति महोदय, 447.74 करोड़ रुपए की कटौती करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, आपके बजट–एट–ग्लांस के पेज नम्बर 13 पर स्टेट प्लान आउट–ले फॉर रूरल डवलपमेंट 2002–2003, आपके संशोधित अनुमान थे 521.96 करोड़ और 2003–2004 के लिए जो अब आप लेकर आये हैं, आपका बजट एस्टीमेट है 532 करोड़ जो पूरे ग्रामीण विकास के लिए आप खर्च कर रहे हैं, आपकी वार्षिक योजना है 5857.98 करोड़ रुपए जो थोड़ी देर के पश्चात् मुख बंद होकर हां और ना से ब्रूटल मेजोरिटी के माध्यम से पास होने वाला है, उसमें आपने ग्रामीण विकास के लिए 532 करोड़ का प्रावधान किया है, यानि 9 प्रतिशत, आप करना क्या चाहते हो?

कृषि सम्बन्धी सेवाओं पर आप एनुअल प्लान का खर्च कर रहे हो दो पाइन्ट कुछ प्रतिशत, कृषि सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं नौ पाइन्ट कुछ प्रतिशत और आप कहते हो कि हम राजस्थान के किसानों के प्रति बड़े चिंतित हैं, राजस्थान में ग्रामीण विकास करने का काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता है जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, उनकी मजबूरी रही हो, पर इतना गुणगान बंधुआ मजदूरों की तरह, अशोक महान, मारवाड़ के गांधी। मारवाड़ के गांधी के शासन में इस तरह किसानों के साथ, गांव के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) लोक देवता हो गये।

मंत्री महोदय, आपने हमें यह इकोनोमिक सर्वे दिया है, इसका नाम है आर्थिक समीक्षा 2002–2003, इसको जो दूसरा वित्त आयोग बना है इसकी सिफारिश है, राशि मिलेगी राजस्थान में पंचायतों को 93.86 करोड़। जो ग्यारहवां वित्त आयोग है दिल्ली का उसकी सिफारिश पर रुपया मिलेगा आपको 98.18 करोड़। यह प्रावधान तो बताया पिछले साल का, पर मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें रिलीज कितना हुआ? इसमें आपने पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को कितनी राशि हस्तांतरित की? और आज हम वित्तीय वर्ष के अन्तिम छोर पर खड़े हैं, उसने, आपने कितनी राशि खर्च की? आप जब उत्तर दें तो निश्चित तौर पर इसको बताएं। आपसे पहले मंत्री थे विद्वान, बिना साक्षात्कार के प्रोफेसर बने जोशी साहब, बड़ा जोरदार उन्होंने भाषण दिया था कि हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कैम्पेन चला दिया। आपकी राशि में इतनी कटौती हो गई, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, क्या दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से आपको जो राशि मिलनी चाहिए थी उसमें 25 करोड़ की कटौती सिर्फ इसीलिए हो गई कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सके?

आय–व्यय निष्पादन, मंत्री महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक किताब होती है, मैंने भी अभी पढ़ना चालू की है, पहले मैं भी नहीं पढ़ता था, यह मैं आपको दे दूंगा, इस आय-व्यय निष्पादन को आपने देखा नहीं होगा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इसके पृष्ठ 6 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने इस बार, इस बार ही नहीं, इससे पहले वाले बजट में भी ग्रामीण हाट की योजना की बात कही कि 10 जिलों में ग्रामीण हाट योजना के तहत स्थायी विपणन केन्द्र बनाए जाएंगे, और आपने किया क्या है? आपका यह आय-व्यय निष्पादन कह रहा है कि वर्ष 2002-2003 में, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, 100 लाख का इन्होंने प्रावधान किया और 13 लाख रुपये इन्होंने व्यय किये। और इस बार इन्होंने फिर 105 लाख का प्रावधान किया है। आप क्यों बिना मतलब की बात करते हो? आपके मन में न तो की गई घोषणाओं के अनुरूप काम करने की इच्छा है, न कोई दूसरी इच्छा है।

यही नहीं, सभापति महोदय, आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ सात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके एस.जी.एस.वाई संशोधित अनुमान थे पिछले वर्ष के लिए 875.25 लाख रुपए, आपको रिलीज हुए उसमें 444 लाख हुए और आपने खर्च किये हैं सिर्फ 170 लाख। इसी तरह ग्रामीण स्वर्ण जयन्ती स्व रोजगार योजना 2002-2003 में आपको जो राशि मिली, सभापति महोदय, 70 प्रतिशत राशि केन्द्र से, 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से मिलती है, इसमें 23.46 करोड़ का प्रावधान था, दिसम्बर, 2002 तक 16.58 करोड़ रुपए रिलीज हुए और आपने व्यय किये मात्र 13.71 करोड़, मात्र 40 प्रतिशत।

अब मैं आपका ध्यान आपके इस इकोनोमिक सर्वे के पेज 84 की ओर दिलाना चाहता हूं-इन्दिरा आवास योजना, आपके नेता के नाम से है। लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हो, जब कभी खड़े होकर कोई भी व्यक्ति कह देता है, इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से गरीब, सर्वहारा वर्ग को हमने मकान उपलब्ध कराये हैं। इस इन्दिरा आवास योजना 2002-2003 के लिए आपको राशि आबंटित हुई 34.91 करोड़, और आपका खुद का इकोनोमिक सर्वे कह रहा है कि दिसम्बर, 2002 तक आपने खर्च किया 23.30 करोड़ यानि 60 प्रतिशत। अब आप 2-3 महीने का हिसाब और लेकर आएंगे तो न जाने उसमें आपने क्या मीर मारा होगा, लेकिन आपकी पिछली प्रगति यह बताती है कि आपके मन में न गरीब के प्रति हमदर्दी है, न गांव के प्रति हमदर्दी है।

इस इकोनोमिक सर्वे के पेज 42 और 43 की तरफ, मंत्री महोदय, मुलाहिजा फर्माएं। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

232 पंचायत समितियों में चल रहा है। 2002-2003 में आपको मिले हैं 29.55 करोड़ रुपए। (व्यवधान) गंगानगर जिले में नहीं है, टोटल 237 होंगी।

श्री सभापति : आपको जो याद हो वह बोल दो, वह बता रही हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या हमारी नेता भी हैं, चैलेंज मैं इनको कर ही नहीं सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है, ये विद्वान हैं।

श्री सभापति : वह सही है, जो आपको याद हो आप बोल दो, मैं वह नहीं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) **:** माननीय सभापति महोदय, विद्वता का कोई सवाल नहीं है, अधिकारी ने जो लिखकर दिया है वह बता देंगे। इनका अपने से तो कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजेन्द्रजी, यह आपके वश की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके पूर्व नेता महोदय ने यह व्यवस्था कर दी कि मैं चाहे दिल्ली रहूं या चाहे कहीं भी रहूं, मेरी एवज में सारे कागजात राठौड़ साहब को दे देना ताकि सदन में मेरी उपस्थिति दर्ज होती रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये मेरे साथ विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं तो वह विश्वविद्यालय वाली बात मत समझो। कई बार आदमी बचपन में पढ़ता है, जवानी में नहीं पढ़ता है। कई बार जवानी में नहीं पढ़ता है, बुढ़ापे में पढ़ता है।

श्री सभापति : आपके नाम भी एक जैसे ही हैं, आप राठौड़, वह पारीक हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं गुरु हूं, साहब, इनका इस मामले में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गुरु हैं मेरे। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना जो झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्या के अनुसार राजस्थान में 237 पंचायत समितियों में चल रही है, 2002-2003 में 29 करोड़ रुपए इनको मिले, इन्होंने दिसम्बर तक खर्च किये हैं 4.11 करोड़, मतलब 22 प्रतिशत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए इनको 2002-2003 में 21 करोड़ रुपए मिले, इन्होंने दिसम्बर, 2002 तक, क्योंकि इस आर्थिक समीक्षा में दिसम्बर बाद के आंकड़े नहीं हैं, दिसम्बर, 2002 तक इन्होंने खर्च किये 5.77, यानि 26 प्रतिशत। मरु विकास कार्यक्रम 2002-2003 में आपको मिले 36.86 करोड़, दिसम्बर 2002 तक आपने खर्च किये 13.25 करोड़, 35 प्रतिशत। सूखा सम्भावित कार्यक्रम, आपको मिले 18.06 करोड़ रुपए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और आपने खर्च किये 6.97 करोड़, यानि 38 प्रतिशत। आप करना चाहते क्या हैं? आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां लम्बी-चौड़ी घोषणा इसी सरकार ने अपने इसी बजट में की थी कि हम पांच सौ गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, जो गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं उनको विद्युत का प्रकाश उपलब्ध कराएंगे। आपने कितना प्रकाश उपलब्ध कराया? आपका यह इकोनोमिक सर्वे जो आपका आथेंटिक डाक्यूमेंट है, वह कह रहा है कि आपने दिसम्बर 2002 तक 500 गांवों में बिजली पहुंचाने की जगह 97 गांवों में बिजली पहुंचाई है, यानि 19 प्रतिशत। इसमें तो कोई शक नहीं? जब अकाल पर वाद-विवाद चल रहा था तब यह सिद्ध हो गया कि आपने अकाल पीड़ित लोगों के लिए भी कोई राहत नहीं दी। सी.आर.एफ. में कुल जो आपका हिस्सा था, जो हिस्सा देना आपका संवैधानिक दायित्व था, उसके अलावा फूटी कौड़ी भी, जब पूरा राजस्थान, राजस्थान के 42 हजार गांव अकाल की जकड़ में हैं, पांचवें साल जकड़ में हैं, फूटी कौड़ी भी आपने वार्षिक योजना में नहीं दी। आपने वादा किया फसल बीमा योजना लागू करने का। 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू हो गई। आपने वादा करके लम्बी-चौड़ी डींग हांकने का काम किया। आप हमेशा उससे बचते चले गये। आपके मुख्य मंत्रीजी रोज नये पैंतरे बदलते चले गये। 19 राज्यों में 50 फीसदी केन्द्र सरकार का, 50 फीसदी राज्य सरकार का इस रेशो से फसल बीमा योजना लागू हुई है। आप ले आये कि 80 परसेंट केन्द्र सरकार से, 20 परसेंट हम देंगे। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है, मुझे दुःख भी है कि इनपुट सब्सिडी के नाम पर तीन महीने से, अब तो आपके पास और भी पैसा आ गया, 156 करोड़ रुपये पड़े हैं, वो पैसा राजस्थान के किसान के पास पहुंचना चाहिए था, उस मार्जिनल फार्मर के पास जिसकी फसल तबाह हो गई, परन्तु न जाने क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, और आपसे ही नहीं आपके माध्यम से आपके मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, अभी कल ही उन्हें केन्द्र सरकार से 684 करोड़ रुपये की और सहायता मिली है, यह सब आपको मिल रही है, पहले का पैसा किसान को जिसकी फसल बरबाद हो गई, एक फार्मूले के तहत मिला था, यह पैसा किसान के पास पहुंच जाना चाहिए था, आप क्यों लेकर बैठे हैं? आप क्यों नहीं बांटते उस पैसे को?

सभापति महोदय, अभी एक सवाल आया था राजस्थान की विधान सभा में, मेरा ही तारांकित सवाल था। इन्होंने जो ज्ञापन दिया सरकार को उसमें इन्होंने पेयजल योजना के लिए लम्बी-चौड़ी राशि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की मांग की। 7015 करोड़ का वह ज्ञापन जिसकी दुहाई मुख्य मंत्रीजी रोज देते रहते हैं, इतना रुपया मांगा, इतना नहीं मिला। राजस्थान की विधान सभा में, मंत्री महोदय, आपके जलदाय मंत्रीजी ने स्वीकार किया था कि चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 35895 योजनाएं बनाई और 2736 करोड़ का प्रावधान किया है, उसमें से 2228 करोड़ रुपये व्यय हुए, यानी 50 परसेंट। ए.आर.पी. का पैसा 70:30 के रेशो से आता है, 113 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा है। ए.आर.पी. मरुस्थल में 14.08 पड़े हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शत-प्रतिशत केन्द्र की है, उसमें 14 करोड रुपये आपके पास पड़े हैं। एम.एन.पी. ग्रामीण, उसके अंदर 70 करोड़ रुपये आपके पास पड़े हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आपके पास पैसा है, परन्तु आप खर्चा नहीं कर सकते और फिर आप ग्रामीण विकास की बात करते हो।

आपने एक गांधी ग्राम योजना चलायी कि प्रत्येक तहसील में एक गांव आदर्श गांव होगा। उस गांव का नाम आपने गांधी ग्राम रखा। 26 जनवरी, 2001 को आपने योजना बनायी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने फूटी कौड़ी भी उस योजना के तहत इस राजस्थान के किसी भी गांव में खर्च की क्या? कर क्या रहे हैं?

सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थानों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ-साथ राजनैतिक द्वेषता से इसको छिन्न-भिन्न करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस मौजूदा सरकार ने किया है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि 500 से ज्यादा सरपंच जिनकी विभिन्न अनियमितताओं के लिए शिकायतें प्राप्त हुईं, शिकायतों की जांच हो गई, आप उनको दबाये बैठे हो? आप तो पारदर्शी हो न, अगर पारदर्शी सरकार है, सरपंच या प्रधान किसी भी दल का है उस जांच को दबाने का क्या काम है?

अब मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे पास कागज भी है। एक ग्राम पंचायत है बहनोरा, पंचायत समिति बसेड़ी की। सरपंच साहब के विरुद्ध उप वन संरक्षक ने जांच की। शिकायत यह हुई कि पूरे का पूरा जंगल जो 10-15 वर्षों में लगा, सरपंच साहब सारा जंगल काटकर जंगल में जितनी भी लकड़ी थी अपने घर ले गये। गांव के लोग जिला कलक्टर से मिले, गांव के लोग डी.एफ.ओ. से मिले, गांव के लोग ए.सी.एफ. से मिले। ए.सी.एफ. जब जांच करने गये और जब उन्होंने देखा कि सारा जंगल गायब हो गया तो उन्होंने मूल्यांकन किया कि नुकसान हुआ है 17,19,836 रुपये का। उन्होंने नोटिस बनाकर दिया कि इतने रुपये का जंगल काटकर ये सरपंच साहब ले गये हैं। उन्होंने 29.9.2001 को धौलपुर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के सी.ई.ओ. को लिखा कि इन सरपंच रामगोपाल के विरुद्ध कार्यवाही करो, इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिसमें 17,19,836 रुपये की जंगल की लकड़ी काटी। जांच पूरी हो गई, जांच के बाद सरपंच के निलम्बन की रिकमंडेशन सम्भागीय आयुक्त ने कर दी, वह जांच आज ठंडे बस्ते में मंत्री महोदय क्यों लिये बैठे हैं?

इसी तरह एक दूसरी ग्राम पंचायत है...(व्यवधान) सरपंच रामवती है ग्राम पंचायत धवान, पंचायत समिति टोडाभीम की। आपके मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, अकाल राहत काम में बिलकुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गांव के लोगों ने शिकायत की। शिकायत के आधार पर कलक्टर ने तहसीलदार से जांच करायी। जांच के आधार पर फर्जी मस्टररोल भरे हुए पाये गये, जोशी साहब और उसके आधार पर सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(4) के अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्भागीय आयुक्त के निलम्बन की सिफारिश कर दी। सरपंच निलम्बित हो गई। जब सरपंच निलम्बित हो गई, 7.9.2001 को सम्भागीय आयुक्त के आदेश के बाद यहां के अवर सचिव या तो दुबारा कोई जांच करवाते, लेकिन न कुछ देखा न कोई बात, पूरे मस्टररोल में फर्जीवाड़ा करने की जांच खुद आपकी सरकार ने की और उसी के आधार पर 23.11.2002 को आपके अवर सचिव ने अपने आदेश से दोषमुक्त करते हुए उसको बहाल कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह के काम...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अवर सचिव तो आदेश पारित करता है, सिर्फ आदेश पर दस्तखत करता है। गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्टर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो सकता हैं। यह अवर सचिव का आर्डर है मेरे पास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अवर सचिव तो सिर्फ दस्तखत करता हैं। मिनिस्टर करता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, यह बात ठीक है। डिस्क्रिशन मिनिस्टर का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जलदाय मंत्रीजी, आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई पंचायत समिति भदेसर है।

डा. सी. पी. जोशी : मुझ से बहुत दूर है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बता देंगे। अभी आपको राजस्थान की नेतागिरी करने में बहुत टाइम लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, आप से सीख लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : अभी टाइम लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें क्या है, आपके पास ज्ञान बहुत है और ज्ञान का भण्डारा...

डा. सी. पी. जोशी : राजस्थान में भदेसर कहां है, आपके ज्ञान के लिए मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक बात कह रहे हो आप। उस ज्ञान को प्रवाहित करें, कुछ हम भी डुबकी लगा देंगे। भदेसर के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं। अखबारों में साया हुआ। गृह मंत्रीजी से लोग मिले, गृह मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के उच्च अधिकारी से कहा कि जांच करो। जांच हुई, जांच के अंदर इतनी अनियमितता पायी गई जिसका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद भी सारी की सारी जांच ठण्डे बस्ते में।

इसके साथ ही आपने कहा, हम पंचायती राज संस्थानों को शक्ति सम्पन्न बनाना चाहते हैं, मैं एक बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 24.2.2002 को राजस्थान की राजधानी जयपुर की जिला परिषद् की बैठक हुई। बैठक के अंदर, मैं चार लाइन पढ़कर सुनना चाहता हूं, ''प्रस्ताव संख्यां-5'' ''सदन में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा अनियमित स्थानान्तरण जो अपने स्तर पर किये गये, सभी पार्षदों ने इस विषय में आक्रोश जताया। श्री बंसत चौधरी द्वारा आरोप लगाया गया कि जो भी स्थानान्तरण किये गये हैं वे रुपये प्राप्त करके किये गये हैं, किसी प्रकार का अनुमोदन नहीं लिया गया। प्रशासनिक स्थायी समिति के बिना अनुमोदन के जो स्थानान्तरण जिला स्तर पर किये गये हैं, शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में भी जिला परिषद् की उपेक्षा की गई है। समानीकरण में भी अपने स्तर पर आदेश कर पंचायत समितियों से अनुमोदन कराने के लिए जो आदेश दिये गये, उसमें भी जिला परिषद् की अनदेखी व उपेक्षा है। पंचायत समिति प्रशासनिक स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना कराये गये आदेश अनियमित स्थानान्तरण की संज्ञा में आते हैं, इसलिए दोषी अधिकारी का तत्काल स्थानान्तरण किया जाए।'' सभी पार्षदों ने जांच की मांग करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जिला शिक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण हेतु लिखा जाए और उन्होंने जो स्थानान्तरण किये वे निरस्त किये जाएं। यह प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित हुए आज काफी दिन हो गये, लेकिन ठण्डे बस्ते में डाल दिया। जिला शिक्षा अधिकारी भी वह है और उसने जो स्थानान्तरण करने चाहे वे कर दिये।

अब मैं अपनी अंतिम बात कह कर बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खतम करूंगा। इसी तरह का एक मामला ग्राम पंचायत हरसोलावा का है। यह पंचायत नागौर की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। इसकी एक विधवा महिला है मृदुल कंवर, आपने उसको सस्पैंड कर दिया। सस्पैंड किस आधार पर कर दिया? कि उसने राजीव गांधी पाठशाला का भवन बनाया, उस भवन को उचित नहीं बनाने से वह भवन गिर गया। सभापति महोदय, हो क्या रहा है? इस विधवा महिला के सामने जो सरपंच खड़ा हुआ, इन्होंने भवन बनाया, उन्होंने रात को जाकर भवन को गिरा दिया। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई कि राजीव गांधी पाठशाला के निर्मित भवन को, सरकारी धन से बने हुए भवन को गिराया। एफ.आई.आर. दर्ज हुई पूर्व सरपंच साहब के खिलाफ। तीन आदमी गिरफ्तार हुए, चालान पेश हो गया। अब उसी की आपने आड़ लेकर कि आपने भवन बनाया था, भवन गिर गया, उसको निलम्बित कर दिया। हाई कोर्ट के अन्दर मामला गया। हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर पारित किया और इनको दुबारा बहाल किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सब चीजों में राजनीति करो, सब चीजों में बात करो, पर जहां पंच परमेश्वर के रूप में पंचायती राज संस्थान बनाने की कल्पना है वह कल्पना ऐसे पूरी नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, It is a serious matter. स्ट्रिक्चर पढ़कर सुनाओ आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर दिया हैं वह जरा पढ़कर सुनाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं अभी पढ़कर सुनाता हूं, मैं मेरी बात पूरी कर लूं।

इसके अलावा, मंत्री महोदय, वैसे तो इस सरकार की पुरानी आदत है, पर 1200 से न जाने इस सरकार को क्या प्रेम है, जिस किसी को रखेंगे। 200 रुपये में। पैराटीचर को रखेंगे तो वह भी 1200 रुपये में, ग्राम सेवक रखेंगे वह भी 1200 रुपये में। मैं आपके ध्यान में आपके एक आदेश को लाना चाहता हूं। यह आदेश है पंचायती राज संस्थान, जयपुर दिनांक 20 फरवरी, 2000 का सारी पंचायत समितियों को पंचायत समितियों के अधीन पंचायतों के चुंगी के अधिशेष कर्मचारी एवं सहायक सचिव को ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पद के विरुद्ध समायोजन करने के लिए। इसमें लिखा है, उक्त योग्यताधारी अधिशेष चुंगी कर्मचारी एवं सहायक सचिवों का समायोजन कर नियुक्ति 1200 रुपये प्रति माह के आधार पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर होगी और इसकी वरिष्ठता कार्यग्रहण करने की दिनांक से मान्य होगी। कृपया इनका समायोजन करें। अभी यह आदेश आपने जारी कर दिया है दो साल के लिए और इसमें आते हैं आपके 380 तो एक पंचायत समिति में, वे जो चुंगी समाप्त करने के बाद नगरपालिका के अधिशेष कर्मचारी और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अवर सचिव जिनकी संख्या 400 के लगभग है। दो साल में इनको कहा कि आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होते ही हम आपको नियमित वेतन श्रृंखला देंगे। लेकिन कितना समय हो गया, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। राजस्थान की विधान सभा के सामने पेट के बल रेंग कर आये, अर्द्ध नग्न होकर इन्होंने प्रदर्शन किया, परन्तु आपको तो 1200 रुपये से प्रेम है। आप न जाने क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जिस तरह पंचायती राज संस्थाओं का बंटाधार करने का इस सरकार ने तो कहूंगा एक तरह से संकल्प ले रखा है, आने वाला समय आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मंत्रीजी, आपसे बहुत उम्मीद है, आप बहुत अनुभवी भी हो, आप जो बात कहते हो मन से कहते हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब उत्तर दो तो जो सवाल हम लोगों ने खड़े किये हैं, उनका उत्तर देना। क्या कारण है कि आज आपकी विभिन्न योजनाओं में आपको पैसा मिला, वह आपने उनमें खर्च नहीं किया? कृषि और सम्बन्धित सेवाओं पर आपका बजट गिरते गिरते दो दशमलव कुछ प्रतिशत पर खड़ा हो गया। ग्रामीण विकास के नाम पर जो आपने बजट में प्रावधान किया है, वह नौ दशमलव कुछ है। इससे साफ है कि आपके मन में गांव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। आपने पंचायत समितियों के सशक्तीकरण का नारा जरूर दिया, 73वें और 74वें संशोधन की दुहाई जरूर दी, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को पंचायत समितियों को सौंपने का झूठा आडम्बर जरूर रचा, किन्तु आपने राजनीतिक द्वेषता से इस पंचायत राज को छिन्न-भिन्न करने का काम किया है। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हफीज मोहम्मद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या-41 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-41 पर विचार

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान के गांवों के विकास, पंचायती राज को सबल बनाने और अब तक पंचायती राज के माध्यम से हमने जो गांवों का विकास किया है, जो उपलब्धियां हम गांव तक ले गये हैं, उनकी चर्चा पर हम बोल रहे हैं। आजादी के आन्दोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि देश आजाद होगा उसके बाद हम ग्राम राज्य लाएंगे, स्वराज लाएंगे, और मुझे कहते हुए खुशी है कि आजादी के बाद देश में सबसे पहले हमारे देश के नायक पहले प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लालजी नेहरू ने दो अक्टूबर को राजस्थान में नागौर में पंचायती राज का प्रारम्भ किया। हमको इस बात का सौभाग्य मिला। राजस्थान देश के उन राज्यों में अग्रणी है जहां पंचायती राज की व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं और पंचायती राज के माध्यम से हमने गांवों का विकास किया है। अभी मेरे विरोधी माननीय सदस्य अपने मन में जो कुछ आया वह बोल रहे थे, उनको बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने गांव का पहले ढांचा देखा नहीं है कि आजादी के पहले हमारे गांवों की क्या स्थिति थी, किस तरह से लोग वहां रहते थे। उनको शायद यह मालूम नहीं, क्योंकि आजादी में भी इनका कोई हिस्सा नहीं था आजादी के लिए कुर्बानियां नहीं दीं। उजड़े हुए गांवों को, बेतुके गांवों को इन्होंने देखा नहीं इसलिए आज ये बढ़-चढ़कर बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी राजस्थान में तो आपने पंचायती राज को समाप्त कर दिया और सचिवों के माध्यम से, विकास अधिकारियों के माध्यम से, सी.ई.ओ. के माध्यम से आपने राजस्थान में पंचायती राज चलाया। पंचायती राज की कब्र खोदी है राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोदी है। एक साल तक आपने सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुखों के पद समाप्त कर दिये और चुनाव का नाम नहीं लिया। उस जमाने में इतना जमकर भ्रष्टाचार हुआ जिसमें उस जमाने के विधायक, उस जमाने की सरकार में बैठे हुए मंत्री सारे लिप्त थे। आज आपको उस बात को कहने में शर्म आ रही है क्योंकि अपने यह कुकृत्य किया था। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कुछ विकास का ढांचा आप देख रहे हैं, यह कांग्रेस की देन है, यह पंचायती राज की देन है। पंचायती राज को जानकर हम इसलिए लाये थे कि हम सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं विकेन्द्रीकरण करके गांवों का राज लाना चाहते हैं, यही कारण है कि आजादी के बाद आज गांवों में बिजली है, गांवों में सड़कें हैं, गांवों में स्कूल और पाठशाला हैं। मैं माननीय सदन को निवेदन करना चाहता हूं, आप इसका भूगोल नहीं जानते, आप राजस्थान की हिस्ट्री को नहीं जानते। 50 साल पहले

(श्री हफीज मोहम्मद)

कितने गांव थे, एक गांव में भी आपके जमाने में बिजली आई हो तो आप बता सकते हैं। गांव के लोगों की क्या स्थिति थी, सर्दियों में लोग लकड़ियां ताप कर रात में गुजारा करते थे। उनके पास ओढ़ने बिछाने को कपड़े नहीं हुआ करते थे। रहने को मकान तो दूर की बात है, राजस्थान के गरीब लोग खाईयां खोदकर अपनी रात बिताया करते थे। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप उस इतिहास को देखिये और आज 50-55 साल के बाद की स्थिति को देखिये कि हमने कितना विकास किया है। मैं यह नहीं कहता कि हमने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन विकास की एक शुरूआत हमने की है, एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। आज हम यहां तक आये हैं। आज गांवों में बिजली है, पीने का पानी है, स्कूल हैं, औषधालय हैं, दवाखाने हैं और गांवों में सड़कें पहुंची है, गांवों में पक्के मकान बने हैं। एक जमाना था जब गांव में या तो ठाकुर साहब का रावला नजर आता था या कोई मन्दिर नजर आता था, बाकी तो कच्ची झोपड़ियां और घास के मकान ही थे। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि 50 साल में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को रहने के लिए मकान दिये, गरीबों को रहने के लिए प्लाट दिये, गरीबों को खेती करने लिए जमीन दी। इसका कोई श्रेय लेता है तो कांग्रेस लेती है और इस बात का हमको गर्व है। देश को गुलामी से कांग्रेस ने आजादी दिलाई और उसी कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने इस देश के विकास को भी आगे बढ़ाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि पंचायती राज के माध्यम से ही हम गांवों का विकास कर सकते हैं। सदन के सभी मैं माननीय सदस्य महानुभाव से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह राजस्थान गांवों में बसा हुआ राजस्थान है, गांव के प्रति संवेदनशील होकर गम्भीरता से हमने विचार नहीं किया और हम शहरों की तरफ ही सोचते रहे तो हमारे गांव बरबाद हो जाएंगे और गांवों के लोगों की धीरे धीरे शहरों में आने की आदत बन गई है वह बनी रहेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके बजट के प्रावधान में गांवों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन दीजिए। गांवों का रोजगार कैसे चले, गांवों में लोगों को मजदूरी कैसे मिले इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। गांव का विकास कैसे हो, गांव के लोग तरक्की कैसे करें, इस पर हमको विचार करना चाहिए। मुझे कहते हुए खुशी है कि जिन गांव ढाणियों में गरीब किसान के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, पिछड़ी जाति, कमजोर तबके के बच्चे के लिए स्कूल नहीं था, आज 55 साल की आजादी के बाद राजस्थान के दूरदराज के गांवों और ढाणियों में उनके पढ़ने के लिए हमने

(श्री हफीज मोहम्मद)

सुविधाएं दीं। आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि गांव के बच्चे पढ़ने लग गये हैं, गरीब का बच्चा पोथी खोलने लग गया है। आपने कहा, यह अच्छा नहीं किया, यह भी बरबाद कर दिया, यह भी बरबाद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार में आपको भी आने का मौका मिला था, आप भी आठ साल तक सरकार में रहे थे, आपने कौन से 9 के 13 कर लिये थे? कौन से ग्रामीण विकास में आपने तरक्की की थी? सारी सड़कें अब तक टूटी हुई थीं, स्कूलों में मास्टर नहीं थे, गांवों में औषधालय में औषधि नहीं मिलती थी, दवाखानों में दवाएं नहीं मिलती थीं और सारे के सारे स्कूल, औषधालय और सब सेंटर खाली पड़े रहते थे। आपको यह कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यह नहीं किया, यह नहीं किया, लेकिन विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जो कुछ भी राजस्थान में तरक्की का, विकास का अगर किसी ने ढांचा तैयार किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पंचायती राज में, ग्राम में, किसान में गरीब में आपका कोई विश्वास नहीं है। आप कहने को कह सकते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आपकी भारत सरकार का बजट इस बात को साबित करता है कि आप गांव के, गरीब के हमदर्द नहीं हैं।

(17.00 बजे)

आपने पेट्रोल पर पैसे बढ़ाये, आपने डीजल पर पैसे बढ़ाये, आपने खाद पर पैसे बढ़ाये। और सस्ती चीजें कौनसी कीं? आपने एयर कंडीशनर सस्ता किया जो गरीब के काम नहीं आता है। आपने कारें सस्ती कीं जो गरीब के काम नहीं आती हैं। आपने सोना सस्ता किया जो गरीब के काम नहीं आता है। इसलिए आपकी मानसिकता सारा देश जान रहा है कि आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात आप करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके अपने कार्यक्रमों में यह शामिल करें कि राजस्थान के गांव कैसे आगे बढ़े, राजस्थान की गरीबी कैसे कम हो। इतनी लम्बी डिबेट हुई लेकिन विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह सुझाव नहीं दिया कि गांवों का विकास ऐसे होना चाहिए, गांव के आदमी को रोटी कैसे मिले। पिछले चार साल से राजस्थान का गरीब, किसान और मजदूर अकाल के कारण से बहुत परेशान है, आज उसके सामने तकलीफ है, गांव का आदमी सरकार पर आशा लगाये बैठा है, उसने आशा लगा रखी है। लेकिन इस सरकार के अच्छे कामों की वजह से राजस्थान के गांव का किसान आज अपने गांव में ही बैठा हुआ है। पहली बार राजस्थान का किसान मजदूरी करने न पंजाब गया, न गुजरात गया, न मालवा में गया, क्योंकि उसको अगस्त

(श्री हफीज मोहम्मद)

में काम मिल गया था-जितने भी हमारे गांव के गरीब भाई और बहिन थे, जिनको काम की आवश्यकता थी। अकाल में, मैं सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने सावन में काम शुरू किया और गरीब को रोजी-रोटी देने की बात की। आज जिस तरह से ईमानदारी से राजस्थान में अकाल का काम चल रहा है उसकी मैंने नहीं, भारत सरकार के मंत्रियों ने यहां आकर तारीफ की है कि राजस्थान में अकाल का काम बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय सदस्य महानुभाव, सच्चाई को स्वीकार करने की आदत डालो, सच बोलने की आदत डालो। रात-दिन प्रबन्ध करके भी आप सदन और राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छे काम किये होते तो आज आप सदन में इस स्थिति में नहीं आते कि सिर्फ 30 और 32 रह गये। आपका आधार क्या है अच्छा होने का? आपकी क्या सोच है, क्या जनता के बारे में सोचते हैं...

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी जो सेहत है न; वह क्यों बढ़ी है? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय सदस्य, बैठिये। यह दारू की दुकान नहीं है, यह असेम्बली है। आप बैठ जाइये। मेरी बात सुनिये, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आप बैठेंगे, हमने आपको सुना है। (व्यवधान) सुनिये, आप सुनिये मेरी बात को।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी जो सेहत है न...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आप सुनिये मेरी बात को।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी जो सेहत है वह बता रहा हूं, गांवों की सेहत को...

श्री हफीज मोहम्मद : आप सुनिये मेरी बात को। आप नहीं जानते गांवों को आपने तो गांव के लोगों को दारू पिलाकर पैसे लेकर बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह बिकवाता कौन है?

श्री हफीज मोहम्मद : आप क्या कह सकते हो, गरीबी क्या होती है? क्या समझते हो आप गरीबी के बारे में? मेहरबानी करके आप सुनिये हमारी बात।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी सेहत बता रही है न। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : मेरी सेहत बता रही है, यह छोड़ो आप तो। (व्यवधान) राजस्थान में...

श्री धर्मपाल चौधरी :...मैं जानता हूं, +++ करते थे। (व्यवधान)...आप मेरी बात सुनिये। शिवचरण माथुरजी जब चीफ मिनिस्टर थे जब आप +++ करते थे। उस समय से जानता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हफीज मोहम्मद : ऐसा है, मैं दारू की दुकान पर कभी नहीं बैठा हूं। दारू की और मीट की दुकान...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आपका बड़ा गलत काम है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आप मेरी बात सुनिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : लेकिन आपकी +++ की तरह नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप रूक जाएं। कृपा करके आप आसन की तरफ देखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : मेरी आदत है।

श्री सभापति : आपकी आदत है वह आप जानो, पर आप बोलते समय कृपा करके आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री हफीज मोहम्मद : मेरी आदत नहीं है, मैं कभी भी उनके बीच में नहीं बोलता हूं। मैं सच्ची बात कहता हूं। आसन की तरफ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, इनको तो मालूम ही नहीं है कि...

श्री धर्मपाल चौधरी : पता है मुझे, +++ भी हैं। (व्यवधान) हम भी गये हुए हैं इनके पास +++ (व्यवधान) ये +++ थे पहले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजो।

श्री हफीज मोहम्मद : यह दारू की दुकान नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कबूल किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : शिवचरण माथुरजी के +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और वे खुद कबूल कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये शिवचरणजी माथुर के +++ थे।

एक माननीय सदस्य : आपने अपना अपराध स्वीकार किया है इसलिए...

श्री सी. पी. जोशी : यह जो कहा है इसको एक्सपंज कराइये। यह +++ है यह कहा है। यह गलत है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह सदन शराब की दुकान है क्या? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह शराब की दुकान है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य के बारे में आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। (व्यवधान) यह ठीक नहीं कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ये कहते हैं शराब की दुकान है, विधान सभा क्या शराब की दुकान है? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, हाउस को बंद कर दीजिये, इनको जाने दीजिये। नहीं सुनना है तो बंद करिये। माननीय सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह शब्द एक्सपंज कर दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, हाउस आप चला रहे हो क्या? हम चला रहे हैं हाउस, आप क्या चलाओगे? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी :...हम ही बोल लेंगे। आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, उस शब्द को निकाल दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आसन को चुनौती देते हो। हम चलाते हैं हाउस, आप लोग नहीं चला रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी :...हाउस हम चलाएंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी, आप तो कैबिनेट में बैठ जाओ।

श्री सभापति : वह शब्द निकाल दिया। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बिजनेस हम लेते हैं, यह अक्ल का काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, दोनों ही बातें कार्यवाही से निकाल दी जाएं। जो इन्होंने कहा है कि इनकी कसाई की दुकान है, मांस की दुकान है, इसको भी निकाला जाए और शराब की दुकान के बारे में कहा है इसको भी निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सूर्यास्त के पहले व्यवधान डालोगे, यह बात नई लग रही है। सूर्यास्त के बाद व्यवधान डालेंगे यह तो हो गया, लेकिन सूर्यास्त के पहले ही व्यवधान डाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, शराब की दुकान का उल्लेख करना, यह अच्छा नहीं लगे तो धंधा क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, यहां पर कौन क्या-क्या कामे करता है, कोई

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मूर्ति चोरी करता है, कोई कोई काम-धंधा करता है, कोई दारू बेचता है, कोई दारू बिकवाता है। इस बात की बात को अगर कोई कहेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो निश्चित रूप से कहनी चाहिए। मूर्तिचोर को मूर्तिचोर कहना चाहिए, जेबकट को जेबकट कहना चाहिए, शराब के ठेकेदार को शराब का ठेकेदार कहना चाहिए। कोई असंसदीय नहीं है, न कोई पाप है। (व्यवधान) इसमें कोई गलती नहीं है। (व्यवधान) नहीं तो छोड़ दो इसको।

श्री धर्मपाल चौधरी :...ऐसा है, ये जिस हैसियत से आये हैं न।

(17.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे यह तो उम्मीद थी कि व्यवधान डालेंगे लेकिन सूर्यास्त से पहले ही व्यवधान डालने लग गये इस बात की उम्मीद कम लग रही थी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्यों मीट के चक्कर में पड़ गये, पुरोहितजी? पुरोहितजी कहां पड़ गये दारू-मीट के चक्कर में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाओ। प्लीज बिराजो। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : हमने राठौड़ साहब को सुना और यह बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पंचायती राज के माध्यम से जो गांवों का विकास हुआ है और जो विकास हो रहा है वह बहुत सराहनीय है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके राजस्थान के गांवों के विकास के लिए और बजट का प्रावधान करें। वहां पर जो भी अभाव अभियोग हैं उनको दूर करने के लिए और विकास के लिए राज्य सरकार बजट दे, क्योंकि आज हम और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में शहरों की ओर गांवों के लोग पलायन करते हैं। शहरों को सुंदर बनाने के लिए, शहरों की सड़कें चौड़ी करने के लिए तो सरकार खर्च कर रही है, यही रुपया अगर गांवों में खर्च करें तो गरीब को रोजगार भी मिलेगा और गांव में सड़कें और स्कूल भी अच्छे से अच्छे मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने, अशोकजी गहलोत ने चार साल पहले चार्ज लिया था, पूर्व की सरकार राजस्थान को दीवालिया बनाकर गई थी कि जिसके पास तनखाह चुकाने के लिए पैसा नहीं था,

(श्री हफीज मोहम्मद)

मुझे आज कहते हुए गौरव है कि हमारी सरकार ने पहले बजट में, पहली असेम्बली में घोषणा की कि राजस्थान के गरीब को अधिक वेतन देने के लिए न्यूनतम 60 रुपये दैनिक मजदूरी हम तय करते हैं। यह कल्याणकारी कार्य नहीं था तो और क्या था? राजस्थान में आर्थिक अभाव के बावजूद भी 11 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं हमने पहले साल में खोलने का ऐलान किया, आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जो अभी जनगणना हुई है, उसमें शिक्षा का प्रतिशत पहले के मुकाबले कहीं और ऊंचा बढ़ा है और गांव का गरीब जो कभी स्कूल और पोथी नहीं जानता था, वही गांव का लड़का अपने बच्चे को वहां पर पढ़ा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर भी कहा गया कि आठवीं पास के लड़के पैरा टीचर्स हैं या राजीव गांधी स्कूलों में हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हायर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी के नीचे किसी भी लड़के को अध्यापक का काम नहीं दिया गया है और इसमें इतनी पारदर्शिता बरती गई है कि गांव की ग्राम सभा में उस लड़के का चयन हुआ है। जिस पंचायत में जो लड़का था, जिस पंचायत के वार्ड में जो राजीव गांधी स्कूल खुला, गांव की ग्राम सभा ने उसका चयन किया। इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी करके हमारी सरकार ने एक मिसाल कायम की है और यही कारण है कि यह चुनावी वर्ष है, चुनावों में राजस्थान की जनता भयंकर अकाल के बाद भी अशोक गहलोत सरकार की वाहवाही कर रही है। इतने काम खुले हैं कि गरीब को आज मजदूरी टाइम पर मिल रही है, और टाइम पर ही नहीं, आज गरीब को मजदूरी एडवांस दी जा रही है। यह राजस्थान के आजादी के इतिहास में पहला मौका है जब काम करने से पहले गरीब को एडवांस के तौर पर अनाज दिया जा रहा है ताकि वह अपनी रोटी कमा कर अपना काम करे। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से, कि आप मिड-डे भोजन जो पंचायती राज के माध्यम से हमारे बच्चों को दे रहे हैं, रोज-रोज हमारे बच्चे घूघरी नहीं खा सकते, क्योंकि एक ही भोजन रोज रोज खाना न हमारे लिए सम्भव है, न आपके लिए सम्भव है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको दलिया कराकर, एक दिन मीठा, एक दिन नमकीन और कभी-कभी दाल डालकर खिचड़ी की तरह से बच्चों को दिया जाए ताकि वे बच्चे आराम से खाने को खा सकें। (व्यवधान) मेरा सुझाव है, आप तो लड़ने लग जाते हो। अच्छी बात को स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान) मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इतनी आर्थिक विषमताओं के बाद भी

(श्री हफीज मोहम्मद)

बहुत बड़े पैमाने पर आज अकाल के काम चल रहे हैं और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार की तारीफ करता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल बहुत भयंकर है, चार साल से गरीब काश्तकार ने अनाज का दाना अपने खेत में पैदा नहीं किया है इसलिए एक परिवार में से एक व्यक्ति को काम देना आवश्यक हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कल बोल लेना अकाल के ऊपर, अभी तो पंचायती राज तक ही सीमित रखो अपने आपको।

श्री हफीज मोहम्मद : आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने यहां न केवल घोषणा की पंचायत राज को सुदृढ़ करने की, बल्कि उसको करके दिखाया है। आज जिला परिषद् का प्रमुख डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन है। हम कहते तो बहुत हैं कि पावर नहीं मिले, लेकिन आपकी सरकार थी, माननीय सदस्य महानुभाव, आपने उस समय में यह विचार क्यों नहीं किया? आज हमने उसको अधिकार दिया और उसके अधिकारों के माध्यम से वह वहां का चेयरमैन है। सारी स्कीमें, सारी सैंक्शन उसके आदेश से, उसके नोलेज से निकलते हैं। आज मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि करीब 18 विभाग पंचायती राज के माध्यम से राजस्थान सरकार ने पंचायतों को दे रखे हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर सुन रहा था, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि स्कूल बरबाद हो गई है, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, 1200 रुपये से ज्यादा आप दे नहीं रहे हैं। लेकिन मैं इनको जानकारी के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमार सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम हर साल 200 रुपये राजीव गांधी स्कूल के अध्यापकों को बढ़ाएंगे और चार साल के बाद उनको स्थाई कर देंगे। राजीव गांधी पाठशाला के अध्यापक जिनका भविष्य चार साल पहले अंधेरे में था, आज वे स्थाई अध्यापक बनकर अपनी आजीवन रोटी कमाने के लायक बन रहे हैं। यह सरकार को धन्यवाद देने की बात है। राजस्थान में हमारी इस सरकार में आज ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो सिंगल टीचर स्कूल हो, आज हर स्कूल में कम से कम दो अध्यापक दे रखे हैं। हर पंचायत में, पंचायत समिति की स्कूल में प्रावधान किया गया है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि और ज्यादा सुदृढ़ पंचायती राज को करें, और सरकार अपनी अच्छी योजनाओं के तहत राजस्थान की जनता को अच्छा मैसेज दे। मैं पंचायती राज की इस मांग का समर्थन करता हूं। आपने

(श्री हफीज मोहम्मद)

जो मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपको कितना समय लगेगा?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप जितना कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी लिबर्टी है आप जितना चाहो, आप फर्माओ, कितना समय लगेगा, उस हिसाब से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आधा घंटा तो लग ही जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा तो लग ही जाएगा? आधा घंटा? बिराजिये। आप बोलिये सात मिनट और हरचन्दजी सिद्धू बोलेंगे सात मिनट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : सात मिनट? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 41-पंचायती राज और सामुदायिक विकास पर आज की हो रही चर्चा में भाग ले रहा हूं। अभी विपक्षी सदस्यों के साथ सत्तारूढ पार्टी के कुछ माननीय सदस्य भी बोले हैं और वे स्तुति गान ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले चारण और भाट किया करते थे। मैं किसी जाति के बारे में सम्बोधित नहीं कर रहा हूं लेकिन एक उदाहरण दिया है। अब उनके लिए मैं क्या ज्यादा कहूं? अभी माननीय हफीज मोहम्मद साहब भी बोले हैं, बाकी भी बोले हैं, इनके बारे में मैं एक शेर कह रहा हूं। हां, बोल रहा हूं, आपका गुणगान कर रहा हूं। जैसे आपने गुणगान किया है ऐसे ही आपका गुणगान कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी हालत यह है, "तेरे आजाद बन्दों की न यह दुनिया, न वह दुनिया, यहां मरने की मजबूरी और वहां जीने की मजबूरी।"

यह स्थिति है। दोनों तरफ से मरना है सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों का, अभी जितना उन्होंने गुणगान किया पंचायती राज का...

डा. के. सी. चौधरी : आपकी मजबूरी क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरी मजबूरी है कि ब्यावर में डूब मरो।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? वैसे ही समय नहीं है, आप और बीच में बोल रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पंचायती राज के सम्बन्ध में कहा गया है, गुणगान किया गया है, उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि बहुत शक्तियां जिला प्रमुखों को दी गई। अध्यक्ष बनाया गया है जिला परिषद का और फिर डी.आर.डी.ए. का भी अध्यक्ष बना दिया। टोटल इनको शक्तियां दीं। लेकिन यह जो त्रि-स्तरीय व्यवस्था की है, यह थ्री-टायर सिस्टम किया है, अब इसमें जरा पंचायती राज सदस्य, चाहे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किसी भी पार्टी के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनसे पूछ लिया जाए कि उनको क्या मिला। डी.आर.डी.ए. अध्यक्ष बनाये गये। जिला परिषद् में, उनको क्या मिल रहा है? कोई पावर नहीं है, सारे पावर्स केन्द्रीयकृत हैं, जो कलक्टर महोदय के पास में हैं। इसके अलावा कुछ है तो ढकोसला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कर्मचारियों के बारे में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी, अध्यापक, ए.एन.एम. एम.पी.डब्ल्यू. ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कम्पाउण्डर, इत्यादि–इत्यादि, पूरी लम्बी लिस्ट है कि ये सरपंच को हाजिरी देंगे। सरपंच अगर उनके बारे में लिखकर देगा तो मंत्री महोदय उनका ट्रांसफर करेंगे। मैं जानना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री महोदय से और मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से, जो आप बढ़–चढ़कर बोल रहे हैं, आज तक कितने कर्मचारियों को सरपंच के कहने से हटाया है? गांव में बहुत सारे कर्मचारी–ए.एन.एम., कम्पाउण्डर, अध्यापक या और भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, गांव में उपस्थित नहीं होते हैं तो आज तक कितने कर्मचारियों को हटाया गया है, जरा यह बताइये? यह सब झूठ का पुलिन्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।

यह भी कहा गया है कि 29 विषयों को पंचायती राज को दिया गया। लेकिन गांव चलो अभियान जब चला, उस समय भी और पंचायत समिति की मीटिंग में आप सब एम.एल.एज. जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, मेरी पंचायत समिति रामगढ़ में मुझे लिखकर नोटिस एस.डी.एम. के पास भिजवाना पड़ा, उनको लैटर भिजवाना पड़ा क्योंकि सिर्फ दो विभाग के कर्मचारी–अधिकारी ही उस पंचायत समिति की साधारण सभा में आये।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा और वार्ड सभा का बहुत सिलसिला चलाया पूर्व पंचायती राज मंत्री महोदय ने। उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्राम सभा में हमने नहीं लिखा, राजस्थान पत्रिका ने लिखा, दैनिक भास्कर ने लिखा, और भी सभी समाचार पत्रों ने लिखा, कि कहीं पांच थे, कहीं तीन थे, कहीं सरपंच को घर–घर जाकर–पंच भी पूरे नहीं आये ग्राम सभा में, घर–घर जाकर सरपंच ने उनके साइन करवाये। यह सब कुछ हुआ इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे गांवों में इन चार सालों में जितने अतिक्रमण हुए हैं, और अतिक्रमण कहां–कहां नहीं हुए? श्मशानों तक को नहीं बख्शा गया, कब्रिस्तानों तक को नहीं बख्शा गया और स्कूलों के ग्राउण्ड तक को नहीं बख्शा गया, और तो और, गांव के रास्ते भी। मेरे पास में बहुत सारी शिकायतें लिखी हुई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय चक,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चरागाह, कस्टोडियन, प्राइवेट या सार्वजनिक, मन्दिर माफी की जमीन, यहां तक कि पी.डब्ल्यू.डी. के रास्तों के ऊपर कब्जे हो गये हैं। पंचायत को लिखकर दिया, पंचायतें कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरपंच अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं उपाध्यक्ष महोदय और सरकार भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छता का गांवों में कार्यक्रम लिया गया है, कुछ जिले है जिनमें यह लिखा गया है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के केन्द्रीय प्रवर्तित प्रोजक्ट सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत किया जाता है, इसमें जिले हैं अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद और सीकर। इसमें भारत सरकार ने पैसा दिया लेकिन केन्द्र सरकार के पैसे का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, सिवाय गड़बड़-घोटाले के। मैं खुद अलवर जिले का रहने वाला हूं, यूनीसेफ का पैसा आया, वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, पर पंचायतों में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। नौ-दस लाख रुपये अलवर जिले में आये, पन्द्रह टांके बनाये गये यूनीसेफ योजना से गांवों में। उन टांकों ही हालत देखिये, टांके पर दो लाख से ज्यादा अगर लगा हो या एक लाख रुपया लगा हो। इस प्रकार से घोटाले हुए।

इसी प्रकार से मुख्य मंत्री रोजगार योजना का बहुत ढकोसला पीटते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत जो कियोस्क, छोटी दुकानें बांटी गईं उन दुकानों की हालत देखिये, नब्बे नहीं, पिचानवे प्रतिशत, अठानवे प्रतिशत वे कियोस्क न तो चले हैं और न उन बेचारों को जिनको कियोस्क दिये गये, ऋण दिया गया और न अनुदान दिया गया। मुख्य मंत्री रोजगार योजना में कियोस्क की लम्बी-चौड़ी योजना हांकी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कहा तो गया बराबर लेकिन पंचायतों में जो घोटाले हुए, किसी भी पंचायत के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। कांग्रेसी सरपंच है तो अन्दर आ जा और विपक्षी सरपंच है तो बाहर चला जा, यह आपकी हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर की पंचायतों का छह हजार बोरी गेहूं पकड़ा गया, माननीय एक मंत्री हैं यहां के वजनदार, उस वजनदार मंत्री के दबाव से गेहूं जो पंचायतों का था, जो बी.पी.एल. को बांटने वाला था और जो पकड़ गया, ए.सी.डी. ने पकड़ा, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर पंचायत, समरा पंचायत, थानागाजी पंचायत समिति है अलवर की, कानेटी पंचायती रेहणी पंचायत समिति की, खो आसपुर मेरे खुद के रामगढ़ क्षेत्र की, बानसूर पंचायत इन का गेहूं, झाड़लू-कठूमर का

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गेहूं, इन पंचायतों के भारी गबन–घोटाले, परिवार कल्याण का पैसा भी सरपंच महोदय खा गये, सड़कें बनी नहीं, झूठे सड़कों के नक्शे कहीं के दिखा दिये, फोटो दिखा दिये और बोर्ड लगा दिये–ऐसी इन पंचायतों की हालत है। धौलपुर की पंचायतें–आगर पंचायत, समरा पंचायत, थानागाजी, कानेटी–रेहणी पंचायत समिति, खो आसपुर–रामगढ़ पंचायत समिति, बानसूर पंचायत समिति की बानसूर और झाड़लू–कठूमर पंचायत समिति, इनमें जो गड़बड़ियां हुईं, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जांच सरकार करने के लिए तैयार नहीं। और तो और, एक पंचायत है कानेटी, हाई कोर्ट तक ने आदेश कर दिये, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। बी.पी.एल. परिवारों के बारे में कहा गया है, लेकिन आप जरा चयनित और बी.पी.एल. का पता करें कि क्या दुर्गति है। जिनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिनके दो–दो सौ बीघा जमीन है ऐसे परिवार भी चयनित परिवारों में आ गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, क्या चयनित परिवारों की पूरे राजस्थान की...

श्री घनश्याम जैन : किसके समय में हुआ चयन, ध्यान ही नहीं आपको।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके टाइम में हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम जैन : चयन किसके समय में हुआ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है कि मेरे टाइम में हुआ या आपके टाइम में, जांच कराओ? फिर वही, आपके टाइम में हुआ, रोते हो। साढ़े चार साल हो गये सरकार चलाते हुए, मेरे टाइम में हुआ तो मेरे टाइम में कराओ। मेरा टाइम क्या और आपका टाइम क्या? जो गबन है, जो गड़बड़ है वह तो गड़बड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इसका चयन भारत सरकार तय करती है, पांच साल की अवधि है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भारत सरकार नहीं, आप तय करते हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जब आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, वह तो आपको बोलना ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरदार साहब, आपकी हकीकत को मैं जानता हूं पर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सारी हकीकत उतार देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हकीकत आपकी भी छिपी हुई नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बी.पी.एल. परिवारों के कार्ड बने हैं गांवों में, कहा जाता है बी.पी.एल. को बहुत मदद दी जाती है, लेकिन अस्पताल में जाएं तो धक्के, और कहीं और जाएं तो बी.पी.एल. परिवार को कोई मदद नहीं मिल रही। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर ग्रामीण विकास की सोलह योजनाएं चल रही हैं उनमें दो योजनाएं जिनमें राजस्थान सरकार का पैसा पूरा है–एक, मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड में दोनों जिलों के लिए मात्र दो सौ लाख रुपये, दो करोड़ रुपये दिये गये हैं। मेरा इसमें सुझाव है माननीय मंत्री महोदय से कि इसमें कम से कम दो करोड़ रुपये और बढ़ाएं ताकि चार करोड़ से, क्योंकि आपका यह अंतिम वर्ष है, ग्राम का विकास कुछ हो सके।

एम.एल.ए. हैड का जो पैसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. हैड के बारे में कहा गया है कि यह पैसा पैंतालीस दिन के अन्दर तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे मेरे डी.आर.डी.ए. में जांच करवाइये या किसी भी डी.आर.डी.ए. में जांच कराएं, छह–छह महीने में तो तखमीना जे.ईएन. ने नहीं भेजा। मैंने लिखकर दिया हुआ है, छह–छह महीने। और उसके बाद में तकनीकी, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति में कितनी धांधली होती है कि एक–एक साल तक प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति नहीं निकलती। यह आपके एम.एल.ए. कोटा की आप जांच करवा कर देख लें कि इसकी क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, समाप्त कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितना बोलना था, दो मिनट ही तो बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस, हो गया न, दो मिनट नहीं बोले हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के विकास के लिये बार–बार कहा गया है, मैं चार लाइनों में जानकारी दूंगा। टांग फैलाये सोया है अब राजमहल के अन्दर, कैसे ख्वाब दिखाता था वाह रे वाह गहलोत सिकन्दर। तेरी बातों में आ गये सब दादा–दादी, नाना–नानी, सारी जनता आज चिल्लाती हाय बिजली और हाय पानी। गांव–गांव में विजिलेंस के डर के कारण बादल रास्ता भूल गये, हरे–भरे पत्ते टहनी पर पीले पड़ कर झूल गये। वोट कांग्रेस को देकर पछतावें सब नर–नारी, गरमी से तड़प रही बेचारी यह जनता दुखियारी। यह स्थिति है माननीय गहलोत साहब के शासन में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंहजी। हो गया न, आप इससे बढ़िया और क्या बोलेंगे अब? श्री हरचन्द सिंहजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : बीस शायरियां और पड़ी हैं अभी तो इनके पास में। लिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की तीन-चौथाई जनता गांवों में रहती है और उसके विकास के तमाम काम ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण यह काम है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो मिनट रह गये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कल बोल लेना, अभी बाकी है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस काम के लिए महात्मा गांधी की सोच के ऊपर और ग्राम स्वराज की कल्पना पर आधारित पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। एक लम्बे अरसे के दौरान इस बात का एहसास किया गया कि टू टायर सिस्टम जो था उसने राजस्थान के अन्दर अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी, लोगों में भावना आई थी, सरपंच का सीधा पंचायत समिति से सम्पर्क होता था। प्रधान के चुनाव में वह मतदाता होता था, इसी प्रकार से प्रधान जिला परिषद् में मैम्बर था, और सरपंच भी जिला परिषद् का मतदाता होता था। तीनों कड़ियां जुड़ी हुई थीं। लेकिन आज बराबर इस बात पर एतराज किया गया है, जब यह थ्री टायर सिस्टम लागू किया गया, तैयार किया गया कि वह गांव के विकास की परिकल्पना से नहीं हुआ, केवल उस कल्पना को तोड़ने की साजिश की गई। जो नैटवर्क तैयार किया हुआ था उस नैटवर्क को बड़े अजीब ढंग से तोड़ा गया है। ग्राम पंचायत का आर्गेनाइजेशन और कम्पोजीशन दोनों के बारे में मेरा एतराज यह है कि हकीकत में आज पंचायत समिति की हम अगर तस्वीर को देखें तो जो पंचायत समिति का डाइरेक्टर है उसकी भूमिका सिवाय प्रधान को वोट देने के नगण्य-सी हो जाती है और सरपंच का या पूरी पंचायत का पंचायत समिति से कोई सम्पर्क नहीं रह जाता। यही स्थिति जिला परिषद् की है। जो कमजोरियां हैं इनको हमें पहचानना चाहिए और दूर करना चाहिए। कहीं न कहीं से इस व्यवस्था का सुधार किया जाना जरूरी है। जब ऐसी लचर व्यवस्था हो गयी तो आप चाहे कितना ही बजट दें उसके अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। परिणाम के लिए इसमें सुधार की बहुत बड़ी जरूरत है और इसको सुधारा जाए।

एक तो यह कमी उसके कम्पोजीशन

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

में रह गयी, फिर उस कम्पोजीशन को चलाने की जो आपके पास मशीनरी है, मैं तो यह कहूंगा कि इस पंचायती राज सिस्टम का कबाड़ सिस्टम कर दिया। बी.डी.ओ. ट्रायल बेसिस पर आता है। 1959 के पंचायती राज अधिनियम को जब लागू किया गया तो हर पंचायत समिति में विकास अधिकारी आर.ए.एस. कैडर का होता था, उसकी पकड़ होती थी और उसके परिणाम आते थे विकास के कामों में। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। अब विकास अधिकारी के नाम पर जिस आदमी को पशुओं का इलाज करने का काम सौंपा गया था, वेटरिनरी डाक्टर, तय किया गया कि इसको बी.डी.ओ. बना दिया जाए। वो बड़े बढ़–चढ़ कर बोल रहे थे, ध्यान नहीं है आप लोगों को कि आपने किस तरीके से इसका कबाड़ा किया है। (व्यवधान) माननीय सदस्या, बी.डी.ओ. लगाये वो सरकार का काम है, कांस्टीट्यूशन का काम नहीं है। वेटरिनरी डाक्टर पशु आ इलाज करता, उसको बनाकर बैठा दिया बी.डी.ओ.। दो साल जब उसने बी.डी.ओ. का काम मेहनत करके सीखा तो इतने में फिर सनक चढ़ी कि नहीं, नहीं इंजीनियर आना चाहिए था, उठा कर असिस्टेंट इंजीनियरों को घुसेड़ दिया। जब उन्होंने आकर अपनी दुकानदारी चालू कर ली जब उन्होंने कहा कि नहीं मास्टर, तब उठा कर मास्टरों को ले आये। मेहरबानी करके, मंत्री महोदय, आप पंचायती राज सिस्टम के अन्दर एक पंचायती राज सर्विस कैडर निश्चित तौर से बनाएं। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी वो बहुत गम्भीर बात है। आप मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था करें कि पूरे ग्रामीण विकास के एग्जीक्यूशन का ताल्लुक उसी सर्विस से होगा। यह ट्रायल बेसिस छोड़ दें। वो मास्टरजी जिसके लिए राजस्थान सरकार ने यह फैसला कर रखा है कि एक मास्टर 60 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेगा, पूरे ग्रामीण परिवेश में उस एक मास्टर को लाकर बैठा दिया कि यह उस पंचायत समिति का काम देख लेगा। यही कारण है कि आज बार–बार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। उनका प्रभावी नियंत्रण नहीं रहता, उनको प्रशासन का अनुभव नहीं। अपना डाक्टरी वाला अनुभव बेचारा डाक्टर भूल गया, इंजीनियर का काम इंजीनियर भूल गया और मास्टर पढ़ाना भूल गया। इस तरीके से जो व्यवस्था का बिगाड़ किया गया, मेहरबानी करके हमारा एक सर्विस कैडर सिस्टम आप तैयार करें, इसको डवलप करें। एक बी.डी.ओ. का ही सवाल नहीं है...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : वो बेचारा नहीं है, आपका सहारा है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : बी.डी.ओ. का ही नहीं है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

सेवक लगने थे वो भी ट्रायल बेसिस पर। चुंगी व्यवस्था का कवाड़ा पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया क्योंकि इनका तो व्यापारियों से ताल्लुक है। जब ये बात करते हैं कि इन संस्थाओं को स्वशासी संस्था बनाया जाए तो आपके प्रति नाराजगी आपके मतदाता में पैदा हुई शहरों के अन्दर और आपने पुरानी उस व्यवस्था को तोड कर नगरपालिकाओं से चुंगी खतम कर दी। चुंगी वसूल करने वाला वहां का कर्मचारी सरप्लस हो गया। अब उस सरप्लस का समायोजन कहां करें? उसको उठा कर ग्राम सेवक वन विभाग के अन्दर कुछ कर्मचारी सरप्लस हुए, वो आये, उनको वापस ग्राम सेवक उनका काम नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको मालूम नहीं। बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर दी। जब तक पंचायती राज सिस्टम का सर्विस कैडर नहीं होगा, आपका ग्रामीण विकास अधूरा रहेगा, आप चाहे कितनी ही अच्छी योजनाएं ले आएं। अगर सही मायने में महात्मा गांधी के स्वप्न को हम पूरा करना चाहते हैं और ग्राम को ग्राम स्वराज देना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी और जो इस व्यवस्था के अन्दर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना होगा।

हम स्वायत्तता देने की बात करते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंचायती राज सिस्टम या डी.आर.डी.ए. जिसके माध्यम से हमारा ग्रामीण विकास का सारा काम देखा जाता है, क्या वो स्वतंत्र हैं निर्णय लेने में? नीति यहां से तय होती है। बार्डर डवलपमेंट प्रोजक्ट का पैसा भारत सरकार से आता है, निःसंदेह, लेकिन यहां पंचायती राज विभाग का शासन सचिव यह डिक्टेशन दे कि इस तरीके से आप इसको खर्च करेंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अगर फर्माएंगे तो मैं बैठ जाता हूं, साहब। मैं मेरी बात पूरी कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, दो-तीन मिनट और बोलो।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** 6 बजे मुख बंद हो जाएगा।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं अभी कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, दो-तीन मिनट और बोलो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जो आप दिशा-निर्देश फर्माते हैं, या डी.आर.डी.ए. को आप यह आदेश दें कि इस मीटिंग में जो आपने निर्णय किया है वह सही नहीं है आप दुबारा मीटिंग करिये, Who are they to dictate them? फिर आप उनको यह नहीं कह सकते कि हमने इनको स्वायत्तता दी है। मैं आपके ध्यान में एक पंचायत समिति रायसिंहनगर की

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

घटना लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, पंचायत समिति की ओन इनकम और यह अकाल का वक्त, लोगों को रोजगार देने के लिए स्वीकृति की आपने कोई पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी काम अगर आप करेंगे तो विभाग से पहले स्वीकृति लेंगे। उन्होंने योजना बनाकर भेजी, लेकिन आज अकाल खतम होने को आ गया है, दो महीने रहे हैं और स्वीकृति के लिए अड़ंगेबाजी लगातार चल रही है, आज तक स्वीकृति जारी नहीं हुई। वहां के गरीब को वहां के नुमाइंदों ने यह कहा कि हम आपके विकास के काम अभी शुरू कराएंगे जिनमें आपको रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से जो अड़ंगेबाजी है, मेहरबानी करके आप इनको सुधारें ताकि इस राजस्थान प्रदेश के गांवों की आज जो हालत है, ये माननीय सदस्य बहुत जोर से बोल रहे थे, इनके शासन काल में जो दुर्गति हुई है जो हालत बिगड़ी है, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इनको तो पता नहीं रहता, बेचारे क्या-क्या बोल जाते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : चार साल में सुधार करते, किसने रोका है आपको?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वो कोशिश कर रहे हैं हम। यही निवेदन कर रहा हूं। आपने ऐसा गड़बड़ घोटाला किया है कि अभी तक हम कहां से उस काम को शुरू करें और कैसे करें, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो सिवाय कवाड़े के और दूसरा जानते नहीं हैं। दलाली देना आप स्वीकार करते हैं कि हम दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपके माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री सांवर लाल : टाइम हो रहा है मुख बंद का, इनको तो बोलने दो।

श्री हरचंद सिंह सिद्धू : आपका मुख तो बंद नहीं हुआ, यह मुझे मालूम है। लगातार आपका मुख तो चल रहा है, मुख हमारा ही बंद होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन कर रहा था, साहब बहादुर, कि ये तीन जो हमारे ग्रामीण विकास की आधारभूत कड़ियां हैं इनका कम्पोजीशन आप सही फर्माएं।

मैं आपके ध्यान में एक और जो हमारी पीड़ा हैं वह पेश करना चाहता हूं। पंचायत समिति हनुमानगढ़, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से एशिया में सबसे बड़ी पंचायत समिति है जिसमें 121 ग्राम पंचायतें और 73 वार्ड हैं। एक स्कूल का मास्टर उसका विकास अधिकारी है। मेरे खयाल से वह तीन महीने तक दिन-रात घूमे तो भी ग्राम पंचायत को जाकर नहीं देख पाएगा। मैं ही लगातार संघर्ष कर रहा हूं। इतनी बड़ी पंचायत समिति जिसमें चार विधान सभा क्षेत्र पूरे समाहित हैं, आप उसका विभाजन

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

करें। जितनी छोटी यूनिट होगी उस पर उतना ही ज्यादा कंट्रोल रहेगा। इसलिए इस पंचायत समिति के आप निश्चित तौर पर विभाजन के आदेश फर्माएं। चार पंचायत समितियां उसकी बनें, ऐसी आप व्यवस्था करें ताकि हमारे ग्रामीण विकास को गति मिल सके। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दूं?

श्री उपाध्यक्ष : इन तक तो टाइम है न?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का, जिन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में अपने अमूल्य सुझाव और विभाग को ठीक करने के लिये परामर्श दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी के उस भाषण से जो उन्होंने 5 अप्रैल, 2002 को पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में दिल्ली में दिया था। उसके कुछ अंश हैं, इसका श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी कह रहे हैं कि इसका श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को। 10 साल पहले उन्होंने संविधान में संशोधन किया क्योंकि वह समझ गये इस बात को कि बिना संशोधन किये हुए, पंचायतों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किये हुए पंचायत संस्थाओं को ताकत नहीं मिलेगी। 73वें संविधान संशोधन की एक पूर्व कड़ी की बात उन्होंने कही। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इस 73वें संविधान संशोधन से हुआ है, वह इंगित कर रहे थे महिलाओं को जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया उसकी तरफ। उपाध्यक्ष महोदय, करीब 1 लाख 20 हजार पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, उनमें से करीब 40 हजार महिलाएं हैं। यह पूरे विश्व के लिये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर से ऐसा प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन राजीवजी की प्रेरणा से हुआ है। 73वें संविधान के संशोधन की अग्रेत्तर कार्यवाही के बारे में यहां कहा जा रहा है उसके सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्रीजी की एक बात को कहना चाहूंगा कि यह गम्भीर प्रश्न है, इस पर विचार करने की स्थिति आ गई है और मैं यह चाहता हूं कि यह सम्मेलन इस बारे में सोचे और संविधान में नया संशोधन कर पंचायतों को और अधिकारी सम्पन्न, साधन सम्पन्न बनाएं।

अब जो आप अभी कह रहे थे कि हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, वास्तव में गति धीमी है, मैं मानता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

लेकिन उसका एक कारण यह भी है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार संविधान में कुछ संशोधन करे। आपसे जो विचार–विमर्श हुआ है विधान सभा के सत्र में, प्रमुखों से हुआ, प्रधानों से हुआ है, सरपंचों से हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय हमने कर लिये हैं। 73वें संशोधन के बाद सबसे पहले 2.1.2002 को 16 विभागों के कुछ कार्य, मैं मानता हूं कि वे बहुत कम थे और उसकी तस्वीर भी बहुत साफ नहीं थी लेकिन एक प्रयास किया गया कि 16 विभागों के कुछ कार्य पंचायतों को दिये जाएं। उसके साथ–साथ 50 हजार तक के काम कराने के वित्तीय अधिकार भी पंचायतों को, इसकी एंम.बी. भरने का अधिकार भी उनको था और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी उनको था, वे भी उनको दिये गये। इसके बाद यह उचित समझा गया हक 73वें संविधान संशोधन को पूरी तरह लागू करने के लिये जैसी इसी मंशा है और जैसी हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की इच्छा है, उस मंशा के अनुसार उसे लागू करें इसके लिए एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई गई और माननीय गृह मंत्रीजी को उसका संयोजक बनाया गया। वह कमेटी 15.6.2002 को बनी और 2 अगस्त, 2002 को उसने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएं। 26–27 अगस्त को इस पवित्र सदन को आहूत किया गया और उसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात, अपने सुझाव, अपना परामर्श यहां रखा। उन सब के अध्ययन के बाद कैबिनेट सब कमेटी की दुबारा दिसम्बर में मीटिंग हुई और उसके बाद उसने दिसम्बर में ही अपनी रिपोर्ट दे दी। उस कमेटी की रिपोर्ट का हमारे विभाग ने अध्ययन किया। तैय्यब हुसैनजी और मैंने बैठकर यह तय किया कि अब हमें इसमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये। उसमें तीन तरह के बिन्दु हमारे सामने आये। एक तो यह महसूस किया गया, जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने भी कहा था, कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट, 29 के 29 डिपार्टमेंट देना न तो उचित होगा और न ही जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे इस भार को, इस वजन को उठा सकेंगे, क्योंकि उनके प्रशिक्षण का जो काम चल रहा है वह भी अभी अधूरा है। यह तय किया गया कि कुछ विभाग प्रारम्भिक तौर से दिये जा सकते हैं, कुछ विभाग की कुछ गतिविधियां दी जा सकती हैं। कुछ ऐसे बिन्दु सामने आये जो कि हम चाहते थे, जैसा अभी हरचन्द सिंह सिद्धू साहब कह रहे थे कि पंचायत समिति, जिला परिषद् और सरपंचों का जो तालमेल है, रोटेशन की बात अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य श्री सांवर लालजी

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कह रहे थे, उन बिन्दुओं के ऊपर क्योंकि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन बिन्दुओं को हमें केन्द्र सरकार को रैफर करना चाहिए। तीन तरह की श्रेणियां बनाकर हमने एक ज्ञापन तैयार किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी को देने के लिए और ज्ञापन पर विचार चल रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया, उसके ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि शायद इस बजट सैशन में पार्लियामेंट में वह संविधान संशोधन जैसा कि प्रधानमंत्रीजी ने इंगित किया है, आ जाए, तो हम उसके अनुसार अपने सुझावों को मोडिफाई करके, पूरी तरह से आपके सामने 73वें संविधान को लागू करने के लिए प्रस्ताव ला सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ नये कार्यक्रम भी विभाग ने लिये हैं। उदाहरण के तौर पर एक पहल कार्यक्रम है जो राजसमंद में चल रहा है। विपक्ष के नेताजी को भी ज्ञान होगा। कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से मिनी सचिवालय पंचायतों का बने और पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं वे उसके अधीन हों। हमने राजसमंद में हर एक पंचायत में जितने भी पंचायत लेवल के कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करके, एक पंचायत में मान लीजिए कि 500 घर हैं और हमारे 50 कर्मचारी हैं, उन सब आदमियों को वे घर बांट दिये कि इतने-इतने घरों की जिम्मेदारी आपकी होगी। उनको 19 बिन्दु दिये, उन 19 बिन्दुओं पर वे काम करेंगे। उसकी रिपोर्ट देंगे, उसका रिवैल्यूवेशन करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उसके नतीजे उत्साहवर्द्धक हैं। मैं सरकार को सिफारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को और जिलों में भी प्रारम्भिक तौर पर जो बहुत छोटे जिले हैं, उनमें लागू किया जाए। उसके बाद हम पूरे राजस्थान में इसको लागू कर सकें, ताकि महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, वह वास्तव में मूर्त रूप ले सके।

इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम परम्परागत जल स्रोत हैं, उनके पुनरुद्धार का चल रहा है। बहुत सारे कुएं जो सूख गये थे, या हैण्ड पम्प के कारण से या दूसरा पानी उपलब्ध होने के कारण से जिनका उपयोग नहीं हो रहा था, अब जब अकाल के कारण से आवश्यकता पड़ी तो हम चारों तरफ भाग रहे हैं, रेल टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। हजारों कुएं गहरे कराये गये हैं, उनमें दुबारा पानी भी आया है। उसका काफी लाभ लोगों को मिल रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि कुएं बेकार हो गये हैं, उनका उपयोग भी उनके दिमाग में आया है।

इसी तरह से राष्ट्रीय स्वच्छता का जिक्र अभी यहां आया था। ज्ञानदेवजी कह

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

रहे थे कि उसमें भी कुछ गड़बड़ है। हो सकती है गड़बड़ भी कहीं न कहीं, हम कोशिश करेंगे कि उन गड़बड़ों को दूर करें। यह कार्यक्रम जिसमें बहुत अच्छा पैसा हमें केन्द्र सरकार से मिला है और उसमें हमारा भी अंशदान होगा। इस योजना को 9 जिलों में लागू करने की योजना है। कुछ जिलों में यूनिसेफ के द्वारा भी इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है ताकि लोगों में जो नागरिक जागरूकता होनी चाहिए पानी के सम्बन्ध में, सफाई के सम्बन्ध में, अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में, अधिकारों के सम्बन्ध में, उन सब चीजों का ज्ञान उनको स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दिया जा सके, करवाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताना चाहूंगा कि कमजोर वर्ग के लोगों को करीब 33000 भूखण्ड कम दर के ऊपर हमारे विभाग ने उपलब्ध कराये हैं। 30 हजार का टारगेट था उसको पूरा करके और ज्यादा कोशिश की है कि हम उसमें और अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें।

इसी तरह किसी चयनित परिवार का मुखिया है, अगर उसकी एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो जाती है, उसको केन्द्र सरकार से 10 हजार रुपये की सहायता मिलती है। उस सहायता का भी बहुत अच्छा लाभ, करीब 2700 व्यक्तियों को इस वर्ष दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह उस परिवार के लिए जिसका वह आधार था, बहुत बड़ा सम्बल है।

अभी यहां कुछ माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये हैं। जांचों के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ बातें यहां आई हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके ऊपर निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगे। अभी चूंकि काफी बड़ी संख्या है, करीब 3500 जाचें हमारे विभाग में पड़ी हुई हैं, उनको विधिवत पूरा करना है। आप जानते हैं कि जांच में कई बाधाएं आती हैं। कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं मिलता, कभी तारीख बदल जाती है, इस कारण से उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है। जब से मैंने कार्यभार सम्भाला है इस काम को निपटाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि इस काम को जल्दी पूरा करूंगा। हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब ने भी सभी कमिश्नर्स को लिखा है कि उनके यहां जो जांचें लम्बित हैं, जल्दी से जल्दी करके उनका निस्तारण करें।

मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। उस तैयारी के सम्बन्ध में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सिद्धान्तः हमने यह तय किया है कि डी.आर.डी.ए. का जिला परिषद् में सम्पूर्ण रूप से विलय कर दिया जाए। उसकी मोडेलिटीज तय करनी हैं कि उनके स्टाफ

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

की क्या स्थिति होगी, उसमें अलग से कैसे विकास का प्रकोष्ठ बनाया जाए, कैसे उसका वर्किंग होगा। अभी डी.आर.डी.ए. रजिस्टर्ड संस्था है उसको डिजोल्व करके नये तरीके से यह काम किया जाएगा।

इसके साथ-साथ महिला विकास अधिकरण और मत्स्य विकास अधिकरण हम रिकमंड कर रहे हैं कि इनको भी जिला विकास अधिकरण के साथ-साथ जिला परिषद् में मिला दिया जाए ताकि ये तीनों-चारों अधिकरण अलग-अलग काम कर रहे हैं, इन कामों को भरने की कोशिश हो सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि प्रभावी नियंत्रण हो जिला प्रमुख का, प्रधान का गांव के सरपंच का, इसके लिए यह जरूरी है कि उनके अधीन जो कर्मचारी हैं उनके गोपनीय प्रतिवेदन लिखने का उनको अधिकार दिया जाए। हमने सिद्धान्ततः यह तय किया है कि इस बात को हम करेंगे। गांव का बी.डी.ओ. है उसकी सी.आर. प्रधान लिखेंगे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिला प्रमुख लिखेंगे और सैक्रेटरी है ग्राम सेवक, उसकी सरपंच लिखेंगे। और उनको रिव्यू करने का अधिकार आगे ऊपर के अधिकारियों को होगा।

इसी तरह एक बात आई थी कि निजी आय के उपयोग के लिए, अभी सिद्धू साहब कह रहे थे कि बड़ी दिक्कते हैं आ रही हैं। हमने सिद्धान्ततः तय किया है कि अगर सरकार की जो गाइड लाइन है उसका कोई उल्लघंन नहीं करता है तो पंचायत या पंचायत समितियां या जिला परिषद् अपनी निजी आय का उपयोग अपनी इच्छा के मुताबिक कर सकती हैं ताकि उस चीज का हम लोग आगे जाकर उपयोग कर सकें।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, आप बिराजो। आप बोलेंगे, एक मिनट बिराजें, समय बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक व मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और मुखबन्द का समय भी मंत्रीजी के भाषण पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितनी बार बढ़ाएंगे मुखबन्द का समय आप?

श्री हरिसिंह (महुवा) : कई बार। ...पहले 6 बजे तक किया था।

मांग संख्या-41 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है और मैं भी इससे सहमत हूं कि पंचायती राज विभाग का और ग्रामीण विकास विभाग का अलग से कैडर होना चाहिए। यह जो सब कमेटी बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है और हम इसको करने की सिफारिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जैसा अभी यहां बताया गया कि बहुत सारे पद रिक्त हैं, खास तौर से जो ग्राम सेवक हैं उनके करीब एक हजार पद रिक्त हैं। हमारे पास जो कारपोरेशंस हैं या जो सोसायटियां हैं, या जो अधिशेष आ रहे हैं दूसरी जगह के ऐसे लोगों को हम स्क्रीनिंग करके डिपार्टमेंट में ग्राम सेवक लगाने की कवायद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ समस्या हल होगी। जो चुंगी के लोग लगे हुए हैं, जिसके बारे में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, उनमें करीब आधे लोग तो मैट्रिक पास थे, उनको तो हमने लगा लिया है, लेकिन आधे लोग ऐसे हैं जो नॉन मैट्रिक हैं, उनका मामला विचाराधीन है और जल्दी की उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे कि कहां उनको हम काम में लगा सकते हैं।

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर से जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, जो पंचायत इंस्टीट्यूशन के जनप्रतिनिधि हैं उनकी मांग है कि उनका भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। इसके ऊपर जो सब कमेटी थी उसने स्वीकार करके प्रमुख का भत्ता 40 से बढ़ाकर 60 रुपये करने का तय किया है। उप प्रमुख का 30 से बढ़ाकर 45, जिला परिषद् सदस्य का 30 से 45, प्रधान का 30 से 45, उप प्रधान का 25 से 37, पंचायत समिति सदस्य का 25 से 37, सरपंच का 30 से 45, उप सरपंच का 20 से 30 और ग्राम पंचायत सदस्य का 20 से 30 करने का मैं ऐलान करता हूं, मुझे उम्मीद है कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप उधर बहुत देख रहे हैं, इसमें क्या कोई...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इनके ऊपर भार नहीं पड़ेगा, यह तो मेरे ऊपर ही भार है। निजी आय जो हमारी है उससे इनका भुगतान होगा।

ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने यहां कहा है। मैं भी

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मानता हूं कि बहुत सारी जगह ग्राम सभाओं में जो उपस्थिति होनी चाहिए वह नहीं होती है। खास तौर से महिलाओं का जो 1/10 हिस्सा होना चाहिए, अनुसूचित जाति-जनजाति का 1/10 हिस्सा होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में यह जानने की कोशिश की है कि शायद जो हमने तारीखें तय की हैं उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हों। तो हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत जब चाहे उस दिन ग्राम सभा कर सकती है, लेकिन साल में 4 ग्राम सभा होनी आवश्यक हैं ताकि उन चीजों को हम आगे बढ़ा सकें। ग्राम सभाओं में ये स्पष्ट तौर से निर्देश दिये हुए हैं कि वे वही प्रस्ताव लें जितना उनके पास धन उपलब्ध है या वे जितना आबंटन उम्मीद करते हैं कि उनके पास आएगा ताकि उनकी नाजायज मात्रा नहीं बढ़े कि हमारे कोई काम नहीं हुए या और कुछ बातें नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इम्प्रैस्ट का 2 हजार रुपये है, मैं घोषणा करता हूं कि इम्प्रैस्ट को हम 5 हजार तक कर देंगे। एक मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से इजाजत लेकर कहना चाहूंगा, अभी चैक के ऊपर जनप्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर होते हैं। जो कमेटी बनी है उस कमेटी में आप भी मैम्बर थे, यह तय किया गया है कि जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर चैकों पर नहीं लिये जाएं। उसके लिये जो सरकारी कर्मचारी हैं वे ही दस्तख्त करेंगे और वे ही जिम्मेदार होंगे।

पुनर्गठन के कुछ प्रस्ताव यहां आये हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि क्योंकि अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है, परिसीमन के कार्य में केन्द्र सरकार की तरफ से मनाही है कि हम किसी भी यूनिट को अभी चैंज नहीं कर सकते हैं। न बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं। इसलिये यह परिसीमन का काम पूरा होना चाहिए। इस काम को हाथ में लेने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

जो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका जवाब 2-3 दिनों में मैं आपके घर भिजवा दूंगा। आपने जो सहयोग दिया, परामर्श दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग को पारित किया जाए।

मांग संख्या-41 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,87,67,000/-(चार अरब, सत्तासी करोड़, तिरासी लाख, सड़सठ हजार तक) की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1 राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,34,00,000/–(तेरह करोड़ चौंतीस लाख) की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–2 मंत्री परिषद्

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,99,28,000/–(तीन करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–3 सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,38,21,000/–(छियानवे करोड़ अड़तीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–4 जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 04–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 1,03,28,62,000/–(एक अरब तीन करोड़ अट्ठाईस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–5 प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,57,98,000/–(बत्तीस करोड़ सत्तावन लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–6 न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,86,07,000/-(एक अरब पन्द्रह करोड़ छियासी लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–7 निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,83,55,000/-(दस करोड़ तिरासी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–8 राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,91,62,81,000/-(एक अरब इक्यानवे करोड़ बासठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–10 विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,17,23,000/-(तेरह करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–11 विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,10,41,000/-(नौ करोड़ दस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–12 अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,68,85,000/–(चालीस करोड़ अड़सठ लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–13 आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13–आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,52,18,000/–(एक अरब अठारह करोड़ बावन लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–14 बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,19,05,000/–(चौबन करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15–पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,13,16,85,000/–(उन्नीस अरब तेरह करोड़ सोलह लाख पिचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–17 कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,81,55,000/–(उनतीस करोड़ इक्यासी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–18 जनसम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18–जन–सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को रुपये 8,75,19,000/-(आठ करोड़ पिचहत्तर लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,38,99,29,000/-(दो अरब अड़तीस करोड़ निन्यानवे लाख उन्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20 आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,84,55,000/-(एक अरब दस करोड़ चौरासी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,76,85,08,000/-(पांच अरब छिहत्तर करोड़ पिच्चासी लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,84,70,74,000/-(एक अरब चौरासी करोड़ सत्तर लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,12,93,000/-(बयालीस करोड़ बारह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,28,48,000/-(चवालीस करोड़ अट्ठाइस लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि मांग 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,66,98,20,000/-(दस अरब छियासठ करोड़ अठानवे लाख बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27 पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,74,91,67,000/-(अठारह अरब चौहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,09,29,42,000/-(दो अरब नौ करोड़ उनतीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को रुपये 19,65,000/-(उन्नीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,12,02,000/-(सत्ताईस करोड़ बारह लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,61,61,75,000/-(तीन अरब इकसठ करोड़ इकसठ लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,87,71,000/-(एक अरब छियालीस करोड़, सतासी लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,97,42,71,000/-(एक अरब सतानवे करोड़ बयालीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,67,71,000/–(एक अरब बाईस करोड़ सडसठ लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,29,53,000/–(एक अरब तेईस करोड़ उनतीस लाख तिरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–40 राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,86,36,000/–(एक करोड छियासी लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–42 उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,02,19,000/–(चौहत्तर करोड़ दो लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–43 खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,38,70,000/–(तीस करोड़ अड़तीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,26,19,000/–(बारह करोड़ छब्बीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,32,22,000/-(एक अरब सोलह करोड़ बत्तीस लाख बाईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,79,65,37,000/-(चौदह अरब उन्यासी करोड़ पैंसठ लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,63,25,99,000/-(पन्द्रह अरब तिरेसठ करोड़ पच्चीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समानुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समानुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,06,000/-(इक्कीस लाख छह हज़ार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,07,04,41,000/-(दो अरब सात करोड़ चार लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,67,33,45,000/- (एक अरब सड़सठ करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुन:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2003 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.23 बजे बुधवार, 28 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-442 की सूची)

अनुसंधानकर्ताओं के नाम

मुकदमा नम्बर : 25/2002 धारा 457, 380 भा.द.स. पुलिस थाना छबड़ा, बारां

1. श्री शिवराज सिंह गुर्जर, थानाधिकारी बापचा	दिनांक 18.1.2002 से 23.1.2002 तक
2. श्री अब्दुल हक, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी अटरू	दिनांक 23.1.2002 से 12.4.2002 तक
3. श्री सरजीत सिंह मीणा, थानाधिकारी छबड़ा	दिनांक 1.10.2002 से 10.12.2002 तक
4. श्री विनोद कुमार बांगड़, अति. पुलिस अधीक्षक बारां	दिनांक 18.12.2002 अब तक

मुकदमा नम्बर : 32/2002 धारा 457, 380 भा.द.स. थाना छबड़ा, जिला बारां

1. श्री तेजसिंह हाडा, उप निरीक्षक थाना छबड़ा	दिनांक 28.1.2002 से 23.3.2002 तक
2. श्री सरजीत सिंह मीणा, थानाधिकारी अटरू	दिनांक 26.3.2002 से 1.10.2002 तक
4. श्री विनोद कुमार बांगड़, अति. पुलिस अधीक्षक बारां	दिनांक 18.2.2002 अब तक

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट–'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-444 की सूची)

The Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971

18. Private Trade or Employment-(1) No Government Servant shall, except with the previous sanction of the government engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment:

Provided that a Government Servant may, without such sanction, undertake honorary work of a Social or Charitable nature of occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer, but he shall not undertake, or shall discontinue such work if so directed by the Government.

Explanation :-(1) Canvassing by a Government Servant in support of the business of insurance agency, commission agency, and of like nature owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this subrule.

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

धर्मशालाओं को बिजली घरेलू दर पर उपलब्ध कराने के निर्णय की क्रियान्विति

446. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को राजीव सामाजिक सुरक्षा मिशन की बैठक में घोषणा की थी कि राज्य में कार्यरत धर्मशालाओं को बिजली घरेलू दर पर उपलब्ध करवाई जावेगी?

(2) क्या उक्त घोषणा की क्रियान्विति की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब घोषणा ही नहीं हुई तो क्रियान्विति का प्रश्न ही नहीं उठता।

भादरा नोहर की सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र का सर्वे

447. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भादरा नोहर क्षेत्र में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र में कमाण्ड/अनकमाण्ड एरिया सर्वे एवं चकबन्दी का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस तरीके से और उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र के शेष रहे कमाण्ड/अनकमाण्ड की एरिया सर्वे एवं चकबन्दी का कार्य मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जा रहा है। शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु वर्तमान में तीन डिविजनों की सेवाएं ली जा रही है एवं शीघ्र कार्य पूर्ण करने के अधक प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या-448
(स्थगित)

सलाहकार मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना

449. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल के लिये गये निर्णय के अनुसरण में गठित समिति का सलाहकार मण्डल की दिनांक 5.3.1997 को सम्पन्न बैठक में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति का पुनर्गठन कब किया गया और इसके पुनर्गठन में राज्य सरकार ने असाधारण विलम्ब क्यों किया?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल के निर्णय के अनुसरण में पुनर्गठित समिति ने राज्य के दो बड़े प्रमुख उद्योग नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा एवं के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड, झोटवाड़ा का निरीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि वहां गत कई वर्षों से नियमित और स्थाई प्रकृति के कामों पर ठेका श्रमिकों से कार्य करवाया जाता है? समिति ने उक्त दोनों संस्थानों में राज्य सरकार से ठेका प्रथा को प्रतिबंधित करने तथा ठेका प्रथा में नियोजित कामगारों की सेवाएं नियमित करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो उक्त समिति की जांच रिपोर्ट मय सिफारिश एवं अन्य सभी दस्तावेजों के सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब क्यों कर रही है? क्या सरकार इसी प्रकार की जांच सरकारी विभागों में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। समिति की जांच व सिफारिश रिपोर्ट परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(3) समिति की सिफारिशों का लागू करने में विलम्ब नहीं किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों का निर्णय लिया जाना प्रक्रिया में है। राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल की 22.3.2003 की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार तीन माह में प्रथमत: तीन विभागों सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व एस.एम.एस. मेडिकल कालेज (सफाई कर्मी) में जांच करवाने का विचार रखती है।

परिशिष्ट ''अ''

भ्रमण उपरान्त समिति की रिपोर्ट

ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या, 37 की सपठित धारा 5(1) सपठित राजस्थान ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) नियम, 1971) के नियम 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलाहकार मण्डल की दिनांक 5.03.1997 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में एक समिति का गठन किया गया था जिसे प्रदेश के उन संस्थानों जिनमें ठेका श्रमिक नियोजित है, की जांच कर उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2 के अनुच्छेद A से D तक वर्णित मापदण्डों के आधार पर उन संस्थानों में जहां ठेका श्रम प्रथा समाप्त की जा सकती है तथा ठेका श्रमिकों को मुख्य नियोजक द्वारा सीधे ही नियुक्ति दी जा सकती है, के बारे में समिति को अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करनी है।

उक्त समिति की बैठक श्रम आयुक्त, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 22 मई, 2001 को सम्पन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर के.ई.सी. इंटरनेशनल, जयपुर तथा गोविंद रबड़, भिवाड़ी, में ठेका श्रम के सम्बन्धित पहलुओं पर जांच हेतु समिति के कुछ सदस्य भ्रमण करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड को प्रस्तुत की जावेगी। इसी क्रम में अध्यक्ष द्वारा यह तय किया गया कि दिनांक 29.10.2001 को नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर तथा दिनांक 8 जनवरी, 2002 को के.ई.सी. इंटरनेशनल, झोटवाड़ा, जयपुर का समस्त सदस्यों द्वारा भ्रमण किया जावे और इस आशय के सम्बन्धित सदस्यों को नोटिस भी जारी किये गये तथा निर्धारित दिनांकों को नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर एवं के.ई.सी. इंटरनेशनल, जयपुर संस्थानों का भ्रमण किया गया किन्तु गोविन्द रबड़, भिवाड़ी में तालाबंदी चलने के कारण संस्थान का भ्रमण नहीं किया गया।

दोनों संस्थानों में भ्रमण दल द्वारा किये गये भ्रमण के उपरान्त ठेका श्रम से सम्बन्धित पहलूओं पर जांच कर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है:

1. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा, जयपुर

समिति को भ्रमण के दौरान प्रबन्धक पक्ष द्वारा संस्थान के ठेकेदारों के नाम एवं उनके द्वारा नियोजित कामगारों की संख्या की सूचना उपलब्ध कराई। सूची के अनुसार 17 ठेकेदार ठेके का काम कर रहे हैं जिनमें से आठ ठेकेदारों के द्वारा 20 से अधिक कामगारों के नियोजन की स्थिति दर्शाई है। अन्य ठेकेदारों पर ठेका श्रम (उन्मूलन एवं

नियमन) अधिनियम, 1970 लागू नहीं होता है। प्रबन्धक प्रतिनिधि श्री डी. के. शर्मा, महाप्रबन्धक एवं श्री आर. एन. कौशिक, कार्मिक अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि उनके संस्थान में जो ठेके का कार्य होता है उसके लिए विधि के अंतर्गत मुख्य नियोजक की हैसियत से उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जो ठेकेदार ठेके का कार्य कर रहे है उनके द्वारा विधि अनुसार लाइसेंस लिया जाता है। जिन ठेकेदारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है उनके द्वारा सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर रीजन का पुनः आवेदन किया गया बताया है।

नवीन तथ्यों की जानकारी एवं पुष्टि हेतु समिति द्वारा संस्थान में अवस्थित ठेकेदारों एवं यूनियन पदाधिकारियों से भी बात की गई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. ठेकेदार श्री के. के. पाण्डे ने समिति को बताया कि वे 10–12 वर्ष से संस्थान में ठेके का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में उनके द्वारा 61 ठेका श्रमिकों को कार्य पर नियोजित किया हुआ है जिन्हें 135 से 142 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। मुख्य रूप से ये कामगार फ्लोर वाशिंग तथा ड्रेन क्लिनिंग का कार्य करते है।

2. ठेकेदार श्री राजेन्द्र सिंह ने समिति को अवगत कराया कि उनके द्वारा वर्तमान में 93 ठेका श्रमिक संस्थान के कार्य के लिए नियोजित है जिन्हें 135 से 142 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होता है। ये ठेका श्रमिक संस्थान के फ्लोरिंग और ड्रेन क्लिनिंग तथा मटीरियल शिफ्टिंग का कार्य करते हैं उनके द्वारा लाइसेंस लिया जाता है। वर्तमान में अवधि खत्म होने पर लाईसेंस के लिए एप्लाई किया हुआ है।

3. ठेकेदार श्री प्रदीप ने अवगत कराया कि उनके द्वारा 43 ठेका श्रमिक संस्थान के कार्यों के लिए नियोजित किये हुए हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक अर्थात 135 रुपये से ऊपर प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। ये ठेका श्रमिक रेलवे बियरिंग डिविजन में कार्य करते है। डस्ट क्लिरिंग वाशिंग, मटीरियल शिफ्टिंग आदि का कार्य लिया जाता है। उनके द्वारा नियमानुसार लाइसेंस लिया जाता है।

4. ठेकेदार श्री बालचंद ने अवगत कराया कि उनके द्वारा 21 ठेका श्रमिक वर्तमान में नियोजित है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक मजदूरी दी जाती है। ये ठेका श्रमिक टेपर आर.एन.डी. में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के कार्य के अतिरिक्त फैब्रिकेशन तथा बियरिंग रिपेयरिंग का कार्य करते हैं।

समिति द्वारा सीटू एवं बी.एम.एस. यूनियन के पदाधिकारियों से भी इस विषय पर बात की गई तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई जो निम्नप्रकार है :

1. **सीटू यूनियन**–यूनियन के अध्यक्ष श्री महावीर एवं महामंत्री श्री भंवरजी से चर्चा की गई। समिति को उन्होंने अवगत कराया कि संस्थान में लगभग 500 ठेका श्रमिक है जिनके द्वारा बियरिंग पैकिंग, मटीरियल हैंडिंग, वैल्डिंग,फैब्रिकेशन, प्रोसेस, फिल्ट्रिंग, इलैक्ट्रिसिटी, एयरकण्डिशनिंग प्रक्रियाओं का कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। लुहारखाना, फैब्रिकेशन में 40 ठेका श्रमिक, 40 ठेका श्रमिक धुलाई में, 22 बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, 35 एक्शल बॉक्स में, 40 प्रोग्रेस बियरिंग डिविजन, टेपर, आर.एन.डी. में, 50 श्रमिक केंटिन, स्टाफ व लेबर है। ठेका श्रमिकों द्वारा पैकिंग, एक्शिल बॉक्स, शिफ्टिंग, लोडिंग–अनलोडिंग, क्लिनिंग एण्ड वाशिंग आदि प्रोसेस में भी कार्य किया जाता है। यह सही है कि इन्हें 100 रुपये से अधिक मजदूरी का भुगतान होता है किन्तु नियमित कामगारों से इनका वेतन कम है तथा ठेका श्रमिक उन मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस में कार्य कर रहे है जो संस्थान का नियमित प्रकृति का कार्य है तथा इसी कार्य को नियमित रोल के श्रमिक भी करते है। अत: उनकी राय में इस प्रकार के कार्यों पर ठेका प्रथा प्रतिबन्धित होनी चाहिये।

2. **बी.एम.एस. यूनियन**–भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, श्री रामलाल पिलानिया एवं श्री कांता प्रसाद शर्मा आदि यूनियन पदाधिकारियों ने यह अवगत कराया कि संस्थान में वाशिंग, लोडिंग–अनलोडिंग, केंटिन, मटीरियल, शिफ्टिंग, फैब्रिकेशन तथा पैकिंग प्रक्रियाओं में ठेका श्रमिक नियोजित है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जिन कार्यों में ठेका श्रमिक लगे हुए है उनमें नियमित कामगार भी कार्य करते है और उल्लिखित प्रक्रियाएं नियमित उत्पादन प्रकृति की है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कामगारों को 130 से 140 रुपये के बीच भुगतान होता है।

3. **के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड, झोटवाडा, जयपुर**

संस्थान के महाप्रबन्धक एवं कार्मिक अधिकारी द्वारा ठेकेदारों की सूची उपलब्ध कराई गई जिसमें 6 ठेकेदारों के नाम उनके द्वारा किये जा रहे कार्य तथा नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई। सूची के अनुसार संस्थान में 225 ठेका श्रमिक कार्यरत है। महाप्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया कि ये कामगार लोडिंग अनलोडिंग, मैटेरियल शिफ्टिंग, स्टेकिंग तथा मटीरियल वैल्डिंग के कार्य के अतिरिक्त सिविल

कार्य करते हैं। प्रबन्धक द्वारा अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तथा संस्थान के ठेकेदारों द्वारा नियमित लाइसेंस भी लिया जाता है। इन ठेका श्रमिकों को लगभग 150 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाता है।

समिति द्वारा संस्थान के ठेकेदारों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई जो निम्नानुसार है:-

1. ठेकेदार श्री शिवनारायण बदाला ने समिति को अवगत कराया कि उनके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों से लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रेकिंग, ट्रेलरिंग तथा फैक्ट्री में कार्य कराया जाता है। ये कामगार 15 से 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं जिन्हें 150 रुपये से अधिक प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उनके द्वारा इन्हें साप्ताहिक अवकाश, पी.एल. दी जाती है और इन ठेका श्रमिकों की ई.एस.आई.-पी.एफ. कम्पनी द्वारा जमा कराया जाता है। यद्यपि ये नियमित कामगार नहीं है फिर भी ठेके पर नियोजित होने के उपरान्त इन्हें सेवा से निकाला नहीं जाता है।

2. ठेकेदार श्री बलवीर ने अवगत कराया कि उनके द्वारा 60 कामगार नियोजित है और 100 का लाइसेंस है। ये कामगार फिनिशिंग तथा पैकिंग प्रक्रिया में लगे हुए है। इन्हें साप्ताहिक अवकाश, पी.एल. ई.एस.आई. तथा पी.एफ. आदि की सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है, 150 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

3. ठेकेदार श्री हरिनारायण ने अवगत कराया कि उनके द्वारा नियोजित कामगार 19 वर्ष से कार्यरत है। ठेका श्रमिक गैल्वेनाइजिंग डिपार्टमेंट, रॉयार्ड, फिनिश यार्ड, आदि में कार्यरत है। इन्हें 150 रुपये से अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। विधि के अन्तर्गत उनके द्वारा नियमित रूप से लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, वर्तमान में नवीन लाइसेंस के लिए एप्लाई किया हुआ है।

4. ठेकेदार श्री मालसिंह ने अवगत कराया कि उनके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक गैल्वेनाइजिंग के कार्य के अतिरिक्त फिनिशिंग यार्ड में कार्यरत है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक का भुगतान किया जाता है। इन्हें साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 9 अन्य अवकाश दिये जाते है। पी.एफ. एवं ई.एस.आई. कम्पनी द्वारा जमा कराया जाता है। ठेका श्रमिकों को बोनस का भी भुगतान किया जाता है।

समिति द्वारा संस्थान में अवस्थित एकमात्र यूनियन के पदाधिकारियों से भी तथ्यों की जानकारी हेतु विचार विमर्श किया गया जो निम्न है:

यूनियन पदाधिकारी श्री ए.एस. सोमध तथा श्री भगवान सिंह ने अवगत कराया कि संस्थान में लगभग 1000 कामगार एवं कर्मचारी कार्यरत है जिनमें उत्पादन कार्य में संलग्न श्रमिकों के अतिरिक्त स्टाफ एवं ठेका श्रमिक भी सम्मिलित है। कोई भी ठेकेदार यूनियन की मंशा के विरुद्ध किसी कामगार को सेवामुक्त नहीं करता है। ठेका श्रमिकों को समझौते के अनुसार बोनस का भुगतान कराया जाता है। इन ठेका श्रमिकों की वरिष्ठता बनी हुई है जिसके आधार पर धीरे–धीरे इन्हें नियमित रोल पर लिया जाता है। ये कामगार 15–20 वर्षों से कार्य कर रहे है। ठेका श्रमिक मुख्य रूप से फिनिशिंग याड, रॉ यार्डस, सिविल वर्क्स, लोडिंग–अनलोडिंग, शिफ्टिंग, पैकिंग आदि में कार्य करते हैं। यूनियन ने यह स्वीकार किया कि इन कार्यों में नियमित कामगार भी लगे हुए है जिन्हें ठेका श्रमिकों से अधिक वेतन मिलता है। समिति से हुई चर्चा के दौरान श्रमिकों ने प्रबन्धक के प्रति संतोष जताया और उनके द्वारा ठेका व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई राय प्रकट नहीं की गई।

निष्कर्ष–नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड खातीपुरा, जयपुर एवं के.ई.सी. इंटरनेशनल लि. झोटवाड़ा, जयपुर में उक्तानुसार ऐसी अनेक अभिनिर्माण प्रक्रियाएं पाई गई जिनमें ठेका श्रमिक नियोजन में पाये गये तथा इन प्रक्रियाओं में ठेका नियोजन ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिबंधित करने योग्य है। अतः समिति उक्तानुसार यह सिफारिश करती है कि अधिनियम, 1970 के प्रावधानांतर्गत उक्त दोनों संस्थानों में राज्य सरकार ठेका प्रथा को प्रतिबंधित करने के साथ–साथ इनमें नियोजित कामगारों की सेवाएं नियमित कराने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कराई जावें।

श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण

विशिष्ट शासन सचिव, राहत विभाग

निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान

प्रबन्धक निदेशक, राज. स्टेट ब्रिज कन्स. कारपॉरेशन, जयपुर

मुख्य वन संरक्षक (श्रम मामलों से सम्बन्धित) वन विभाग, जयपुर

निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास विभाग

मुख्य अभियन्ता, एन.एच.ए.आई.

मुख्य अभियंता, (श्रम मामले) सा. निर्माण विभाग, जयपुर

मुख्य अभियन्ता जन. स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर

मुख्य अभियन्ता ई.गा.न. परि., बीकानेर

मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल

सार्वजनिक/निजी उपक्रम का प्रतिनिधि (श्री वी.एन.एल. राव)

श्री समुन्द्र सिंह, शांति नगर, हसनपुरा, जयपुर

ठेकेदारों के प्रतिनिधि (श्री के.के. गुप्ता, डूंगरपुर)

श्री श्यामलाल माथुर, सचिव (इन्टक)

श्री डी.के. छगाणी, महासचिव (एटक)

श्री गुरुचरण सिंह गिल, प्रदेशाध्यक्ष, बी.एम.एस.

श्री रविन्द्र शुक्ला, महासचिव, सीटू

श्री बी.एम. ओझा, संयुक्त महामंत्री, एच.एम.एस.

श्री इब्राहीम खान, अध्यक्ष, आर. सीटू

सुश्री हेमलता, क्षेत्रीय प्रतिनिधि,

नेशनल कैम्पेन कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जयपुर

संयुक्त श्रम आयुक्त (आईआर), मुख्यालय, जयपुर

जिला जैसलमेर में सीमेंट उद्योग लगाये जाने हेतु रियायतें

450. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में 85% गुणवत्ता का जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है?

(2) क्या जिला जैसलमेर तथा बाड़मेर में लिग्नाइट एवं लाइम स्टोन के विशाल भण्डार हैं?

(3) क्या यह सही है कि लाइम स्टोन खदानों के पास 105 मेगावाट का रामगढ़ विद्युत उत्पादन केन्द्र है?

(4) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर में भूमि व पानी की कमी नहीं है?

(5) क्या सरकार जी.एफ. एण्ड ए.आर. में संशोधन कर स्थानीय सीमेंट उत्पादकों को दस वर्ष तक कर मुक्त रखने अथवा विपणन हेतु परिवहन व्यय में अनुदान दे तो जैसलमेर में सीमेंट इकाई स्थापित हो सकती है?

(6) क्या जैसलमेर में सीमेंट उद्योग लगाने हेतु कई सीमेंट उद्योग कम्पनियों ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं?

(7) क्या सरकार निजी उद्यमियों को उपयुक्त रियायतें देकर जैसलमेर में सीमेन्ट उद्योग स्थापित करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर में 85% गुणवत्ता का जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(2) जिला जैसलमेर में लाइम स्टोन के विशाल भण्डार है जबकि जिला बाड़मेर में लिग्नाइट के विशाल भण्डार है।

(3) जी हां। रामगढ़ में 111.00 मेगावाट विद्युत उत्पादन के संयंत्र स्थापित है। रामगढ़ में 35.5 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत इकाई उत्पादनरत है। दूसरी इकाई 37.5 मेगावाट की तैयार है किन्तु गैस के अभाव में उत्पादनरत नहीं है। तीसरी 38 मेगावाट की स्टीम आधारित तैयार इकाई पर उत्पादन नहीं हो रहा है।

(4) जिला जैसलमेर में राजस्व पड़त भूमि बहुतायत में उपलब्ध है। भूमिगत पानी की कमी है, लेकिन नहरी क्षेत्र में नहर का पानी उपलब्ध है।

(5) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) जी नहीं।

(7) राज्य में उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन प्रोत्साहन योजना को लागू करना प्रस्तावित है।

खिलाड़ी कल्याण कोष से लाभान्वित खिलाड़ी

451. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना की हुई है? यदि हां, तो उक्त कोष में कितनी राशि का प्रावधान है? वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक किस-किस खिलाड़ी को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है?

(3) क्या राज्य कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उन्हें अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इस कोष में रुपये 10,68,502.37 (दस लाख अड़सठ हजार पांच सौ दो रुपये सैंतीस पैसे) अवशेष है। वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक विभिन्न खिलाड़ियों को दी गई राशि की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1998 से फरवरी 2003 तक खिलाड़ी कल्याण कोष में से खिलाड़ियों को दी गई राशि का विवरण

वर्ष 1998	
(1) श्रीमती उच्छव कंवर	25,000/–रुपये
(2) श्री विनोद कुमार शर्मा	25,000/–रुपये
वर्ष 2002	
(3) श्री गणेश लाल सैनी	4,850/–रुपये
(4) श्री एस.एन. व्यास	3,000/–रुपये
(5) श्री विनोद कुमार शर्मा	10,000/–रुपये
(6) श्री जसवन्त सिंह	25,000/–रुपये
(7) श्री एन.के. मिश्रा	10,000/–रुपये
(8) श्री ओमवीर सिंह	10,000/–रुपये
(9) श्री प्रवीण टांक	25,000/–रुपये
कुल योग	**1,37,850/–रुपये**

अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम से लाभान्वित व्यक्ति

452. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम कार्यरत है? यदि हां, तो उसका संगठनात्मक ढांचा एवं कुल बजट क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम द्वारा दस्तकार एवं बेरोजगार अल्पसंख्यकों को रोजगार हेतु सस्ती ब्याज दर व आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो किन–किन कार्यों हेतु किन शर्तों पर?

(3) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक उक्त आयोग का आय–व्यय कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त निगम में केन्द्र व राज्य सरकारों का अनुदान है? यदि हां, तो कितना–कितना?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के राज्यादेश दिनांक 19.4.2000 द्वारा उक्त निगम का गठन किया जाकर 29 मई, 2000 को सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करवाया गया। निगम का संगठनात्मक ढांचा एवं बजट निम्नानुसार है :

संगठनात्मक ढांचा

(राज्य स्तर पर)	जिला स्तर पर
अध्यक्ष, (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) प्रबन्ध निदेशक (निदेशक, समाज कल्याण विभाग के पास अतिरिक्त कार्यभार) राज्य सरकार द्वारा प्रबन्धक, लेखाकार, व. लि., क. लि., एवं च.श्रे.क. एक–एक कुल 5 पद सृजित	राज्य सरकार के संशोधित निर्णयानुसार जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक, राज. अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के कार्यालयों द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण वितरण व वसूली कार्य किया जाता है।

बजट

निगम के संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता वर्ष 2002–2003 में रुपये 10.00 लाख का बजट है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। राष्ट्रीय निगम द्वारा छोटे व्यापार, हस्तकला एवं हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, कृषि परिवहन खण्डों में स्वीकृत परियोजनाओं में आयजनित आर्थिक गतिविधियों हेतु निम्न शर्तों पर:

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के केन्द्र सरकार द्वारा अधिशोषित मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी व बौद्ध धर्म में से होना चाहिए।
3. प्रार्थी पर किसी भी बैंक, सहकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
4. प्रार्थी की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दोहरी गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में 54,500/–एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 39,500/–से कम होनी चाहिए।
5. जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है उसके लिए प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त होना चाहिए।
6. ऋण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रार्थी को रु. 50,000/– तक के ऋण के लिए एक एवं 50,000/– से अधिक ऋण के लिए दो सरकारी शासकीय निगम, बैंक के अधिकारी/कर्मचारी की या इसके अन्य विकल्प में ऋण राशि के डेढ़ गुणा राशि की अचल सम्पत्ति निगम के पक्ष में धरोहर की जमानत की व्यवस्था करनी होगी।

(3) निगम के गठन 19.4.2002 से जन. 2003 तक निगम द्वारा ऋण वितरण एवं संस्थापन/प्रशासनिक व्यय का आय–व्यय निम्नानुसार है :–

(अ) अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ऋण वितरण हेतु राष्ट्रीय निगम से 30.3.2002 को 25.00 लाख का ऋण आहरित कर जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 70 व्यक्तियों को 22.98 लाख के ऋण से लाभान्वित कराने हेतु राशि दी गई।

(ब) निगम के संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु राज्य सरकार से प्राप्त वर्षवार सहायता एवं व्यय :

वर्ष	प्राप्त सहायता	व्यय
2000–01	1.00 लाख	—
2001–02	6.00 लाख	3.15 लाख
2002–03 (जन.03 लाख)	3.00 लाख	5.32 लाख
योग	**10.00 लाख**	**8.47 लाख**

(4) निगम की अधिकृत अंशपूजी 5.00 करोड़ निर्धारित की हुई है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से अंशपूंजी के रूप में निगम को अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। निगम की योजनाओं में केन्द्र व राज्य सरकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं है।

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्मित सड़क की गुणवत्ता की जांच

453. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कलेण्डर वर्ष 2001 व 2002 में जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने एक जांच समिति का गठन किया था? यदि हां, तो जांच समिति का गठन किस तारीख को किया गया तथा कब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और जांच में क्या पाया गया? जांच रिपोर्ट व कमेटी द्वारा काम में लिये गये वाहन की लॉग बुक की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच समिति का गठन करने की क्या आवश्यकता हुई तथा आगे इसमें क्या कार्यवाही हुई और समिति में कौन–कौन सदस्य थे?

उत्तर

(1) जी हां। जांच समिति का गठन दिनांक 11.4.2001 को किया गया। समिति ने जांच रिपोर्ट दिनांक 11.4.2001 को प्रस्तुत की एवं समिति द्वारा रिजल्ट मोर्थ स्पेसिफिकेशन के अनुसार सही पाये गये। जांच रिपोर्ट एवं वाहन की लॉग बुक की प्रति संलग्न है।

(2) सम्बन्धित फिल्ड स्टाफ द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग–द्वितीय, जयपुर को ए.सी.बी. द्वारा लिये गये सैम्पल मोर्थ गाइड लाइन के अनुसार नहीं लिये गये के सम्बन्ध में निवेदन करने पर उनके द्वारा समिति का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट ए.सी.बी. के पास विचाराधीन है। समिति में निम्नलिखित सदस्य थे।

1. श्री डी.पी. शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, रा. रा. मार्ग, खण्ड, दौसा।
2. श्री डी.एस. मीणा, सहायक अभियन्ता, रा. रा. मार्ग, उपखण्ड, सिकन्दरा।
3. श्री पी.के. जैन, कनिष्ठ अभियन्ता, रा.रा. मार्ग, उप खण्ड, दौसा

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण हेतु मुख्त्यारनामा विलेख की अवधि

454. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र में अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण में मुख्त्यारनामा विलेख करने पर 3 वर्ष की अवधि निश्चित की है? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या उक्त परिपत्र में उप पंजीयकों को जहां अचल सम्पत्ति स्थित है के क्षेत्राधिकार में ही करने के लिए बाध्य किया गया है? क्या उक्त सम्पूर्ण परिपत्र को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया? यदि हां, तो उक्त परिपत्र कब निरस्त किया गया है। क्या उक्त में माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किसी भी दस्तावेज पर 3 वर्ष की अवधि निश्चित नहीं की गयी है, किन्तु राज्य सरकार ने पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22ए के तहत अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)वित्त/कर-अनु./99-189 दिनांक 26.3.1999 के द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार दिये जाने के लिये 3 वर्ष से अधिक या अनिरस्तनीय, या जिसमें अवधि निर्धारित नहीं हो निष्पादित पावर आफ अटार्नी को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया है जिसकी अनुपालना के लिये विभाग के परिपत्र संख्या 4 दिनांक 1.10.1999 के द्वारा दिशा निर्देश दिये गये। (अधिसूचना व परिपत्र की प्रतियां संलग्न है)

(2) जी नहीं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 4 दिनांक 1.10.1999 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 22ए के तहत अधिसूचना जारी करके लोक नीति के विरुद्ध घोषित दस्तावेजों के पंजीयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये है। राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांकः एफ.2(16) वित्त/कर-अनु./99-186 दिनांक 26.3.1999 के द्वारा पंजीयन अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार देने वाली पावर आफ अटार्नी को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया था। बाद में अधिसूचना दिनांक 22.1.1999 जारी करके भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति-पत्नी, पौत्र, पौत्री के पक्ष में निष्पादित पावर आफ अटार्टी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रधान पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

455. **श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति नैनवां जिला बूंदी के वर्तमान प्रधान कौन हैं?

(2) उक्त व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब से कितने-कितने खसरा नम्बर की कितनी कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? क्या सरकार उक्त

(श्री प्रभुलाल)

अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त के अतिरिक्त इनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी सरकारी भूमि व अन्य सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी भटावती तहसील नैनवां ने भी उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 17.7.2001 को तहसीलदार को रिपोर्ट के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी दी थी? यदि हां, तो अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया तथा अब अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवां के वर्तमान प्रधान श्री जगन्नाथ गुर्जर है।

(2) श्री जगन्नाथ गुर्जर प्रधान पंचायत समिति नैनवां का गांव सूसा में सरकारी/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा सवंत् 2058 में रिपोर्ट की गई थी। उप खण्ड अधिकारी, नैनवां ने दिनांक 2.10.2002 के आदेश द्वारा श्री जगन्नाथ का कब्जा नहीं मानते हुए कार्यवाही ड्राप (DROP) कर दी। अतिरिक्त कलक्टर, बूंदी से समस्त प्रकरण की पुनः जांच करवाये जाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। प्रधान पंचायत समिति नैनवां के परिवार के सदस्यों द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार चरागाह/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

सम्वत्	क्र. सं.	अतिक्रमी	सम्बन्ध	ख.न.	किस्म	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
2057	1.	महावीर/जगन्नाथ गुजर नि. सूसा	पुत्र	3	चरागाह	2.12
				4	चरागाह	2.12
				25मि	बंजड़	13.00
				594	गै.मु.बांध	35.00
	2.	कन्हैया लाल/महावीर पिता जगन्नाथ गुजर, नि. सूसा	पुत्र	576	बंजड़	4.10

1	2	3	4	5	6	7
	3.	कन्हैया लाल/जगन्नाथ गुजर, नि. सूसा	पुत्र	594	बंजड़	00.02
2058	4.	महावीर/जगन्नाथ गुजर नि. सूसा	पुत्र	2 25 594	गै.मु. बांध मि. बंजड़ बंजड़	12.00 13.00 1.10
2059	5.	महावीर/जगन्नाथ गुजर, नि. सूसा	पुत्र	25	मि. बंजड़	7.00
	6.	महावीर/कन्हैया लाल पिता जगन्नाथ गुजर, नि. सूसा	पुत्र	576	मि. बंजड़	5.00
	7.	महावीर	पुत्रवधु	25	मि. बंजड़	6.00
	8.	श्रीमती सन्तोष पत्नि महावीर, नि. सूसा	पुत्रवधु	26	मि. बंजड़	5.00
	9.	कन्हैया लाल/ पिता जगन्नाथ गुजर, नि. सूसा	पुत्र	24 25 26	मि. बंजड़ मि. बंजड़ मि. बंजड़	7.00 7.00 7.10

खसरा परिवर्तनशील की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जा रही है तत्पश्चात् नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

(4) हल्का पटवारी द्वारा श्री जगन्नाथ गुजर प्रधान पंचायत समिति नैनवां के अतिक्रमण के सम्बन्ध में 17.7.2001 को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की बल्कि दिनांक 18.7.2001 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

(पंचायती राज मंत्री)

सम्वत्	अतिक्रमी	ख.न.	किस्म	रकबा
2058	श्री जगन्नाथ	3	चरागाह	2.12
	पुत्र मांगीलाल	4	चरागाह	2.12
		5	बंजड़	6.16
		576 मि.	बंजड़	4.00
		594	बंजड़	2.00
		25 मि.	बंजड़	13.00
		26	बंजड़	11.00
		158	बंजड़	4.00
		159	बंजड़	5.10
		439	बंजड़	3.00
			योग	54.10 बीघा

श्री जगन्नाथ गुजर प्रधान पंचायत समिति, नैनवां का सरकारी/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा संवत् 2058 में रिपोर्ट की गई थी। उप खण्ड अधिकारी, नैनवां ने दिनांक 2.10.2002 के आदेश द्वारा श्री जगन्नाथ का कब्जा नहीं मानते हुए कार्यवाही ड्राप (DROP) कर दी। अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी से समस्त प्रकरण की पुनः जांच करवाये जाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सांसद/विधायक कोष से प्राप्त राशि से सम्पादित कार्य

456. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सांसद तथा विधायक कोष की राशि को राहत कार्यों में डवटेल करके पक्के उपयोगी कार्य कराये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है?

(2) क्या उक्त में योजना में सांसद/विधायक कोष से 25 प्रतिशत श्रम राशि व शत प्रतिशत सामग्री राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है

(श्री रमजान खान)

तथा अकाल राहत के तहत केवल 75 प्रतिशत श्रम राशि का ही भुगतान करने का प्रावधान किया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त योजना को और प्रभावी बनाने के लिये शत प्रतिशत श्रम राशि अकाल राहत मद से तथा शत प्रतिशत सामग्री राशि सांसद/विधायक कोष से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से डवटेल करने पर सम्पूर्ण श्रमिक व्यय राहत मद से वहन किया जाता है।

(3) इस सम्बन्ध में पूर्व में ही प्रावधान किया हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के विद्यालयों में रिक्त पद

457. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के किन-किन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किन-किन विषयों के व्याख्याता और अध्यापक नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में विषय व्याख्याताओं एवं अध्यापकों के विद्यालय एवं विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। पदोन्नति के सभी संवर्ग के पदों की डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से भरे जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	नाम विद्यालय	विषय	रिक्त पद		
			व्या.	व.अ.	अध्यापक
1.	रा.उ.मा.वि., जैतारण	हिन्दी	01	—	—
		अंग्रेजी	01	01	—
2.	रा.उ.मा.वि., नीमाज	हिन्दी	01	—	—
		अंग्रेजी	01	—	—
		राज. विज्ञान	01	—	—
3.	रा.उ.मा.वि., कालू	गणित	01	—	—
		वाणिज्य	02	—	—
		इतिहास	01	—	—
		राज. विज्ञान	01	—	—
		अर्थशास्त्र	01	—	—
		सामान्य	—	—	01
4.	रा. एच.एस.एस., जैतारण	वाणिज्य	01	—	—
		इतिहास	01	—	—
		राज. विज्ञान	01	—	—
		संस्कृत	01	—	—
		राजस्थानी	01	—	—
		सामान्य	—	—	01
5.	रा.बा.उ.मा.वि., नीमाज	अर्थशास्त्र	01	—	
6.	रा.उ.मा.वि., रास	उर्दू	—	01	—
7.	रा.मा.वि., असरालई	विज्ञान	—	01	—
		सामान्य	—	01	01
8.	रा.मा.वि., बलारा	विज्ञान	—	01	—
9.	रा.मा.वि., दिगराना	सामान्य	—	01	—
10.	रा.मा.वि., फालका	अंग्रेजी	—	01	—
11.	रा.मा.वि., गरनिया	विज्ञान	—	01	—
12.	रा.मा.वि., लम्बिया	विज्ञान	—	01	—
13.	रा.मा.वि., निम्बोल	सामान्य	—	—	01
14.	रा.मा.वि., रामावासकलां	सामान्य	—	—	01
		योग	17	09	05

जिला अलवर में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में विलम्ब

458. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पांच हजार की आबादी वाले गांवों में बिजली 24 घंटे देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों में बिजली मिल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने किसानों को कृषि कार्य के लिये आठ घंटे एवं बच्चों को पढ़ने के समय 6 से 10 बजे तक सिंगल फेस बिजली देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या बिजली दे रहे हैं?

(3) जिला अलवर में सरकार ने ट्रांसफार्मर जलने के कितने समय बाद उन जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले और उक्त कारण किसानों की फसल का नुकसान हुआ? क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने अथवा जितने समय बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं बदला उसका बिल माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1991 की जनगणनानुसार 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को लगातार बिजली देने के आदेश जारी किये थे और ऐसे गांवों को आवश्यक विद्युत तंत्र बिछाकर घरेलू कार्य के लिये लगातार (6 घंटे कटौती एवं रात्रि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सिंगल फेज) बिजली दी जा रही है। जिन गांवों में तंत्र नहीं है उनमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तंत्र बिछाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

(2) किसानों को कृषि कार्य हेतु 6 घंटे तथा घरेलू कार्यों हेतु सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी कार्यक्रम के अनुरूप कृषि कार्यों हेतु ब्लाक में 6 घंटे तथा घरेलू प्रकाश हेतु सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) पिछले 6 माह में अलवर जिले में गत वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में ट्रांसफार्मर जलने एवं रिपेयर फर्मों की उनकी क्षमता से अधिक ट्रांसफार्मर रिपेयर करने में होने वाली देरी के कारण पूर्व में 15 से 20 दिन में ट्रांसफार्मर बदले गये हैं परन्तु वर्तमान में रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर की उपलब्धता बढ़ने से अब सूचना मिलने व सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया जमा कराने के बाद 3 दिन में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं।

(4) विभाग की जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। वर्तमान में किसानों से मात्र वास्तविक

(ऊर्जा मंत्री)

उपयोग का ही चार्ज लिया जा रहा है, अतः बिल माफ करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।

नोहर साहवा लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में चकबन्दी कार्य

459. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार नोहर साहवा लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या साहवा लिफ्ट कैनाल में 53 किलोमीटर तक बरमसर, रामका, हमीरदेसर, चान्देजी, नीमला, ढ़ाणी लेहान, बिसरासर वितरिका की नहरों का पानी चालू हो गया है?

(3) चकबन्दी व खातों का निर्माण कार्य नहीं होने से किसानों को पानी का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा?

(4) क्या सरकार चकबन्दी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर-

(1) नोहर साहवा लिफ्ट कैनाल का कार्य अभी निर्माणाधीन है, अतः चकबन्दी का कार्य उक्त कार्य पूरा होने के बाद वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर कराया जावेगा।

(2) साहवा लिफ्ट नहर की बरमसर, रामका, हमीरदेसर, चान्देड़ी माइनर के सिंचित क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिसरासर वितरिका में अभी पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं ढाणी लेहान के नाम से कोई नहर इस लिफ्ट योजना पर उपलब्ध नहीं है।

(3) चकबन्दी व खालों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने तक जी टी शीट्स के आधार पर कराई गई प्रारम्भिक चकबन्दी एवं कच्चे खालों में आंशिक पानी का वितरण किया जावेगा।

(4) लिफ्ट कैनाल का कार्य पूरा होने के बाद वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

पंचायत समिति क्षेत्र अटरू व मनोहरथाना में कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों का पदस्थापन

460. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू व मनोहरथाना में कुल कितने हैण्ड पम्प है?

(2) अगस्त, 2002 से जनवरी, 2003 तक उक्त क्षेत्रों के हैण्ड पम्पों को ठीक करने हेतु कितना-कितना कौन कौनसा सामान पंचायत समितिवार उपलब्ध करवाया गया? उक्त अवधि में कितने-कितने सामानों की जरूरत किस

(श्री जगन्नाथ)

किस माह में थी? क्या उपलब्ध कराया गया सामान पर्याप्त था?

(3) पंचायत समिति क्षेत्र अटरू व मनोहरथाना में कुल कितने हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं तथा वे कौन–कौनसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में इन वर्षों में कार्यरत रहे? क्या प्रत्येक ग्राम पंचायतवार हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं? यदि नहीं, तो मिस्त्रियों की कमी के बावजूद भी किस–किस मिस्त्री को पंचायत समिति कार्यालय में लगाया गया है?

(4) उक्त मिस्त्री जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक कुल कितने समय पंचायत समिति कार्यालयों में रहे? क्या मिस्त्रियों को ही लगाना अनिवार्य था? उक्त के लिये कौन–कौन दोषी है तथा क्या अधिकारियों को सरकार पाबन्द करेगी कि उन्हें तुरन्त हटाकर मूल कार्य पर लगावे तथा आगे मिस्त्री से मिस्त्री का ही कार्य लिया जावे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में कुल 1776 व विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कुल 1605 हैण्ड पम्प स्थापित है।

(2) अगस्त, 2002 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र अटरू एवं मनोहरथाना के अन्तर्गत हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये सामान की सूची संलग्न प्रपत्र–'क' (पंचायत समिति, बारां व अटरू), प्रपत्र 'ख' (पंचायत समिति, सांगोद), प्रपत्र 'ग' (पंचायत समिति, मनोहरथाना) व प्रपत्र 'घ' (पंचायत समिति, बकानी) के अनुसार है तथा उपलब्ध करवाया गया सामान आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में था।

(3) पंचायत समिति अटरू में कुल 13 हैण्ड पम्प मिस्त्री एवं पंचायत समिति मनोहरथाना में 17 हैण्ड पम्प मिस्त्री कार्यरत है। उनके कार्य क्षेत्र का पंचायतवार विवरण प्रपत्र–'ड' (पंचायत समिति, अटरू) व प्रपत्र–'च' (पंचायत समिति, मनोहरथाना) के अनुसार है।

(4) हैण्ड पम्प मिस्त्री विकास अधिकारी के अधीन कार्यरत है तथा उनका कार्य क्षेत्र भी विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अलग से जिला कलक्टर, झालावाड़ एवं बारां को लिखा जा रहा है कि हैण्ड पम्प मिस्त्रियों से हैण्ड पम्प मरम्मत का ही कार्य प्राथमिकता से करवाया जावे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 2003)

चित्रकला अध्यापकों की नियम विरुद्ध नियुक्ति

75. श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बीकानेर ने दिनांक 30.7.1987 को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जयपुर प्रथम द्वारा चित्रकला अध्यापकों की नियम

(श्री प्रभूलाल)

विरुद्ध नियुक्ति की जांच सचिवालय स्तर पर कराने हेतु पत्र लिखा? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 6.2.1988 से जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जयपुर प्रथम से विस्तृत टिप्पणी चाही? यदि हां, तो क्या टिप्पणी भेजी गई? चित्रकला अध्यापकों की, की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में विज्ञापन से नियुक्ति तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बीकानेर का पत्र दिनांक 30.7.1987 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता हैं। प्रेषिति एवं पत्र क्रमांक उपलब्ध कराने पर ही उक्त पत्र की पुन: तलाश करवायी जाकर की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का पत्र दिनांक 6.2.1988 जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जयपुर-प्रथम को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। पत्र क्रमांक उपलब्ध कराने पर ही उक्त पत्र की पुन: तलाश करवायी जाकर की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जाना सम्भव हो सकेगा। चित्रकला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी, बल्कि सामान्य/अल्पभाषा/शारीरिक अध्यापकों की विज्ञप्ति पर चित्रकला अध्यापकों के आवेदन पत्र भी प्राप्त होने पर तत्कालीन निदेशक महोदय की अनुमति से चार चित्रकला अध्यापकों को नियुक्तियां प्रदान की गयी। विज्ञप्ति, अनुज्ञा एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य में नवीन उद्योग स्थापना हेतु अनुदान स्वीकृति

461. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में नये उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को सब्सिडी देने का विचार रखती है?

(2) क्या पूर्व में उद्योगों के लिए सब्सिडी एवं अन्य सुविधा थी? यदि हां, तो क्या उसे बाद में बन्द कर दिया? क्या सरकार पुन: सब्सिडी देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान में नये उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों को राजस्थान राज्य ब्याज अनुदान योजना 1998 एवं डी.जी.सैट अनुदान योजना-1990 के अन्तर्गत सब्सिडी दी जा रही है, जो दिनांक 31.3.2003 तक प्रभाव में रहेगी।

(2) जी हां। राज्य में उद्योगों के लिए सब्सिडी एवं सुविधा हेतु राज्य

(उद्योग मंत्री)

पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रोत्साहन योजना पूर्व में लागू थी। राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना की अवधि दिनांक 31.3.1998 तथा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना की अवधि 31.3.2002 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में डी.जी. सैट अनुदान योजना एवं राजस्थान राज्य ब्याज अनुदान योजना 1998 लागू है, जिसकी अवधि 31.3.2003 तक प्रभाव में रहेगी। पुनः सब्सिडी देने सम्बन्धी प्रकरण अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

लालसोट (दौसा) में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा अकृषि कार्य हेतु स्वीकृत ऋण

462. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रधान कार्यालय दी जयपुर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा शाखा लालसोट के अधीन शिविर आयोजित कर अकृषि ऋण वितरण किया है? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार को कितना-कितना ऋण किस-किस प्रयोजनार्थ दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार का शिविर तहसील लालसोट में ही आयोजित किया गया? क्या अन्य बैंक के अधीन शाखाओं द्वारा दूसरी तहसील जिला दौसा एवं जयपुर में वह शिविर नहीं लगाये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट में किसानों को ऋण पूर्व में ही वितरित कर दिया और स्वीकृति बाद में जारी की गई? यदि हां, तो कौन-कौन से काश्तकारों को एवं क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिविरों में सहकारी बैंकों द्वारा 1.18 लाख का अनुमानित ऋण वितरण किये जाने से बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई जिससे किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं मिल सका? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार ठहराये गये?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20.7.2002 को शाखा, लालसोट में शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा मध्यकालीन अकृषि ऋण वितरण किया गया था, जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। लालसोट के अलावा दिनांक 1.2.2003 को जयपुर एवं दौसा जिले की शाखाओं के लिए जयपुर में शिविर आयोजित किया जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 2003)

नेशनल हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन से गाज पट्टी की अनियमित खरीद

227. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में नेशनल हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा चिकित्सा विभाग को गाज पट्टी सप्लाई की गई थी? यदि हां, तो कितनी मात्रा में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारपारेशन के पास गाज पट्टी बिक्री का थोक बिक्री लाइसेंस नहीं है? यदि हां, तो उसमें क्यों खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उसमें की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निगम द्वारा गाज पट्टी की खरीद किये बिना ही सप्लाई कर दी गई थी? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग को नेशनल हैण्डलूम डवलपमेंट कारपारेशन ने वर्ष 1998-99 से 2000-01 में 25214 गाजथान एवं 83174 दर्जन पट्टी सप्लाई की। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कारपारेशन के पास राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं इसके तहत सृजित नियमावली 1945 के तहत थोक बिक्री हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। बुनकर संघ द्वारा आपूर्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप कुछ क्रय अधिकारियों द्वारा चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु गाज पट्टी खरीदी गई है।

(3) ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, सवाईमाधोपुर एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) बांसवाड़ा द्वारा क्रय किया गया माल मानक के अनुरूप पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा जांच कराए माल में से कुछ माल 500 दर्जन बेंडेज एवं 300 थान गाज अवमानक पाया गया। जिसके वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट ''अ''

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि में नेशनल हैण्डलूम डवलपमैंट कारपोरेशन द्वारा चिकित्सा विभाग को सप्लाई की गई गाज एवं पट्टी की मात्रा का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	गाज थान (संख्या)				पट्टी (बेंडेज) दर्जन (संख्या)			
		1998-99	1999-2000	2000-01	योग	1998-99	1999-2000	2000-01	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) डूंगरपुर	1200	1000		2200	3400	3500		6900
2.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नाथद्वारा						550		550
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	300			300	2500			2500
4.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बांसवाड़ा	1000	1500	1500	4000	11000	7300	4000	22300
5.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), पाली	2614	3200		6014	9924	6200		18124
6.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर			100	100			300	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा		1000		1000		4000		4000
8.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बारां		200		200		4000		4000
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़	2000			2000		500		500
10.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), करौली		1500		1500		2000		2000
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली	700	500		1200	800	500		1300
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा		300	500	800		1800	1000	2600
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं			1000	1000			9000	9000
14.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झुंझुनूं	600	4300		4900	2000	7100		9100
	कुल	8614	13500	3100	25214	29624	39250	14300	33174

प्रश्न संख्या-463
(स्थगित)

जिला परिषद्, जयपुर की स्थायी समिति का चुनाव

464. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की 31 जिला परिषदों की स्थाई समितियों के चुनाव करवा लिये गये हैं? यदि हां, तो स्थाई समितियों के चुनाव किस नियम/उप नियम के तहत करवाये जाते है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् जयपुर की स्थाई समिति के चुनाव दो बार स्थगित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग के उपविधि परामर्शी ने जिला परिषद् जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिया था कि पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज स्थाई समिति गठन नियम में चुनाव के बारे में स्पष्ट प्रावधान किये जा चुके हैं और इन नियमों के आधार पर ही चुनाव करवाये जावें? यदि हां, तो उन–विधि परामर्शी ने अपने ही आदेशों को क्या बदला? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। स्थाई समितियों के चुनाव राजस्थान पंचायती राज (स्थाई समिति गठन) नियम, 2000 के तहत करवाये गये। (नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है)

(2) जी हां। प्रथम बार निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 27.11.2002 के द्वारा मतदान के निरस्त किया गया था। तत्पश्चात् राजस्थान पंचायती राज (स्थाई समिति गठन) नियम, 2000 में संशोधन प्रस्तावित होने के कारण आदेश दिनांक 21.12.2002 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अनुरूप चुनाव करवाये जाने का निर्णय लिया।

(3) जी हां। दिनांक 19.10.2002 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जयपुर को पत्र भेज कर नियमों के अनुरूप चुनाव करवाने बाबत लिखा गया था। परन्तु दिनांक 2.12.2002 को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज (स्थाई समिति गठन) नियम 2000 के प्रारूप II नियम 3 (ख)II स्थाई समितियों के सदस्यों/अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम में प्रारूप II में संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि संशोधित प्रस्तावित प्रारूप II के अन्तर्गत समितियों के चुनाव कराये जा सके।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अकाल राहत कार्यों से लाभान्वित व्यक्ति

465. श्री रोहिताश्व कुमार () एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की कितनी संख्या है व कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को अकाल राहत कार्य अन्तर्गत माह अगस्त से दिसम्बर, 2002 तक कितनों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के अलावा गरीब परिवारों की कोई सूची भी बनाई है? यदि हां, तो जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। अब तक कितने लोगों को अकाल राहत कार्य अन्तर्गत रोजगार दिया गया?

उत्तर

(1) राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की जिलेवार संख्या सूची के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1) इनमें से कितने बी.पी.एल. श्रेणी के व्यक्तियों को माह अगस्त, 2002 से दिसम्बर, 2002 तक अकाल राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह सूचना संकलित करने में काफी समय व श्रम की आवश्यकता होगी। अत: यह सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राहत कार्यों पर श्रमिकों को 10 दिन के रोटेशन से लगाया जाता है तथा इनमें से 60 प्रतिशत श्रमिक बी.पी.एल. अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब तक सभी बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावना बनती है।

(2) जी हां। बी.पी.एल. परिवारों के अलावा गरीब परिवारों की जिलेवार संख्या सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1) बिन्दु संख्या 1 में दिये गये उत्तर के अनुसार ही इनमें से अब तक रोजगार उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। बी.पी.एल. परिवारों की तरह ही राहत कार्यों पर 40 प्रतिशत तक अन्य गरीब परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट–I

बी.पी.एल. एवं गरीब परिवारों की संख्याओं की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	अन्य गरीब परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	62931	160000
2.	अलवर	82911	41836
3.	बांसवाड़ा	171475	
4.	बारां	45684	65510
5.	बाड़मेर	82827	208351
6.	भरतपुर	53271	14933
7.	भीलवाड़ा	105285	81592
8.	बीकानेर	63345	95715
9.	बूंदी	42586	23587
10.	चित्तौड़गढ़	133651	43883
11.	चूरू	56587	76859
12.	दौसा	38440	48722
13.	धौलपुर	36053	7793
14.	डूंगरपुर	130459	64945
15.	श्रीगंगानगर	45955	12145
16.	हनुमानगढ़	38149	33574
17.	जयपुर	62593	89668
18.	जैसलमेर	18857	23943
19.	जालौर	66687	33000

1	2	3	4
20.	झालावाड़	59205	73544
21.	झुंझुनूं	25282	26752
22.	जोधपुर	35695	112475
23.	करौली	67797	70807
24.	कोटा	38618	
25.	नागौर	56142	85433
26.	पाली	62977	152068
27.	राजसमन्द	59751	73439
28.	सवाईमाधोपुर	52282	61820
29.	सीकर	35329	76000
30.	सिरोही	38551	
31.	टोंक	55242	83554
32.	उदयपुर	2223883	32438

प्रमुख चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन व एम.आर.आई. मशीनों की उपलब्धता

466. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के प्रमुख चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. की कितनी–कितनी मशीनें उपलब्ध हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रमुख चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. की मशीनें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के निम्न मेडिकल कालेजों के संलग्न चिकित्सालयों में केवल एक-एक सी.टी. स्केन मशीन उपलब्ध है :

1. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
2. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर
3. मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर
4. पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर
5. एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा
6. महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर

उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमुख चिकित्सालय में सी.टी. स्क्रेन मशीन नहीं है।

एम.आर.आई. की मशीन किसी भी मेडिकल कालेज के संलग्न चिकित्सालय एवं राज्य के अन्य प्रमुख चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

विधान सभा भीनमाल के ग्रामों का विद्युतीकरण

467. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम बिजलिया व छाजाला को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों को मौके पर विद्युतीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त गांवों को मौके पर विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(डा. समरजीत सिंह)

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम बिजलिया व छजाला को दिनांक 18.7.1981 को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। जिला जालौर के विद्युतीकृत ग्रामों को संलग्न सूची में क्रम संख्या 503 व 504 पर दर्शाया गया है।

(2) जी हां। उक्त गांवों में पूर्व में मांग न होने से विद्युत तंत्र स्थापित नहीं किया गया था परन्तु अब 11 के.वी. लाइनें खींचकर विद्युतीकृत किया जा रहा है।

(3) जी हां। ग्राम बिजलिया में 11 के.वी. लाइन का कार्य प्रगति पर है और माह फरवरी, 2003 तक 4.5 किलोमीटर लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम छाजाला में जलदाय विभाग के लिये 3.5 किलोमीटर 11 के.वी. लाइन का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य पूर्ण होने पर इन ग्रामों में विद्युत तंत्र स्थापित हो जायेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 80 ग्राम हैं तथा सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। उक्त में से 78 ग्रामों में विद्युत तंत्र स्थापित है केवल दो ग्रामों, बिजलिया एवं छाजाला विद्युतीकृत घोषित होते हुये भी इन ग्रामों में विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है। अब इन गांवों में विद्युत तंत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट–"अ"

RAJASTHAN STATE ELCTRICITY BORAD

LIST OF ELECTIFIED VILLAGES AS PER 1991 CENSUS

DISTT. JALORE ON 31.3.1994

S.No.	Code No. AS PER 91	Name of Village	AREA	RESID. HOUSE	HOUSE HOLD	POPULA. TOTAL	CODE 1981	ELETRIFIED DATE DD/MM /YY	ELET. STATUS Y/N -NV	NAME OF SCHEME
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	180000000000000000	JALORE	0.00	0	0	0				
2.	180000001000100000	JALORE	0.00	0	0	0				
3.	180010001000100000	JALOR (PART)	0.00	0	0	0				
4.	180010001000100071	RANIWARA	1025.11	221	222	1400	170101065	26.02.1986	Y	REC
5.	180010001000100072	NARPARA	628.09	178	178	1018	170101074	31.10.1984	Y	REC
6.	180010001000100073	MADGAON	685.96	199	199	1254	170101067	31.10.1984	Y	REC
7.	180010001000100074	BAKRA ROAD	465.00	152	152	1035	170101067	31.10.1984	Y	REC
8.	180010001000100081	JALOR "B" (RURAL)	11105.00	588	588	3614	170101074	16.01.1960	Y	RE
9.	180010001000100082	SARDAGARH	742.00	207	207	1178	170101075	31.12.1986	Y	REC
10.	180010001000100083	SANWATIPURA	611.00	268	268	1531	170101076	22.03.1979	Y	RE
11.	180010001000100084	CHAK SANWATIPURA	78.92	0	0	0	170101077	22.03.1979	Y	RE
12.	180010001000100085	MAHESHPURA	517.00	142	142	745	170101078	31.01.1986	Y	REC
13.	180010001000100086	LETA	1719.00	412	412	2296	170101079	07.04.1964	Y	RE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	18001 0001 0001 00087	DHAWALA	2522.00	246	246	1382	1701 01 080	30.04.1981	Y	REC
15.	18001 0001 0001 00088	MEDA UPARLA	4294.66	181	181	1074	1701 01 081	31.12.1982	Y	REC
16.	18001 0001 0001 00089	NARNAWAS	3925.00	260	260	1470	1701 01 082	30.04.1981	Y	REC
17.	18001 0001 0001 00090	MADALPURA	654.00	122	122	750	1701 01 083	30.04.1981	Y	REC
18.	18001 0001 0001 00091	BHAGLI SINDHLAN	2194.00	258	258	1495	1701 01 084	16.03.1979	Y	RE
19.	18001 0001 0001 00092	DHANPUR	1594.00	299	299	1722	1701 01 085	16.03.1979	Y	RE
20.	18001 0001 0001 00092	MAUK	1061.00	198	198	1086	1701 01 088	18.09.1981	Y	REC
21.	18001 0001 0001 00094	REWAT	2197.00	334	339	1932	1701 01 087	30.09.1984	Y	REC
22.	18001 0001 0001 00096	DAKATRA	1734.00	349	349	2084	1701 01 089	31.10.1984	Y	REC
23.	18001 0001 0001 00097	CHOORA	1665.00	372	372	2226	1701 01 090	31.10.1984	Y	REC
24.	18001 0001 0001 00098	SARAT	485.00	327	328	1906	1701 01 091	06.02.1967	Y	REC
25.	18001 0001 0001 00099	NOON	2356.00	492	492	3056	1701 01 092	15.01.1967	Y	REC
26.	18001 0001 0001 001 00	SANTHOD	3196.04	1294	1294	7032	1701 01 093	31.02.1967	Y	RE
27.	18001 0001 0001 001 01	BAGRA	2953.04	1312	1319	7183	1701 01 094	31.02.1982	Y	RE
28.	18001 0001 0001 001 02	DOODSI	1395.40	469	469	2818	1701 01 095	31.03.1982	Y	RE
29.	18001 0001 0001 001 03	NAGNI	1015.80	133	133	698	1701 01 096	31.10.1982	Y	REC
30.	18001 0001 0001 001 04	DEVDA	649.52	42	42	251	1701 01 097	31.10.1982	Y	REC
31.	18001 0001 0001 001 05	DIGAON	620.00	264	265	1426	1701 01 098	31.03.1969	Y	RE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	18001 0001 0001 00106		1989.10	95	95	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
33.	18001 0001 0001 00107	CHAK SANWATIPURA	2094.10	170	170	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
34.	18001 0001 0001 00108	NABI	974.92	242	242	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
35.	18001 0001 0001 00109	BHETALA	1265.09	46	46	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
36.	18001 0001 0001 00110	MAYLAWAS	2338.35	37	37	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
37.	18001 0001 0001 00111	MEDA NICHLA	3973.04	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
38.	18001 0001 0001 00112	BARLAWAS(TAKHATPURA)	706.00	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
39.	18001 0001 0001 00113	CHANDWNA	2760.05	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
40.	18001 0001 0001 00114	SIYANA	1349.00	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
41.	18001 0001 0001 00115	ADWARA	1809.00	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
42.	18001 0001 0001 00116	AKOLA	35.41	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
43.	18001 0001 0001 00117	DELDARI	871.00	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
44.	18001 0001 0001 00118	BEEBALSAR	2254.22	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
45.	18001 0001 0001 00119	CHAK BEEBALSAR	739.54	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
46.	18001 0001 0001 00120	DEWARA	1724.42	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
47.	18001 0001 0001 00121	RAIPURIYA	933.64	268	268	1400	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
48.	18001 0001 0001 00122	KANDAR	0.00	0	0	0	1701 01 065	26.02.1986	Y	REC
49.	18001 0001 0001 00000	ARORE (PART)	0.00	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	180020001000100045	PANWA	661.00	169	169	1128	170202043	31.08.1986	Y	DA
51.	180020001000100046	ODWARA	1779.55	345	345	1821	170202044	30.09.1986	Y	REC
52.	180020001000100047	DEBAWAS	3513.00	453	454	2805	170202045	31.03.1986	Y-NV	SU
484.	180030005000500167	NAINOL	1390.14	217	222	1442	170303148	31.12.1982	Y	SU
485.	180030005000500168	TETROL DEORAN	69.81	4	5	61	170303149	22.02.1988	Y	REC
486.	180030005000500169	KHAPROL KI DHANI	335.91	50	50	423	170303150	31.03.1985	Y-NV	SU
487.	180030005000500170	PANCHLA	1843.00	383	386	2532	170303150	31.03.1985	Y	SU
488.	180030005000500171	KURA	1190.00	186	191	1230	170303151	26.02.1986	Y	REC
489.	180030005000500172	PALRI DEORAN	593.00	126	126	722	170303152	30.12.1984	Y	REC
490.	180030005000500173	SANKAR	3610.74	570	578	4160	170303153	31.03.1982	Y	REC
491.	180030005000500174	VASAN DEORAN	667.75	91	91	687	170303154	31.12.1984	Y	REC
492.	180030005000500175	BALI KHERA	421.89	65	65	441	170303155	25.02.1985	Y	SU
493.	180030005000500176	VANDEO	324.00	39	40	365	170303156	29.02.1985	Y	SU
494.	180030005000500177	DUGAWA	1655.00	310	312	2377	170303157	31.03.1985	Y	SU
495.	180030005000500178	SURAWA	1518.47	265	265	1812	170303158	31.03.1985	Y	SU
496.	180030005000500179	DADHOORA	234.16	40	40	267	170303169	22.02.1985	Y	REC
497.	180030005000500180	TEETOP	1420.67	253	257	1770	170303160	25.02.1985	Y	SU
498.	180030005000500181	LACHHIWAR	1011.21	208	208	1288	170303161	29.02.1985	Y	SU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499.	180030005000500182	LACHHIWAR KA GOLIYA	1111.00	164	168	1214	170303182	29.02.1985	Y-NV	SU
500.	180000006000600000	BHINMAL	0.00	0	0	0				
501.	180040006000600000	BHINMAL (PART)	0.00	0	0	0				
502.	180040006000600001	RANGALA	2180.93	327	333	1997	170404001	18.07.1981	Y	REC
503.	180040006000600002	BIJALIYA	1335.10	175	175	1040	170404002	18.07.1981	Y	REC
504.	180040006000600003	CHHAJALA	1013.00	128	130	929	170404003	18.07.1981	Y	REC
505.	180040006000600004	SOBRAWAS	1678.69	268	268	1380	170404004	18.07.1981	Y	REC
506.	180040006000600005	KHOKHA	1804.95	342	342	2322	170404005	18.07.1981	Y-NV	REC
507.	180040006000600006	KORI DHAVECHA	1645.51	262	262	1738	170404005	18.07.1981	Y	REC
508.	180040006000600007	JAISAWAS	2061.54	234	234	1472	170404006	18.07.1981	Y	REC
509.	180040006000600008	KURA DHAVECHA	1147.31	154	154	1101	170404007	12.11.1979	Y	REC
510.	180040006000600009	BAGORA	3425.00	705	707	4004	170404008	31.03.1979	Y	REC
511.	180040006000600010	BICHHAWARI	309.00	40	41	215	170404010	30.03.1979	Y	REC
512.	180040006000600011	BAGOTI	771.96	85	85	594	170404010	30.03.1979	Y-NV	REC
513.	180040006000600012	NANDIYA	4249.00	364	364	2454	170404009	30.03.1979	Y	REC
514.	180040006000600013	NAWAPURA	1407.34	139	140	1029	170404011	30.03.1979	Y	REC
515.	180040006000600014	BATERA	805.36	123	126	1017	170404012	30.03.1979	Y	REC
516.	180040006000600015	DEODA KA GOLIYA	2425.00	157	158	1151	170404017	31.03.1980	Y-NV	REC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517.	180040006000600016	RAUTA	2300.00	53	53	2118	170404013	31.03.1979	Y	REC
518.	180040006000600017	NAYA CHAINPURA	875.00	425	425	1199	170404015	31.03.1979	Y-NV	REC
519.	180040006000600018	GOOJARWARA	258.00	366	366	197	170404014	31.03.1979	Y	REC
520.	180040006000600019	CHAINPURA	1049.00	92	94	875	170404015	31.03.1979	Y	REC
521.	180040006000600020	LAKHNI	1494.00	545	545	1639	170404016	28.02.1981	Y	REC
522.	180040006000600021	PATA KI DHANI	520.00	130	130	435	170404016	28.02.1981	Y-NV	REC
523.	180040006000600022	NAYA MORSEEN	2174.00	439	439	2712	170404017	31.03.1980	Y-NV	REC
524.	180040006000600023	MORSEEM	2874.38	136	136	2063	170404017	31.03.1980	Y	REC
525.	180040006000600024	KHARWA	531.37	264	264	598	170404017	19.01.1981	Y-NV	REC
526.	180040006000600025	BALI	3244.89	883	886	3417	170404018	19.01.1981	Y	REC
527.	180040006000600026	NAI BALI	938.90	130	130	856	170404018	31.07.1978	Y-NV	REC
528.	180040006000600027	BHALNI	2182.00	439	439	2751	170404019	31.07.1978	Y	REC
529.	180040006000600028	HAPU KI DHANI	602.99	136	136	870	170404019	19.06.1978	Y-NV	REC
530.	180040006000600029	GADNRI	1383.00	264	264	1790	170404020	28.02.1978	Y	REC
531.	180040006000600030	DHUMBARIYA	3956.96	883	886	5399	170404021	31.03.1977	Y	REC
532.	180040006000600031	DAMAN	2252.00	310	310	1844	170101022	30.03.1977	Y	REC
533.	180040006000600032	KALETI	1699.00	249	249	1561	170101023	28.02.1977	Y	REC
534.	180040006000600033	LOONAWAS	1049.15	202	202	1417	170101024	29.12.1976	Y	REC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535.	180040006000600034	RAH	2062.00	394	395	2684	1701 01 025	30.09.1977	Y	REC
536.	180040006000600035	NARSANA	2937.11	566	566	3503	1701 01 026	30.09.1977	Y	REC
537.	180040006000600036	DOONGARWA	1466.00	333	336	2186	1701 01 027	17.09.1978	Y	REC
538.	180040006000600037	MEDA BRAHMHAN	955.00	205	210	1320	1701 01 028	30.12.1978	Y	REC
539.	180040006000600038	KHARE PURIYA	87.01	8	8	52	1701 01 029	06.03.1979	Y	REC
540.	180040006000600038	KOOKA	1328.00	282	282	1692	1701 01 030	30.12.1978	Y	REC
541.	180040006000600039	VADA NAYA	1890.00	402	409	2743	1701 01 035	30.01.1977	Y-NV	REC
542.	180040006000600040	THOBAU	1864.46	312	312	2093	1701 01 031	28.10.1977	Y	REC
543.	180040006000600042	JOGAU	497.79	111	111	816	1701 01 032	28.09.1977	Y	REC
544.	180040006000600043	SARIYANA	880.00	161	161	1034	1701 01 033	30.10.1977	Y	REC
545.	180040006000600044	VANU KI DHANI	331.89	78	78	532	1701 01 034	26.02.1973	Y-NV	RE

जिला अलवर व चूरू की अपूर्ण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

468. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2003 तक केन्द्र सरकार से विभिन्न जलदाय योजना व मिशन के अन्तर्गत कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई और कितनी राशि सरकार द्वारा व्यय की गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला अलवर व चूरू में कितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना/ग्रामीण जल प्रदाय योजना कितनी राशि की स्वीकृत हुई तथा कितनी योजनाएं पूर्ण हुई एवं कितनी अपूर्ण हैं?

उत्तर

(1) वर्षवार सूचना जनवरी, 2003 तक परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। माह फरवरी, 2003 के आंकड़े लेखों से संकलन प्रक्रिया में है।

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2003 तक स्वीकृत तथा पूर्ण योजनाओं (क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना/ग्रामीण जलप्रदाय योजना) का जिला अलवर व चूरू के संदर्भ में विवरण निम्नप्रकार है :

जिला चूरू

विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या = 383

अनुमानित लागत = रुपये 43802.02 लाख

पूर्ण योजनाएं = 217

जिला अलवर

(अ) जिला अलवर सैक्टर रिफार्म प्रोजक्ट में चयनित है एवं योजनाएं इस प्रोजक्ट में जिला वाटर व सेनीटेशन मिशन द्वारा स्वीकृत की जाती है। अलवर जिले में इस प्रोजक्ट के संदर्भ में स्थिति निम्नप्रकार है :

- वित्तीय स्वीकृति हुई योजनाएं = 368
- अनुमानित लागत (वित्तीय स्वीकृति) = रुपये 1561.09 लाख
- योजनाएं जिन पर कार्य प्रारम्भ = 315
- उपरोक्त कार्य प्रारम्भ योजनाओं में से पूर्ण योजनाएं = 92

(ब) विभाग द्वारा सामान्य कार्यक्रम में स्वीकृत योजनाएं = 150

- अनुमानित लागत = रुपये 525.26 लाख
- उपरोक्त में से पूर्ण योजनाएं = 137

(स) अन्य विशिष्ट कार्यक्रम में स्वीकृत योजनाओं की स्थिति निम्नप्रकार है :

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

कार्य का प्रकार	स्वीकृत कार्यों की संख्या	लागत (लाख रुपये)	पूर्ण कार्यों की संख्या
कंटींजेंसी (हैण्ड पम्प)	107	53.50	67
कंटींजेंसी (नलकूप)	20	88.41	7
राजीव गांधी पाठशाला (हैण्ड पम्प)	401	200.50	257
प्राथमिक व अन्य पाठशाला	248	124.00	189
अन्य हैण्ड पम्प कार्य	1250	625.00	1214
पाइप लाइन कार्य	3	4.86	03
योग	**2029**	**1096.27**	**1737**

परिशिष्ट–अ

(लाख रुपये में)

वर्ष	ओपनिंग बैलेंस	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	क्लोजिंग बैलेंस
1	2	3	4	5	6
ए.आर.पी. सामान्य					
1998–1999	186.40	11941.63	12128.03	9985.24	2142.79
1999–2000	2142.79	12002.50	14145.29	8651.98	5493.31
2000–2001	5493.31	16361.00	21854.31	13958.47	7895.84
2001–2002	7895.84	14919.08	22814.92	16599.57	6215.35
2002–2003 (जनवरी, 2003 तक)	6215.35	17625.30	23840.65	13746.18	10094.47
ए.आर.पी. मरुस्थल					
1998–1999	1031.63	4564.84	5596.47	4131.23	1465.24
1999–2000	1465.24	3651.87	5117.11	2443.41	2673.70
2000–2001	2673.70	4151.00	6824.70	5261.53	1563.17

1	2	3	4	5	6
2001-2002	1563.17	5794.65	7357.82	5206.63	2151.19
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	2151.19	4770.66	6921.85	6379.57	542.28
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना					
2000-2001	00.0	2158.00	2158.00	1297.17	860.83
2001-2002	860.83	1620.00	2480.83	2373.26	107.57
2002-2003 (दिसम्बर, 2002 तक)	107.57	2320.00	2427.57	1014.62	1412.95
त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना					
1998-99	144.76	324.81	469.57	168.26	301.31
1999-2000	301.31	0.00	301.31	17.87	283.44
2000-2001	283.44	306.74	590.18	161.43	428.75
2001-2002	428.75	539.73	968.48	371.33	597.15
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	597.15	467.35	1064.50	368.00	696.50
चूरू बिसाऊ योजना					
1998-1999	250.00	0.00	250.00	0.50	249.50
1999-2000	249.50	0.00	249.50	216.76	32.74
2000-2001	32.74	2000.00	2032.74	33.24	1999.50
2001-2002	1999.50	0.00	1999.50	151.41	1848.09
2002-2003 (जनवरी, 2003 तक)	1848.09	0.00	1848.09	2187.44	339.35
राइजेप					
1998-99	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
1999-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
2000–2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001–2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002–2003 (जनवरी, 2003 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य-राइजेप, सेलेरी कम्प्यूटराइजेशन मय टेपिंग, डीफ्लोरीडेशन संयंत्र आदि					
1998–1999	751.98	345.43	1097.41	255.48	841.93
1999–2000	841.93	26.25	868.18	550.79	317.39
2000–2001	317.39	1292.52	1609.91	1260.05	349.86
2001–2002	349.86	55.64	405.50	102.42	303.08
2002–2003 (जनवरी, 2003 तक)	303.08	42.70	345.78	67.91	277.87

प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत राशि प्राप्ति के प्रयत्न

469. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसे अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से पुकारते हैं, के निर्माण एवं विकास की राज्य में क्या प्रगति है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त सड़क योजना का जिस रफ्तार से और जिस योग्यता से क्रियान्वयन किया है उस दृष्टि से राज्य सरकार प्रथम आती है?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार को इस वर्ष भी राशि देने में विलम्ब कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को बार–बार अनुरोध करने के उपरान्त भी केन्द्र सरकार उदासीनता की नीति अपना रही है? यदि हां, तो उक्त योजना की सम्बन्धित राशि को प्राप्त करने के लिये सरकार और क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अपूर्ण कार्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूरा कराया जा रहा है। इन कार्यों की प्रगति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट–अ

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) प्रगति की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत कार्य			स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति		
		स्वीकृत कार्यों की संख्या	कार्य जो दूसरी योजना में स्वीकृत हैं	शेष कार्यों की संख्या	राशि लाखों में	पूर्ण कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जो प्रगति पर है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	16	3	13	163.48	13	0
2.	अलवर	15	—	15	58.23	12	3
3.	बांसवाड़ा	4	—	4	72.66	4	—
4.	बारां	2	—	2	2.50	2	—
5.	बाड़मेर	5	—	5	111.67	5	—
6.	भरतपुर	5	—	5	164.11	4	1
7.	भीलवाड़ा	2	—	2	5.00	2	—
8.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—
9.	बूंदी	5	—	5	79.03	3	2
10.	चित्तौड़गढ़	4	—	4	12.58	4	—
11.	चूरू	11	—	11	89.01	11	—
12.	दौसा	1	—	1	10.92	1	—
13.	धौलपुर	3	—	3	88.00	2	1
14.	डूंगरपुर	5	—	5	52.41	5	—
15.	गंगानगर	3	—	3	36.57	3	—
16.	हनुमानगढ़	4	—	4	71.26	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	जयपुर	8	—	8	38.62	8	—
18.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—
19.	जालौर	12	—	12	86.56	11	1
20.	झालावाड़	8	—	8	43.56	6	2
21.	झुंझुनूं	7	—	7	51.25	7	0
22.	जोधपुर	9	—	9	424.06	9	0
23.	करौली	6	1	5	120.30	3	—
24.	कोटा	4	—	4	31.79	4	—
25.	नागौर	20	—	20	583.95	20	—
26.	पाली	1	—	1	111.00	0	1
27.	राजसमन्द	9	—	9	104.87	9	—
28.	सवाईमाधोपुर	4	—	4	84.00	4	—
29.	सीकर	4	—	4	83.69	4	—
30.	सिरोही	3	—	3	96.13	3	—
31.	टौंक	3	—	3	21.33	3	—
32.	उदयपुर	5	—	5	85.64	4	1
योग		**188**	**4**	**184**	**2984.14**	**170**	**14**

प्रश्न संख्या-470

(स्थगित)

पंचायत समिति कुचामन सिटी को वित्त आयोग से प्राप्त राशि का व्यय

471. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्यारहवें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायत समिति, कुचामन सिटी को प्राप्त होने के कितने समय बाद पंचायतों को दी गई? उक्त राशि विलम्ब से देने का क्या कारण रहा?

(2) राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कुचामन द्वारा ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किये गये थे कि उन्हें आबंटित उक्त अनुदान की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि पंचायत अपने निजी स्रोत से अथवा जन सहयोग से इकट्ठा कर पंचायत समिति में जमा करवाये अथवा अपने बैंक खातों में जमा करवाकर उसकी सूचना पंचायत समिति को दे?

(4) उक्त सूचना के बाद कितनी पंचायतों ने इस प्रकार की राशि जुटा कर किस-किस तिथि को जमा करवाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्याहरवें वित्त आयोग एवं अन्य वित्त आयोग की राशि पंचायत समिति कुचामन सिटी को राशि प्राप्त होने के 2 माह पश्चात् ग्राम पंचायतों को वितरित की गई। ग्राम पंचायतों से कार्यों के प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राशि वितरण में विलम्ब हुआ है।

(2) जी हां। पंचायत राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4422 दिनांक 11.6.2002 के द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किए हुए है। संलग्न (परिशिष्ट 'अ')

(3) जी हां। पंचायत समिति कुचामन ने ग्यारहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश, जिसमें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों को निजी आय/जन सहयोग से अंशदान की राशि जुटाना अनिवार्य है, के अनुसरण में 25 प्रतिशत अंशदान जमा कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए थे।

(4) पंचायत समिति कुचामन की 53 ग्राम पंचायतों ने विभिन्न तिथियों में तुल्य अंशदान की राशि जमा करायी है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब'

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला पुलिस थाना कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या–20/2003

472. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) महिला पुलिस थाना कोटा नगर में मुकदमा संख्या–20/2003 कब और क्यों दर्ज हुआ? उक्त मुकदमे में कौन–कौन आरोपी हैं?

(2) क्या उक्त मुकदमें में अन्वेषण कार्यवाही पूर्ण कर ली गई? यदि हां, तो किस–किस अधिकारी द्वारा कब?

(3) क्या उक्त मुकदमें में फरियादी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने बाबत पुलिस उप महानिरीक्षक कोटा व पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में किस–किस को क्या–क्या निर्देश दिए?

(4) क्या उक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें का मुख्य आरोपी होमगार्ड की नौकरी करता है? यदि हां, तो अब तक उसे गिरफ्तार नहीं करने के कारण क्या हैं?

उत्तर

(1) अपराध संख्या 20/2003 महिला पुलिस थाना कोटा नगर में दिनांक 14.01.2003 को समय 12.30 पी.एम. पर परिवाद द्वारा श्रीमती संत कंवर पुत्री श्री जगदीश सिंह पत्नी श्री मानसिंह निवासी–कोटा पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं दहेज में दिये सामान को हड़पने के सम्बन्ध में दर्ज कराया गया है। उक्त मुकदमें में मानसिंह (पति), प्रेमसिंह (जेठ), चान्द कंवर (जेठानी) एवं धीरज सिंह पर आरोप लगाये गये हैं।

(2) जी नहीं। मुकदमें का अनुसंधान श्रीमती चन्द्र ज्योति शर्मा उप निरीक्षक, थानाधिकारी महिला थाना कोटा द्वारा किया जा रहा है।

(3) फरियादी द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्रीमती संत कंवर के पिता श्री जगदीश सिंह के द्वारा प्रकरण में वांछित मुलजिमान को गिरफ्तार करने हेतु 30.1.2003 को प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को पेश किया था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाधिकारी महिला थाना कोटा को भेजा गया था। उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा को इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा नहीं दिया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। वर्तमान में आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं। साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में चिकित्सकों के रिक्त पद

473. श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, जो कितने–कितने एवं कब–कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पदस्थापित स्त्री रोग विशेषज्ञ किसी अन्य स्थान पर अपनी सेवायें दे रहे हैं? यदि हां, तो कब से एवं क्यों और कौन–कौन व्यक्ति अपनी सेवाएं अन्य स्थान पर दे रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में हड्डी रोग, नेत्र रोग एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञों का पदस्थापन कब तक करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा निम्बाहेड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पदों का मय रिक्ती अवधि सहित विवरण निम्नांकित प्रकार है:–

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	10/02
निम्बाहेड़ा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	11/02
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	12/02
छोटी सादड़ी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	9/02
	चिकित्सा अधिकारी	1	10/02

(2) जी नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के चिकित्सा संस्थानों में हड्डी रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा में नेत्र रोग विशेषज्ञ का एक पद रिक्त है जिसे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

अजमेर डिस्काम में कृषकों को जारी कनेक्शन में विलम्ब

474. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर

(श्री मोहन लाल चौहान)

डिस्काम में जिन 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों पर 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. हैं उनमें कृषकों को विशेष योजना एवं फार्म हाउस योजना में कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सामान्य श्रेणी में 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. पर कनेक्शन जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त में भेदभाव क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. पर नये उपभोक्ताओं के साथ ही पुराने उपभोक्ताओं को भी वोल्टेज की समस्या होती है तथा विद्युत प्रदाय नियमों के विपरीत है।

(2) जी हां। चूंकि सामान्य श्रेणी के आवेदनों की ''कट आफ डेट'' की वरीयता आने से 10–12 साल का समय लग जाता है तथा वरीयता आने के बाद भी वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे इसलिये ऐसे आवेदकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002–2003 तक कट आफ डेट में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को (पूर्व में अस्थाई पैंडिंग रखे आवेदकों सहित) 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर. की लाइनों पर मांग पत्र जारी करने की सुविधा, मात्र एक बार के लिये अकाल की परिस्थितियों के कारण प्रदान की गई है। अन्य श्रेणियों में भी इसी प्रकार सुविधा देना नीतिगत मामला है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बूंदी) की निर्माणाधीन पेयजल योजनाएं

475. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डैली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बूंदी) में कितनी पेयजल टंकियां/पाइप लाइन योजनाएं निर्माणाधीन या बन्द हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बन्द/पुरानी योजनाओं एवं निर्माणाधीन प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्तमान में कोई टंकी/पाइप लाइन की योजना निर्माणाधीन नहीं है।

वर्तमान में पाइप्ड जल योजना बड़ोदिया (आबादी 3115 जनसंख्या 1991) पर दो नलकूपों में से एक सूख जाने तथा एक में पानी की आवक कम होने के कारण मूल योजना बंद है। कम आवक के नलकूप से एक सार्वजनिक नल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 6 हैण्ड पम्प चालू है।

ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जनता जल योजना दबलाना (आबादी 2952 जनगणना 1991) के दोनों नलकूप सूख चुके है। वर्तमान में 11 हैण्ड पम्प चालू है।

(2) बड़ोदिया पर 2 नए हैण्ड पम्प स्वीकृत हो गए है जो 15 अप्रैल, 2003 तक चालू किए जाने लक्षित है। भूजल वैज्ञानिक से स्रोत बाबत अन्वेषण करवाया जा रहा है। यदि उनके द्वारा नए नलकूप बाबत सिफारिश दी जाती है तो अप्रैल, 2003 में दोनों गांवों में दो–दो नलकूप बनवाना लक्षित है।

पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में प्रधानमंत्री सड़क योजना से वंचित ग्राम

476. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम के कौन कौन से ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ दिया गया है एवं कौन–कौन से ग्रामों को अब कब तक और जोड़ दिया जावेगा?

(2) उक्त पंचायत समितियों के शेष बचे ग्रामों के लिए कितनी–कितनी राशि मंजूर है और उन्हें कहां से जोड़ा जावेगा?

उत्तर

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़े गये गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर तथा ज़ोड़े जाने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त पंचायत समितियों के शेष बचे ग्रामों के लिये कोई राशि मंजूर नहीं है। वर्तमान में इन्हे जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–अ

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़े जाने वाले ग्राम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़े जा चुके ग्राम
1.	तिजारा	कारण्डा	कारण्डा
2.	तिजारा	टिहिली	टिहली
3.	कोटकासिम	जटियाना	जटियाना

परिशिष्ट–ब

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़े जाने वाले ग्राम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामों को जोड़े जाने की सम्भावित अवधि
1.	तिजारा	मांजरी गुजर	मार्च, 2003
2.	—"—	शाहडौद	मार्च, 2003
3.	—"—	इन्दौर	सितम्बर, 2003
4.	—"—	मलियारजट	मार्च, 2003
5.	कोटकासिम	करवड़	मार्च, 2003
6.	तिजारा	गैलपुर से जखोपुर	वित्तीय वर्ष 2004–2005
7.	—"—	भौंकर जोड़िया रोड किमी. 4 से बिनौलिया	—"—
8.	—"—	जैरोली रोड कि.मी. 2 से बैंगनहेडी	—"—
9.	—"—	तिजारा भिवाडी रोड किमी. 198 से रामबास झोपड़ी	—"—
10.	—"—	तिजारा भिवाड़ी रोड किमी. 198 से सलारपुर	—"—
11.	—"—	टपूकड़ा से बूरेहेड़ा	—"—
12.	—"—	तिजारा भिवाड़ी रोड से मीठियाबास	—"—
13.	—"—	तिजारा भिवाड़ी रोड किमी. 196 से बालियाबास	—"—
14.	—"—	तिजारा भिवाड़ी रोड किमी. 219 से थडा	—"—
15.	कोटकासिम	खैरथल पैहेल रोड से खरौला	—"—
16.	—"—	उजोली आकोली	—"—
17.	—"—	तिगांवा स्कूल से खैराल	—"—

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण

477. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998 से 2002 तक जनजाति बाहुल्य जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर की तहसील धरियावाद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, झाड़ौल, फलासिया, कोटड़ा, गोगुन्दा एवं गिर्वा में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कितने प्रकरण दर्ज किए गए? तहसीलवाद संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में जनजातीय आरोपियों की संख्या कितनी है?

(3) क्या सरकार जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिये आबकारी नीति में आदिवासियों को शराब बनाने की छूट देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(2) दर्ज प्रकरणों में जनजातीय आरोपियों की संख्या 1649 है।

(3) राज्य की आबकारी नीति में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1998 से 2002 तक जनजाति बाहुल्य जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर की तहसील धरियावाद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, झाड़ौल, फलासिया, कोटड़ा, गोगुन्दा एवं गिर्वा में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2774 प्रकरण दर्ज किए गए है। दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1.	बांसवाड़ा जिला	504
2.	डूंगरपुर जिला	446
3.	उदयपुर जिले की तहसील	
	1. धरियावाद	153
	2. सलूम्बर	130
	3. सराड़ा	93
	4. खैरवाड़ा	197
	5. झाडौल	53
	6. फलासिया (झाडौल तहसील)	60
	7. कोटड़ा	9
	8. गोगुन्दा	114
	9. गिर्वा	1015

सरपंच ग्राम पंचायत अयाना (कोटा) के विरुद्ध फर्जी मस्टररोल की जांच

478. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत अयाना, जिला कोटा के द्वारा माटोली ग्राम में तलाई खुदाई के कार्य में फर्जी व्यक्ति के नाम से मस्टररोल भरने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच में सरपंच को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या जांच लम्बे समय से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जांच रिपोर्ट पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत, अयाना जिला कोटा द्वारा माटोली में तलाई खुदाई के कार्य में फर्जी व्यक्ति के नाम से मस्टररोल भरने की शिकायत दिनांक 10.12.2002 को प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। उप खण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा की गयी जांच में सरपंच दोषी पाये गये हैं। जांच लम्बे समय से लम्बित नहीं है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 व 39 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण जिला परिषद् कोटा द्वारा दिनांक 3.2.2003 को सम्भागीय आयुक्त को भेजा गया है तथा सम्भागीय आयुक्त द्वारा उनके पत्रांक 153 दिनांक 22.2.2003 द्वारा आरोप पत्र जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त सुनवाई दिनांक 6.3.2002 को कर प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 22(2) के अन्तर्गत विस्तृत जांच करवायी जा रही है। जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार निर्णय कर लिया जायेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति कठूमर (अलवर) में अकाल राहत कार्यों हेतु राशि का आबंटन

479. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अलवर की किस-किस पंचायत समिति को अकाल राहत हेतु

(श्री रमेश खींची)

श्रमिक संख्या व राशि कितनी–कितनी आबंटित की गई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर को अब तक राहत कार्य के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त जिले में अन्य पंचायत समितियों को किस–किस में कितने कितने कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राहत कार्यों में ग्रेवल सड़क सामग्री मद के कारण स्वीकृत करना बन्द कर दिया गया? क्या बन्द के बाद भी अन्य पंचायत समितियों में कार्य स्वीकृत कर चालू कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से कब तक कार्य स्वीकृत रहे?

(5) क्या अब ग्रेवल सड़क सामग्री मद से कार्य करने का परिपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त जिले में सामग्री मद से किन–किन पंचायत समितियों में राशि स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार पंचायत समिति कठूमर में भी ऐसा कोई कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या अब तक पंचायत समिति कठूमर में कार्य स्वीकृत नहीं करने में कोई अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(8) अब उक्त पंचायत समिति में उक्त कार्य कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला अलवर की पंचायत समितिवार स्वीकृत श्रमिक संख्या तथा आबंटन राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। तहसीलदार कठूमर को 9.41 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(3) जोहड़/एनीकट/तालाब के 443 कार्य, सड़क के 56 कार्य, प्रा.शा. भवन के 25 कार्य, चारदीवारी के 17 कार्य अन्य विभागीय 79 कार्य, इस प्रकार कुल 620 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पंचायत समितिवार स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–2)

(4) जी हां। कार्य बन्द करने के बाद सामग्री मद के कार्य अकाल राहत में स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(5) सहायता विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण

(सहायता मंत्री)

बाबत परिपत्र दिनांक 30.12.2002 को जारी किया गया, जिसमें ग्रेवल स्थानीय तौर पर उपलब्ध होने व सामग्री पर व्यय नहीं होने की स्थिति में कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं। परिपत्र जारी किये जाने के पश्चात् जिले की किसी पंचायत समिति में सामग्री मद से व्यय करते हुए अकाल राहत के अन्तर्गत कोई ग्रेवल सड़क स्वीकृत नहीं की गई है।

(6) इस सम्बन्ध में जिला सहायता समिति के स्तर पर निर्णय लिया जाता है जिसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है।

(7) जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायत समितियों को स्वीकृत किये गये कार्य पंचायत समिति क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत किये गये हैं जिसमें कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

(8) प्रश्न के भाग संख्या 6 में अंकित उत्तर के अनुरूप।

परिशिष्ट–1

पंचायत समितिवार स्वीकृत श्रमिक संख्या एवं आबंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	स्वीकृत श्रमिक संख्या	आबंटित राशि (लाखों में)
1.	उमैरण	1015	19.97
2.	रामगढ़	585	10.06
3.	राजगढ़	2105	43.00
4.	थानागाजी	2525	25.67
5.	कठूमर	1120	9.41
6.	लक्ष्मणगढ़	650	11.365
7.	तिजारा	485	9.95
8.	किशनगढ़	490	8.72
9.	कोटकासिम	475	6.46
10.	मुण्डावर	435	10.815
11.	बानसूर	685	5.35
12.	बहरोड़	420	14.30
13.	नीमराना	445	
14.	रैणी	1490 राजगढ़	43.00

परिशिष्ट-2

अलवर जिले में दिनांक 16.8.2002 से 19.3.2003 तक पंचायत समितिवार स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	जोहड़/ एनीकट/ तालाब	सड़क	प्रा.शा. भवन	चार दीवारी	अन्य (विभागीय)	योग
1.	बानसूर	27	1 सीसी	1	3	6	38
2.	कठूमर	35	14 ग्रेवल	0	0	3	52
3.	रैणी	44	9 ग्रेवल	0	0	6	59
4.	कोटकासिम	16	1 सीसी	1	8	1	27
5.	नीमराणा	15	0	4	3	1	23
6.	किशनगढ़	20	0	0	0	2	22
7.	तिजारा	14	2 ग्रेवल	0	0	1	17
8.	रामगढ़	16	0	4	2	4	26
9.	लक्ष्मणगढ़	22	1 सीसी	7	0	7	37
10.	राजगढ़	79	8 ग्रेवल	0	0	11	98
11.	मुण्डावर	14	0	6	0	2	22
12.	बहरोड़	10	3 सीसी	2	0	1	16
13.	उमरैण	25	3 ग्रेवल	0	1	16	45
14.	थानागाजी	106	14 ग्रेवल	0	0	18	138
	योग	443	56	25	17	79	620

जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर में संविदा अध्यापकों को नियुक्तियां

480. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में संविदा शिक्षकों की कुल कितनी संख्या है?

(2) उक्त जिले में अब तक कुल कितने संविदा अध्यापकों को नियुक्तियां दे दी गई हैं और कौन–कौनसी दिनांक अनुसार नियुक्ति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले के अलावा जिला डूंगरपुर, उदयपुर में भी संविदा अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां, तो कितनों को?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में संविदा अध्यापकों की संख्या 501 है।

(2) जिला बांसवाड़ा के 71 संविदा अध्यापकों को 27.12.2002 को नियुक्तियां दी गई हैं। सूची परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जिला डूंगरपुर में 161 तथा उदयपुर में 315 संविदा अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई है।

परिशिष्ट "क"

जिला बांसवाड़ा जिला परिषद् द्वारा संविदा अध्यापकों को दी गई नियुक्तियों का विवरण

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	पिता/पति का नाम
1	2	3
1.	नारायण सिंह	सवाई सिंह चौहान
2.	इन्दुबाला दोसी	कन्हैया लाल दोसी
3.	वीणा व्यास	कंचन लाल
4.	रोशन कुमारी	हीरालाल कोठारी
5.	देवगना भट्ट	शशीकांत पण्ड्या
6.	अख्तर मोहम्मद	सीकन्दर खान
7.	विनोद दोसी	मोतीलाल दोसी
8.	राजेन्द्र कुमार	किशन लाल मुगानिया
9.	दीपक जैन	छगन लाल
10.	लता जैन	नरेन्द्र जैन
11.	सुखलाल यादव	बदिया
12.	जसवन्त सिंह	गिरवर सिंह
13.	प्रभुलाल जोशी	भुरीशंकर जोशी
14.	कल्पना भट्ट	हेमन्त भट्ट
15.	हेमन्त कुमार	विश्वेर उपाध्याय
16.	हेमलता त्रिवेदी	ललित त्रिवेदी
17.	भाग्यवन्ती गुप्ता	नटवर शाह
18.	महेन्द्र कुमार जोशी	प्रभा शंकर
19.	दिनेश चन्द्र मेहता	देवशंकर मेहता
20.	मंजूला शुक्ला	विनोद शुक्ला

1	2	3
21.	पंकज व्यास	कमला शंकर
22.	सतीश त्रिवेदी	लक्ष्मणजी
23.	शंकर लाल	गौतम बुनकर
24.	चन्द्रकान्ता द्विवेदी	बसन्तलाल
25.	मोहन लाल दवे	लालशंकर
26.	लता भट्ट	जगदीश चन्द्र
27.	चन्द्रशेखर नागर	कृष्णकान्त पण्ड्या
28.	मंजुला द्विवेदी	लक्ष्मीनारायण
29.	कमलकान्त दवे	हरिशंकर दवे
30.	नरेश चन्द्र	उमाशंकर
31.	रमेश चन्द शुक्ला	किशनलाल
32.	देवीलाल रावत	गमनाजी
33.	रमेश चन्द पाटीदार	लालजी
34.	जगदीश चन्द्र	माणक लाल
35.	मुकुटबिहारी	मानशंकर जोशी
36.	पर्वतेंग पटेल	नुगरजी पटेल
37.	गफ्फार खां	शाजाद खां
38.	कोदर लाल पटेल	लालेंग पटेल
39.	हीरालाल पटेल	लालेंग पटेल
40.	कामिनी जोशी	धनेश्वर जोशी
41.	चेतना जैन	हीरालाल जैन
42.	नायजी पटेल	लालेंग पटेल
43.	भेमजी	खोमाजी पटेल
44.	प्रकाश चन्द जोशी	धनेश्वर जोशी
45.	मोहन लाल पाटीदार	कुबेर पाटीदार
46.	प्रकाश चन्द	मीठालाल मेहता

1	2	3
47.	देवीलाल पाठक	वजे शंकर
48.	शोभना जोशी	डायालाल जोशी
49.	मधुबाला जोशी	कोमल कांत जोशी
50.	सरला जोशी	रविन्द्र कुमार
51.	संजय जैन	चंदुलालजी
52.	नानालाल नीनामा	रामाजी
53.	निशा जोशी	चन्द्रप्रकाश जोशी
54.	प्रफुलबा लाल	भगवती प्रसाद
55.	धर्मेश जोशी	प्रभुलाल
56.	निर्मल जोशी	बाबुलाल जोशी
57.	रतन बेन	राजेन्द्र सिंह
58.	योगेन्द्र कुमार	भंवरलाल आमेटा
59.	जयन्ती लाल	रतनजी पंचाल
60.	मणिलाल	रतनजी पंचाल
61.	बैराम खा पठान	अजिज खां पठान
62.	पूनम चन्द	कोबर लाल पंचाल
63.	रंगजी	धीरजी डोडियार
64.	दलसिंह	मोती सिंह
65.	गंगाराम	बदजी पटेल
66.	सरोज जोशी	प्रभा शंकर त्रिवेदी
67.	अर्चना कुमारी	जसन्त लाल दोसी
68.	कल्पना जैन	औछालाल जैन
69.	संगीता जैन	छगनलाल
70.	कान्ति लाल	मूलचन्द
71.	रमा त्रिवेणी	नारायण लाल शुक्ला

तहसील राजगढ़ (चूरू) के अविद्युतीकृत गांव

481. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के कितने गांव अविद्युतीकृत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के कुल 208 गांवों में से 205 का विद्युतीकरण किया जा चुका है व निम्न तीन गांव अविद्युतीकृत हैं :

1. बीड़ राजगढ़ कोड संख्या 3/2/36

2. करौली कोड संख्या 3/2/62

3. भाटावास कोड संख्या 3/2/110

(2) जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार उक्त ग्राम गैर आबाद हैं, ग्राम आबाद होने व विद्युत उपभोग की सम्भावना होने पर नियमानुसार विद्युतीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्रामों में भूमिगत जलाशयों से पेयजल आपूर्ति

482. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के किन–किन गांवों में जी.एल.आर. बने हुए हैं और कितने गांव जी.एल.आर. से जुड़े हुए हैं तथा उक्त क्षेत्र के जो गांव जी.एल.आर. से नहीं जुड़े उनको क्या सरकार जी.एल.आर. से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्राम कोठार, भन्दर, बारवा (माताजी की ढाणी), पातावा में जी.एल.आर. बने काफी समय हो गया किन्तु अभी तक उनसे पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के 83 आबाद गांवों में से 8 पाइप्ड, 36 हैण्ड पम्प व 1 टीएसएस (पारम्परिक कोठे में जल भण्डारण) योजना से लाभान्वित है। जहां विभागीय जी.एल.आर. नहीं है। 37 गांवों में 44 विभागीय जी.एल.आर. बने हुए हैं एवं सभी पाइप लाइन से जुड़े हुए हैं। प्रान्त में प्रचलित मानदण्डों के अनुसार 1500 (वर्ष 1991) तक की आबादी के गांवों को साधारणतया: हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित किया जाता है। इस क्षेत्र में 5 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी (वर्ष 1991) 1500 से अधिक है। ग्राम कोयलबाव हेतु योजना 9/2002 में स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जी.एल.आर. का प्रावधान है। शेष 4 गांवों में आबादी बिखरी होने से ज़ी.एल.आर. बनना फिजीबल नहीं है। विरण परिशिष्ट-'अ' व 'ब' में संलग्न है।

(2) ग्राम कोठार व भन्दर जनता जलयोजना के अन्तर्गत लाभान्वित हैं। ग्राम कोठार व भन्दर में निर्मित जी.एल.आर. मूलतया पुरानी क्षेत्रीय योजना नाना-बिरमपुरा में निर्मित थे एवं प्रयोग किए गए। स्रोतों में पानी कम होने, स्थानीय स्रोत डवलप होने व समय के साथ मांग बढ़ने से यह योजना विभक्त हो गई। अब गांव के बाहर होने के कारण ग्राम पंचायत (संधारण एजेंसी) इसे काम में नहीं ले रही है। माताजी की ढाणी बारवा में जी.एल.आर. का निर्माण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

ग्राम पतावा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लुणावा-सेबाड़ी का गांव है इस गांव में जनता की मांग पर 5 पी.एस.पी. लगाने के कारण जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंचता है। यदि उक्त पी.एस.पी. हटा दी जावे तो पानी उक्त जी.एल.आर. में पानी पहुंच सकता है।

प्रपत्र–अ

बाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में निर्मित जी.एल.आर. का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	कोड़ सं.	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	बने हुए जी.एल.आर. की संख्या	योजना से जुड़े जीएलआर की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आमलियां	142	916	जे.जे.वाई	1	1
2.	अरडवा	148	373	हैण्ड पम्प	—	—
3.	बरावल	126	348	हैण्ड पम्प	—	—
4.	बारवा	100	2427	टीएसएस	1	1
5.	बीजापुर	118	5370	पाइप्ड	—	—
6.	बिरोलिया	75	827	टीएसएस	—	—
7.	बीसलपुर	96	4432	पाइप्ड	—	—
8.	बेड़ा	128	8074	पाइप्ड	—	—
9.	बेडल	157	869	टीएसएस	2	2
10.	भागली	97	459	हैण्ड पम्प	—	—
11.	भन्दर	132	4111	जे.जे.वाई	1	1
12.	भाटून्द	120	3798	जे.जे.वाई	1	1
13.	भीमाना	145	5317	हैण्ड पम्प	—	—
14.	भीटवाड़ा	65	1457	टीएसएस	1	1
15.	बिलिया	104	534	हैण्ड पम्प	—	—
16.	बोया	72	1996	जे.जे.वाई	1	1
17.	चामुण्डेरी	137	6101	पाइप्ड	—	—
18.	चामुण्डेरी मेड़तियान	59	339	हैण्डपम्प	—	—
19.	चिमनपुरा	135	685	विस्तार	1	1
20.	दानवरली	153	592	हैण्ड पम्प	—	—
21.	दातीवाड़ा	63	1307	टीएसएस	1	1

1	2	3	4	5	6	7
22.	धणी	38	1650	पाइप्ड	—	—
23.	डुगली	102	1314	टीएसएस	1	1
24.	बूदनी	124	1825	जे.जे.वाई	2	2
25.	फतापुरा	34	578	हैण्ड पम्प	—	—
26.	गोरिया	154	1656	हैण्ड पम्प	—	—
27.	गुडा देवी सिंह	115	128	हैण्ड पम्प	—	—
28.	गुडा गुमान सिंह	114	737	हैण्ड पम्प	—	—
29.	गुढ़ा कल्याण सिंह	107	478	हैण्ड पम्प	—	—
30.	गुडा लास	37	1086	जे.जे.वाई	1	1
31.	हीरोला	139	202	हैण्ड पम्प	—	—
32.	जादरी	56	603	टीएसएस	1	1
33.	जीवदा	121	680	जे.जे.वाई	1	1
34.	कागदड़ा	143	866	हैण्ड पम्प	—	—
35.	कागड़ी	60	369	हैण्ड पम्प	—	—
36.	काकराड़ी	147	697	हैण्ड पम्प	—	—
37.	करनवा	110	1254	हैण्ड पम्प	—	—
38.	कैरापुरा	62	511	हैण्ड पम्प	—	—
39.	खेतरली	151	1076	हैण्ड पम्प	—	—
40.	खिन्दावा	116	390	हैण्ड पम्प	—	—
41.	कोलवाड़ा	149	440	हैण्ड पम्प	—	—
42.	कुरण	150	1374	हैण्ड पम्प	—	—
43.	कोरवा	152	476	हैण्ड पम्प	—	—
44.	कोठार	133	1860	जे.जे.वाई	1	1
45.	कोटड़ा	98	160	हैण्ड पम्प	—	—
46.	कोट बालीयान	69	2422	टीएसएस	3	3
47.	कोयलबाव	146	3753	हैण्ड पम्प	—	—

1	2	3	4	5	6	7
48.	कुण्डाल	119	1529	पीएण्डटी	2	2
49.	लालपुरा	138	516	हैण्ड पम्प	1	1
50.	लालराई	101	1594	टीएसएस	1	1
51.	लाटाडा	106	2555	जे.जे.वाई	2	2
52.	लुनावा	109	3942	पाइप्ड	—	—
53.	लुन्दाड़ा	136	2147	हैण्ड पम्प	—	—
54.	मालारी	105	684	टीएसएस	2	2
55.	मालनू	140	1927	जे.जे.वाई	1	1
56.	मिरगेश्वर	111	420	हैण्ड पम्प	—	—
57.	मोरी	127	787	विस्तार	1	1
58.	मुण्डारा	68	6489	जे.जे.वाई	—	—
59.	नाना	141	8051	पाइप्ड	—	—
60.	पादरला	117	1093	जे.जे.वाई	1	1
61.	पांचलपाड़ा	164	838	जे.जे.वाई	1	1
62.	पातावा	99	720	विस्तार	1	1
63.	पीपला	113	2102	हैण्ड पम्प	—	—
64.	पैरवा	74	1429	टीएसएस	1	1
65.	कुमटिया	131	833	जे.जे.वाई	1	1
66.	फालना (ग्रामीण)	39	2298	टीएसएस	1	1
67.	पुनाडिया	70	643	हैण्ड पम्प	—	—
68.	रमणिया	36	226	हैण्ड पम्प	—	—
69.	रघुनाथपुरा	125	1050	हैण्ड पम्प	—	—
70.	सादलवा	67	92	हैण्ड पम्प	—	—
71.	सादड़ा	108	1275	टीएसएस	1	1
72.	साम्भरवाड़ा	155	731	हैण्ड पम्प	—	—
73.	सेला	58	1368	पीएण्डटी	1	1

1	2	3	4	5	6	7
74.	सैणा	122	921	जे.जे.वाई	1	1
75.	सेन्दला	129	2406	जे.जे.वाई	1	1
76.	सेसली	72	1900	टीएसएस	1	1
77.	सेवाड़ी	112	7070	पाइप्ड	—	—
78.	शिव तलाब	103	1570	जे.जे.वाई	1	1
79.	सोकड़ा	73	656	टीएसएस	1	1
80.	टीपरी	66	543	हैण्ड पम्प	—	—
81.	ठंडीबेरी	144	1210	हैण्ड पम्प	—	—
82.	वैलार	134	960	हैण्ड पम्प	—	—
83.	विरमपुरा	130	1244	विस्तार	1	1
					44	**44**

प्रपत्र–ब

विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी व 1991 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी के गांव जहां जी.एल.आर. नहीं बने हुए हैं, का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना का प्रकार	कोड सं.	1991 की आबादी	वि.स. क्षेत्र	प.समिति	वर्तमान स्थिति
1.	कोयलबाव	हैण्ड पम्प	146	3753	बाली	बाली	वित्त समिति 454वीं एफसी/ 3.9.02/ 10 लाख रु. के अन्तर्गत जी.एल.आर का प्रावधान स्वीकृत।
2.	भीमाणा	हैण्ड पम्प	145	5317	बाली	बाली	बिखरी हुई आबादी होने से जी.एल.आर बनना फिजीबल नहीं।
3.	गारीया	हैण्ड पम्प	154	1656	बाली	बाली	—"—
4.	लुन्दाड़ा	हैण्ड पम्प	136	2147	बाली	बाली	—"—
5.	पिपला	हैण्ड पम्प	113	2102	बाली	बाली	—"—

जिला पाली में सड़क सुदृढ़ीकरण के तहत वृक्षों की कटाई में की गई अनियमितता

483. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक जिला पाली में अकाल राहत के तहत कितनी–कितनी ग्रेवल, मेटल सड़कें तथा कितनी सड़कों के पटरी सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत किए गए?

(2) उक्त सड़कों के निर्माण एवं पटरी सुदृढ़ीकरण करते समय सड़क के दोनों ओर के वृक्षों की, की गई कटाई का विवरण विभाग ने अपने आर.एम.आर. में दर्ज कर कितनी कितनी प्रति सड़क निजी आय राजकोष में प्राप्त की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्मित सड़कों के तहत वृक्ष कटाई का विवरण आर.एम.आर. में दर्ज न कर अधिकारी/कर्मचारियों ने मिलीभगत से उक्त लकड़ी को बेच दिया है? सरकार को अब तक इस प्रकार के कितने प्रकरण प्राप्त हुए और उक्त पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक जिला पाली में अकाल राहत के तहत 1004 ग्रेवल, 31 मेटल सड़कें एवं 3054 पटरी सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत किये गये।

(2) जिला पाली में उक्त सड़कों के निर्माण एवं पटरी सुदृढ़ीकरण करते समय सड़कों के दोनों ओर के वृक्षों की कटाई नहीं की गई है। मात्र झाड़ी कटिंग द्वारा झाड़ियों की जड़े शामिल कर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के एम.ए.एस. रजिस्टर में इंन्द्राज कर दिया गया है। परन्तु राजस्व में आय नहीं हुई है। सम्वत् 2059 के अकाल राहत कार्यों पर झाड़ियों को जड़ से निकाला जा रहा है। उनको सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता अपने स्टोर पर इकट्ठा कर एम.ए.एस. में दर्ज किया जा रहा है।

(3) जिला पाली में सड़कों के निर्माण के समय वृक्षों की कटाई नहीं की गई। अत: लकड़ी नहीं बेची गई। एवं अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत से लकड़ी बेचने का एक प्रकरण मारवाड जंक्शन में प्राप्त हुआ था। जांच कमेटी द्वारा जांच करने पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न संख्या–484

(स्थगित)

ग्राम पंचायत भौरा (कोटा) की महिला सदस्य का निलम्बन

485. श्री हेमन्त कुमार (दीगौद): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोई महिला ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन के पश्चात् दो से अधिक संतान पैदा होने पर भी पंचायत सदस्य की योग्यता रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार को ग्राम पंचायत भौरा पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा की महिला ग्राम पंचायत सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त प्रकरण में अब तक कार्यवाही नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? अब उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत सदस्य का बचाने में सहयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 27.11.1995 के बाद संतान उत्पन्न होना एवं तद्उपरान्त संतानों की संख्या 2 से अधिक होने पर ऐसा व्यक्ति/महिला नियमानुसार पंचायती राज की किसी संस्था के सदस्य के योग्य नहीं रहता।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) चूंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में किसी सदस्य को बचाने या सहयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-707 की प्रति)

राजस्थान सरकार

वित्त (राजस्व एवं कर) विभाग

जयपुर, दिनांक : 25 जनवरी, 2002

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प विधि (अंनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान में यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा यथा संशोधन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख (1) के अन्तर्गत उल्लिखित विक्रय इकरारनामे या मुख्त्यारनामे या अन्य दस्तावेज पर कंवैंस की दर से देय मुद्रांक कर का परिहार (छोड़ती है) निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा, अर्थात

1. ऐसा विक्रय इकरारनामा या मुख्त्यारनामा या अन्य दस्तावेज उक्त अधिसूचना की दिनांक के पूर्व निष्पादित किया गया हो और उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रतिग्रहण/नियमन/रूपांतरण का आदेश पारित किया गया हो।

2. ऐसे विक्रय इकरारनामे या मुख्यरनामे या अन्य दस्तावेज के आधार पर किये गये रूपान्तरण/नियमन/आबंटन पर जारी पट्टा (लीजडीड) मुद्रांक कर से मुक्त नहीं होगा। उक्त पट्टे (लीजडीड) पर नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) को शामिल करते हुए संदत्त प्रतिफल की कुल राशि पर कंवैंस की दर से अर्थात 11 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी, तथा दिनांक 31.3.2002 तक प्रभावी रहेगी परन्तु यह कि उक्त प्रकार के किसी भी मामले में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का रिफंड देय योग्य नहीं होगा।

राजस्थान सरकार

वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 23.01.2003

विषय : नियमन दरों पर प्रभारित मुद्रांक शुल्क प्राप्ति में समय वृद्धि।

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान में यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा यथा संशोधन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क व 90-ख (1) के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि, राजस्थान सम्पदा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि, भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये अवाप्त भूमि तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि के विक्रय इकरारनामे या मुख्त्यारनामे या अन्य दस्तावेज पर कंवैंस की दर से देय मुद्रांक कर का परिहार निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा, अर्थात :-

1. ऐसा विक्रय इकरारनामा या मुख्त्यारनामा या अन्य दस्तावेज दिनांक 31.3.2002 तक निष्पादित किया गया हो और उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रतिग्रहण/नियमन/रूपांतरण का आदेश पारित किया गया हो।

2. ऐसे विक्रय इकरारनामे या मुख्त्यरनामे या अन्य दस्तावेज के आधार पर किये गये रूपान्तरण/नियमन/आबंटन पर जारी पट्टा (लीजडीड) मुद्रांक कर से मुक्त नहीं होगा। उक्त पट्टे (लीजडीड) पर नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) को शामिल करते हुए संदत्त प्रतिफल की कुल राशि पर कंवैंस की दर से अर्थात 11 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक प्रभावी रहेगी परन्तु यह कि उक्त प्रकार के किसी भी मामले में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का रिफंड देय योग्य नहीं होगा।

प.2(26)वित्त/कर अनु./98-154

राज्यपाल के आदेश से,

(आर. के. शर्मा)

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-711 की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में दिनांक 28.2.2003 तक आबंटित इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	उद्योग का नाम	भूखण्ड संख्या	आबंटन की की तिथि	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	का उत्पाद	आबंटन की शर्तें निर्माण/उत्पादन आरम्भ करने हेतु अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. दिलीप जेम एण्ड अलाइड इण्ड.	एफ–1	18.1.1982	577.50	बेम्बू लकड़ियां	छह माह निर्माण व दो वर्ष उत्पादन
2.	मै. हनुमान दाल मिल	एफ–2	29.12.1983	1840.00	दाल	''
3.	मै. रेवाशंकर	एफ–3	7.1.1980	2032.00	पत्थर कटिंग	''
4.	मै. रसना फूड प्रोडक्ट्स	एफ–4	28.9.1981	2000.00	मवेशी चारा एवं दाल मिल	''
5.	मै. अरुणा पोलिराइजिंग	एफ–5	4.2.1980	4000.00	पत्थर उत्पादन	''
6.	मै. अशोक इण्ड.	जी1–6	23.4.1980	1654.27	कृषि यंत्र	''
7.	मै. सेठ कला केन्द्र	जी1–7	16.1.1980	1000.00	लकड़ी के खिलौने	''
8.	मै. सिसोदिया एंटरप्राईजेज	जी1–8	28.7.1980	1000.00	ट्रैक्टर रिपेयरिंग सर्विस	''
9.	मै. मयूर पोलिराइजिंग	जी1–9/10	6.12.1983	2000.00	मिनिरल ग्राइंडिंग	''
10.	मै. कमला केमिकल्स	जी1–11	23.4.1983	1000.00	रसायन	''

1	2	3	4	5	6	7
11.	मै. गायत्री एण्ड कम्पनी	जी1–12	28.3.1998	1075.50	स्लेट पेंशिल	एक वर्ष निर्माण व तीन वर्ष उत्पादन
12.	मै. स्टार ब्रिक बिल्डिर्स	एच–13 से 15 एच–25	25.1.1992	2903.00	ईंटे एवं टाइल्स	छह माह निर्माण व दो वर्ष उत्पादन
13.	मै. चन्द्र कुमार दिलीप कुमार	एच–16	16.1.1989	500.00	वाशिंग पाउडर	,,
14.	मै. चंद्रिका होजरी वर्क्स	एच1–17	14.2.1980	500.00	होजरी वर्क्स	,,
15.	मै. नाकोड़ा एण्ड	एच–18/19	16.4.1980	1000.00	स्टील, फर्निचर, जाली फाटक	,,
16.	मै. बालकला मेकेनिकल वर्क्स शॉप	एच–20	7.1.1980	500.00	रिपेयर और वेल्डिंग	,,
17.	मै. भारत बाडी बिल्डर्स	एच–21	5.1.1980	850.00	ट्रक बोडी बिल्डिंग	,,
18.	मै. नाकोड़ा आयरन इण्ड.	एच–22	31.12.1986	500.00	स्टील फर्निचर	,,
19.	मै. अरुण पोलिराइजिंग	एच–23/24	25.1.1992	1000.00	स्टोन पाउडर	,,
20.	मै. सुभम स्टोन इण्ड.	एच1–26/27	18.1.1982	1930.00	स्टोन कटिंग एवं पोलिशिंग लाइम स्टोन टाइल्स	छह माह निर्माण व दो वर्ष उत्पादन
21.	मै. तपन फूड्स	एच–28	12.10.1999	1417.00	बेसन एवं पशु आहार	एक वर्ष निर्माण व तीन वर्ष उत्पादन
22.	मै. डायनामिक इंजि	एच–29	4.11.1992	700.00	केमिकल प्लांट एवं मशिनरी निर्माण	छह माह निर्माण व दो वर्ष उत्पादन

1	2	3	4	5	6	7
23.	मै. नाकोडा कोंफेक्शनरी	एच–30	4.12.1981	700.00	गोली, मिश्री	,,
24.	मै. मोडर्न इण्ड.	एच–31	31.3.1998	700.00	स्लेट, पेंशिल	एक वर्ष निर्माण व तीन वर्ष उत्पादन
25.	मै. श्रीराम ऑयल मिल	एच–32/33	30.9.1993	1200.00	आयल	छह माह निर्माण व दो वर्ष उत्पादन
26.	मै. अम्बिका फ्लोर मिल्स एण्ड आयल मिल	एच–34	18.5.1991	500.00	मसाला एवं आयल	,,
27.	मै. नेशनल प्लास्टिथ्स	एच–35	26.3.1992	500.00	पीवीसी कंडक्ट पाइप	,,
28.	मै. अल्ट्रा वाइट और्गेनिक्स	एच–36	9.12.1992	500.00	डाइक्लोरोसिलोन	,,
29.	मै. श्रीराम इण्ड.	एच–44	9.9.1985	700.00	अजवाइन आयल	,,
30.	मै. माणक स्लेट पेंशिल	एच–45	12.11.1996	700.00	स्लेट, पेंशिल	,,
31.	मै. स्वेता स्लेट पेंशिल	एच–46	22.1.1994	700.00	स्लेट पेंशिल	,,

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–712 का विवरण)

क्र.सं.	वर्ष	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (सहायक अभियन्ता-सिविल)	सहायक स्थल अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता–सिविल)
1.	1995	—	37
2.	1996	13	30
3.	1997	—	14
4.	1998	—	—
5.	1999	—	—
6.	2000	—	—
7.	2001	—	—
8.	2002	—	—
9.	2003	—	—
	कुल	13	81

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–719 की प्रति)

दिनांक 10.2.2002

प्रिय श्री मीणाजी,

निम्न स्थानों पर पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है, पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। अत: एक-एक हैण्ड पम्प स्वीकृत करने का कष्ट करें-

1. 380 पहला ब्लाक सीमेंट फैक्ट्री कालोनी में कैलाशजी कम्पाउण्डर वाला ब्लाक, सवाईमाधोपुर में।
2. 184 से 200 तक वाला ब्लाक, सीमेंट फैक्ट्री, रोहिताश वाला ब्लाक, सवाईमाधोपुर।
3. अग्रवाल चक्की के पास सीमेंट फैक्ट्री कालोनी, सवाईमाधोपुर।

श्री आर. के मीणाजी,
सचिव
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–729 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली व बून्दी के पुलिस थानों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	पदस्थापन की दिनांक	पदस्थापन की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
थाना हिण्डौली					
1.	श्री शिव सिंह	पुलिस निरीक्षक	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
2.	श्री नूर मोहम्मद	उप निरीक्षक	8.6.2002	10 माह	—
3.	श्री कजोड मल	स.उ.नि.	14.6.2002	10 माह	—
4.	श्री गुमान सिंह	हैड कानि. 206	13.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
5.	श्री महावीर प्रसाद	हैड कानि. 566	22.6.2001	1 वर्ष 9 माह	—
6.	श्री राधेश्याम सिंह	हैड कानि. 466	14.6.2002	9 माह	—
7.	श्री ईकबाल हुसैन	हैड कानि. 80	14.6.2002	9 माह	—
8.	श्री बद्रीलाल सिंह	हैड कानि. 298	14.6.2002	9 माह	—
9.	श्री ब्रह्मानन्द	कानि. 748	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—

1	2	3	4	5	6
10.	श्री अमर सिंह	कानि. 765	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
11.	श्री राजेश कुमार	कानि. 763	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
12.	श्री मोहन सिंह	कानि. 654	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
13.	श्री हरिसिंह	कानि. 717	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
14.	श्री शिवपाल	कानि. 749	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
15.	श्री मणिराज सिंह	कानि. 454	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
16.	श्री शिवराज	कानि. 457	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
17.	श्री रजनीश कुमार	कानि. 459	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
18.	श्री कैलाश सिंह	कानि. 473	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
19.	श्री महेश कुमार	कानि. 484	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
20.	श्री दिनेश कुमार	कानि. 662	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
21.	श्री पृथ्वीपाल	कानि. 598	14.6.2000	9 माह	—
22.	श्री लक्ष्मण लाल	कानि. 614	18.7.2002	8 माह	—
23.	श्री कमलेश कुमार	कानि. 162	18.7.2002	8 माह	—
24.	श्री अब्दुल सलाम	कानि. 8	18.7.2002	8 माह	—

1	2	3	4	5	6
थाना बसौली					
1.	श्री रियासत अली	उप निरीक्षक	5.7.2002	9 माह	—
2.	श्री जाकिस हुसैन	कानि. 540	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
3.	श्री सुबे सिंह	कानि. 772	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
4.	श्री शोराज	कानि. 556	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
5.	श्री गोपाल लाल	कानि. 537	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
6.	श्री मानसिंह	कानि. 499	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
7.	श्री शंकर लाल	कानि. 468	27.10.2001	1 वर्ष 5 माह	—
8.	श्री भवानी सिंह	कानि. 527	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
9.	श्री इन्द्र कुमार	कानि. 296	14.6.2002	9 माह	—
10.	श्री परमेश्वर	कानि. 202	14.6.2002	9 माह	—
11.	श्री गुरुपाल	कानि: 248	14.6.2002	9 माह	—
3. थाना दबलाना					
1.	श्री गोपाल लाल	पुलिस निरीक्षक	11.3.2002	11 माह	—

1	2	3	4	5	6
2.	श्री हिम्मत सिंह	उप निरीक्षक	31.10.2001	1 वर्ष 6 माह	—
3.	श्री नन्द किशोर	उप निरीक्षक	8.10.2002	5 माह	—
4.	श्री रामप्रताप	स.उ.नि.	14.6.2002	10 माह	—
5.	श्री भगवान सिंह	हैड कानि. 341	22.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
6.	श्री रामनारायण	हैड कानि. 456	13.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
7.	श्री जसवन्त सिंह	हैड कानि. 113	14.6.2002	9 माह	—
8.	श्री पुखराज	कानि. 709	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
9.	श्री परसराम	कानि. 719	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
10.	श्री नैकीराम	कानि. 683	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
11.	श्री सुरजीत सिंह	कानि. 685	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
12.	श्री रोहिताश सिंह	कानि. 582	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
13.	श्री महावीर	कानि. 695	10.8.2001	1 वर्ष 8 माह	—
14.	श्री देवलाल	कानि. 491	10.8.2001	1 वर्ष 8 माह	—

1	2	3	4	5	6
15.	श्री कजोड सिंह	कानि. 554	27.10.2001	1 वर्ष 8 माह	—
16.	श्री लटूर चन्द	कानि. 438	3.5.2002	10 माह	—
17.	श्री कालू लाल	कानि. 170	14.6.2002	9 माह	—
18.	श्री धनश्याम सिंह	कानि. 297	14.6.2002	9 माह	—
19.	श्री दशरथराम	कानि. 222	14.6.2002	9 माह	—
20.	श्री दुर्गालाल	कानि. 649	14.6.2002	9 माह	—
4. थाना तालेड़ा					
1.	श्री जगदीश प्रसाद	उप निरीक्षक	8.6.2002	9 माह	—
2.	श्री मोहन लाल	उप निरीक्षक	6.7.2002	8 माह	—
3.	श्री सन्त कुमार	स.उ.नि.	17.1.2001	2 वर्ष 3 माह	—
4.	श्री सम्पत सिंह	हैड कानि. 221	22.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
5.	श्री लादूराम	हैड कानि. 305	22.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
6.	श्री सांवला राम	कानि. 724	24.7.2000	2 वर्ष 8 माह	—
7.	श्री धनश्याम	कानि. 471	5.12.2000	2 वर्ष 3 माह	—

1	2	3	4	5	6
8.	श्री अर्जुन सिंह	कानि. 609	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
9.	श्री रोशन लाल	कानि. 792	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
10.	श्री वीरो सिंह	कानि. 736	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
11.	श्री शिवचरण	कानि. 235	6.7.2001	1 वर्ष 8 माह	—
12.	श्री भारत सिंह	कानि. 783	3.8.2001	1 वर्ष 7 माह	—
13.	श्री श्याम सुन्दर	कानि. 167	3.8.2001	1 वर्ष 7 माह	—
14.	श्री समुन्द्रर सिंह	कानि. 128	3.8.2001	1 वर्ष 7 माह	—
15.	श्री ओमप्रकाश	कानि. 745	3.8.2001	1 वर्ष 7 माह	—
16.	श्री कान्हाराम	कानि. 271	3.5.2002	10 माह	—
17.	श्री बाबूलाल	कानि. 530	14.6.2002	9 माह	—
18.	श्री भंवर सिंह	कानि. 559	14.6.2002	9 माह	—
19.	श्री रमेश चन्द	कानि. 281	14.6.2002	9 माह	—
20.	श्री छिन्द्रपाल सिंह	कानि. (डा) 659	3.5.2002	10 माह	—

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–733 की प्रति)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला अलवर थाना नारायणपुर वर्ष 2002 प्र.सू.रि. 55/02 दि. 29.7.2002

2. (1) अधिनियम आई.पी.सी. धाराएं 302, 201 आई.पी.सी.

3. (ए) (क) घटना का दिन............अज्ञात................दिनांक से.........अज्ञात........ दिनांक तक 29.7.2002

   (बी) (ख) थाने पर प्राप्त सूचना.....दिनांक 29.7.2002 समय 7.45 पी.एम.

   (सी) (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 758 समय 10 एएम

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई.........जरिये टेलीफोन नं.........(लिखित/मौखिक) मौखिक

5. घटना स्थल का ब्यौरा (ए) (क) थाने से दिशा एवं दूरी....तरफ पूर्व व फासला 7 कि.मी. थाने से..........पीट संख्या 12/23

   (बी) (ख) पता तालवृक्ष जंगल मुण्डावरा

6. शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला

   (ए) नाम लक्ष्मीकान्त शर्मा एस.आई., एस.एच.ओ. नारायणपुर

   (बी) पिता/पति का नाम श्री गोपीराम शर्मा

   (सी) जन्म तिथि/वर्ष 30 वर्ष राष्ट्रीयता भारतीय

   (ई) पासपोर्ट

   (आई) व्यवसाय................नौकरी

   (जी) पता निवासी थाना नारायपुर जिला अलवर

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात/अभियुक्त का पूर्ण विवरण यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें।

(1)............................अज्ञात............................

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा सूचना देने में विलम्ब का कारण

.............वापसी थाना पर......................

9. चुराई गई लिप्त समिति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

....×

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य................................×..................×

11. (अप्राकृतिक मृत्यु मामला से) यदि कोई हो तो............×...........×

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

मन एस.एच.ओ. लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराईयान मुलाजमान थाना के मय जीप सरकारी मय चालक के मुताबिक इतला टेलीफोन के बहवाले रपट नम्बर 756 रोज. आम का गया हुआ वापस थाना आया। दर्ज रहे कि थाने रवाना होकर मुताबिक इतला टेलीफोन तालवृक्ष तन मुण्डावरा जंगल में समय करीब 8.15 पीएम पर पहुंचा। जहां पर ग्रामवासियान व भूतपूर्व सरपंच श्री सरदारा राम जाट मौजूद मिले। जिनसे मालूमात की तो बताया कि पास में ही नाले में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मन एस.एच.ओ. मय हमराइयान मुलाजमान व ग्रामवासियान को साथ लेकर जाकर देखा तो नाले में एक व्यक्ति उम्र करीब 30-35 साल मृतक अवस्था में पड़ा मिला। सिर व चेहरा झुलसा हुआ है। जिसके दाहिनी तरफ का गाल व कान जला हुआ तथा शर्ट जल कर दोनों हाथों के चिपकी हुई मिली। मृतक ने चढ्ढी पहन रखी है। जिसमें से टट्टी निकली हुई है। मृतक का चेहरा जलने के कारण साफ पहचान में नहीं आ रहा है। मृतक के दोनों हाथ जले हुऐ तथा नाक व मुंह से बुलबुले खून जैसे आ रहे है जिसके पास एक बायां पैर का जूता चमड़े का काला रंग का पुराना व एक चश्मा मय कंवर के पड़ा मिला। जिनको वजह सबूत सनादगी (पहचान) के लिए कब्जा पुलिस में लिया गया। मृतक की लाश जो नाले में करीब 10 फुट गहरे झाड़ियों में से मिलने से मामला हत्या का प्रतीत होता है। अतः लाश को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया जाकर मन एस.एच.ओ. मय हमराइयान मुलाजमान व मय मृतक की लाश को लेकर घटना स्थल से रवाना होकर पी.एच.सी. नारायणपुर पहुंचा। लाश की मोरचरी में रखवा कर निगरानी हेतु कानि. श्रवण कुमार 1495 को छोड़ा गया। वापसी पर थाना पर मुकदमा नम्बर 55/

02 धारा 302, 201 आई.पी.सी. में कायम कर मन एस.एच.ओ. मशरूफ तफतीश हुआ। प्रतियां एफ.आई.आर. व एस.आर. नियमानुसार जारी की गई।

13. की गई कार्यवाही () चूंकि उक्त सूचना द्वारा मद संख्या 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है।

(1) मामला पंजीकृत किया और जांच आरम्भ की गई या

(2) जांच अधिकारी का नाम लक्ष्मीकान्त शर्मा (पद) एस.आई. (ख)एसएचओ. को जांच आरम्भ करने के निर्देश दिये गये या

(3) जिन कारणों से जांच करने से इनकार किया गया......×.......×

(4) मामला स्थानान्तरित किया गया थाने का नाम........×.......जिला.........× (क्षेत्राधिकार की दृष्टि से)

एस. डी.

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

(नाम) लक्ष्मीकान्त शर्मा

(पद) एस.आई., एस.एच.ओ. नारायणपुर

दिनांक 29.7.2002

समय 10 पीएम

वापसी थाना पर

(शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट-''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-738 की सूची)

तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची

तहसील	स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम
1	2
बेगूं	1. ढुकराई
	2. सामरिया
	3. दुगार
	4. धामन्चा
	5. दौलतपुरा
	6. सुवानिया
	7. गोविन्दपुरा
	8. गोपालपुरा
	9. मोतीपुरा
	10. डेकड़ीखड़ा
	11. पाचुन्दा
	12. आवलहेड़ा
	13. माण्डना
	14. अनोपपुरा
	15. बरनियास
	16. मण्डावरी
	17. ईटावा
	18. रामपुरिया

1	2
	19. चावण्डिया
	20. मडावदा
	21. रावड़दा
	22. नाल
	23. कल्याणपुरा
	24. जयनगर (सोनगर)
	25. उमरधुना
	26. केरपुरा
	27. राजगढ़
	28. डोराई
	29. सादी
	30. मेघनिवास
	31. आमल्दा
	32. रायती
	33. श्रीनगर
रावतभाटा	1. एकलिंगपुरा
	2. जावदा
	3. खाती खेड़ा
	4. रामनगर
	5. झरझनी
	6. मण्डसेरा
	7. दुधीतलाई

1	2
	8. टाकरदा
	9. श्रीपुरा
	10. बाडोलिया
	11. देवपुरा
	12. कुआखेड़ा (जवाहरनगर)
	13. बलकुण्डीकलां
	14. प्रतापपुरा
	15. रेनखेड़ा
	16. धागडमऊकलां
	17. टोलुका लुहारिया
	18. बड़ोदिया
	19. राजपुरा
	20. जालखेड़ा
	21. दोलपुरा
	22. रघुनाथपुरा खेड़ा
	23. रोडीमय नणरा
	24. गोपालपुरा
	25. लुहारिया
	26. धावदकलां

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट-''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–741 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला कलक्टर, दौसा

क्रमांक : सामान्य/डा.व./98/2647 **दिनांक : 14.9.1998**

आदेश

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 12 अगस्त, 1998 में लिये गये निर्णय अनुसार महुवा स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा के लिए तत्काल प्रभाव से आबंटित किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त भवन का कब्जा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा से शीघ्र प्राप्त कर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।

ह.
जिला कलक्टर
दौसा
दिनांक 14.9.1998

परिशिष्ट-"अ"

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-744 का विवरण)

जनवरी, 2002 के बाद सड़कों की मरम्मत के लिये दिये गये कार्यादेश का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	निविदा दर (शिड्यूल 'जी' पर)	अनुबंध राशि	कार्यादेश तिथि
1.	2	3	4	5	6
जिला खण्ड, अजमेर					
1.	उपखण्ड, अजमेर की विभिन्न सड़कों पर पेच मरम्मत कार्य	106/01-2002	18.18% बिलो	30,76,304	1.2.2002
2.	उपखण्ड, किशनगढ़ की विभिन्न सड़कों पर पेच मरम्मत कार्य	107/01-2002	17.11% बिलो	68,96,242	1.2.2002
3.	आर.यू.पी. नाबार्ड योजना के अन्तर्गत माखुपुरा ककलाना रोड रोड किमी 5/0 से 10/0 का निर्माण कार्य	03/02-2003	3.95% अधिक	16,04,163	23.3.2002
4.	आर.यू.पी. नाबार्ड योजना के अन्तर्गत पैकेज संख्या आरजे 01/03/आरयूपी-II/02 सड़कों का निर्माण कार्य	13/02-2003	1.00% बिलो	2,31,50,735/-	2.7.2002
5.	आर.यू.पी. नाबार्ड योजना के अन्तर्गत पैकेज संख्या आरजे 01/ आरयूपी-II/02 सड़कों का निर्माण कार्य	14/02-2003	5.55% बिलो	1,25,42,036/-	2.7.2002

1	2	3	4	5	6
6.	सी.आर.एफ. के अन्तर्गत अजमेर पुष्कर रोड एवं नसीराबाद मांगलियावास रोड सुदृढ़ीकरण कार्य	16/02–2003	4.84% बिलो	2,08,91,127/–	27.8.2002
	नगर खण्ड, अजमेर				
1.	नगर उपखण्ड-I अजमेर, के अधीन सड़कों की मरम्मत कार्य	96/01–2002	बीएसआर	5,16,903	22.1.2002
2.	नगर उपखण्ड-II अजमेर, के अधीन सड़कों की मरम्मत कार्य	101/01–2002	बीएसआर	4,99,350	22.1.2002
3.	नगर उपखण्ड-III अजमेर, के अधीन सड़कों की मरम्मत कार्य	107/01–2002	बीएसआर	5,99,317	26.2.2002

परिशिष्ट–''ब''

तहसील किशनगढ़ (अजमेर) में सड़कों पर 1998 से 2002 तक किया गया व्यय का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	3054-आर. एण्ड बी.	75.83	41.31	50.04	24.12
2.	5054-एम.एन.पी. जनरल	24.33	0.11	0.08	—
3.	5054-एस.एम.एण्ड आर.	—	21.43	0.29	—
4.	5054-एस.एच.	20.85	4.99	2.27	0.64
5.	5054-रूरल रोड	—	1.33	0.51	—
6.	5054-नाबार्ड	—	—	—	—
7.	5054-बी.एम.एस.पी.	64.05	(-)10.19	13.64	—
8.	5054-आर.यू.पी.	—	—	—	4.25
9.	5054-सी.आर.एफ.	—	—	—	163.38
10.	5054-अरबन रोडस	0.45	—	—	—
11.	5054-पी.एम.जी.एस.वाई.	—	—	—	—
	योग	**185.51**	**58.98**	**66.83**	**192.39**

नोट :-क्रम संख्या 2 से 11 आयोजना मदों पर प्रतिशत राशि जोड़ते हुये व्यय दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–''स''

किशनगढ़ क्षेत्र की आरयूपी की सड़कों पर बी.टी. कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की दिनांक	कार्य पूर्ण होने की की सम्भावित तिथि
आर.यू.पी. फेस-प्रथम पूर्ण कार्यों की सूची			
1.	अजमेर श्रीनगर अराई मालपुरा सड़क किमी. 43/0 से 45/0	7/02	कार्य पूर्ण
2.	रूपनगढ़ पनेर नौसल झाग सड़क किमी. 14/0 से 20/0	7/02	—''—
3.	सरवाड़ अराई किशनगढ़ परबतसर किमी. 32/0 से 34/0	7/02	—''—
आर.यू.पी. फेस-द्वितीय			
1.	किशनगढ़ खोछा गणेश सड़क किमी. 0/0 से 6/500	2/03	—''—
2.	सम्पर्क सड़क रामनेर की ढाणी किमी. 8/0 से 2/0	2/03	—''—
3.	सिलोरा टिकावड़ा सड़क किमी. 0/0 से 3/0	2/03	—''—
4.	अराई भामोलाव सड़क किमी. 5/0 से 8/0	2/03	—''—
5.	सलीमाबाद सिणगारा रूपनगढ़ किमी. 5/0 से 9/0	2/03	—''—
6.	सलीमाबाद सिणगारा रूपनगढ़ किमी. 0/0 से 5/0	2/03	—''—
प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों की सूची			
1.	रूपनगढ़ पनेर नौसल झाग किमी. 5/0 से 11/0 एवं 20/0 से 22/0	4/03	—''—
2.	पाटण तिलोनिया हरमाड़ा सुरसुरा किमी. 0/0 से 17/0	4/03	—''—
3.	मोहनपुरा चीताखेड़ा सड़क किमी. 5/500 से 8/500	4/03	—''—
4.	सुरसुरा थल सड़क किमी. 3/0 से 4/0	4/03	—''—

परिशिष्ट–"अ"

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-750 का विवरण)

अमित बोलिया विद्या निकेतन, गंगापुर में कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	योग्यता	वेतन
1.	श्रीमती जोसफ	प्रधानाचार्य	एम.बी.एड.	9913/–
2.	श्रीमती वलसम्मा जोस	अध्यापक	बी.ए., बी.एड.	6863/–
3.	श्रीमती सुनीता राका	अध्यापक	एम.ए., बी.एड.	6863/–
4.	श्रीमती थोमस मैथ्यू	अध्यापक	बी.एस.सी, बी.एड.	6863/–
5.	श्रीमती चन्द्रकान्ता पारीक	अध्यापक	बी.एस.सी, बी.एड.	6863/–
6.	श्रीमती शम्सुनिशा रिजवी	अध्यापक	एम.ए., बी.एड.	6863/–

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-753 का विवरण)

महावीर उ.मा.वि. लाड़नूं (नागौर) में महावार वेतन चुकाने की दिनांक

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/पदनाम	1/02	2/02	3/02	4/02	5/02	6/02	7/02	8/02	9/02	10/02	11/02	12/02	1/03	2/03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	श्री रामचन्द्र प्रजापति, प्राचार्य	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
2.	श्री विपिन कुमार व्याख्या.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
3.	श्री बहादुर सिंह –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
4.	श्री सुखदेव सिंह –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
5.	श्री भूरामल अग्रवाल –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
6.	श्री दिलावर सिंह अध्या.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
7.	श्री प्रमोद कुमार –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
8.	श्री रामजी लाल शर्मा –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
9.	श्री महेन्द्र सिंह –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
10.	श्री परमानंद शर्मा –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
11.	श्री सुभाष चन्द्र –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
12.	श्री सतीश कुमार अध्यापक	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
13.	श्री नित्यानंद शर्मा –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
14.	श्री बिजेन्द्र सिंह –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
15.	श्री मदन सिंह शा.शि.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
16.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन अध्या.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
17.	श्री जगदीश कुमार –"–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता प्रा.सहा.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
19.	श्री हृदेश कुमार गुप्ता –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
20.	श्री राजकुमार पाटनी व.लि.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
21.	श्री महावीर प्रसाद स्वामी पु.अ.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
22.	श्री संजय कुमार जैन क.लि.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
23.	श्री बंकट सिंह च. श्रे. क.	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
24.	श्री मनोहर सिंह –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
25.	श्री तेजकरण शर्मा –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
26.	श्री प्रेमदास स्वामी –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
27.	श्री जयसिंह चौहान –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03
28.	श्री रतन लाल सोनी –''–	27.3.02	27.3.02	27.3.02	31.7.02	31.7.02	31.7.02	14.9.02	14.9.02	22.11.02	22.11.02	13.2.03	13.2.03	27.3.03	27.3.03

जे.बी.उ.मा.वि. लाडनूं का माहवार वेतन चुकाने की दिनांक

1.	श्री के.एन. त्यागी व्याख्या	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	श्री आर.के. वर्मा –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	श्री एस. के सोनी –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	श्री जी.बार. जांगीड़ –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	श्री जी.एल. सैन –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	श्री एल.एस. शर्मा –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	श्री एस.के शर्मा –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	श्री पी.आर. स्वामी –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	श्री ज. प्रसाद –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	श्री वी.एस. चौधरी –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	श्री एस.पी. शर्मा –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	श्री एस.एस. गौड़ –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	श्री आर.एस. शेखावत शा.शि.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	श्रीमती आर.एस. अध्यापक	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	श्रीमती लक्ष्मी क्षत्रीय अध्यापक	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	श्री आर.बी. शर्मा –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	श्री आर.एल. शर्मा –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	श्री एस. आर.जाखड़ –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	सुश्री शैली जैन –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	श्रीमती वीणा जैन –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	श्रीमती प्रभा नाहटा –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	श्री के.आर. जाट प्र.सहा.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	श्री आर. के. यादव –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	श्री के.आर. मण्डा पु.अ.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	श्री ए.एन. शर्मा क.लि.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	श्री एच.आर. जाट च.श्रे.क.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	श्री नानूराम –"–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	श्री नत्थाराम –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	श्री सुगन सिंह –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	श्री जे.आर. जाट –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	श्री एच.आर. पंवार –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	श्रीमती मुन्नीदेवी –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	श्री एल.एस. बड़गुजर –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	श्री डी.एम. ज्याणी –''–	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	श्री एस.जी. चौधरी अध्या.	30.3.02	23.8.02	17.9.02	19.10.02	19.10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-756 की सूची)

जिला नागौर में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	सत्र 2000-01	2001-02	2002-03
1.	विजयानन्द सूरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर	682	522	367
2.	जे.बी. लाडनूं	360	441	537
3.	महावीर लाडनूं	589	494	576
4.	आदर्श बाल निकेतन, कुचामनसिटी	464	489	467607
5.	नोबल उमावि., कुचामनसिटी	535	474	496
6.	ग्रामीण विद्यापीठ, नागौर	—	424	312
7.	सेंटपाल पब्लिक स्कूल, नागौर	—	262	388
8.	शारदा बाल निकेतन, नागौर	—	—	902
9.	मदरसा अंजूमन, मकराना	—	—	1042
10.	वीर तेजा, कुचामन सिटी	—	—	415
11.	मारवाड केसरी, कुचामनसिटी	—	—	169
12.	टैगोर, कुचामनसिटी	—	—	575
13.	महेश बाल मन्दिर, मकराना	—	—	332
14.	गीताजंली पब्लिक स्कूल, बोरावड	—	—	309
15.	इन्द्रा बाल निकेतन, मौलासर	—	—	256
16.	मारवाड़ मिशन पब्लिक स्कूल, परबतसर	—	—	254454
17.	विमल विद्या विहार, लाडनूं	—	—	112
	योग	**2630**	**3106**	**7849**

परिशिष्ट–"ख"

जिला नागौर में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	कुल छात्र सं.-सत्र		
	मा. वि.	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण विद्यापीठ, नागौर	244	—	—
2.	सेंटपाल, नागौर	233	—	—
3.	शारदा बाल निकेतन, नागौर	833	928	—
4.	मदरसा अंजूमन, मकराना	223	489	—
5.	वीर तेजा, कुचामन सिटी	219	281	—
6.	मारवाड़ केसरी, कुचामन सिटी	000	151	—
7.	टैगोर उ.मा.वि., कुचामन सिटी	—	203	—
8.	महेश बाल मन्दिर, मकराना	191	214	—
9.	गीताजंली पब्लिक स्कूल, बोरावड़	192	212	—
10.	इन्द्रा बाल निकेतन, बोरावड़	157	198	—
11.	मारवाड़ मिशन प. स्कूल, परबतसर	—	292	—
12.	विमल विद्या विहार, लाडनूं	—	295	—
13.	दिगम्बर जैन, नागौर	170	243	265
14.	टैगोर सैंट्रल, नागौर	310	422	433
15.	सेंट जिवियर्स, नागौर	—	240	233
16.	हिन्द पब्लिक स्कूल, नागौर	—	210	342
17.	आकांक्षा पब्लिक स्कूल, नागौर	—	469	528
18.	राजीव गांधी मेमोरियल, नागौर	—	178	220
19.	श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर, नागौर	—	281	220
20.	गरीब नवाज, बासनी	307	528	525

1	2	3	4	5
21.	सुल्तानुतारेकिन, नागौर	—	173	189
22.	इमानुएल मिशन स्कूल, नागौर	—	—	173
23.	हजरत बहाऊद्दीन जकरिया मुलतानी, नागौर	—	—	153
24.	त्रिमुनी शिक्षण संस्थान, नागौर	—	—	359
25.	वीवी सेंटजान, नागौर	—	—	386
26.	श्रीलाल बहादुर शास्त्री, नागौर	—	—	294
27.	ब्राइट लैंड शिक्षण संस्थान, नागौर	—	—	176
28.	विष्णु बाल निकेतन, नागौर	—	—	425
29.	ब्ल्यू रोज, डेगाना	489	502	479
30.	विवेकानंद बाल निकेतन, डेगाना	—	614	440
31.	गुरुकुल विद्यापीठ, डेगाना	—	—	69
32.	शारदा बाल निकेतन, डेगाना	—	—	503
33.	रघुकुल बाल निकेतन, थावला	—	524	526
34.	आदर्श बाल निकेतन, कुचेरा	—	296	149
35.	वीरतेजा महिला शिक्षण संस्थान, मूण्डवा	—	—	201
36.	नेहरू बाल निकेतन, कुचेरा	—	—	532
37.	महर्षि बाल निकेतन, कुचेरा (दयानंद)	—	—	260
38.	सरदार बल्लभ भाई पटेल, कुचेरा	—	—	363
39.	आदर्श शिक्षण संस्थान, गोटन	—	—	582
40.	आदर्श विद्या मन्दिर, मेड़ता रोड़	—	275	346
41.	श्री फलौदी पार्श्वनाथ मेड़ता रोड़	—	221	254
42.	अहमदिया मावि., मेड़ता सिटी	474	317	308
43.	मरूधर डिफेंस स्कूल, मेड़ता सिटी	—	454	673

1	2	3	4	5
44.	आदर्श बाल शिक्षण संस्थान, रैण	—	—	546
45.	इण्डियन पब्लिक स्कूल, जसनगर	—	—	315
46.	गणेश विद्या आश्रम, जसनगर	78	92	131
47.	संतोष आदर्श विद्या मन्दिर, रियांबड़ी	289	455	599
48.	इण्डियन पब्लिक स्कूल, जायल	—	306	399
49.	टैगोर पब्लिक स्कूल, जायल	—	137	192
50.	सरस्वती बाल विद्या मन्दिर, जायल	107	156	313
51.	राजस्थान पब्लिक स्कूल, जायल	174	363	344
52.	जयहिन्द बाल निकेतन, जायल	107	518	532
53.	मीरा बाल मन्दिर, मेड़ता सिटी	324	440	804
54.	शिशु निकेतन माडल स्कूल, मेड़ता सिटी	—	—	428
55.	नेशनल एकेडमी, परबतसर	—	—	125(125)
56.	शारदा मा.वि., बिदियाद	—	365	229
57.	जयहिन्द मा. वि., मकराना	—	102	171
58.	राजस्थान पब्लिक स्कूल, मकराना	—	—	329
59.	सरस्वती बाल मन्दिर, मकराना	—	—	130
60.	भवानी शिक्षा निकेतन, गैलासर	—	—	181
61.	सर्वेश्वर शिक्षण संस्थान, जसूरी	107	161	181
62.	रामेष्ट मा.वि., बुडसू	—	302	116
63.	सरस्वती मा.वि., बुडसू	—	298	181
64.	आदर्श मा.वि., गच्छीपुरा	105	151	161
65.	जिनेश्वर दास मा.वि., कुचामन सिटी	—	221	179
66.	दिगम्बर जैन मा.वि., कुचामन सिटी	—	108	152

1	2	3	4	5
67.	बी.आर. खोखर मा.वि., कुचामन सिटी	—	—	065
68.	विवेकानंद मा.वि. नावांशहर	108	286	178
69.	रायल एकेडमी मीठड़ी (नावां)	—	—	130
70.	गांधी बाल मा.वि., कुकनवाली	193	452	295
71.	विवेकानंद मा.वि., कुकनवाली	125	198	243
72.	गायत्री शिक्षण संस्थान, मारोठ	—	252	179
73.	ज्योति विद्या निकेतन, लिचाना	—	230	178
74.	आदर्श ग्राम बाल मन्दिर, लूणवा	—	150	177
75.	अरूणोदेय शिक्षण संस्थान, लूणवा	—	241	105
76.	सतगुरू पब्लिक मा.वि., कोटड़ा	—	—	081
77.	पण्डित बच्छरा मा.वि., डीडवाना	182	226	522
78.	नेहरू बाल निकेतन, डीडवाना	—	121	275
79.	बी.आर. मिर्धा मा.वि., डीडवाना	—	147	168
80.	विवेकानंद मा.वि., डीडवाना	—	213	265
81.	जी.सी.जे. मा.वि., डीडवाना	—	177	159
82.	गांधी बाल निकेतन, डीडवाना	—	—	206
83.	नेहरू बाल निकेतन, छोटीखाटू	—	514	197
84.	छोटी खाटू मा.वि., छोटीखाटू	—	121	127
85.	बाल विकास मा.वि., सुदरासन	—	212	272
86.	ब्राइट स्टार मा.वि., मावा	—	271	107
87.	बी.आर. मेमोरियल मा.वि. मौलासर	—	194	151
88.	सरस्वती मा.वि., मौलासर	180	390	180
89.	बाल विद्या मन्दिर, तोषीना	—	379	229

1	2	3	4	5
90.	योग्यता विहार मा.वि., लादड़िया	—	315	144
91.	शारदा मा.वि., निमोद	—	—	164
92.	सरस्वती आदर्श मा.वि., केराप	—	—	130
93.	सरस्वती पब्लिक मा.वि., बाठड़ी	—	—	181
94.	भारतीय शिक्षण संस्थान, लाडनूं	—	—	123
95.	सरस्वती आदर्श मा.वि., निम्बीजोधा	—	348	369
96.	नवीन विद्यापीठ, निम्बीजोधा	—	158	172
97.	शेखावाटी शिक्षण संस्थान, जसवंतगढ़	—	—	096
98.	मोंटेसरी शिक्षा सदन, जसवंतगढ़	—	—	188
99.	आदर्श विद्या मन्दिर, निम्बीजोधा	—	—	149
100.	साइनाथ विद्या मन्दिर, बडायली	176	352	221
101.	न्यूलाइट शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी	—	283(283)	215
102.	बालिका ग्रामोथान विद्यापीठ डीडवाना	—	—	160
103.	सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मकराना	195	438	460
	योग	**6492**	**20053**	**24605**

परिशिष्ट–"ग"

जिला नागौर में संचालित राजकीय/मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्र संख्या

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	छात्र संख्या					
		वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03	
		वि.सं.	छात्र सं.	वि.सं.	छात्र सं.	वि.सं.	छात्र सं.
1.	गैर राजकीय उ.मा.वि.	05	2630	07	3106	17	7849
2.	गैर राजकीय मा.वि.	28	6492	66	20053	91	24605
	योग	**33**	**9122**	**73**	**23159**	**108**	**32454**

परिशिष्ट–"क"

परिशिष्ट–16
(अतारांकित प्रश्न संख्या–757 की प्रति)

राजस्थान सरकार

तार : "भाषा"
निदेशक : 203527
टेलीफोन : हिन्दी सेवा : 203524
पुस्तकालय : 516694

प्रेषक

निदेशक,
भाषा विभाग एवं विशेषाधिकारी पुस्तकालय,
313, मिनी सचिवालय,
बनीपार्क, जयपुर–302016

सेवामें,

उप सचिव,
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल,
झालाना डूंगरी, जयपुर

क्रमांक 8(60)भानि/प्रशि./2002/4023 दिनांक 7.5.2002

विषय : श्री सुरेश चन्द शर्मा, कनिष्ठ लिपिक की आशुलिपि एवं टंकण गति परीक्षा के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ 2/संस्था–1/रारापामं/2001–02/38024 दिनांक 30.3.2002

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 16.4.2002 को आपके कर्मचारी श्री सुरेश चन्द शर्मा कनिष्ठ लिपिक की आशुलिपि एवं टंकण गति परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षार्थी को 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से श्रुतिलेख दिया गया जिसका समय 10 मिनिट निर्धारित किया गया तथा 100 अंक परीक्षण हेतु निर्धारित किये गये तथा टंकण गति हेतु परीक्षार्थी को 10 मिनिट का समय दिया गया।

परीक्षा उपरान्त आशुलिपि एवं टंकण गति की जांच परीक्षक द्वारा कराई गई। हिन्दी आशुलिपि में परीक्षार्थी ने 100 अंक में से 55 अंक प्राप्त किये तथा टंकण में इनकी गति 31 शब्द प्रति मिनिट की रही। इस प्रकार परीक्षार्थी उक्त हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण गति परीक्षा में उत्तीर्ण रहा है।

सूचनार्थ।

भवदीय
ह०/–
निदेशक

परिशिष्ट-''क''

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-761 का विवरण)

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोमेश्वरी-जयपुर-पी.टी.ए. आय-व्यय विवरण गत पांच वर्षों का विवरण

सत्र	विकास से आय	बैंक ब्याज	योग	जिस कार्य/मद में व्यय किया पंखे	खिड़की दरवाजे	आरएसइबी कनेक्शन हेतु	स्टेशनरी क्रय	फर्नीचर ब्लैक बोर्ड	सेनेटरी मय सामान	भवन	भवन मरम्मत एवं मजदूरी
1998–1999	46500/–	—	46500/–	—	9800/–	—	647/–	425/–	1290/–	9575/–	6903/–
1999–2000	46007/–	1597/–	48504/–	10250/–	2100/–	7692/–	60/–	—	6292/–	7530/–	13675/–
2000–2001	52270/–	—	52270/–	—	—	—	571/–	5730/–	—	—	300/–
2001–2002	46010/–	2810/–	48820/–	—	—	—	393/–	10360/–	—	—	775/–
2002–2003	52230/–	—	52230/–	—	—	—	200/–	60/–	—	—	805/–
योग	243917/–	4407/–	248324/–	10250/–	11900/–	7692/–	1871/–	16575	7582/–	17105/–	22458/–

	बिजली सामग्री	बिजली फिटिंग	पानी	पारितोषिक	मूलभूत आवश्यकता	शिक्षार्थी डायरी	सफाई	मु.म.सहा. कोष	अंकेक्षण फीस
1998–1999	9899/–	6903/–	—	—	—	—	—	—	—
1999–2000	9985/–	5535/–	—	—	—	—	—	—	—
2000–2001	509/–	—	—	—	710/–	4200/–	50/–	2100/–	500/–
2001–2002	46/–	—	1591/–	—	3749/–	6800/–	450/–	—	—
2002–2003	40/–	—	2639/–	1920/–	3309/–	6600/–	300/–	—	—
योग	21224	12438/–	4230/–	1920/–	7768/–	17600/–	800/–	2100/–	500/–

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-764 की प्रति)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक-प-6(3) शिक्षा-2/94/पार्ट-I जयपुर, दिनांक : 21.1.1998

डा. बी. शेखर,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

विषय : मृत राज्य कर्मचारी स्व. श्री रामनिवास दुबे के दो आश्रितों को अनियमित नियुक्ति बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मृत राज्य कर्मचारी स्व. श्री रामनिवास दुबे के दो आश्रितों को अनियमित नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि श्री चन्द्रप्रकाश दुबे को एक सप्ताह का नोटिस दे कि "क्यों न उन्हें बरखास्त कर दिया जाय।" यह नोटिस पूरे Background के साथ Speaking नोटिस होना चाहिये ताकि अदालत के सामने रखने पर भी स्वत: स्पष्ट हो और stay न मिल सके। नोटिस में यह बात प्रमुखता से आनी चाहिये कि,

(1) नियमों का हवाला जिसके अनुसार किसी एक ही व्यक्ति को Employment का लाभ मिल सकता है।

(2) श्री चन्द्रप्रकाश दुबे मृतक कर्मचारी का चचेरा भाई है जबकि श्री ओमप्रकाश दुबे उसका (श्री रामनिवास दुबे) अपना पुत्र है यह तथ्य भी समाविष्ट करें।

अत: नोटिस के जवाब पर विचार करने के पश्चात् Speaking Orders द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश दुबे को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी करने पर विचार करें।

यह कार्यवाही कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी.सं. 7/डीओपी/ए-2/98 दिनांक 16.1.1998 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर की जा रही है।

भवदीय

ह०/-

(जे.पी. चन्देलिया)

उप शासन सचिव (प्रथम)

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-765 का विवरण)

पुनः विद्युतीकरण/मांग-पत्र जारी का विवरण-पत्र उपखण्ड कोटपूतली

क्र.सं.	गांव का नाम	कृषि खाता संख्या	उपभोक्ता का नाम	मांग-पत्र जारी राशि विवरण	राशि जमा दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	करवास	1608/0162	श्योलाल/ माडाराम	एस.टी.लाइन राशि विवरण सर्विस लाइन अन्य राशि रुपये 1150/-	6.1.2003
2.	कोटपूतली	2304/135	मदन, रामू/ बंशी खटीक	राशि रुपये5335/- अन्य रुपये1150/-	जमा नहीं करायी
3.	मोरदा	2105/0173	चिरंजी/गंगासहाय	2000/-लाइनराशि 1150/-लाइनराशि	
4.	सागटेड़ा	2103/0049	रामजीलाल/ लादू	1150/-अन्यराशि सर्विस लाइन	18.1.2003
5.	खेड़की मुकड़	2103/160	बीरबल/लक्ष्मण	8640/-लाइनराशि 300/-अन्यराशि	
6.	नौरंगपुरा	2306/195	ताराचंद/माडाराम	8640/-लाइनराशि 300/-अन्यराशि	
7.	केशवाना राजपूत	2106/0009	मंगतूराम/ बिहारीलाल	3000/-लाइनराशि 1150/-अन्यराशि	
8.	कोटपूतली	2304/170	सुल्तान/रामदेव गुर्जर	विवादग्रस्त	
9.	कोटपूतली	2302/113	ख्याली/चंदरसैनी	अधिशासी अभियंता की स्वीकृति में।	
10.	रामकरणपुरा	1608/135	महेन्द्र/बनवारीलाल	मांग-पत्र जारी रुपये 3046/-	

1	2	3	4	5	6
11.	द्वारिकापुरा	1606/68	रामेश्वर/श्यामलाल	आर.सी. व नाम परिवर्तन नोटिस 15.2.2003 को दे दिया	
12.	कोटपूतली	2302/90	रामेश्वर/नाथागुर्जर	,,	
13.	कांसली	1807/132	रामेश्वर/महादेव यादव	अण्डर एस्टीमेट	
14.	फतेहपुरा कलां	1807/0097	रामेश्वर/महादेव अहीर	अण्डर एस्टीमेट	
15.	नारहेड़ा	2207/0151	रामोतार/बंशीधर महाजन	अण्डर एस्टीमेट	
16.	चानचक्की	2307/005	बीरबल/नाथा उमराव/सलमा	,,	
17.	चानचक्की	2307/007	,,	,,	
18.	कोटपूतली	2406/078	रामनारायण/गोदा	मांग–पत्र जारी रुपये 8,757/–	11.3.2003
19.	मोलाहेड़ा	2102/0127	छाजू/रामलाल	विवादग्रस्त	
20.	देवता	1710/57	सरदार/रामनारायण	अण्डर एस्टीमेट	
21.	जयसिंहपुरा	1611/120	देवकरण/रुघाराम	अण्डर एस्टीमेट	
22.	कोटपूतली	2302/0019	रामजीलाल/ बीरबल	अण्डर एस्टीमेट	
23.	जगसिंहपुरा	1611/138	छीतर/लादूजाट	अण्डर एस्टीमेट	

परिशिष्ट-''अ''

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, पावटा के अधीन विद्युतीकरण हेतु आवेदित उपभोक्ताओं की सूची

क्र.सं.	खाता संख्या	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	आवेदन दिनांक	आर.सी. फीस	जमा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.		किशोरीलाल/कालू चमार	पाथरेडी	2.5.2001	1021/-	1.8.2001
2.	1801-99	देईदानसिंह/किशनसिंह	राजनोता	3.7.2001	300/-	23.1.2002
3.	1707-21	भगवानसिंह/खेतानसिंह	किसरोद	25.7.2001	300/-	3.8.2001
4.	1702-37	माधोलाल/रामदेवजाट	''	2.8.2001	300/-	17.1.2002
5.	1702-140	गंगाकिशन/रामदेवजाट	''	6.8.2001	300/-	17.1.2002
6.	1702/728	हनुमानसहाय/मांगूराम	''	17.1.2002	300/-	17.1.2002
7.	1607/02	अजयसिंह/रामोतार	भालोजी	29.10.2001	2095/-	22.5.2002
8.	2105/238	प्रभुदयाल/श्यामलाल यादव	बडनगर	2.11.2002	5650/-	21.11.2002
9.	1506/65	सुल्तान/श्योसहाय	भैंसलाना	17.1.2002	300/-	17.1.2002
10.	1507/80	रामलाल/छाजूराम यादव	कुनोत	—	300/-	17.1.2002
11.		रमेशचंद/हरदयाल	राजनोता	—	325/-	7.11.2000
12.	1807/7	श्रीमती उमरावकंवर/पृथ्वीसिंह	कांसली	—	43995/-	28.1.2002
13.	1704/11	कानाराम/तीजाराम	जोधपुरा	26.11.2002	अण्डरएस्टीमेट	
14.	1605/01	गंगाराम/कालूराम धानका	—	15.11.2002	''	
15.	1501/12	गजानंद/नाथूराम महाजन	पनानाअहीर	29.10.2001	''	
16.	1606/03	नाथू/बालूजाट	मंजूका	31.12.2002	अण्डरएस्टीमेट	

1	2	3	4	5	6	7
17.	1504/54	छोटेलाल/श्योचंद	अजीतपुरा	16.10.2002	''	
18.	1604/40	लीलाराम/गणेश	दाइका	29.1.2003	''	
19.	2104/153	रामोतार/विजसिंह	बडनगर	30.1.2003	''	
20.	1701/11	कानाराम/बीजाराम	पाथरेडी	29.1.2003	1250/-	29.1.03
21.	1704/138	प्रभुदयाल/पूरणमल	जोधपुर	28.1.2003	अण्डरएस्टीमेट	
22.	2107/189	रामोतार/नंदाराम	पावटा		1150/-	16.1.03
23.	1707/11	पांचूराम/हीराराम	पंचपहाडी		16660/-	2.1.03
24.	1805/132	सोजाराम/प्रभांतजाट	मढा	23.11.2002	अण्डरएस्टीमेट	
25.	2303/89	रूडादास/डोलाराम	भूरीभडास	''	1290/-	29.1.03
26.	2107/189	रामोतार/नंदरामजाट	पावटा	21.11.2002	अण्डरएस्टीमेट	
27.	2105/104	झूंथा/रामदेव	बडनगर	15.11.2002	''	
28.	1604/61	गंगाराम/नका		''	''	
29.	1506/43	कन्हैयालाल/मगतूराम	भैसलाना	22.10.2002	''	
30.	95/16	जगन्नाथ/बादूराम	ठिकरियां	18.9.2002	''	

परिशिष्ट-20

परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-770 का विवरण)

कार्यालय जिला परिषद्, बारां

योजना का नाम	प्राप्त राशि	दिनांक	ग्रा.पं. को हस्तान्तरित दिनांक
पं.स. छबड़ा			
ग्यारहवां वित्त आयोग	1199880	02.07.2002	08.08.2002
ग्यारहवां वित्त आयोग	899914	04.02.2003	10.02.2003
राज्य वित्त आयोग	1687755	07.09.2002	16.09.2002
पं. स. छीपाबड़ौद			
ग्यारहवां वित्त आयोग	1706530	02.07.2002	25.09.2002
ग्यारहवां वित्त आयोग	1279900	01.02.2003	वितरण नहीं
राज्य वित्त आयोग	2400415	24.08.2002	05.02.2003 तथा 26.02.2003

ह०/-

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्, बारां

कार्यालय जिला परिषद्, बारां

परिशिष्ट 'ब'

योजना का नाम : राज्य वित्त आयोग

क्र.सं.	कार्य का नाम मय ग्राम	ग्राम पंचायत	स्वी. राशि (लाखों में)	स्वीकृति दिनांक	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति, छबड़ा					
1.	खरंजा निर्माण भंवर लाल नागर के मकान से खेजड़ा तक	झरखेड़ी	0.50	3.10.2002	0.50
2.	खरंजा निर्माण कोलूखेड़ा गांव से छत्रियों तक	दीलोद	0.50	2.10.2002	50.00
3.	खरंजा निर्माण सागोड़ा स्कूल भवन से ट्यूबवैल तक	दीलोद	0.36	2.10.2002	0.36
4.	पाइप लाइन शंकर कालोनी	चांचौड़ा	0.76	22.10.2002	0.50
5.	खरंजा निर्माण गांव से स्कूल तक भीलवाड़ा नीचा	भीलवाड़ा नीचा	0.50	20.10.2002	0.50
6.	हैण्ड पम्प स्थापन मण्डखोह रास्ते पर	पचपाड़ा	0.60	25.10.2002	निल
7.	शाला भवन बाउण्डरी अपूर्ण गूगौर	गूगौर	0.15	10.10.2002	0.15
8.	खरंजा निर्माण आंडी से पुलिया तक महेशपुरा	गूगौर	0.40	10.10.2002	0.40
9.	खरंजा निर्माण मंदिर से रामनाथ सहर के मकान तक गोडियामेहर	गोडियामेहर	0.50	05.11.2002	0.50
10.	खरंजा निर्माण जाचरोंडा	भुआखेड़ी	0.50	30.10.2002	0.50
11.	खरंजा निर्माण पुलिया से इब्राहिमपुर	फलिया	0.45	08.11.2002	0.45

1	2	3	4	5	6
12.	अपूर्ण राजीव पाठशाला भवन पूर्ण करना कुलिंजरा ढाणी	फलिया	0.50	08.11.2002	0.50
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत हानियाहेड़ी	हानियाहेड़ी	0.50	25.10.2002	0.50
14.	रा.उ.प्रा.वि. कमरा मरम्मत घाटाखेड़ी	घाटाखेड़ी	0.50	16.11.2002	0.50
15.	रा.प्रा.वि.भवन अपूर्ण बाउण्डरी कड़ैयावन	कड़ैयावन	0.50	24.11.2002	0.48
16.	खरंजा निर्माण मूण्डकिया अट्टा कालोनी	मूण्डकिया	0.50	12.11.2002	0.50
17.	बरामदा निर्माण प्रा.वि. भवन माणक चौक	भूलोन	0.50	18.11.2002	0.50
18.	खरंजा निर्माण कासल रास्ते पर	खोपर	0.70	25.10.2002	0.70
19.	नाली निर्माण कार्य भुआखेड़ी	भुआखेड़ी	0.15	05.12.2002	0.15
20.	पाइप लाइन ट्यूबवैल से पानी लाने हेतु कडैयावन	कड़ैयावन	0.13	28.12.2002	0.12
21.	सार्वजनिक कूप निर्माण एस. सी. बस्ती बागला	तेलनी	0.60	02.01.2003	0.48
22.	सार्वजनिक कूप निर्माण तेलनी डेरा	तेलनी	0.60	02.01.2003	0.30
23.	बाउण्डरीवाल गेहूखेड़ी	जैपला	0.50	02.01.2003	0.50
24.	लिंक रोड फूलबड़ौद से उमरथाना पर ग्रेवलीकरण	मूण्डला	0.67	02.01.2003	0.67
पंचायत समिति छीपाबड़ौद					
25.	पशु पेयजल हेतु खेल निर्माण	कलमोदिया	0.445	25.02.2003	0.445

1	2	3	4	5	6
26.	नवीन हैण्ड पम्प निर्माण ब्रह्माखेड़ी	कलमोदिया	0.51295	20.02.2003	0.51295
27.	नाला निर्माण सैंट्रल बैंक से पशु चिकित्सालय के खाल तक	हरनावदाशाहजी	1.00	18.10.2002	1.00
28.	ट्यूबवैल में मोटर व पाइप सहित थाने में		0.2585	11.12.2002	0.2585
29.	नवीन हैण्ड पम्प लगवाना पाडलिया	देवरीजोध	0.50	09.11.2002	0.50
30.	हैण्ड पम्प मोटर डलवाना बरडावदा	देवरीजोध	0.2307	08.11.2002	0.2307
31.	हैण्ड पम्पों के सामान क्रय करना ग्राम भगवतपुरा	देवरीजोध	0.0975	12.11.2002	0.0975
32.	हैण्ड पम्प में मोटर डलवाना देवरीजोध	देवरीजोध	0.2176	15.11.2002	0.2176
33.	खरंजा निर्माण ग्राम मोतीपुरा	खेडलाजागीर	0.394	08.12.2002	0.394
34.	हैण्ड पम्पों के सामान क्रय करना	अजनावर	0.17822	28.02.2003	0.17822
योजना का नाम : ग्यारहवां वित्त आयोग					
पंचायत समिति छबड़ा					
1.	खरंजा निर्माण दिलोद	दिलोद	0.50	19.08.2002	0.50
2.	पंचायत भवन मरम्मत दिलोद	–	0.17	19.08.2002	0.17
3.	ग्रेवल रोड पाली से काबरखो	पाली	0.60	16.08.2002	0.60
4.	ग्रेवल रोड जाला से बरड़ी	तेलनी	0.70	16.08.2002	0.70
5.	खरंजा निर्माण हरदयाल के मकान से शाला भवन तक	भूलोन	0.50	21.08.2002	0.50

1	2	3	4	5	6
6.	रा.उ.प्रा.वि. गूंगौर अपूर्ण चारदीवारी को पूर्ण करना	गूंगौर	0.50	24.08.2002	0.49
7.	छोटा तालाब मरम्मत एवं गहरा कराना सेमला	घाटाखेड़ा	0.48	20.08.2002	0.48
8.	ग्रेवल रोड भूलोन रोड़ से भीलवाड़ा नीचा कादरपुरा तक		0.435	21.08.2002	0.435
9.	पुलिया मरम्मत उमरथाना	मूण्डला	0.56	16.08.2002	0.56
10.	खरंजा निर्माण सेमली घाटाखेड़ी रोड से गांव तक	सेमली	0.41	23.08.2002	0.41
11.	स्कूल रास्ते की पुलिया निर्माण गोपालपाड़ा	पचपाड़ा	0.44	23.08.2002	0.44
12.	खाल की पुलिया मरम्मत परोलिया	निपानिया	0.50	20.08.2002	0.50
13.	तालाब गहरा व पाल मरम्मत बटावदापार	गोडियामेहर	0.47	16.08.2002	0.47
14.	खरंजा निर्माण कार्य शंकर कालोनी	चांचौड़ा	0.50	20.08.2002	0.64
15.	रपट पुलिया एवं खरंजा निर्माण कडैयाहाट	कडैयाहाट	0.43	15.10.2002	0.43
16.	चारदीवारी निर्माण प्राथमिक विद्यालय पीपलखेड़ी	बापचा	0.47	16.08.2002	0.47
17.	चारदीवारी निर्माण उ.प्रा.वि. तीतरखेड़ी	तीतरखेड़ी	0.60	16.08.2002	0.60
18.	खरंजा निर्माण शाला भवन से गांव तक इब्राहिमपुरा	फलिया	0.68	16.08.2002	0.68

1	2	3	4	5	6
19.	तालाब मरम्मत एवं पाल ऊंची करना कडैयानोहर	कडैयानोहर	0.43	16.08.2002	0.43
20.	शाला मरम्मत युसुफपुरा	मूण्डक्या	0.48	16.08.2002	0.48
21.	खरंजा निर्माण बाबूलाल के मकान से छीतरलाल के मकान तक बड़ौदिया	झरखेड़ी	0.41	16.08.2002	0.41
22.	चारदीवारी उ.प्रा.वि. हान्याहेड़ी	हान्याहेड़ी	0.50	20.08.2002	0.50
23.	चारदीवारी उ.प्रा.वि. कोटडापार	कोटडापार	0.50	18.08.2002	0.50
24.	नाली एवं खरंजा निर्माण कडैयावन	कडैयावन	0.40	16.08.2002	0.40
25.	नाली निर्माण कोटड़ी	कडैयावन	0.10	16.08.2002	0.10
26.	खरंजा निर्माण खोपर	खोपर	0.50	20.08.2002	0.50
27.	नाली निर्माण रींझा	खोपर	0.20	20.08.2002	0.20
28.	सामुदायिक विकास भवन भुआखेड़ी	भुआखेड़ी	1.00	10.09.2002	0.80
29.	खेल निर्माण रोहनी	बारई	0.20	02.09.2002	0.20
30.	खेल निर्माण बारई	बारई	0.25	02.09.2002	0.25
31.	खेल निर्माण चावलखेड़ी	बारई	0.20	02.09.2002	0.20
32.	खरंजा निर्माण बटावदापार	गोडियामेहर	0.50	15.10.2002	0.50
33.	सार्वजनिक कूप तेलनीडेरा	तेलनी	0.60	02.01.2003	0.30
पंचायत समिति छीपाबड़ौद					
34.	हैण्ड पम्प के शोकिट, क्रय करना	राडेंअगलावदाआली	0.0508	16.12.2002	0.0508
35.	हैण्ड पम्प के पाइप क्रय करना	कुम्भाखेड़ी	0.0125	13.01.2003	0.0125

1	2	3	4	5	6
36.	हैण्ड पम्प खुदाई कार्य पं.स. परिसर में	छीपाबड़ौद	0.50	16.12.2002	0.4726
37.	सार्वजनिक प्याऊ इकलेरा नाका	छीपाबड़ौद	0.15	07.01.2003	0.15
38.	खरंजा निर्माण बलदेवजी पंजाबी वाली गली	छीपाबड़ौद	0.50	07.01.2003	0.50
39.	ट्यूबवैल रिवोर पटवार घर	छीपाबड़ौद	0.40	11.01.2003	0.3069
40.	खरंजा निर्माण श्याम कोली से रामगोपाल के मकान तक	छीपाबड़ौद	0.50	28.02.2002	0.50
41.	खरंजा निर्माण सालपुरा नाके से ढोलम के पुराने नाके की गली तक	छीपाबड़ौद	0.50	28.02.2003	0.50
42.	हैण्ड पम्प के पाइप व अन्य सामान क्रय करना	छीपाबड़ौद	0.1369	28.02.2003	0.1369
43.	ट्यूबवैल रिबोर कार्य ढोलम	ढोलम	0.40	10.12.2002	0.3597
44.	हैण्ड पम्प के पाइप क्रय करना	ढोलम	0.05975	10.01.2003	0.05975
45.	हैण्ड पम्प के अन्य सामानों पर व्यय	गगचाना	0.4225	13.01.2003	0.4225
46.	हैण्ड पम्प खुदाई कार्य गोविन्दपुरा	पछाड़	0.4135	12.01.2002	0.4135
47.	नवीन हैण्ड पम्प निर्माण मानपुरा	मानपुरा	0.4337	25.10.2002	0.4337
48.	नवीन हैण्ड पम्प निर्माण बोरदा	बिलेण्डी	0.50	10.01.2003	0.50
49.	नवीन हैण्ड पम्प निर्माण भवानीपुरा	भावपुरा	0.50	01.01.2003	0.50

1	2	3	4	5	6
50.	परसी पटान रा.उ.प्रा.वि. दीगोदजागीर	दीगोदजागीर	0.29985	11.11.2002	0.29985
51.	पशु पेयजल दीगोदजागीर	दीगोदजागीर	0.12977	11.11.2002	0.12977
52.	खरंजा नाली दीगोंदजागीर	दीगोदजागीर	0.34985	11.11.2002	0.34985
53.	खरंजा निर्माण गंगाराम के मकान से चोपनापुरा तक	काल्पाजागीर	0.50	08.10.2002	0.50
54.	हैण्ड पम्पों के पाइप व राडे क्रय करना	कलगोदिया	0.28	26.02.2003	0.28
55.	हैण्ड पम्पों के पाइप क्रय करना	हरनावदाशाहजी	0.1125	11.12.2002	0.1125
56.	खरंजा निर्माण कोहड़ी हेतु	मोखमपुरा	0.49975	10.10.2002	0.49975
57.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मरम्मत राई	राई	0.3029	10.10.2002	0.3029
58.	ग्राम बरडावदा के हैण्ड पम्पों के सामान क्रय करना	देवरीजोध	0.1032	13.11.2002	0.1032
59.	हैण्ड पम्प में मोटर डलवाना करनालजागीर	खेड़लाजागीर	0.2485	09.12.2002	0.2485
60.	हैण्ड पम्प बंजारा बस्ती खजूरिया	दीगोदखालसा	0.50	09.10.2002	0.50
61.	शौचालय निर्माण धामनिया	बंजारी	0.10999	05.10.2002	0.10999
62.	स्कूल मरम्मत गुराड़ी	बंजारी	0.24891	10.09.2002	0.24891
63.	बंजारी घाटी की रपट पुलिया निर्माण तूमड़ा	गोरधनपुरा	0.47	20.10.2002	0.4694
64.	नवीन हैण्ड पम्प घाघोनिया	फूलबड़ौद	0.50	12.01.2003	0.50
65.	खरंजा रंगलाल गूर्जर से रा.गा.स्व.जं.पा. खासिया	सहजनपुर	0.4486	16.10.2002	0.4486

1	2	3	4	5	6
66.	खरंजा निर्माण एस.सी. बस्ती अजनावर	अजनावर	0.40	04.10.2002	0.39955
67.	खरंजा निर्माण राजपुरा जागीर	अजनावर	0.36	04.10.2002	0.23295
68.	खरंजा निर्माण किशनलाल के मकान से प्रेम के मकान तक	झनझनी	0.50	8.10.2002	0.50
69.	पशु पेयजल हेतु केसिंग कार्य सेतकेलू	सेतकेलू	0.50	11.11.2002	0.50
70.	गांधी चौक से डांगर तक गिट्टी सीमेंट खरंजा वार्ड नम्बर 10	बमौरीघाटा	0.19	16.10.2002	0.19
71.	गिट्टी सीमेंट खरंजा वार्ड नम्बर 8 एस.सी. बस्ती	बमौरीघाटा	0.40	16.10.2002	0.40
72.	खरंजा निर्माण टांचा में कुम्हार से गिरधर मालव तक	टांचा	0.40	1.10.2002	0.40

परिशिष्ट-21

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-771 का विवरण)

कार्यालय पंचायत समिति बाली जिला पाली

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृति राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	पूरण	1995-96	1.25	1.24	पूर्ण
2.	गंवाई नाड़ी खुदाई सरलीबेरी	सरलीबेरी	1995-96	0.70	0.69	पूर्ण
3.	सड़क निर्माण कूरणखाडा से कूरण	कूरण	1995-96	0.90	0.88	पूर्ण
4.	सड़क निर्माण खेतरली से कदावा	खेतरली	1995-96	0.30	0.28	पूर्ण
5.	सड़क निर्माण खेतरली से खेतरली ठाड	खेतरली	1995-96	0.50	0.49	पूर्ण
6.	सड़क निर्माण कूरण से कोलवाड़ा	कूरण	1996-97	0.80	0.78	पूर्ण
7.	सड़क सांगरवाड़ा से कूरण	कूरण	1997-98			पूर्ण
8.	प्राथ.वि. भवन खेतरला खाड़ा	खेतरली	1998-99	1.93	1.92	पूर्ण
9.	प्राथ.वि. भवन कदावाकली	कदावा	1998-99	1.93	1.92	पूर्ण
10.	प्राथ.वि. भवन कोलीवाला	कूरण	1998-99	1.93	1.92	पूर्ण
11.	अवाला निर्माण उकरपताफला	कूरण	1998-99	0.10	0.10	पूर्ण
12.	अवाला निर्माण मोरीयाफली	कूरण	1998-99	0.10	0.10	पूर्ण
13.	अवाला निर्माण तलाबफला	कूरण	1998-99	0.10	0.10	पूर्ण
14.	अवाला निर्माण खोटरीफली	कूरण	1998-99	0.10	0.10	पूर्ण
15.	अवाला निर्माण कार्य उकीयाफली	कूरण	1998-99	0.10	0.10	पूर्ण
16.	राजीव गांधी पाठ. मालासाफर	खेतरली	1999-2000	2.14	2.14	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
17.	नाड़ी खुदाई सागरीवाला	खेतरली	2000-2001	1.00	1.00	पूर्ण
18.				1.00	1.00	
19.	नाड़ी खुदाई कार्य खेतरली	खेतरली	2000-2001	1.00	1.00	पूर्ण
20.	सार्व.पिचका खुदाई कोलवाड़ा	कोलवाड़ा	2000-2001	0.36	0.36	पूर्ण
21.	सार्व. पिचका खुदाई कूरण	कूरण	2000-2001	0.36	0.36	पूर्ण
22.	सामु. बैठक मदन हालौवरला	कूरण	2000-2001	1.00	1.00	पूर्ण
23.	सार्व. कुआ मरम्मत कोलवाड़ा	कोलवाड़ा	2000-2001	0.30	0.30	पूर्ण
24.	दुकान निर्माण कूरण 2 खेत 3	कूरण	2000-2001	1.15	1.14	पूर्ण
25.	सारण निर्माण खेतरली	खेतरली	2000-2001	1.95	1.94	पूर्ण
26.	कमरा निर्माण रा.उ.प्रा.वि. कूरण	कूरण	2000-2001	1.15	1.15	पूर्ण
27.	सारण निर्माण खेतरली	खेतरली	2000-2001	1.00	1.00	पूर्ण
28.	सार्व. निर्माण खुदाई	खेतरली	2001-2002	0.50	0.49	पूर्ण
29.						
30.	नाड़ी खुदाई कूरण	कूरण	2001-2002	0.90	0.90	पूर्ण
31.	नाड़ी खुदाई कोलवाड़ा	कोलवाडा	2001-2002	0.90	0.90	पूर्ण
32.		कूरण	2001-2002	0.50	0.50	पूर्ण
33.	महादेव से कदावा सारण	खेतरली	2001-2002	0.50	0.50	पूर्ण
34.	सड़क सापरा से धायखादरा	खेतरली	2001-2002	0.25	0.24	पूर्ण
35.						
36.	रा.उ.प्रा. खेतरली मरम्मत	खेतरली	2001-2002	0.15	0.15	पूर्ण
				32.60	**32.34**	

परिशिष्ट–22

(अतारांकित प्रश्न संख्या–773 की सूची)

गत चार वर्षों में निलम्बित किये गये जिला प्रमुखों एवं प्रधानों की सूची

क्र.सं. नाम जिला प्रमुख	जिला	विशेष विवरण
1. श्री पृथ्वीराज मीणा	सवाईमाधोपुर	—

क्र.सं.	प्रधान नाम	पंचायत समिति व जिला	विशेष विवरण
1.	श्री कन्हैया लाल बैरवा	गंगापुर (सवाईमाधोपुर)	
2.	श्री छगनलाल	रेवदर सिरोही	न्यायालय से स्थगन विस्तृत जांच विचाराधीन रखते हुये बहाल किया गया

परिशिष्ट "ब"

निलम्बित/बरखास्त प्रमुख एवं प्रधानों की सूची (अनुसूचित जाति)

क्र.सं.	प्रधान नाम	पंचायत समिति व जिला	विशेष विवरण
1.	श्री कन्हैया लाल बैरवा	गंगापुर, सवाईमाधोपुर	
			अनुसूचित जनजाति
2.	श्री पृथ्वीराज मीणा	जिला प्रमुख सवाईमाधोपुर	
		बरखास्त	
			अनुसूचित जनजाति
2.	श्री रामेश्वर मीणा	प्रधान पंचायत समिति सुल्तानपुरा (कोटा)	

परिशिष्ट-"ब"

बरखास्त किये गये सरपंचों की सूची (अनुसूचित जाति)

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	प.सं. व जिला	विशेष विवरण
1.	श्रीमती मंगली देवी	तामड़िया	चाकसू (जयपुर)	
2.	श्री प्रभुदयाल	नीमेड़ा	झोटवाड़ा (जयपुर)	बहाल
3.	श्री भागचन्द बैरवा	गुल्लाणा	बांदीकुई (दौसा)	
4.	श्री जगराम	कारोड़ा	बहरोड़ (अलवर)	
5.	श्री हरिगोपाल	करीलो	नदबई (भरतपुर)	बहाल
6.	श्री सूरज	पचगांव	धौलपुर (धौलपुर)	
7.	श्रीमती सुशीला देवी	हसामपुर	नीमकाथाना (सीकर)	
8.	श्री हरिसिंह	धीमरी	बाड़ी (धौलपुर)	
9.	श्रीमती कमला	गिरी	रायपुर (पाली)	
10.	श्री मोतीराम	बासन	रेवदर (सिरोही)	
11.	श्री नारायण	डेंडा	पाली (पाली)	
12.	श्री रामेश्वर बैरवा	गणेशगंज	सुल्तानपुर (कोटा)	
13.	श्री प्रकाश चन्द बैरवा	बिचपुरीगुजरान	खण्डारा (सवाईमाधोपुर)	
14.				

अनुसूचित जनजाति

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	प.सं. व जिला	विशेष विवरण
1.	श्रीमती प्रेमदेवी मीणा	रवररवड़ा	जमवारामगढ़ (जयपुर)	बहाल
2.	श्री बाबूलाल मीणा	मण्डाभिण्डा	गोविन्दगढ़(जयपुर)	बहाल
3.	श्री रामसहाय मीणा	करणगढ़	बस्सी (जयपुर)	
4.	श्री विश्राम मीणा	कोट	महुआ (दौसा)	
5.	श्री रूपसिंह मीणा	ऊंच	नदबई (भरतपुर)	
6.	श्री रावताराम	गूदवाड़ा	सिरोही (सिरोही)	
7.	श्री मन्नाराम	दोयत रा	आबूरोड (सिरोही)	
8.	श्री अमराराम	आमथला	आबूरोड (सिरोही)	
9.	श्री तेजीराम	टोड़ा	सलूम्बर (उदयपुर)	
10.	श्री भंवरलाल	छीछ	बागीदौरा (बांसवाडा)	

निलम्बित सरपंचों की सूची (अनुसूचित जाति)

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	प.सं. व जिला	विशेष विवरण
1.	श्री गोविन्दराम मेघवाल	उपनी	डूंगरगढ़ (बीकानेर)	
2.	श्री मोहनलाल	पलाना	बीकानेर (बीकानेर)	
3.	श्री ओमप्रकाश मेघवाल	रिडम लसर	बीकानेर (बीकानेर)	बहाल
4.	श्री चुन्नीलाल खटीक	संगसेरा	डूगला (चित्तौड़गढ़)	न्यायालय से बहाल
5.	श्रीमती मोहनी देवी	बनेड़ा	बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
6.	श्रीमती केसर जाटव	रेडायलगूजर	गंगरपुर (सवाईमाधोपुर)	
7.	श्री गोपाल लाल बैरवा	थावला	देवली (टौंक)	
8.	श्री शंकर लाल रैगर	बिहाड़ा	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	
9.	श्रीमती संगरीदेवी	प्रतापगढ़	थानागाजी (अलवर)	
10.	श्री हरदयाल गुरडा	जैतसीसर	सरदारशहर (चूरू)	
11.	श्री दुर्गालाल खटीक	नीमेड़ा	फागी (जयपुर)	न्यायालय
12.	श्रीमती सीतादेवी	फतेहगढ़	अराई (अजमेर)	
13.	श्री जगदीश प्रसाद	दिलवाड़ा	श्रीनगर (अजमेर)	
14.	श्री नंदलाल बैरवा	भोगादीत	अराई (अजमेर)	
15.	श्री कानाराम मेघवाल	बाजबारा	पर्वतसर (नागौर)	
16.	श्री दानाराम	दाबडा	डीडवाना (नागौर)	बहाल
				अनुसूचित जन जाति
1.	श्री बाबूलाल मीणा	मीणा बड़ोदा	गंगापुर (सवाईमाधोपुर)	बहाल
2.	श्री हरिचन्द मीणा	पीथलपुर	नीमकाथाना (सीकर)	बहाल
3.	श्रीमती रामपति	धवान	टोडाभीम (करौली)	
4.	श्री ओमप्रकाश मीणा	भीया	केशवरायपाटन (बूंदी)	
5.	श्री मदनलाल मीणा	बासेड़ा	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	बहाल
6.	श्री टीकाराम मीणा	रामड़ी	सवाईमाधोपुर (सवाईमाधोपुर)	
7.	श्री सन्तोष मीणा	कासीर	देवली (टौंक)	बहाल

परिशिष्ट-23

परिशिष्ट -"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-776 की प्रति)

कार्यालय जिला कलक्टर, टौंक

क्रमांक 6574/सहायता/2002　　**दिनांक 25.05.2002**

वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 17

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6401.6420 दिनांक 22.05.2002 के द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टौंक के पत्रांक 1 दिनांक 25.05.2002 द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्पादित करवाये जावेंगे।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	स्वीकृत श्रमिक से	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रेवल सड़क अल्लापुर से चन्दलाई	अल्लापुरा	अ.माल	1.50	0.50	2.00	80	30.6.02
2.	ग्रेवल सड़क झालरा से खंडा मोर सम्मान	झालरा	काबरा	1.12	0.38	1.50	60	30.6.02
3.	ग्रेवल सड़क घास से ऊटीटाना	घास	घास	0.40	0.10	0.50	20	30.6.02
4.	ग्रेवल सड़क सांखला से मीरगंज शेरपुर वाया राजनगर	राजनगर	राखिया	1.12	0.38	1.50	60	30.6.02
5.	ग्रेवल सड़क सोरन से बगोर तक	सोरन	सोरन	1.50	0.50	2.00	60	30.6.02
6.	ग्रेवल सड़क हथाना से पराना मय पालया	हथाना	हथाना	1.00	1.00	2.00	40	30.6.02
7.	ग्रेवल सड़क छापरिया से सोनवा	सोनवा	सोनवा	0.75	0.25	1.00	40	30.6.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	ग्रेवल सड़क पराना से हमीफपुर	पराना	पराना	1.12	0.38	1.00	60	30.6.02
9.	ग्रेवल सड़क बगड़ी से से हस्माईलपुरा	इस्माइलपुरा	बगड़ी	0.75	0.25	1.00	60	30.6.02
10.	ग्रेवल सड़क रानोली रोड से मो.नगर ढाणी वाया इब्राहीमाबाद	मो.नगर	बगठवा	1.12	0.38	1.00	60	30.6.02
11.	ग्रेवल सड़क बोरखण्डी से कतिरिया	कतिरिया मण्ड	बोरखण्ड किला	1.12	0.38	1.50	60	30.6.02
12.	ग्रेवल सड़क हगजापुरा से नयाटीता	नयाटीता	बोरखण्ड किला	1.50	0.50	2.00	60	30.6.02
13.	ग्रेवल सड़क किशनपुरा से फुरेड़ा	किशनपुरा	गलोद	0.75	0.25	1.00	40	30.6.02
14.	ग्रेवल सड़क झिगना से संदेड़ा	झिगना	झिगना	1.12	0.38	1.50	60	30.6.02
15.	ग्रेवल सड़क संदेडा से बोरखण्डीकलां	संदेडा	संदेडा	1.12	0.38	1.00	60	30.6.02
16.	ग्रेवल सड़क रानोली से बिसातू	रानोली	रानोली	0.75	0.25	1.00	40	30.6.02
17.	ग्रेवल सड़क नवरंगपुरा से गुढारामदास	नवरंगपुरा	मगडवा	1.12	0.98	1.50	60	30.6.02
				17.88	**6.64**	**24.50**	**940**	**30.6.02**

उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

1. उप शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक1(2)1(सआ)/ख/राका/2002/7841-60 दिनांक 27.4.2000 जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी हैं में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राहत कार्य सम्पादित करवाये जावेंगे।

2. किसी भी कार्य पर मजदूरी की दर टास्क के अनुसार निर्धारित होंगे। टास्क के अनुसार मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित कार्य के अनुसार किया जायेगा। यदि टास्क के अनुसार देय मजदूरी से अधिक मस्टरमस्टोल पारित किया जाता है तो इसके लिए मस्टरमस्टोल पर स्पष्ट अंकित किया जायें तथा कार्य में कमी पाये जाने पर प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने सम्बन्धी दायित्व निर्धारित किया जाये।

3. राहत कार्य ठेके पर नहीं करवाये जावें। प्रत्येक कार्य का निष्पादन प्रयत्न पर निर्धारित मस्टररोल के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा कराये जावें।

4. यथा सम्भव कार्य उसी संस्था द्वारा कराया जावे जो भविष्य में सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हो।

5. राहत कार्यों का समय एक मर्द से प्रातः 6.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक लगातार रहेगा। जिला कलक्टर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हसक अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ करने का समय निर्धारित कर सकता है।

6. प्रत्येक कार्य के लिए मस्टररोल के साधारण का दायित्व जानकारी का होगा कार्यकारी करना मस्टररोल पर श्रमिक के नाम के साथ बीपीएल चयनित क्रमांक नम्बर भी अंकित करें।

7. मस्टररोल में श्रमिकों की हाजरी प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे अन्दर ली जावेगी।

8. मस्टररोल प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग जारी किये जावे एवं मस्टररोल पर कार्य का नाम एवं पखवाड़ का विवरण जारी करते समय ही अंकित किया जावें।

9. माडा तालाब कुआं आदि समस्त प्रकार का कच्चे कार्यों के प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल का फोटोग्राफ/विडियोग्राफी ले ली जावें एवं कार्य बन्द करने के साथ ही पुनः फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी ली जावें। फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी का अभिलेख

में संधारण किया जावे पर किया जाने वाला व्यय छाया पानी के अधिकृत राशि में से ही किया जावेगा जो कि छाया पानी वीडियोग्राफी को मिलाकर से अधिक नहीं होगा।

10. राहत कार्यों पर मेट की नियुक्ति मस्टररोल के साधारण, राहत कार्या के श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में सहायता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 7641-60 दिनांक 27.4.2002 के पैरा 6, 7क, 7 व एवं सहायता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जावें। मस्टररोल का कार्य स्थल पर साधारण मेट द्वारा किया जावेगा।

11. प्रत्येक कार्य शुरू करने से पूर्व उसका सूचना पट्ट लगाया जावें जिस पर कार्य का नाम, लागत, श्रमिक संख्या आदि का विवरण सहायता विभाग के परिपत्र दिनांक 27.4.2002 के अनुसार अंकित किया जावें।

12. राहत कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.4.2002 एवं अन्य समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जावें।

ह०/–
जिला कलक्टर
टौंक

परिशिष्ट-24

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-777 का विवरण)

ICDS योजना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय हिण्डौली (बून्दी) में वर्ष 2001-02 में हुए मदवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(i)-प्रशासनिक व्यय-(केन्द्र प्रवर्तित योजना)

क्र.सं.	मद	राशि
1.	संवेतन	9,21,616/-
2.	मानदेय	12,13,212/-
3.	यात्रा व्यय	1,17,524/-
4.	चिकित्सा व्यय	7938/-
5.	कार्यालय व्यय	15000/-
6.	आंगनबाड़ी व्यय	90729/-
7.	विज्ञापन व्यय	14960/-
8.	भवन किराया	59952/-
9.	वाहन संधारण	27458/-
	योग	**24,68,389/-**
(ii) ICDS-(विश्व बैंक)		
1.	विज्ञापन व्यय	34460/-
2.	प्रशिक्षण	11435/-
	योग	**45895/-**
(iii) आयोजना व्यय		
1.	खाद्यान्न एवं अन्य व्यय	158177/-
2.	परिवहन व्यय	94359/-
3.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-(आयोजना व्यय)-	29843/-
	योग	**282379/-**

कुल योग (I+II+III) : **2796663/-**

उपरोक्त के अलावा बच्चों एवं माताओं को केयर से प्राप्त निःशुल्क पोषाहार सी.एस.बी. एवं एस. आयल का वितरण किया गया है। प्रति दिन प्रति लाभार्थी पूरक पोषाहार वितरण मानदण्ड निम्नानुसार है :

0-6 वर्ष के कुपोषित बच्चे - 65 ग्राम सी.एस.बी. एवं 8 ग्राम एस. आयल

0-6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे - 130 ग्राम सी.एस.बी. एवं 16 ग्राम एस. आयल

गर्भवति एवं धात्री माताएं - 130 ग्राम सी.एस.बी. एवं 16 ग्राम एस. आयल

परिशिष्ट–25

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–212 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. Of Gram Panchyats which was Elected Un-Opposed in the year 2000

Sr. No.	Name of the District	No. of Gram Panchyat which was elected un-Opposed	Additional Grant Sanctioned	Additional Grant Not Sanctioned	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	AJMER	9	0	9	
2.	ALWAR	7	0	7	
3.	BARAN	3	0	3	
4.	BANSWARA	1	1	0	
5.	BADMER	63	50	4	
6.	BHARATPUR	5	0	5	
7.	BHILWARA	9	0	9	
8.	BIKANER	8	0	8	
9.	BUNDI	7	0	7	
10.	CHITTORGARH	6	0	6	
11.	CHURU	5	0	5	
12.	DAUSA	2	0	2	
13.	DHOLPUR	2	0	2	
14.	DUNGARPUR	7	7	0	

1	2	3	4	5	6
15.	GANGANAGAR	2	0	2	
16.	HANUMANGARH	8	6	2	
17.	JAIPUR	6	0	6	
18.	JALOR	14	0	14	
19.	JAISALMER	48	48	0	
20.	JHALAWAR	3	0	3	
21.	JHUNJHUNU	7	0	7	
22.	JODHPUR	27	23	4	
23.	KOTA	1	0	1	
24.	NAGOR	18	0	18	
25.	PALI	14	14	0	
26.	RAJSAMAND	5	0	5	
27.	S.MADHOPUR	0	0	0	
28.	KAROLI	7	0	7	
29.	SIKAR	17	17	0	
30.	SIROHI	9	8	1	
31.	TONK	4	4	0	
32.	UDAIPUR	13	8	5	
	TOTAL	**337**	**195**	**142**	

परिशिष्ट–26

परिशिष्ट''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–317 का विवरण)

कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूचियों में से दिए गए पदोन्नति की स्थिति

पदोन्नति वर्ष	वरिष्ठता सूचियां वर्ष					
	1979–80	1980–84	1984–88	1988–92	1992–94	1994–98
1986–1987	30	—	—	—	—	—
1989–1990	56	08	—	—	—	—
1990–1991	61	—	—	—	—	—
1991–1992	119	25	27	—	—	—
1992–1993	40	—	—	—	—	—
1993–1994	26	26	03	—	—	—
1994–1995	—	110	15	10	—	—
1995–1996	35	78	03	10	—	—
1996–1997	25	76	08	03	—	—
1997–1998	17	49	34	02	—	—
1998–1999	16	41	116	23	09	—
1999–2000	—	01	108	75	02	—
2000–2001	02	02	14	210	28	—
2001–2002	10	01	—	02	02	—
2002–2003	—	—	—	03	—	—

वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूचियों में से दिए गए पदोन्नति की स्थिति

पदोन्नति वर्ष	1979-85	1985-89
1990-1991	07	—
1993-1994	15	11
1994-1995	05	—
1995-1996	03	—
1997-1998	05	—
1998-1999	18	—
1999-2000	28	07
2000-2001	40	—
2001-2002	30	—
2002-2003	11	—